दशम माला, खंड 40 अंक 21

शुक्रवार 19 मई 1995
29, वैशाख 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के 19 मई, 1995 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

....

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
10	नीचे से 14	चैटर्जी	चटर्जी
13	नीचे से 10	मूॅति	मूर्ति
15	नीचे से 12	श्री सत्यनारायण जरिया	श्री सत्यनारायण जटिया
21	5	प्रो० सुशान्त चक्रवती	प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती
49	6	श्री मुल्लोपल्ली रामचन्द्रन	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
60	नीचे से 16	विमानोपत्तनों	विमानपत्तनों
72	17	विकत्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय
90	7	(श्री पी० चिदम्बर)	(श्री पी० चिदम्बरम)
113	नीचे से 13	अमरीकी के वित्त मंत्री के दौरान	अमरीका के वित्त मंत्री की हाल
118	नीचे से 19	(श्री पी० एम० संगमा)	श्री पी० ए० संगमा
132	1	रुपये का शान्य	रुपये का मूल्य
136	3	(क) से (ध)	(क) से (ग)
139	17	(श्री पी० चिदम्बरम्)	(श्री पी० चिदम्बरम)
157	1	(श्री एन० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)	श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)
159	नीचे से 11	श्री राजनाथ सोनकरी शास्त्री	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
168	नीचे से 9	डा. पी० वल्लन पेरुमान	डा० पी० वल्लल पेरुमान
171	2	श्री हानि पाठक	श्री हरिन पाठक
183	4	श्री रावनाथ सोनकर शास्त्री	श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
187	15	नागर विमानम	नागर विमानन
207	नीचे से 15	सत्यनाराण	सत्यनारायण
210	21	श्री याइमा सिंह यमुनाथ	श्री याइमा सिंह युमनाम
211	नीचे से 6	(श्री पी० संगमा)	(श्री पी० ए० संगमा)
214	7	(श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल)	(श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल)
216	16	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
216	26	पंक्ति "आप इस प्रकार नहीं बता सकते" के अंत में * लगाइए ।	

216 पाद टिप्पण में "कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।" पढ़िए

---P.T.O.

218	20	श्री रामदेव राय (पलाम)	श्री रामदेव राम (पलामू)
223	13	7599/45	7599/95

कालम संख्या 222के बाद 233 के स्थान पर 223 पढ़िए ।

224	6 और 7	आधार रचना	अधिसूचनाएं
230	9	सत्यनाराण	सत्यनारायण
233	5	श्री जी॰एम॰बी॰बलयोगी	श्री जी॰एम॰सी॰बालयोगी
247	नीचे से 1	श्री एम॰वी॰एस॰मूर्ति	श्री एम॰वी॰वी॰एस॰मूर्ति

247 पाद टिप्पण में "भारत के असाधारण राजपत्र" के स्थान पर "भारत के राजपत्र, असाधारण" पढ़िए ।

248	4 और 11	श्री एम॰पी॰वी॰एस॰मूर्ति	श्री एम॰वी॰वी॰एस॰मूर्ति
252	नीचे से 16	श्रीमती मालिनी महाचार्य	श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
260	नीचे से 3	भवरंगपुर	नवरंगपुर
262	20	श्री द्वाशुकानाथ दास	श्री द्वारका नाथ दास

विषय सूची

दशम माला खंड : 41, तेरहवां सत्र, 1995 / 1917 (शक)

अंक : 31, शुक्रवार 19 मई, 1995 / 29 वैशाख, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	621 - 624	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	625 - 640	21-41
अतारांकित प्रश्न संख्या :	6328-6557	41-203
देश में कृषि श्रमिकों की समस्याएं		203-214
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		222-229
सभा का कार्य		229-231
भारतीय उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक - पुरःस्थापित		229-231
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक - पुरःस्थापित		231
वित्त विधेयक, 1995		234-246
विचार के लिए प्रस्ताव		
श्री उदयसिंह गायकवाड़		234-239
श्री मोहन सिंह		240-244
श्रीमति डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ		244-246
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
इकतालीसवां प्रतिवेदन - स्वीकृत		246
विधेयक पुरःस्थापित		
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक		247
(धारा 3 में संशोधन)		247
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति		247
काजी (संशोधन) विधेयक		
(धारा 4 आदि में संशोधन)		
श्री सैयद शहाबुद्दीन		247
भिक्षावृत्ति उत्पादन विधेयक		
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति		247
संविधान (संशोधन) विधेयक		
(अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन)		248
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति		

भारतीय दन्ड संहिता (संशोधन) विधेयक - जारी	
(धारा 354 में संशोधन)	248-281
श्रीमति सरोज दुबे	
(वापिस लिया गया)	
विचार के लिये प्रस्ताव	
श्री बलराज पासी	248-251
श्री याइमा सिंह युमनाम	251-255
प्रो. मालिनी भट्टाचार्य	256-257
डा. परशुराम गंगवार	257-259
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	259-260
श्री के. प्रधानी	260-262
श्री द्वारका नाथ दास	262-263
श्री चन्द्रजीत यादव	263-265
श्री रामेश्वर पाटीदार	265-268
श्री तेज नारायण सिंह	268-270
श्री प्रभुदयाल कठेरिया	270-272
श्री के.टी. वान्डायार	272
श्री राजेश पायलट	272-276
श्रीमति सरोज दुबे	274, 276-280
संविधान (संशोधन) विधेयक	
(नये अनुच्छेद 330 क वें तथा 330 ख आदि का अन्तर स्वरूप)	281-283
श्री के.पी. रेड्डय्या यादव	281-283
विचार के लिए प्रस्ताव	
श्री के.पी. रेड्डय्या यादव	281-283

(भाषण पूरा नहीं हुआ)

लोक सभा

शुक्रवार, 19 मई, 1995/29 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11.05 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

व्यापार घाटा

*621. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रुपयों, डालरों और एस. डी.आर. में कितनी-कितनी राशि का आयात, निर्यात और व्यापार घाटा हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हुए निर्यात और आयात में व्यापार घाटे का अलग-अलग प्रतिशत क्या रहा;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लगातार किन-किन देशों के साथ देश का व्यापार-सन्तुलन प्रतिकूल रहा; और

(घ) गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान देश में निर्यात और आयात की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रुपए, डालर तथा एसडीआर के रूप में आयात, निर्यात और व्यापार घाटे के मूल्य निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रु.)

	आयात	निर्यात	व्यापार घाटा
1992-93	63375	53688	9687
1993-94	73101	69751	3350
1994-95 (अ)	88705	82338	6367
		(मिलि. अमरीकी डालर)	
1992-93	21882	18537	3345
1993-94	23306	22238	1068
1994-95 (अ)	28251	26223	2028
		(एसडीआर. मिलि.)	
1992-93	17063	14455	2605
1993-94	16665	15901	764
1994-95 (अ)	19372	17981	1390

(अ) अनंतिम

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्यातों और आयातों की प्रतिशतता के रूप में व्यापार घाटा निम्नानुसार है :-

	निर्यात	आयात
1992-93	18.0	15.3
1993-94	4.8	4.6
1994-95 (अ)	7.2	7.7

(ग) जिन प्रमुख देशों के साथ वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान व्यापार संतुलन लगातार नकारात्मक रहा, वे है— बैल्जियम, जर्मन संघीय गणराज्य, ईरान, कोरिया गणराज्य, मलयेशिया, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, कुवैत, नाइजीरिया, कनाडा और सऊदी अरब। 1994-95 के पूरे वर्ष के अलग-अलग व्यापार आकंडे अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) वर्ष 1993-94 की तुलना में 1994-95 के निर्यातों और आयातों में अनंतिम रूप से अनुमानित वार्षिक वृद्धि निम्नानुसार है :

के रूप में प्रतिशत वृद्धि

	रु.	अमरीकी डालर	एसडीआर
निर्यात	18.4	18.3	13.4
आयात	21.8	21.7	16.7

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हमारे आंकडे है जिनसे पता चलता है कि व्यापार घाटा बढ़ रहा है। हालांकि निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हो रही है परन्तु निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक तेजी से बढ़ रहा है। कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम निर्यात संवर्धन के अलावा कुछ हद तक आयात में भी कमी करेंगे। अब यह बात स्पष्ट है कि निर्यात में वृद्धि इतनी प्रभावी नहीं रही है जितनी होनी चाहिए थी और न ही आयात में कमी हुई है और यही कारण है कि निर्यात घाटा बढ़ा है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि निर्यात के बारे में अथवा आयात में कमी के बारे में सरकार की ठीक नीति क्या है क्योंकि मुझे विश्वास है कि उपभोक्ता वस्तुओं, शायद देर तक काम आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं के लिए भी देश के दरवाजे खोलने के लिए विकसित देशों से सरकार पर दबाव पड़ रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम : आयात में कमी की सरकार की कोई नीति नहीं है। 1991-92 में हमारे समक्ष भुगतान शेष कर समस्या का और हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार भी बहुत कम था। इस लिए हमने जानबूझकर आयात में कमी की थी ओर इस प्रकार 1991-92 में लगभग 400 करोड़ डालर की आयात में कमी हुई थी। हमारी नीति जैसाकि सभा पटल पर रखी गई निर्यात-आयात नीति प्रस्ताव में बताई गई है। निर्यात को बढ़ावा देने और आयात को सुविधाजनक बनाने की है जिससे निर्यात तथा देश में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

महोदय हम इस बात से अवगत है कि निर्यात दर की अपेक्षा आयात वृद्धि दर थोड़ी अधिक है परन्तु यह अंतर चिन्ताजनक नहीं है। वास्तव में हद हम यह भी नहीं मानते है कि व्यापार घाटा चिन्ताजनक है। व्यापार घाटा कुल घरेलू उत्पादन को बहुत कम है। यह 1994-95 में लगभग 0.8 प्रतिशत था। इस समय के आंकड़े काफी अच्छे हैं। इस समय के घाटे आंकड़े की अन्तत: हमारी अर्थव्यवस्था को निर्धारित करेंगे और 1994-95 के घाटे के आंकड़े केवल आधा प्रतिशत है।

अत: महोदय सरकार की नीति निर्यात संवधन की और 1993 94 में हमारा निर्यात डालरों में 20 प्रतिशत बढ़ा है। और 1994-95 में इसमें डालरों में 18.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। आयात वृद्धि 21 प्रतिशत है परन्तु गत वर्ष यह बहुत कम थी। मेरे विचार में आयात और निर्यात वृद्धि दर संतोष जनक है। और व्यापार घाटे पर हम नजर रखेंगे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, माननीय मंत्री जी ने आधी सचाई बताई है। जहां कुल घरेलू उत्पाद का संबंध है व्यापार घाटा बहुत कम है। परन्तु निर्यात और आयात के मामले में यह सात प्रतिशत जिसको हद तक महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। परन्तु माननीय मंत्री जी ने व्यापार घाटे पर नजर रखने की जो बात कही उनसे मैं संतुष्ट हूँ।

जहां तक निर्यात संवर्धन का प्रश्न है माननीय मंत्री जी यदि अपनी हस्तपुस्तिका देखें तो पायेंगे कि सरकार ने निर्यात के लिए अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है और निर्यात गृहों तथा बड़े-बड़े निर्यातको पर लागू होते है। आम शिकायत यह है कि इन सुविधाओं और प्रोत्साहनों को उतने प्रभावी ढंग से तथा तत्परता से लागू किया जा रहा है जिस ढंग से उनको किया जाना चाहिए था। इस से इन स्कीमों की साख पर प्रभाव पड़ता है और वास्तव में निर्यात व्यापार के सरकार के आश्वासनों में विश्वास में भी कमी होती है। कभी कभी सुविधायें दी नहीं जाती, सभी उनमें विलम्ब किया जाता है, कभी कभी निर्यातकों को मुकदमें के लिए बाध्य किया जाता है। कभी कभी तो सरकार के विरुद्ध न्यायालय के आदेश आने पर भी उन्हें लागू नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार को हाल के आदेश जिनके बारे में मंत्री महोदय भलीभांति परिचित होगें।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह निर्यात प्रोत्साहनों संबंधी स्कीमों जैसे कि अग्रिम लाइसैंस संबंधी स्कीम अथवा आवेदनों को समयबद्ध निपटान अथवा शिकायत समिति के कार्यकरण संबंधी स्कीमों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने और यदि व्यापार बढ़ते है तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रोत्साहनों और गारंटियों का क्रियान्वयन सुचारू ढंग से हो ताकि इनमें अधिक समय न लगे और यह उस विश्वास को प्रभावहीन करे जो कि व्यापारियों को सरकारी तत्र में विकसित करता है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह किसी भी चीज को देखने का अपना ढंग है अधिकांश आयात को निर्यात द्वारा ही पूरा किया जाता है। 1990-91 में 75 प्रतिशत आयात को निर्यात द्वारा पूरा किया गया था। माननीय सदस्य कह सकते है कि निर्यात की तुलना में 25 प्रतिशत का घाटा रहा हैं। परन्तु गत दो वर्षों अर्थात 1993-94 और 1994-95 को यदि हम देखें तो पायेंगे कि 93 प्रतिशत आयात को निर्यात द्वारा पूरा किया गया है। इस प्रकार घाटा 7 प्रतिशत हुआ। यह किसी चीज को देखने का अपना अपना ढंग है।

जहां तक प्रोत्साहनों का संबंध है यह आप आलोचना है। और कुछ चुकें हुई हैं मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे मामले है जहां तेजी से काम नहीं हुआ है। परन्तु कुल मिलाकर मैं मंत्रालय, अधिकारियों तथा मंत्री की जोकि गत वर्षों में उस स्थिति में थे, प्रशंसा करता हूँ। अन्यथा निर्यात में डालरों में 20 तथा 18 प्रतिशत की वृद्धि किस प्रकार संभव थी? आज कुछ स्थानों पर निगरानी प्रणाली बनाई गई है, एम.आई.एस. नियम जोकि अग्रिम लाइसेंस के बारे में चार मुख्य? कार्यालयों से सीधे आंकडे एकत्र करते है। जून के अंत तक हमें ई.पी.सी.जी तथा एस.आई.एल. से भी आंकडे प्राप्त हो जायेंगे। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हू कि वह मेरे कार्यालय में आयें और मैं उन्हें दिखाऊंगा कि किस प्रकार अग्रिम लाइसैंस संबंधी आंकडे समय पर उपलब्ध है, कुछ महीनों में हम ई.पी.सी.जी. तथा एस. आई. एल संबंधी आंकडों को भी लाइन पर देख सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर शुगर के बारे में यहां बहुत बहस हुई थी। मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर को पूछना चाहता हूँ कि क्या पब्लिक सैक्टर को लॉस में लेना चाहिए? एसटीसी को आप कभी इम्पोर्ट करने के लिए कहते हैं और कभी उसके द्वारा एक्सपोर्ट करते है....

अध्यक्ष महोदय : यह इसमें से निकलना चाहिए क्या ?

श्री मोहन रावले : यह एक्चुअल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में ही है।

अध्यक्ष महोदय : यह बाहर से आये, इसके ऊपर रहता है।

श्री मोहन रावले : यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए एसटीसी को इजाजत नहीं देते हैं और प्राइवेट पार्टीज को देते हैं। यही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, यह इससे नहीं निकलता है।

डा. सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष जी, विदेश व्यापार के अनियंत्रित हो जाने से लगातार ऐसा देखने में आ रहा है कि जितना हम आयात करते हैं, वह आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है। निरंतर इस स्थिति के कारण हमारे देश में इसका प्रभाव पड़ता है। देश के अंदर इसके कारण भी हमारे रुपये का अवमूल्यन होता है, बाहर के कारण भी और अंदर के कारण भी और हम मूल्यों को संभाले रखने में कठिनाई पाते हैं और इसलिए विदेश व्यापार को संतुलित करने की दृष्टि से हम आयात, जो आवश्यक और अनिवार्य हो, वैसा ही करें और निर्यात के लिए हम और अधिक अवसर उसके लिए उपलब्ध

करायें। कहा तो जाता है कि निर्यात करने के लिए हम अधिक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, किन्तु उसके लिये प्रभावी उपाय नहीं किये जा रहे है। इसलिये आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वह आयात को नियंत्रित कर निर्यात बढ़ाने की दिशा में कुछ और विशेष उपाय करने वाले हैं अन्यथा स्थिति बिगड़ने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : असल में इसका जवाब उन्होंने दे दिया है। आप इसे रिपीट कर सकते है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी निर्यात नीति परियोजना को बढ़ाने तथा आयात को सुविधाजनक बनाने की है ताकि निर्यात के लिए उत्पादन हो सके तथा घरेलू बाजार में वृद्धि हो सके। जब तक देश कच्चे माल, पुर्जों तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए आयात पर निर्भर है और यह लगभग 40 प्रतिशत है जब तक हमें निर्यात हेतु उत्पादन के आयात में कटौती करना न तो उचित और न ही अक्लमंदी है। हमें आयात पर निगरानी अवश्य ही रखनी चाहिए। परन्तु आयात को सुविधाजनक बनाना है क्योंकि इसका निर्यात पर तथा घरेलू उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

श्री पी. सी. चाको : हमारी निर्यात वृद्धि दर प्रभावित होने का एक कारण यह है कि पहले भूतपूर्व सोवियत संघ और उसके विभिन्न गणराज्यों की हमारी परम्परागत वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात होता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद मसालों, चाय, नारियल जटा और ऐसी अन्य वस्तुओं के निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ा है। सरकार ने भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों जोकिअब स्वतंत्र देश बन चुके है, जहां कापर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हो चुके है, वहां पुन: निर्यात के लिए क्या उपाय किये हैं। इस घाटे को पर्यात रूप से पूरा करने हेतु क्या उपाय किय जा रहे है।

श्री पी. चिदम्बरम : उस समय सोवियत संघ को हमारा निर्यात कुल निर्यात का 15 प्रतिशत था। भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन से हमारे व्यापार को भारी धक्का लगा है। लंबी बातचीत के बाद हमने रूस सरकार के साथ एक समझौता किया है, जिसे रुपया समझौता कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम वस्तुएं निर्यात करेंगे अर्थात उन्हें 3000 रुपये की वस्तुओं का प्रतिवर्ष यहां से आयात करना होगा। इस सुविधा के बावजूद उन्होंने आर्डर नहीं दिये हैं और न ही साख पत्र खोले हैं और न ही इस राशि का पूरी तरह उपयोग किया है। इस समय मेरे पास इस के आंकडे नहीं है परन्तु गत वर्ष रूस को निर्यात रुपया ऋण भुगतान समझौते के अंतर्गत कुछ कम नहीं है। इस वर्ष उच्च स्तर पर दौरो के पश्चात भारत और रूस ने ऋण भुगतान के अंतर्गत आपसी हित की चार वस्तुओं को चुना है। ये वस्तुएं हैं चाय, तम्बाकू, सांपादीक का तेल और औषधियां। कल रूस के राजदूत ने मुझे बताया कि उन्हें अनुदेश प्राप्त हुए है कि अगले कुछ दिनों ने मुझे बताया कि उन्हें अनुदेश प्राप्त हुए है कि अगले कुछ दिनों में साख पत्र खोले जाये और आर्डर दिये जाये। मैंने आज सुबह भी इसकी समीक्षा की है। जैसे ही रूस के आर्डर आयेंगे हमारे लोग सामान निर्यात कर देंगे।

जहां तक रूपया ऋण भुगतान के शेष भाग का संबंध है हम इसके तौर तरीके ढूंढने में सक्रिया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि दुर्लभ मुद्रा में रूस को हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है। ऐसा नहीं कि रूस को हमारा निर्यात बढ़ नहीं रहा है।

जहां तक अन्य गणराज्यों को निर्यात का प्रश्न है। उनमें से कुछ गंभीर वित्तीय कठिनाइयों को सामना है शायद चार गणराज्यों को हमने निर्यात शुरू करने हेतु छोटे ऋण मंजूर किये है, इन सभी बातों में कुछ समय लगेगा चूंकि उनको गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : माननीय मंत्री ने आयात नीति की व्याख्या करते हुए दो बार कहा है कि अन्य बातों के अलावा आयात में रियायतें इस लिए दी जाती हैं क्योंकि इससे निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलती है। क्या मैं जान सकती हूँ टेलीविजन ट्यूब जैसे स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं के आयात से निर्यात में किस प्रकार सहायता मिलती है।

क्या इनकी आसीम से नहीं रोका जा सकता क्योंकि हमारे देश में इस दिशा में काफी विकास हुआ है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय किसी वस्तु विशेष के बारे में सही आंकड़े देना मेरे लिए कठिन है। परन्तु हमारे देश में रंगीन पिक्चर ट्यूब बनाने की क्षमता रंगीन टेलीविजन उद्योग की मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। रंगीन टेलीविजन उद्योग न केवल घरेलू बाजार के लिए अपितु निर्यात के लिए भी माल तैयार करता है। उस हद तक रंगीन पिक्चर ट्यूब बनाने की क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: उसका आयात करना पड़ता है, रंगीन टेलीविजन उद्योग रोजगार उत्पन्न करता है, यह उद्योग घरेलू बाजार तथा निर्यात के लिए सामान तैयार करता है।

मैं मांग और सप्लाई अंतर दर्शाने वाले आंकड़े,निर्यात तथा घरेलू मांग संबंधी आंकड़े माननीय सदस्य को भेज सकता हूँ (व्यवधान) प्रत्येक वस्तु के आंकडे मैं तत्काल नहीं, दे सकता (व्यवधान) हम बड़ी संख्या में श्वेत और श्याम टेलीविजनों का निर्यात करते है। कुछ रंगीन टेलीविजनों का भी निर्यात करते हैं परन्तु मैं हर वस्तु के आंकड़े तत्काल नहीं दे सकता।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने एक अनुपूरक उत्तर में मेघालय के बेहतर कार्य-निष्पादन का उल्लेख करते हुए अंतर की बात कही है कि अंतर 93 प्रतिशत भरा गया है। शेष 7 प्रतिशत अंतर करने का मंत्रालय का विचार है। अंतर को आयात कम करके के अथवा निर्यात बढ़ाकर समाप्त किया जा सकता है। अब दो बाते हो रही हैं। आयात के उदारीकरण से इस बड़े पैमाने पर दृष्टि हो रही है। अत: आप को आय प्रयोग की वस्तुओं का निर्यात करना है जिसमे आम व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है और कीमतें बढ़ रही है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि इस अंतर को समाप्त करने के क्या आपने अनावश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने अथवा क्या आपने निर्यात हेतु आम व्यक्ति को, अथवा मूल्यों को प्रभावित न करने वाली वस्तुओं का पता लगाने का प्रयास किया है? यदि हां, तो दूसरा परिणाम क्या रहा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।

श्री पी. चिदम्बरम : व्यापार के बारे में हमारे वक्तव्य बहुत स्पष्ट हैं। हमने एक वक्तव्य 4 जुलाई तथा एक 13 अगस्त, 1991 को दिया था। 1992-93 को निर्यात-आयात नीति बिल्कुल स्पष्ट है। जैसाकि मैंने अनुदान प्रश्न के उत्तर में कहा हमारी नीति निर्यात बढ़ाने तथा आयात को सुविधाजनक बनाने की है। अब प्रश्न यह है कि हम 7 प्रतिशत के अंतर को किस प्रकार समाप्त करते हैं? हमारा विचार इस अंतर को 18 से 20 प्रतिशत निर्यात में वृद्धि कर करने का है। योजना आयोग मूल्यों के हिसाब से यह वृद्धि 16 प्रतिशत चाहता है। हम पहले वर्ष इस लक्ष्य को प्राप्त नही कर सके। परन्तु दूसरे और तीसरे वर्ष इसने 16 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया है। आयात के बारे में कुछ गलत धारणा है। निर्यात को सुविधाजनक बनाने तथा घरेलू उत्पादन में सहायता के लिए आयात आवश्यक है। हम केवल परम्परागत वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहे है। यह कहना ठीक नहीं है कि निर्यात के कारण मूल्य बढ़ रहे है। यह कहना ठीक नहीं है कि निर्यात के कारण मूल्य बढ़ रहे है। 'एकसट्रीस फोक्स आइटम्स' के रूप में हमने जिन 34 वस्तुओं का पता लगाया है वे ऐसी वस्तुएं है जो मूल्य संवेधित हैं। उनमें से अनेक निर्मित वस्तुए और अनेक इन्जीनियरिंग की वस्तुए है, साफ्टवेयर को वस्तुएं है जिनकी देश में भी खपत है और जिनका निर्यात भी किया जाता है। परन्तु हमारा पहला दायित्व घरेलू मांग को पूरा करना है जहां फालतू सामान का पता लगता है हम उसी फालतू सामान का निर्यात करते है। इस निर्यात की अनुमति तभी देते है यदि उसका घरेलू बाजार मूल्यों पर प्रभाव न पड़े परन्तु हमारे किसानों को अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य चाहिए और अच्छा मूल्य तभी मिलेगा यदि हम उत्पाद का कुछ भाग निर्यात करें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, निर्यात-आयात घाटा बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा उद्योग में सब्सिडी ज्यादा देकर उसका उत्पादन बढ़ायें और इसके अलावा हम अच्छी क्वालिटी के चावल का भी ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते है। वे खाद पर जो सब्सिडी है वह किसानों को ज्यादा से ज्यादा देकर, अच्छी क्वालिटी का चावल देकर के ज्यादा निर्यात कर सकते है, इसमें मंत्री जी का क्या सुझाव है यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : दिये गये सुझावों से मेरा कोई मतभेद नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले

***622. श्री +रामटहल चौधरी :**

श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में और चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए तथा कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध इस समय की जा रही कार्यवाही का स्वरूप क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उल्लघन के वर्ष 1994-95 के दौरान 5680 मामलों और चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 10-5-1995 तक) में 270 ऐसे मामलों का पता लगाया है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान 364 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जिसमें से 362 को जमानत पर रिहा किया गया। 1995-96 के दौरान (दिनांक 10-5-1995 तक) 29 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जिनमें से 21 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया है।

(ग) पार्टियों के खिलाफ चलाई गई कार्यवाही विभिन्न स्तरों पर हैं जैसे अन्वेषण, कारण बताओ नोटिस जारी करना, न्याय-निर्णयन कार्यवाही शुरू करना और आपराधिक शिकायतें दर्ज करना आदि।

[हिन्दी]

श्री रामटहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि वर्ष 1994-95 में और चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उल्लंघन के कितने मामलों का पता चला है? इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने आंकड़ो के साथ जवाब दिया है। इसमें दिया है 1973 के उल्लंघन के वर्ष 1994-95 के दौरान 5680 मामलों और चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 10-5-1995 तक) में 270 ऐसे मामलों का पता लगाया है। वर्ष 1994-95 के दौरान व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जिनमें से 364 को जमानत पर रिहा किया गया।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री रामटहल चौधरी : अध्यक्ष जी, ये जितने मामले आए, इनमें जिनको जमानत पर छोड दिया गया इसके बारे में मैं मंत्री जी से यह

जानना चाहता हूं कि यह जमानत बाहर से दिया गया इसके बारे में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जमानत बाहर से ही हुई या इन लोगों को जेल में भी रखा गया?

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोर्ट में जमानत होती है और जमानत होने के बाद छोड़ देते हैं।

श्री रामटहल चौधरी : महोदय, विदेशी मुद्रा अपराध एक गंभीर अपराध है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह अपराध गरीब आदमी नहीं करता है बल्कि देशद्रोहियों द्वारा किया जाता है। देश में बढ़ रहा विदेशी निवेश एवं विदेशी कंपनियों के आने से विदेशी मुद्रा अपराध का बढ़ना स्वाभाविक है एवं अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसके कारण विदेशी मुद्रा अपराध अत्यंत खतरनाक हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सरकार कोई कारगर उपाय करने जा रही है ताकि ये अपराध न हों?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। क्या आप इसमें सुधार करने हेतु कुछ करने जा रहे है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने इसका उत्तर मुख्य उत्तर में दे दिया है। हमने 5688 मामलें का पता लगाया था तथा उन्हें रजिस्टर किया था। हमने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। परन्तु साक्ष्य के अभाव में हमें 1439 मामलों को छोड़ना पड़ा है। हमने 1508 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। जहां तक पड़ताल के लंबित मामलों को प्रश्न है। ये लगभग 2733 हैं। हमने इन्हें छोड़ा नहीं है।

जहां तक विदेशी पूंजी का आगमन का प्रश्न है मैं नहीं समझता कि इसका 'फेरा' के उल्लंघनों से क्या संबंध है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई मामला विशेष है तो वह उसे मंत्रालय को भेज सकते है और हम उसकी जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न कर सकते है।

[हिन्दी]

श्री रामटहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कोई खास व्यक्तिगत मामले की बात नहीं है, यह जनरल प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री मोहन रावले : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो हवाला रैकेट में पैसे का ट्रांजिक्शन होता है, अंतर्राष्ट्रीय जांच से पता चला है कि यह पैसा बम-विस्फोट करवाने, दंगे करवाने या आतंकवादी गतिविधियों में काम आता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जांच की गई है कि जिन लोगों को इन हवाला रैकेट्स में गिरफ्तार किया गया है, उनके पास आए इस तरह के धन को उन लोगों ने किस काम में लगाया है? क्या इस बात की जांच की गई है कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं या नहीं।

दूसरी बात मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए "टाडा" तथा स्पेशल कोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हवाला गतिविधियों से निपटने के लिए इकनामिक अफेंसेस कोर्ट्स का निर्माण करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि 'हवाला' एक चोरी छिपे की गई कार्यवाही है और इससे 'फेरा' का उल्लंघन होता है और अनेक मामलों में इस धन का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों में होता है।

मार्च 1991 में दिल्ली पुलिस को जम्मू व कश्मीर घाटी के आतंकवादियों के बारे में 2 सूचना मिली कि उनके पास कुछ दस्तावेज है और वे 'हवाला' बाजार के माध्यम से बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मार्च 1991 में यह मामला दर्ज किया था और उसके पश्चात् केन्द्रीय जांच कराने और आगे जांच के लिए यह मामला अपने हाथों में लिया।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि आप आर्थिक अपराधों के लिये विशेष न्यायालय बनाने जा रहे है?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी, हां। महोदय, आतंकवादियों को धन देने संबंधी इस जांच पड़ताल के दौरान यह पता लगा कि यू.के. से कश्मीर में आतंकवादियों को धन भेजने के लिए 'हवाला' चैनल का प्रयोग किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते है कि क्या आप आर्थिक अपराधों से निपटने हेतु विशेष न्यायालय बनाने जा रहे है?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हमने आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए कुछ नगरों में पहले ही विशेष न्यायालय स्थापित कर दिये हैं।

श्री निर्मल कान्ति चैटर्जी : मैं नहीं जानता माननीय मंत्री इससे अवगत है अथवा नहीं मुझे संदेह है कि हो सकता है कि इसमें वित्त मंत्री का हाथ हो और हो सकता है कुछ हद तक वाणिज्य मंत्री इस घाटे को छिपाने का प्रयास कर रहे हो।

एक बहुत ही रूचिकर कहानी है उन्हें बताना है कि उन्हें इस बारे में पता है अथवा नहीं।

शेयर बाजार में विदेशी वित्तीय संस्थानों ने भारी पूंजी निवेश किया है और गत दो महीनों में उन्हें भारी हानि भी हुई है। हो सकता है माननीय मंत्री कुछ विदेशी मुद्रा को देश में रोके रखने में सफल हुए हो। विदेशी वित्तीय संस्थान जो धन देश में लाये थे और जिसे हम कुछ हद तक मूल्यों को गिराकर अपने पास रखने में सफल भी हुए है, अब वापस जा रहा है। और जी-डी-आर के रूप में वापस आ रहा है। इसी माध्यम से ऐसा हो रहा है। क्या मंत्री महोदय इस घटना से अवगत है? क्या ऐसे मामलों में 'फेरा' का कोई उल्लंघन हुआ है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इन सौदों के बारे में कोई उल्लंघन हमारे में नहीं आया है।

श्री निर्मल कान्ति चैटर्जी : वह इससे अवगत नहीं है। शायद उनके वरिष्ठ मंत्री को पता हो।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के उदारीकरण के अनुरूप राजस्व विभाग, आर्थिक अपराधों संबंधी विभाग, आयकर विभाग तथा अन्य ऐसे विभागों के कार्यकरण का उदारीकरण किया है। क्या वे पहले की भांति कार्य नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उदारीकरण का क्या अर्थ है।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : हमने आर्थिक नीति का उदारीकरण किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : गत तीन वर्षों में क्या हुआ है। गत वर्ष भारत सरकार ने 94,000 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दी थी। इसमें से वास्तव पूंजी निवेश केवल 3000 करोड़ रुपये का ही हुआ है। उन्होंने इस देश में ठेकों तथा अन्य तरीकों से जो भी धन एकत्र किया है वे उसे 'हवाला' मार्किट आदि के माध्यम से दूसरे देशों को भेज रहे है। उसी रुपये को पूंजी निवेश के लिये यहां वापस लाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : वास्तव में यही बात ही निर्मल चैटर्जी जानना चाहते थे।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : इस का अर्थ यह है कि प्रवर्तन संस्थान कार्य नहीं कर रहे है। क्या सरकार की यह नीति है कि आसूचना विभाग ओर राजस्व विभाग पहले की तरह काम न करें?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि आपने इन अपराधों की ओर से आंखें मूंद ली है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह ठीक नहीं है। उदारीकरण के साथ इन विभागों के उचित कार्यनिष्पादन को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने कर अपवंचन के अधिक मामलों का पता लगाया है। 1994-95 में अधिक राजस्व प्राप्त किया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें यह तो बता दिया कि इतने लोगों को गिरफ्तार किया और इतनों को छोड़ दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो उदारवाद के तहत हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के लिए आप चाहे जितनी मुद्रा ला सकते हैं लेकिन आपसे पूछने वाला कोई नहीं होगा, दूसरी तरफ यह कानून है। तो क्या इन दोनों में विरोधाभास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रश्न का जवाब आप लिखकर भी भेज सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जहां 'फेरा' के उल्लंघन का संबंध है हमने 1993 में 56 व्यक्तियों के नजरबन्दी में आदेश जारी किये थे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सज़ा कितनों को दी है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : दण्ड का निर्णय विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। अंततः निर्णय न्यायालयों द्वारा ही लिया जाता है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं केवल यह जाना चाहता हूँ कि कितने लोगों को सज़ा दी गई।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है प्रश्न के इस पहलू पर आपके पास जानकारी अभी उपलब्ध न हो आप इसे माननीय सदस्य को बाद में भेज सकते है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी बाद में भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे सकते है। उनका कहना है कि दोनों में विरोधाभास है। आप अधिक विदेशी मुद्रा चाहते हैं परन्तु उसी समय आपके ये कानून है। इन दोनों स्थितियों का मिलान आप कैसे करेंगे।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : ये दोनों पृथक-पृथक मुद्दे है। हम विधिवत तरीकों से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उचित माध्यमों से विधिवत तौर पर आयात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाना चाहते है। क्या यही बात है?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : नहीं महोदय। हम निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाना चाहते है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, इन मामलों में बहुत सारे उल्लंघन होते हैं और मान्यवर इन में जनता के द्वारा शिकायतें की जाती है। लोगों को पकड़ कर सरकार कार्रवाई करती है और उसके बाद जो शिकायतकर्त्ता होता है उस पर जानलेवा हमला किया जाता है। क्या सरकार ने इसके लिए कोई बचाव का रास्ता निकाला है। या निकालने का सोच रही है? ऐसे कितने मामले आपके सामने आए है? हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि शिकायतकर्त्ता के ऊपर हमला होता है और सरकार की ओर से कोई सुरक्षा प्रदान नहीं जाती है। क्या सरकार कोई अधिनियम बनाकर उस पर कोई कार्यवाही करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय सूचना देने वाले को उस का हिस्सा दिया जाता है। प्रवर्तन विभाग में ऐसा तंत्र है जो सूचना देने वालो को संरक्षण देता है।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि

जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनमें वर्ष 1994-95 के दौरान 5680 मामलों और चालू वित्तीय वर्ष में 270 ऐसे मामलों का पता लगाया है, इसी तरह से इन्होंने 10.5.95 तक 29 मामलों के बारे में बताया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो लोग जमानत पर रिहा नहीं हुए हैं क्या वे जेल में ही बैठे है। या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : जो जमानत पर रिहा नहीं हुए 'यू केन रेस्ट एश्योर्ड' कि वे जेल में है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : डिसपोजल की क्या स्थिति है, कितने केस एक साल में, एक महीने में पूरे किये जाते हैं? आपने कहा है कि गवाह नहीं मिलते हैं। ऐसा पता लगा है कि गवाहों को तोड़ दिया जाता है। जो तस्कर पकड़े जाते हैं, वे गवाहों को खरीद लेते हैं। क्या आपके विभाग को ऐसी शिकायतें मिली हैं किसी ने गवाहों को तोड़ लिया हो और अपने साथ मिला लिया हो?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : साक्ष्य के अभाव वाले मामलों को भी छोड़ा जाता है। 1994-95 में 5680 मामलों में से हमने लगभग 1508 मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किये है। लगभग 2733 मामलों में जांच पड़ताल का काम लंबित है। हम कार्यवाही कर रहे है। मैं यह बताना चाहूंगा कि पहली अवस्था में जांच पूरी करने में कम से कम 6 महीने लगते है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, 364 में से 362 लोगों को बेल मिली है। केवल दो को नहीं मिली है। हो सकता है कि उन्होंने एप्लाई ही नहीं किया हो या हो सकता है मर गये हों। आर्थिक अपराध में आसानी से बेल मिल जाती है, इससे ऐसा पता चलता है जैसे क्रिमिनल केसेज में होता है कि किसी पर हत्या का आरोप है, उसको बेल मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही गंभीर अपराध जो हैं इनमें बेल मिलना मुश्किल हो जाये, हम इस पर कानून में संशोधन करने पर सरकार क्या सोच रही है?

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जमानत न्यायिक न्यायालयों द्वारा दी जाती है। परन्तु इसके बाद भी हम जांच कार्य को रोकते नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसके विभिन्न पहलू है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : हम जांच पड़ताल जारी रख दे।

श्री राम नाईक : वे भारत से बाहर चले जाते हैं।

प्रदूषण निवारण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेंसी के साथ समझौता

*623. **डा. के.वी. आर. चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी एजेंसी ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने संबंधी प्रयासों में भारत को सहायता देने के उद्देश्य से ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण निवारण परियोजना शुरू करने के लिए सरकार और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

106.53 मिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण निवारण परियोजना के लिए भारत सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेंसी के बीच 10 अप्रैल, 1995 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना का उद्देश्य (1) तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्रों में ऊर्जा की उत्पादकता को बढ़ाकर उत्पादित विद्युतीय ऊर्जा की प्रति यूनिट में ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कारगर कोयला परिवर्तन प्रौद्योगिकियों को लागू करना और (2) चीनी उद्योगों में वैकल्पिक खोई सह उत्पादन प्रौद्योगिकियों क उपयोग को प्रोत्साहित करना है। परियोजना में उन लाभभोगियों को सहायता देने की व्यवस्था है जो वैकल्पिक बायोमास ईंधनों के समर्पित प्रयोग के लिए अपने संयंत्रों का डिजाइन तैयार करते हैं। परियोजना का कार्यान्वय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण और राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी एजेंसी द्वारा 19 मिलियन अमरीकी डालर की कुल अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

डा. के.वी. आर चौधरी : महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि भारत सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी के बीच ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण समझौता हो गया है और वे लगभग 106.53 मिलियन अमरीकी डालर खर्च कर रहे है।

महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्रीन हाउस गैस को प्रदूर्षित करने में सबसे अधिक भाग कार्बन डायामनाइड का है। इसके बाद मीथेन गैस आती है क्योंकि यह आर्गेनिकमैटर के बैक्टटिरीपल डिके पोलूटैन्ट का माप करती है और यह प्राकृतिक गैस का एक संघटक हो कार्बन डाईआक्साइड से मीथेन 30 गुणा अधिक शक्तिशाली है और यह वातावरण को प्रभावित कर रही है।

महोदय, विश्व में जितनी ग्रीन हाउस गैस निकलती है उसका 20 प्रतिशत एशिया निकलता है जोकि खेती से निकलती है। यू.एन.डी.पी. के अनुसार 2025 तक यह स्तर 35 प्रतिशत हो जायेगा। यह वृद्धि जमीन पर सभी प्रकार के जीवों के लिये हानिकारक है। संसार की गर्मी में वृद्धि का 12 प्रतिशत इसी कारण है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछें। यदि आप तकनीकी मामलों की बाते करेंगे तो मंत्री महोदय के लिए उत्तर देना होगा। मैं नहीं जानता कि

वह वैज्ञानिक है अथवा नहीं। यदि वह वैज्ञानिक है, तो आपकी बात समझ लेंगे। आप तकनीकी पहलुओं के बारे में जैसा कि कार्बन डाईआक्साइड अथवा मैथीन नहीं बल्कि नीति के बारे में पूछें। इसके संसार के वातावरण के गर्म होने आदि के बारे में?

डा. के. वी. आर. चौधरी : महोदय, कार्बन डाई आक्साईड पर अधिक जोर दिया जा रहा है। मीथेन पर नही। इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह जानना चाहते कि सरकार इस बारे में कुछ करने जा रही है अथवा नहीं। आप प्रश्न को ऐसा बनाये कि समझ में आ जाये और संक्षिप्त हो।

डा. के. वी. आर. चौधरी : सरकार एशिया में बनने वाली मीथेन गैस को वरीयता देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : अन्तर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी ने इस परियोजना को चुना है। उन्होंने एक विशेष प्रयोजन हेतु यह समझौता किया है। मीथेन गैस के बारे में उन्हें अलग प्रस्ताव देना होगा।

डा. के. वी. आर. चौधरी : संयुक्त राष्ट्र होमवर्क कन्वेशन आफ कलाईमेटिक चैंजिग यह निर्णय नहीं कर पाई है कि ग्रीन हाउस गैस के निकलने को कैसे और अब कम किया जाये। उनमें थोड़ा मतभेद है कि ग्रीनहाउस गैसों मुख्यत: कार्बन डाई आक्साइड और मैथीन के अत्यधिक निकलने से अगले शताब्दी में संसार का तापमान 1.5 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जायेगा। अत: इस संबंध में निष्क्रियता को उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसकी उपेक्षा कीमत यह भावी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इन गैसों के निकलने को सीमित रखने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। इसे पर्यावरण मंत्रालय को किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या इस पर 'कवि' प्रश्न कर सकेंगे।

श्री सत्यनारायण जटिया : महोदय मैं मूलरूप से विज्ञान का विद्यार्थी हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो मैं आपको प्रश्न करने की अनुमति दूंगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, मैं समझौते के बारे में एक प्रश्न पूछ रही हूँ। उत्तर में यह कहा गया है कि कुल लागत 106.53 मिलियन डालर जिसमें से 19 मिलियन डालर की अनुदान सहायता अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा की जायेगी। परियोजना अवशेष का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा? क्या भारत सरकार उसके समान अनुदान देगी अथवा क्या लागत का कुछ भाग टेक्नलोजी, मशीनरी और उपकरणों आदि के आयात के लिए दिया जायेगा? यदि ऐसा है कि कार्यक्रम के भाग के रूप में उपकरणों का आयात विदेशी मुद्रा में किया जाना है तो सहायता का कुल कितना भाग ऐसे उपकरणों के आयात पर खर्च किया जायेगा। मेरे प्रश्न का भाग (ग) यह है : क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि क्या यह उपकरण हमारे देश के संदर्भ में उपयुक्त रहेगा अथवा क्या इस प्रयोजन हेतु स्वदेशी टैक्नालोजी का उपयोग अधिक सस्ता रहेगा?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस परियोजना में भाग नहीं ले रही है। इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेन्सी ने लगभग 19 मिलियन डालर की कुल सहायता दी है।

यह अनुदान के रूप में है। इसमें 10.5 मिलियन डालर निवेश समर्थन सहायता के लिए दें और 8.5 मिलियन डालर तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य ऐसी गतिविधियों के लिए है। यह परियोजना आई.डी.बी.आई. इण्डियन रिन्यूबेल एनर्जी डिवलेपमेंट एजेन्सी और नेशनल थर्मल कारपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

श्री मालिनी भट्टाचार्य : मैंने उपकरणों के आयात के बारे में पूछा था।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इस बारे में मेरे पास ब्यौरा नहीं है। हमने हाल में ही समझौता किया है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : आपको समझौते के ब्यौरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या समझौते के अंतर्गत उपकरणों का आयात किया जायेगा अथवा नहीं? यदि हां, तो क्या यह हमारे देश के लिए उपयुक्त होंगे अथवा नहीं?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : इसका निर्णय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक तथा मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : परन्तु आप पहले ही समझौता कर चुके है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानकारी एकत्र कर माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से ये कोयले के आधार पर बिजली का उत्पादन करते हैं जिसमें मुख्यत: दो प्रकार के प्रदूषण है। एक तो कोयले के कारण गैसे से, जैसाकि ग्रीन हाउस गैस निवारण परियोजना में कहा गया है, उसके कारण निश्चित रूप से कोयले से इतना प्रदूषण होता है, उसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिये। अब मुख्य योजना 106.53 मिलियन डालर की बनी है लेकिन अनुदार 90 मिलियन डालर का मिल रहा है अर्थात 50 करोड़ रुपये का। इस 50 करोड़ का हम उपयोग किस प्रकार से करने वाले हैं? ये एनटीपीसी या स्टेट बोर्डों के लिए करेंगे, चूंकि ये 50 करोड़ का अनुदान है और पूरी योजना 106 मिलियन डालर्स की है। इसलिए मेरा कहना है कि इस योजना को लागू करने की दृष्टि कोयले की उत्पादन

क्षमता बढ़ाकर अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सके, इसके पीछे यह उद्देश्य भी है। इसलिए उस कोयले के अंदर जो प्रोसेस किया जाने वाला है, उसको अधिक उत्पादनशील बनाने के लिए जो उपाय किये जाने वाले है, उसके लिए कौन सी प्रकार की डिवाइस लगायी जाएगी, जिससे आप यह पता लगा सकें कि हम कितना इस प्रोजेक्ट को कारगर कर सकेंगे?

अध्यक्ष महोदय : ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन प्रिवेन्शन प्रोजैक्ट है।

श्री सत्यनारायण जटिया : ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने की दृष्टि से कोयले को उपचालित किया जाना है। जिससे उसमें से यह गैस कम से कम निकल सके। इसलिए मेरा कहना है कि कोल ऐश को कम करने के लिए सिल्वर ऐश प्रेसिपिटेटर लगाए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कविता का अर्थ होता है कम शब्दों में ज्यादा कहना।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं जानना चाहता हूँ कि इस योजना को कहा और किस प्रकार से लागू करने के उपाय किये जाएंगे?

[अनुवाद]

श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, पहले ही बता चुका हूँ कि इस परियोजना की कुल लागत 106.53 मिलियन अमरीकी डालर है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अमरीकी एजेन्सी 19 मिलियन डालर दे रही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 71.8 मिलियन अमरीकी डालर तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम 9.6 मिलियन अमरीकी डालर दे रहा है। यह परियोजना सात वर्ष चलेगी।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य यह है--

(1) बायोमास ग्रोथ-जेनेरेशन द्वारा विकल्पों के प्रयोग से चीनी मिलों में निजीक्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ाना तथा उसे बनाये रखना।

(2) बायोमास ईंधन के प्रयोग से संयंत्रों के डिजायन के संस्थानों की लागत को कम करना।

(3) महोदय यह कोयले का क्षेत्र है। कोयले से चलने वाले बिजली घरों के डेफिस्टि मैनेजमेंट को बढ़ावा देने तथा भारतीय उपयोगकर्ताओं के लाभ बांटने हेतु अग्रिम कोयला सुधार टेकनालोजी के वाणिज्यकार्य को सुविधाजनक बनाने हेतु एक संस्थान के विकास में सहायता देना।

खुम्भी का निर्यात

*624. **श्री के.जी. शिवप्पा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक देश को कुल कितनी मात्र में खुम्भी का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में खुम्भी का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) :

(क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर 94) के दौरान खुम्भी के निर्यात की कुल मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है :-

मात्रा : मिट्रिक टन में
मूल्य : करोड़ रु. में

	मात्रा	मूल्य
1992-93	3442.45	20.66
1993-94	4892.43	23.94
1994-95	4955.26	34.72

(अप्रैल-दिसम्बर 94) (स्रोत : डी.जी.सी.आई.एस. कलकत्ता)

देश-वार ब्यौरा, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार (वार्षिक अंक) की मासिक सांख्यिकी में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद भवन ग्रंथालय में उपलब्ध हैं।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ, खुम्भी के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय :- (एक) निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना :

(क) अंड-जनन प्रयोगशालाएं, मिश्रित पाश्चीकरण और प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना।

(ख) खुम्भी के भंडारण हेतु विशेष वातानुकूलित कक्ष स्थापित करना

(दो) संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण पर ब्याज में कमी

(तीन) खुम्भी की खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना

(चार) बिना परमिट के निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा खुम्भी अंड-जनन पद्धति का आयात

(पांच) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ का खुम्भी सहित कृषि क्षेत्र के लिए विस्तार;

(छः) उन्नत पैकिंग, गुणवत्ता नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता देना और पता लगाए गए उत्पादों को ब्रांड संवर्द्धन अभियानों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना।

(सात) क्रेता विक्रताओं बैठकों की व्यवस्था करना और अंतर्राष्ट्रीय मेलों प्रदर्शनियों में भाग लेना।

श्री के.जी. शिवप्पा : महोदय, क्या सरकार की नई उदारीकरण नीति के अंतर्गत खुम्भी के निर्यात के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा

है। क्या सरकार खुम्भी के निर्यातकों को सम्मानित करने हेतु एक निर्यात संवर्धन परिषद् स्थापित करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, सभी निर्यात वस्तुओं पर निर्यातकों को उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहनों के अलावा खुम्भी के विकास के लिए विशेष योजनाएं हैं। 'एपेडा' को एक संरचना है जिसके अंतर्गत मूलभूत ढांचे के विकास और सेवाओं, कटाई-पूर्व मूलभूत ढांचे, पेकिंग के विकास, बाजार विकास, सर्वेक्षण-सुविधा और परामर्शदायी सेवा के लिए अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम दरों के ब्याज पर अधिक से अधिक एक करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है। सैन्ट्रल सैक्टर स्कीम के बाद की एक योजना है जो कृषि मंत्रालय की बागवानी डिवीजन की एक स्कीम है जो खुम्भी उत्पादन बढ़ाने के लिए शत-प्रतिशत सहायता देती है।

महोदय, खुम्भी निर्यात संवर्धन परिषद बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वास्तव में यह.....

अध्यक्ष महोदय : यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में आता है। अलग परिषद् स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री के.जी. शिवप्पा : महोदय, क्या खुम्भी उत्पादकों और निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए खुम्भी बोर्ड स्थापित करने का सरकार का विचार है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

डा. बी.जी. जावाली : अध्यक्ष महोदय, मैने हाल ही में पढ़ा है कि ब्रिटिश उद्योगपति शतप्रतिशत वापसी खरीद के प्रस्तावों के साथ आगे आ रहे है। एक ओर हम अपने किसानों की उन्नति और शिक्षा के लिए उनकी सहायता करने पर प्रयास कर रहे है और दूसरी ओर हम बड़े-बड़े बहुराष्ट्रीय उद्योगों को आमंत्रित करते है। यह एक असंगति है।

दूसरे, एक ओर आप कृषि, ग्रीन हाऊस, निर्यात संवर्धन, शतप्रतिशत वापसी खरीद और ऐसी ही अन्य बातों के बारे में आप उदार अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा कमाने की बातें कह रहे है। और दूसरी और वित्त राज्य मंत्री ने अभी अभी कहा है कि वे पर्यावरण प्रदूषण से बाहर निकल रहे है और वह आयात के लिए एक परियोजना बना रहे है अथवा विदेशी एजेंसियों के सहायता ले रहे है। दूसरी ओर से वे प्रदूषण को किस प्रकार रोकेंगे? मैं जानना चाहता हूँ कि पहले भी उत्पन्न हो चुकी जटिलताओं को हल करने हेतु कोई समन्वय है। वे इन दोनों समस्याओं को साथ साथ किस प्रकार हल करेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं नहीं समझ सका हूँ कि विरोधाभास क्या है? यदि वापसी खरीद समझौते किये जा रहे है और यह देश के लिए अच्छा है। देश में जो उत्पादन बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे पास सुनिश्चित बाजार होगा। मेरे पास सूचना है कि नीदरलैण्ड इटली, थाइलैण्ड और अमरीका की अनेक कम्पनियों ने तकनीकी सहयोग की पेशकश की है और शायद उनमें से कुछ ने भारतीय कंपनियों में इक्विटी पूंजी भी लगाई है। कुछ कंपनियों ने वापसी-खरीद समझौते किये हैं। यह मेरे विचार से उत्पादन के लिए अच्छा है क्योंकि उसके पास सुनिश्चित मार्किट होगी।

दूसरे, महोदय खुम्भी की खपत की और भी ध्यान देना होगा। हम खुम्भी के न हो तो मुख्य उत्पादक है और न ही मुख्य रूप से इसकी खपत करने वाले हैं। खुम्भी की अधिकतर खपत जर्मनी, अमरीका, फ्रांस और स्वीडन में है। नार्वे और यू.के. में इसकी खपत मामूली है अत: हमें निर्यात को उन बाजारों में बढ़ाना है जहां इस की अत्यधिक खपत है। यदि कोई इन देशों की किसी कंपनी के साथ वापसी खरीद समझौता करता है तो यह बहुत ही अच्छा है और बुरा नहीं है जैसाकि यह कहा गया है।

डा. बी.जी. जावाली : वे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं किसी तकनीकी बात का उत्तर नहीं दे सकूंगा। वस्तु मुझे विश्वास है कि जब खुम्भी की खेती के लिए निर्यातोन्मुखी इकाई की स्थापना की अनुमति दी जाती रहे तो पर्यावरण कानूनों का पालन करना होता है और राज्य पर्यावरण बोर्ड से मंजूरी लेनी होती है, यदि जल प्रदूषण की बात हो।

श्री चन्द्रजीत यादव : खुम्भी एक खाद्य वस्तु है जोकि पश्चिमी देशों में बहुत लोक प्रिय है, हमारा उत्पादन बहुत कम है और निर्यात तो बहुत ही कम है। इसको ध्यान में रखते हुए यूरोप के अनेक देशों ने वापसी खरीद प्रबंधों में बहुत रूचि दिखाई है। परन्तु एक कठिनाई यह है कि उन्होंने प्रस्ताव दिये है कि वे यहां फार्म विकसित करना चाहते है और भण्डारण क्षमता बनाना चाहते है परन्तु वे भूमि लम्बी अवधि के पट्टे पर चाहते हैं और सरकार इस बारे में कोई नीति निर्णय नहीं ले पायी है। वापसी-खरीद प्रबंधों में यह बाधा आ रही है।

क्या मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करेंगे और मामलों को शीघ्र निपटायेंगे ताकि उन क्षेत्रों में जोकि खुम्भी की खेती के लिए अच्छे है, हमारे किसान हमारे देश में दिखाई की इस रूचि का लाभ उठा सके।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे है। खुम्भी की खेती तथा उद्योग के लिए भूमि एक महत्वपूर्ण आदान है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे विदेशी पूंजी निवेश के शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों के 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मेरे पास जो आंकडे है उनसे पता चलता है कि ये विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। स्पष्टत: राज्य सरकार खुम्भी की खेती के लिए भूमि दे रही है। यदि किसी राज्य में कोई बाधा है तो मैं मुख्य मंत्री को लिखूंगा।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आंतरिक ऋण

*625. श्री नवल किशोर राय :

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से केन्द्रीय सरकार पर आंतरिक ऋण की राशि में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के अंत में ऋण की राशि अलग-अलग कितनी थी;

(ग) यह धनराशि वार्षिक सकल घरेलू उत्पादन का कितने प्रतिशत है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इन वर्षों के दौरान इस ऋण राशि का पुनर्भुगतान किया है;

(ङ) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितनी ऋण राशि का पुनर्भुगतान किया गया; और

(च) इन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष के केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी धनराशि का ऋण लिया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के केन्द्र सरकार का आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं इस प्रकार रही हैं :-

(करोड़ रुपए)

1992-93	1993-94	1994-95
		(संशो. अनु.)
3,59,355	4,30,323	4,90,701

(ग) सकल घरेलू उत्पाद में आंतरिक ऋण और अन्य देयताओं की प्रतिशतता वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में क्रमशः 51 प्रतिशत, 55 प्रतिशत और 54 प्रतिशत थी।

(घ) और (ङ). वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में आंतरिक ऋण और अन्य देयताओं (इनमें 91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों का भुगतान, प्रारक्षित निधियों और ब्याज रहित जमाराशियां और उचंत लेन-देन शामिल नहीं है) की वापसी अदायगी क्रमशः 34151 करोड़ रुपए, 58482 करोड़ रुपए और 56,778 करोड़ रुपए थी।

(च) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में वापिसी अदायगी घटाने के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए अतिरिक्त आन्तरिक ऋण और अन्य देयताओं की राशि क्रमशः 41,941 करोड़ रुपए, 70,968 करोड़ रुपए और 60,378 करोड़ रुपए थी।

[अनुवाद]

ऋण नीति

*626. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में घोषित नई ऋण नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) पुरानी ऋण नीति में कौन-कौन सी कमियां और खामियां जानकारी में आई थीं जिनके कारण नयी बनानी पड़ी;

(ग) नई नीति द्वारा कौन-कौन से उद्देश्य पूरे किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने देश में ऋण और मुद्रा स्फीति पर अंकुश रखने तथा मुद्रा प्रसार और मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखने हेतु अपनाये गये नये उपायों के प्रति अपनी आशंका प्रकट की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1995-96 के प्रथम अर्ध के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल, 1995 को घोषित की गई मौद्रिक और ऋण नीति की मुख्य विशेषतायें ये है; अधिकतम सावधि जमा दर में एक प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि, बड़े ऋणकर्ताओं की वर्तमान नकद ऋण सीमाओं को "नगद ऋण संघटक" और "ऋण संघटक" में द्विशाखित करके बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली शुरू करना, बैंको/वित्तीय संस्थाओं से कंपनियों का वित्तपोषण करने के लिए ऋण में कटौती, सार्वजनिक निर्गमों के बदले तात्कालिक ऋण पर प्रतिबंध और निर्यात ऋण पुनर्वित्त में परिवर्तन, नीति में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी) के लिए कंसोर्शियम और वाणिज्यिक बैंको द्वारा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का वित्तपोषण करने, 15 मार्च, 1995 को अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा पहले घोषित उपायों की भी रूपरेखा है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1994-95 के वित्तीय वर्ष के दौरान कीमतों की स्थिति सहित पिछले दो वर्षों में मौद्रिक और ऋण की गतिविधियों की पृष्ठ भूमि के आधार पर ऋण नीति तैयार की गई है।

(ग) मौद्रिक और ऋण नीति मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति की दर को कम करना है।

(घ) और (ङ) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, प्रमुख वाणिज्य और उद्योग मंडलों ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह आशंका व्यक्त की है कि अधिकतम सावधि जमा दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप ऋण की

उच्च लागत और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को दिए जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण के कारण ऋणों पर प्रतिबंध तथा तात्कालिक ऋणों पर रोक का उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण नीति इस प्रकार तैयार की गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी सभी वास्तविक आवश्यकता पूरी हो जाये। नीति की निरंतर समीक्षा की जा रही है और अर्थव्यवस्था में उभरने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किए जाएंगे।

[हिन्दी]

औद्योगिक पार्कों की स्थापना

*627. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न स्थानों पर केवल आयात और निर्यात के लिए ही औद्योगिक पार्कों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान राज्यवार ऐसे पार्कों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की गई;

(ग) भविष्य में ऐसे पार्कों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पार्कों में कुल कितने एककों की स्थापना की गई तथा मार्च, 1995 तक उनमें से कितने एकक रूग्ण हो गए; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश से हुए कुल आयात-निर्यात के मूल्य में इन एककों का कितने प्रतिशत योगदान रहा तथा वर्ष 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित दिए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) निर्यात-अभिमुख उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना करने में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु एक केन्द्रीय रूप में प्रायोजित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना तैयार की गई है। अब तक इस प्रकार पार्क ढंडारी कलां (पंजाब), अंबरनाथ (महाराष्ट्र), बद्दी (हि.प्र.), सीतापुरा (राजस्थान), हुडी (कर्नाटक), काकानाड (केरल), कुंडली (हरियाणा), सूरजपुर (उ.प्र.), गुम्मीडीपूंडी (तमिलनाडु), पाशामैलाराम (आंध्र प्रदेश), सावली (गुजरात), हाजीपुर (बिहार), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तथा बर्नीहाट (मेघालय) में स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया गया है।

(ग) इस योजना का उद्देश्य प्रारम्भ में प्रत्येक राज्य में एक-एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना करना है। भविष्य में ऐसे और पार्कों की स्थापना राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) चूंकि यह योजना वर्ष 1994-95 में ही शुरू की गई थी और इन पार्कों का विकास केवल शुरू की प्रावस्था में है। इसलिए इस समय इकाइयों की स्थापना करना या वर्ष 1995-96 के लिए निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जल्दबाजी है।

एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स के बेड़े में विमानों की कमी

*628. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बेड़े में विमानों की कमी है;

(ख) क्या ये विमान कंम्पनियां विमानों की कमी के कारण सभी यात्रियों को जाने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का नए विमान खरीदने का प्रस्ताव है तथा किन-किन देशों से इन विमानों को खरीदने का प्रस्ताव है और इन नए विमानों की कीमत क्या है तथा विमान कब तक खरीद लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स के पास पर्याप्त विमान क्षमता है। उपलब्ध विमान क्षमता और मार्गों की आर्थिक साध्यता को ध्यान में रखते हुए, एयर इंडिया के मार्ग नेटवर्क की योजना बनाई गई है। क्षमता संबंधी कमी को पूरा करने के लिए, विमान क्षमता वैट लीज पर ली गई है।

(ग) एयर इंडिया ने 1137.70 करोड़ रुपए की अनुमानित कुल परियोजना लागत (अतिरिक्त इंजिनो, कल-पुर्जो आदि सहित) से दो बोइंग 747-400 विमान प्राप्त करने के लिए अमेरिका की बोइंग एयरप्लेन कंपनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विमानों के जुलाई ओर अगस्त, 1996 में डिलीवर किये जाने की आशा है।

पर्यटन के विकास के लिए वृहत योजना

*629. श्री तेज नारायण सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए वृहत योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपनी वृहत योजनाएं सरकार को भेजी हैं; और

(ग) इन वृहत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र से पर्यटन पर ड्राफ्ट मास्टर प्लान हो प्राप्त गए हैं।

(ग) उपर्युक्त राज्यों को अपनी मास्टर प्लानों को अंतिम-रूप देना है। उनकी पर्यटन मास्टर प्लानों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की कोई स्कीम नहीं है।

बैंकों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों का विकास

***630. श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंको को पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कतिपय बैंकों द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के बारे में जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) भारतीय बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति में क्षेत्रीय विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य देश के प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय 17000 की जनसंख्या (1981 की जनगणना के अनुसार) का कवरेज प्राप्त करना और बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में स्थानिक दूरियों को समाप्त करना था ताकि सामान्यतया 10 कि.मी. की दूरी के अन्दर एक बैंक शाखा उपलब्ध हो। पहाड़ी/आदिवास क्षेत्रों और छुट-फुट आबादी वाले तथा अन्य पिछडे क्षेत्रों की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का मानदंड कम करके 10,000 प्रति बैंक कार्यालय कर दिया गया था। ग्रामीण ऋणों संबंधी सेवा क्षेत्र योजना के अपनाए जाने से, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बैंक शाखा से 15 से 25 गांव कवर करने की आशा की गई थी, यह भी सुनिश्चित हुआ कि पिछडे क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक गांव की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया जाए। 1990-95 की अवधि में, यह महसूस किया गया कि जनसंख्या कवरेज जैसे लक्ष्यों के साथ कोई शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी/आदिवासी/छुटपट आबादी वाले क्षेत्रों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों मे कतिपय अतिरिक्त बैंक शाखाओं की आवश्यकता अलग-अलग बैंकों के विवेक पर छोड़ दी गई थी। ऐसा करते समय, बैंको से पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को उचित महत्व प्रदान करने के लिए कहा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करने वाले और संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्तुत किए गए बैंकों के प्रस्तावों पर अनुग्रहपूर्वक विचार करता है।

[अनुवाद]

वाणिज्यिक ऋण

***631. प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1995 के ''इकोनोमिक टाइम्स'' में फर्मस् सीक 1.5-बी. डालर कमर्शियल लोन्स फॉर नॉन-पावर सैक्टर ''शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशों से वाणिज्यिक ऋण लेने संबंधी अनुरोधों की सावधानीपूर्वक जांच की है;

(ग) क्या विदेशों से वाणिज्यिक ऋण लेने में हुई वृद्धि से भविष्य में आगे जाकर विदेशी-मुद्रा की कमी हो जाने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) दिनांक 9 मार्च, 1995 के ''इकोनोमिक टाइम्स'' में ''फर्मस सीक 1.5-बी. डालर कमर्शियल लोन्स फॉर नॉन-पावर सैक्टर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में वर्ष 1994-95 में भारतीय निगमों द्वारा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की बढ़ती हुई मांग की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए फरवरी, 1995 के अंत में घोषित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में हुए संशोधनों के संबंध में सूचना दी गई है। विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए किए गए अनुरोधों की इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में घोषित प्राचलों (पैरामीटरों) की अनुरूपता के संदर्भ मं जांच करके उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में ऋण की उचित व्यवस्था के अनुरूप अनुमोदनों पर वार्षिक उच्चतम सीमा निर्धारित किए जाने और औद्योगिक विकास एवं संवर्धन को प्रोत्साहन देने की जरूरत की परिकल्पना की गई है। अनुमोदनों की उच्चतम सीमा और इस कारण नई ऋण वचनबद्धता की भुगतान संतुलन की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विमानों को अनुकूल शर्तों पर लीज (वेट लीज) पर लेना

***632. श्री रवि राय :**

श्री पी. कुमारासामी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1995 के दैनिक समाचार पत्र ''इकनामिक टाइम्स'' में ''आई.ए.ए.आई. मे वेट लीज एअरक्राफ्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा एअर इंडिया और इंडियन

एयरलाइन्स को विमान अनुकूल शर्तों पर लीज (वेट लीज) पर लेकर अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है अथवा देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विमानों को अनुकूल शर्तों पर लीज (वेट लीज) पर लेने हेतु एअर इंडिया/इंडियन एअरलाइन्स द्वारा यदि कोई समझौते किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है और ये विमान किन-किन वायुमार्गों पर चलाए जाएंगे?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स अतिरिक्त क्षमता की मांग को पूरा कने के लिए विमान क्षमता को लीज (वेटलीज) पर लेने के संबंध में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है इसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है;

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने किसी विमान को लीज (वेट लीज) पर नहीं लिया है। एअर इंडिया द्वारा चालू वर्ष के दौरान की गई लीज (वेट लीज) व्यवस्था का ब्यौरा इस प्रकार है;

कंपनी	अवधि	विमान के प्रकार
1. मैसर्स कैरिबजेट	दिसम्बर 94 से दिसम्बर 95	ए 310
2. मैसर्स एरो फ्लेट	मई 94 से मई 95	आई एल 62
3. मैसर्स एमरी वर्ल्डवाईड	मई 94 से अप्रैल 95 (माल वाहक)	डी सी 8/73 एफ
4. मैसर्स सदर्न एयर ट्रांसपोर्ट	जून 94 से मई 1996 (मालवाहक)	डी सी 8/73 एफ

लीज (वेट लीज) पर लिए गए विमान निम्नलिखित मार्गों पर लगाए गए हैं :

मुम्बई/नैरोबी/मुम्बई

मुम्बई/दार-एस-सलाम/डर्बन/जोहांसबर्ग/दार-एस-सलाम/मुम्बई

मुम्बई/मद्रास/कुवैत/लंदन/कुवैत/मद्रास/मुम्बई

मुम्बई/मद्रास/कुवैत/पेरिस/लंदन/पेरिस/कुवैत/मद्रास/मुम्बई

मुम्बई/दिल्ली/सिंगापुर/दिल्ली/मुंबई

मुम्बई/दिल्ली/मास्को/दिल्ली/मास्को

दिल्ली/मास्को/दिल्ली

भारत/यूरोप/अमरीका (मालवाहक कार्य)

चाय के निर्यात में कमी

*633. श्री फूल चंद वर्मा :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान अमरीका तथा ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले चाय के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा उपरोक्त अवधि के दौरान इन देशों को, देश-वार चाय की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ग) क्या निर्यात में आई इस कमी से निर्यातकों के समक्ष कठिनाई उत्पन्न हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इन देशों को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख) यू.एस.ए., यू. के. और जर्मनी को होने वाले चाय का निर्यात वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान अधिक होने का अनुमान है। जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ो से स्पष्ट होता है:-

(मात्रा मिलियन किग्रा. में)

कीमत करोड़ रु. में

वर्ष	यू. के.		जर्मनी		यू.एस.ए.	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1994-95 *(अप्रैल से फरवरी)	29.51	158.43	7.13	87.52	5.22	38.01
1993-94 *(अप्रैल से फरवरी)	25.45	142.58	6.37	77.69	3.81	42.28

*टी बोर्ड द्वारा निर्यात के लिए जारी किए गए पोतलदान लाइसेंस के आंकड़ों के आधार पर।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते। तथापि, यूरोप तथा यू. एस.ए. में हमारे बाजार की हिस्सेदारी सुधारने के लिए लंदन, ब्रुसेल्स और न्यूयार्क में स्थित चाय बोर्ड के कार्यालयों के जरिए भारतीय चाय के लिए समय-समय पर सवर्धनात्मक अभियान चलाए जाते है। इस दिशा में किए गए कार्यों में शामिल हैं—व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, भारतीय चाय की विभिन्न अनुपम विशेषताओं के प्रति उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान चलाना और चाय बोर्ड विपणन लोगों के जरिए भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार अभियान चलाना। चाय बोर्ड ने विदेशों में उत्कृष्ट भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिए ब्रांड संवर्धनात्मक योजनाएं चलाई है तथा यू.के. में दार्जिलिंग एवं असम लोगों अभियान भी चलाए हैं।

साबुन उद्योग के लिए "मनी क्रैडिट स्कीम"

*634. श्री छीतू भाई गामीत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साबुन उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले अमुख्य तेलों (माइनर आयल्स) के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क के संबंध में बनाई गई "मनी क्रेडिट स्कीम" के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के कारण कितने राजस्व की हानि हुई; और

(घ) इस योजना के लाभार्थी कौन-कौन हैं तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक लाभार्थी को कितना लाभ हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) से (ग) : दिनांक 11.10.1989 की यथा-संशोधित अधिसूचना सं. 46/89-के.उ.शु. (गै.टै.) में राइस ब्रान ऑयल के संबंध में 1000/-रु. प्रति मीट्रिक टन और अन्य विनिर्दिष्ट राइनर आयल्स के संबंध में 2800/- रु. प्रति मीट्रिक टन के बराबर मनी क्रेडिट के लिए व्यवस्था है यदि इन्हें साबुन के विनिर्माण में प्रयोग किया हो।

यह सुचित किया गया है कि अधिसूचना की शर्तों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार लिए गए मनी क्रेडिट की राशि वर्ष 1992-93 में 16.26 करोड़ रु., वर्ष 1993-94 में 19.36 करोड़ रु. और वर्ष 1994-95 में 16.51 करोड़ रु. के लगभग थी। योजना का मुख्य रूप में आशय माइनर आयल्स के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना और घरेलू उद्योग को इनके उत्पादन के लिए बढ़ावा देना है।

मनी क्रेडिट का लाभ साबुन के सभी विनिर्माताओं के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे बड़े विनिर्माता हो या लघु क्षेत्र में विनिर्माता हों और इसमें इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि उनके पास परिष्करण क्षमता उनके अपने ही कारखाने में उपलब्ध है अथवा वे इस कार्य को उजरती कार्य आधार पर बाहर से करवाते है।

यह सूचित किया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए माइनर आयल्स की खपत में उसके उद्देश्य के अनुरूप वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। उपयोग में लाए गए माइनर आयल्स की मात्रा वर्ष 1992-93 में 1.48 लाख टन, वर्ष 1993-94 में 1.58 लाख टन और वर्ष 1994-95 में 1.51 लाख टन की।

(घ) इस योजना लाभानुभोगियों के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	समाहर्तालय का नाम	एकक का नाम	वित्तीय वर्ष	साबुन पर शुल्क की अदायगी के लिए उपयोग में लाई गई मनी क्रेडिट की राशि (लाख रुपयों में)	उपयोग में लाए गए माइनर आयल्स की मात्रा और ऐसे माइनर आयल्स के नाम
1	2	3	4	5	
1.	बंबई-III	मै. वोरा सोप (इं) लि.	1992-93	3.65	
			1993-94	2.35	
			1994-95	शून्य	
2.	राजकोट	मै. हिन्दुस्तान लिवर लि.	1992-93	3.45	
			1993-94	1.28	
			1994-95	5.56	
3.	नागपुर	यथोक्त	1992-93	209.71	
			1993-94	199.19	
			1994-95	174.88	
4.	गुंदुर	मै. जौसिल लि.	1992-93	25.52	
			1993-94	48.71	
			1994-95	32.05	
5.	त्रिशी	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	मदुरै	मै. नागा आयल्स मिल्स	1992-93	5.90	
			1993-94	9.45	
			1994-95	शून्य	
7.	जयपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	बेलगाम	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	बड़ोदरा	शून्य	शून्य	शून्य	
10.	पटना	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	बोलपुर	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	बंबई-I	मै. हिन्दुस्तान लिवर लि.	1992-93	277.34	
			1993-94	284.44	
			1994-95	106.44	
13.	भुवनेश्वर	मै. उत्कल सोप प्रोड.	1992-93	12.99	
			1993-94	15.70	
			1994-95	17.93	
14.	मेरठ	मै. गार्डन परफ्यूम (प्रा.) लि.	1992-93	2.27	
			1993-94	2.54	
			1994-95	2.77	
		मै. हिन्दुस्तान लिवर लि.	1992-93	42.17	
			1993-94	64.28	
			1994-95	80.04	
15.	हैदराबाद	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	इंदौर	मै. गादरेज सोप लि.	1992-93	20.14	
			1993-94	47.67	
			1994-95	67.34	
		मै. पी सी कास्मा लि.	1992-93	शून्य	
			1993-94	3.37	
			1994-95	1.38	
17.	पूणे	मै. टाटा वशिष्टि एंड डिटर-जेंट्स लि.	1992-93	2.34 लाख	
			1993-94	11.09 लाख	
			1994-95	16.02	

1	2	3	4	5
19.	बंबई-II	गादरेजे सोप्स	1992-93	83.60 लाख
			1993-94	75.61
			1994-95	88.13 लाख
20.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
21.	मद्रास	मै. एस.एस.	1992-93	1.91 लाख
		डी.सोप्स	1993-94	0.97 लाख
		डिटरजेंटस	1994-95	0.77 लाख
		मै. हिन्दुस्तान	92-93	20.28 लाख
		लिवर लि.	93-94	40.44 लाख
			94-95	24.79 लाख
22.	कोचीन	मै. टाटा	92-93	68.89 लाख
		आयल्स	93-94	108.21 लाख
		मिल्स कंपनी	94-95	54.75 लाख
		लि. एर्णाकुलम		
		(मै. हिन्दुस्तान में		
		आमेलित)		
		मै. टाटा आयल्स	92-93	25.49 लाख
		मिल्सकालीकट		
		(मै. हिन्दुस्तान	93-94	36.07 लाख
		में आमेलित)	94-95	23.39 लाख
		मै. पंकज सोप्स	92-93	0.19 लाख
		एंड केमि.कोचीन	93-94	0.36 लाख
			94-95	0.26 लाख
23.	सूरत	मै. वैजिटेबल	92-93	14.00 लाख
		विटामिन	93-94	8.00 लाख
		फूड्स कं. लि.	94-95	2.00 लाख
24.	दिल्ली	मै. श्री राम	92-93	4.97 लाख
		फूड्स एंड.	93-94	6.09 लाख
		फर्टिलाईजर	94-95	4.59 लाख
		इंड		
		मैं नौलखा	92-93	0.94 लाख
		इंजी. वर्क्स	93-94	0.12 लाख
			94-95	0.02 लाख
		मै. गोरामल	92-93	—
		हरिराम	93-94	2.00 लाख
			94-95	16.64 लाख
25.	कलकत्ता-I	मै. हिन्दुस्तान	92-93	278.00 लाख
		लिवर लि.	93-94	317.00 लाख
			94-95	165.00 लाख
		मै. कलकत्ता	92-93	7.00 लाख
		केमिकल	93-94	33.00 लाख
		कं. लि.	94-95	40.00 लाख
26.	जमशेदपुर	शून्य	शून्य	शून्य
27.	बंगलौर	मै. क्वालिटी	92-93	0.19 लाख
		सोप इंड.	93-94	0.29 लाख
			94-95	—
		मै. विप्रो लि.	92-93	22.75 लाख
			93-94	34.96 लाख
			94-95	38.41 लाख
		मै. कर्नाटक	92-93	22.90 लाख
		सोप एंड	93-94	29.31 लाख
		डिटर्जेंट्स	94-95	12.04 लाख
28.	रायपुर	मै. के.एन.	1992-93	3.00 लाख
		हाउसहोल्ड	1993-94	4.16 लाख
		प्रोडक्ट	1994-95	3.03 लाख
29.	औरंगाबाद	मै. कालगेट	1992-93	37.76 लाख
		पामोलिव	1993-94	51.07 लाख
		(इं) लि.	1994-95	20.03 लाख
		मै. विप्रो लि.	1992-93	29.08 लाख
			1993-94	17.24 लाख
			1994-95	3.10 लाख
30.	कलकत्ता-II	मै. कुसुम	1992-93	10.52 लाख
		प्रोडक्ट	1993-94	12.76 लाख
			1994-95	19.20 लाख
31.	इलाहाबाद	शून्य	शून्य	शून्य
32.	कानपुर	मै. दुर्गा सेवा	1992-93	शून्य
		समिति	1993-94	शून्य
			1994-95	1.84 लाख
		मै. प्रतिभा	1992-93	0.31 लाख
		केमिकल्स	1993-94	1.23 लाख
			1994-95	0.65 लाख
		मै. पी सी	1992-93	शून्य
		(इ)(सोप	1993-94	5.59 लाख
		एंड कैमिकल्स)	1994-95	4.39 लाख
		मै. पी. सी.	1992-93	शून्य
		(इ)	1993-94	2.76 लाख
			1994-95	2.35 लाख
		मै. हिन्दुस्तान	1992-93	133.66 लाख
		लीवर	1993-94	149.72 लाख
			1994-95	107.84 लाख
		मै. मैजियो	1992-93	27.73 लाख
		सोप वर्क्स	1993-94	0.35 लाख
		लि.	1994-95	0.10 लाख

1 2	3	4	5
33. चंडीगढ़	मै. बेकमैन्स	1992-93	31.89 लाख
	(इ) (प्रा.	1992-93	32.01 लाख
	लि.)	1994-95	57.04 लाख
	मै. हिन्दुस्तान	1992-93	86.52 लाख
	लीवर लि.	1993-94	53.21 लाख
		1994-95	148.71 लाख
	मै. आर्गेनिक	1992-93	शून्य
	कैमि.	1993-94	3.67 लाख
	आयल्स	1994-95	15.67 लाख
	मै. हिन्दुस्तान	1992-93	9.17 लाख
	लीवर लि.	1993-94	44.55 लाख
	मलेरकोटला	1994-95	43.12 लाख
	मै. ओसवाल	1992-93	18.10 लाख
	फैट्स एंड	1993-94	57.10 लाख
	आयल	1994-95	28.81 लाख
34. अहमदाबाद	मै. रणजीत	1992-93	शून्य
	सोप फैक्टरी	1993-94	शून्य
	बड़ोदा	1994-95	0.37
	मै. हिन्दुस्तान	1992-93	16.76
	(इ)लि.	1993-94	10.79
		1994-95	1.56
	मै. निरमा	1992-93	63.60
	लि. मंडाली	1993-94	106.34
		1994-95	116.79
	मै. गुजरात	1992-93	0.91
	सोप्स लि.	1993-94	शून्य
		1994-95	शून्य
35. कोयम्बटूर	शून्य	शून्य	शून्य
36. शिलांग	शून्य	शून्य	शून्य

मनी क्रैडिट योजना

वर्ष	शुल्क के भुगतान हेतु प्रयुक्त क्रैडिट (लाख रु. में)
1992-93	1625.64
1993-94	1935.78
1994-95	1650.88

म्यांमार के साथ व्यापार

*635. श्री लाईता उम्ब्रे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत म्यान्मार के बीच कोई "सीमा व्यापार समझौता" हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में इन दो देशों के बीच किन्हीं सीमा व्यापार प्वाइंटों को मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर खोला जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ). भारत और म्यांमार के बीच दिनांक 21.1.1994 को एक सीमावर्ती व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार में भारत और म्यांमार बीच मणिपुर स्थित मोरेह तथा म्यांमार के तामू और मिजोरम के चम्पाई तथा म्यांमार के हो नामक स्थान और दोनों देशों की परस्पर सहमति से अधिसूचित होने वाले अन्य स्थानों से स्थल मार्ग के जरिए व्यापार किए जाने का प्रावधान है। इस करार में यह भी व्यवस्था है कि सीमावर्ती व्यापार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं अथवा दोनों देशों द्वारा परस्पर सहमत मुद्राओं में और प्रति-व्यापार प्रबंधों के जरिए किया जाएगा। इस करार के तहत भारत-म्यांमार सीमा के साथ दोनों और रह रहे हैं लोगों के बीच स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का परम्परागत आदान-प्रदान वस्तुविनिमय प्रणाली सहित मौजूदा प्रचलित पद्धति के अनुसार जारी रखें जाने की भी अनुमति है। इस करार में मिजोरम के चम्पाई नामक स्थान और परस्पर सहमति के अन्य स्थानों के जरिए सीमावर्ती व्यापार किए जाने का प्रावधान है।

आयकर विभाग द्वारा संपत्ति को अपने अधिकार में लेना

*636. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

मैजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार आयकर प्राधिकारियों द्वारा कितनी आवासीय/वाणिज्यिक संपत्तियों को बिक्री दस्तावेजों में ले लिया गया;

(ख) संबद्ध वर्षों में सरकार को अपनी इन संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी पर कितना प्रीमियम प्राप्त हुआ;

(ग) क्या लोक लेखा समिति ने इस योजना को कारगर बनाने हेतु कोई सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) गत तीन वर्षों, अर्थात् 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आयकर विभाग प्राधिकारी द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों की संख्या और इसी अवधि में संपत्तियों की बिक्री पर सरकार को प्राप्त हुई अतिरिक्त धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) लोक लेखा समिति ने उक्त योजना के दायरे को बढ़ाने, योजना के कार्यचालन में पाई गई कुछेक खामियों को दूर करने और योजना की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को शामिल करने की दृष्टि से कानून में संशोधन करने की सिफारिशें की है। समिति द्वारा प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर भी कुछेक सिफारिशें की गई है।

(ङ) लोक लेखा समिति की कुछेक सिफारिशों को सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। समिति की कुछेक अन्य सिफारिशों पर सरकार ध्यान दे रही है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वित्त वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान आयकर विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए खरीद आदेशों की सं.	कालम सं. (3) में उल्लिखित अवधि में सम्पत्तियों की बिक्री पर सरकार को प्राप्त हुई अतिरिक्त धनराशि (करोड़ रु. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाराष्ट्र	242	103.65
2.	गुजरात	39	4.07
3.	बिहार	4	-
4.	मध्य प्रदेश	1	
5.	उत्तर प्रदेश	18	0.62
6.	कर्नाटक	23	2.28
7.	आंध्र प्रदेश	4	
8.	केरल	2	0.56
9.	तमिलनाडु	14	0.99
10.	राजस्थान	3	0.22
11.	पश्चिम बंगाल	8	1.43
12.	हरियाणा	5	-
13.	दिल्ली	42	6.95
14.	चंडीगढ़	2	0.48

ग्रामीण ऋण

*637. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय उपलब्ध कराए जा रहे ग्रामीण ऋण वांछित स्तर से बहुत कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकता को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्रिय बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) योजना आयोग के कार्यकारी समूह ने यह अनुमान लगाया है कि आठवीं योजना में कृषि और संबद्ध कार्यों के लिए ऋण अपेक्षाएं 105790 करोड़ रुपए होंगी। जिलों के लिए तैयार की गई वार्षिक ऋण योजनाओं से भी ग्रामीण ऋण अपेक्षाओं का पता चलता है। वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण संवितरण क्रमशः 15168 करोड़ रुपए और 17337 करोड़ रुपए था।

(ख) ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने संबंधी कुछ उपाय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

बैंको में ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत और मुक्तियुक्त बनाने के लिए किये गये उपाय

1. प्राथमिकता क्षेत्र, जिसमें कृषि, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, कारीगर, व्यापार इत्यादि शामिल हैं, के लिये अग्रिम निवल ऋण का कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।
2. कृषि के लिए अग्रिम निवल ऋण (40 प्रतिशत में समग्र लक्ष्य के भीतर) का कम से कम 18 प्रतिशत होना चाहिए।
3. कमजोर वर्गों (अर्थात् लघु और सीमांतिक जिनका, अ.जा./अ.ज.जा., समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) हितोधिकारी, ब्याज दर (डीआरआई) हिताधिकारी आदि निवल बैंक ऋण (40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के भीतर) का कम से कम 10 प्रतिशत होना।
4. 25,000/-रुपए तक के ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000/-रुपए से अधिक ऋण आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान।
5. ग्रामीण शाखा प्रबंधक को मंजूरी की उपयुक्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना ताकि कमजोर वर्गों से प्राप्त अधिकांश ऋण आवेदनों को शाखा स्तर पर ही मंजूर किया जा सके।
6. 15,000/-रुपए तक के फसल ऋण और 10,000/-रुपए तक के सावधि ऋणों जहां चल परिसंपत्तियां जुटायी जाती हैं, पर भूमि को बंधक रखकर भूमि पर प्रभार के रूप में सम्पार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पक्ष गारंटी नहीं की जानी चाहिए। जहां अचल परिसम्पत्ति सृजित की जाती है। वहां सीमा 5,000/-रुपए है।
7. अल्पावधि, मध्यावधि/दीर्घावधि के लिए 10,000/- रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए कोई मार्जिन अपेक्षित नहीं है।
8. बैंको से कहा गया था कि कृषि, खासकर जलीय उत्पादन (एक्वाकल्चर), पुष्प उत्पादन, टिश्यू कल्चर जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उच्च तकनीक वाले ऋणों का कार्य देखने के लिए प्रत्येक राज्य में

वाणिज्यिक बैंक की कम से कम एक विशेषज्ञ शाखा (संबद्ध राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक द्वारा स्थापित) होनी चाहिए।

आरआईडीएफ

9. ग्रामीण बुनियादी विकास निधि की स्थापना नाबार्ड में की गई है। इस निधि में अंशदान उन वाणिज्यिक बैंकों से आते हैं जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बैंक के निवल ऋण के 1.5 प्रतिशत अधिकतम के अध्यधीन कृषि ऋण संबंधी प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य प्राप्त करने में बैंक की कमी के बराबर की राशि का अंशदान करे। इस निधि का उपयोग मध्यम और लघु सिंचाई, भूमि परिरक्षण, जल विभाजक प्रबंधन (वाटरशेड मैनेजमेंट) और ग्रामीण मूलभूत ढांचे के अन्य रूपों से संबंधित निरंतर चलने वाली परियोजनाओ को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाली निगमों को ऋण देने में किया जायेगा।

आदिवासी लोगों के लिये स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा

10. नाबार्ड ने समूचे देश में 112 आदिवासी जिलों के लिये, 400 करोड़ रूपए की अलग से स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा स्वीकार की है। यह स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध है। नाबार्ड ने अ. जा./अ.ज.जा. हिताधिकारों को देने के लिए बैंकों को पुनर्वि" प्रदान करने के वास्ते 150 करोड़ रूपए निर्धारित किये हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

11 भारत सरकार ने सारे देश से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) का चयन व्यापक पुनर्गठन के लिये किया है। इन बैंको के तुलन-पत्रों का निपटान करने और साथ ही उनकी चल निधि में वृद्धि करने क लिए इक्विटी के रूप में इन बैंकों को निधियां जारी किये जाने का प्रस्ताव हैं।

सहकारी बैंक

12. राज्य सरकारी संस्थाओं के कार्यकरण के युक्तियुक्त करण के लिए नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों से विशेष विकास कार्य योजनाएं तैयार करने के लिये कहा है। नाबार्ड संबद्ध राज्य सरकारों और शीर्ष सहकारी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करने जा रहा है। आशा की जाती है कि इस कार्य से सहकारी संस्थाओं का कार्यकरण बेहतर होगा।

13. खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण जनता को लाभ के महत्वपूर्ण कृषीतर अवसर प्रदान करता है। एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसके अन्तर्गत बैंकिंग प्रणाली कंसार्शियम आधार पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से 1000 करोड़ रूपए उपलब्ध कराएगी, जो अर्थक्षम खादी एवं ग्रामाद्योग एककों को या तो सीधे या राज्य स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से आगे उधार देगा। केन्द्रीय और राज्य सरकारें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोगों और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों को दिये जाने वाले इन ऋणों की गारंटी प्रदान करेंगी।

14. हथकरघा क्षेत्र लाखों गरीब बुनकरों को रोजगार प्रदान करता है। इस समय, इस क्षेत्र को दिया जाने वाला नाबार्ड का पुनर्वित्त जिला और राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण के प्रवाह तक सीमित है। अब नाबार्ड सहकारी हथरकघा संस्थाओं को ऋण प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को भी पुनर्वित्त प्रदान करेगा।

15. लघु उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए, जो 14 मिलियन कर्मकारों को रोजगार प्रदान करता है और कुल विनिर्माण उत्पादन में जिसका हिस्सा 40 प्रतिशत और हमारे निर्यात का 35 प्रतिशत है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में एक प्रौद्योगिकी विकास एवं आधुनिकीकरण निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि के लिए निर्धारित प्रारंभिक राशि 200/- करोड़ रूपए होगी।

16. 10 लाख रूपए से कम तथा 5 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थानों में स्थित परियोजनाओ वाले अति लघु उद्योग एककों को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए 1987 में एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना आरंभ की गई थी। यह योजना सभी अति लघु एककों पर लागू करने का प्रस्ताव है, चाहे वे महानगरीय क्षेत्रों में स्थित एककों को छोड़कर कहीं भी क्यों न स्थित हो। इस योजना के लिए, जिसका संचालन सिडबी द्वारा किया जाता है, केन्द्रीय सरकार और सिडबी द्वारा 50:50 के आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जाती रहेंगी।

17. बैंकिंग प्रणाली से ऋण की पर्याप्त उपलब्धता लघु क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस क्षेत्र को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए बैंकों के परामर्श से सात बिन्दुओं वाली कार्य योजना तैयार की है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता 85 पहचान किए गए जिलों में, जहां प्रत्येक जिले में 2000 से अधिक लघु एकक हैं। लघु एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ बैंक शाखाओं की स्थापना करना है। सरकारी क्षेत्र के बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की 100 समर्पित शाखाएं 1995-96 के समाप्त होने से पहले कार्य करना शुरू कर दे।

18. पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिये एक नया पूर्वोत्तर विकास बैंक स्थापित किया जा रहा है ताकि क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों और आधारभूत परियोजनाओं के सृजन और विस्तार के लिये वित्तपोषण किया जा सके। बैंक इस क्षेत्र के अंदर स्थित होगा। इसकी प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रूपए होगी। पूंजी के लिए प्रारंभिक अंशदान आई.डी. बी. आई., आई.सी.आई.सी.आई. और यू0टी0आई. जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। अन्य निवेशकों से अंशदान की गुंजाइश बाद में की जाएगी।

अंगूर का निर्यात

***638श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान अंगूर के निर्यात में कोई कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष के लिए अंगूर के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष सहित अब तक की क्या उपलब्धियां है; और

(ङ) अंगूर का निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) :

(क) और (ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल से दिसम्बर, 1994) के दौरान निर्यात किए गए अंगूरों का मूल्य इस प्रकार है :-

मूल्य : लाख रुपयों में

		1993-94	1993-94 (अप्रैल-दिसम्बर, 93)	1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर, 94)
		मूल्य	मूल्य	मूल्य
1.	ताजे अंगूर	3390.00	910.53	1922.00
2.	शुष्क अंगूर	2.72	0.98	3.46

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अंगूरो के निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में, अन्य प्रयासों के साथ-साथ ये भी शामिल हैं :

(1) सार्वजनिक/गैर सरकारी क्षेत्र में पौध प्रजननशालाओं और टिशू कल्चर इकाइयों की स्थापना करना;

(2) फलों की काश्त करने के क्षेत्र में पौध प्रजननशालाओं और टिशू कल्चर इकाइयों की स्थापना करना;

(3) किसानों को प्रशिक्षण देना;

(4) आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने और फसल की कटाई के बाद और संसाधित करने की सुविधाएं देने, गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने, उन्नत पैकेजिंग, निर्यात संवर्धन और बाजार विकास, और ब्रांड संवर्धन अभियानों के जरिए अभिज्ञात उत्पादों को निर्यात संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(5) क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना और अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदशनियों में भाग लेना।

चाय को बढ़ावा देने संबंधी नई योजना

*** 639 श्री मनोरंजन भक्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने चाय को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब से कार्यान्वित किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं तथापि, विदेशी बाजारों मे भारतीय चाय के उत्पादन में वृद्धि तथा संवर्धन के लिए चाय बोर्ड द्वारा अनेक चालू योजनाएं लागू की जा रही हैं।

(ख) एवं (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी विमान कंपनियों द्वारा उड़ानों का संचालन

***640. श्री नुरूल इस्लाम :**

श्री धमर्ण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशी विमान कम्पनियों को देश में उड़ानों के संचालन की अनुमति देने हेतु क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

ख) राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली विमान कंपनियों के नाम क्या हैं और ये कंपनियां प्रति सप्ताह कितनी उडानों का संचालन करती हैं;

(ग) इनमें से कितने स्थानों के लिए एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें संचालित करती हैं;

(घ) क्या भारतीय विमान सेवाओं को अपने हिस्से का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स को यह घाटा पूरा करने हेतु विदेशों के लिए कम दूरी की उडाने संचालित करने की अनुमति देगी;

(छ) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) पर्यटन, यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांगों को देखते हुए, पारस्परिकता के आधार पर विदेशी एयरलाइनों को अंतराष्ट्रीय प्रचालन के लिए यातायात अधिकारी की मंजूरी दी जाती है।

(ख) और (ग) विदेशी एयरलाइनों को अंतर्देशीय सैक्टरों पर यातायात अधिकारों की मंजूरी नहीं दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) विमान क्षमता और प्रचालन कर्मीदल की कठिनाइयों तथा कुछ मार्गो पर पर्याप्त संभाव्यता की कमी के कारण इस समय भारतीय वाहक अपनी पात्रताओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

(च) से (ज) इंडियन एयरलाइन्स पहले से ही नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बंगलादेश, कुवैत, ओमान, यू.ए.ई., सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड की सेवाएं प्रचालित कर रही हैं।

विवरण

भारत को विदेशी वाहकों प्रचालन प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह आवृत्ति

	एयरलाइन सं./साप्ताहिक	देश	आवृत्ति की	क्या इन देशों को एयर इंडिया प्रचालन करता है	क्या इन देशों को आई सी प्रचालन करती है
1.	एयरफ्लोत	रूस	7	हां	नहीं
2.	एयर कनाडा	कनाडा	5	हां	नहीं
3.	एयर फ्रांस	फ्रांस	6	हां	नहीं
4.	एयर लंका	लंका	22	हां	नहीं
5	एयर मालदीव	मालदीव	2	नहीं	हां
6.	एयर मारीशस	मारीशस	3	जेवी पार्टनर	नहीं
7.	एयर उक्रेन	उक्रेन	2	नहीं	नहीं
8.	अलटालिया	इटली	3	हां	नहीं
9.	इरिना अफगान	अफगानिस्तान	8	नहीं	नहीं
10.	बीमान बंगलादेश	बंगलादेश	28	नहीं	हां
11.	ब्रिटिश एयरवेज	यू.के.	14	हां	नहीं
12.	कैथे पैसेफिक	हांगकांग	4	हां	नहीं
13.	डेल्टा टावर एयर	यू.एस.ए.	7	हां	नहीं
	टावर एयर		2	हां	नहीं
14.	डूक एयर	भूटान	4	नहीं	नहीं
15.	मिस्त्र एयर	मिस्त्र	1	नहीं	नहीं
16.	एल. अल	इजराइल	3	नहीं	नहीं
17.	अमीरेटस	दुबई	22	हां	नहीं
18.	इथोपियन एयरलाइंस	इथोपया	3	नहीं	नहीं
19.	गल्फ एयर	गल्फ	41	हां	हां
20.	ईरान एयर	ईरान	1	नहीं	नहीं
21.	कजाकिस्तान एयरलाइंस	कजाकिस्तान	2	नहीं	नहीं

वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से धन एकत्रित करना

6328. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में चल रहे सुधारों के भाग के रूप में 1990 में वाणिज्यिक पत्र जारी होने के समय से इसकी उपादेयता का कोई आकलन अब तक किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ प्रमुख कंपनियों ने हाल ही में अपने वाणिज्यिक पत्रों की अदायगी नहीं की है और अंतर्निगमित जमाराशियों संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है यद्यपि उसने कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया था तथापि मुद्रा बाजार के लिखित के रूप में वाणिज्यिक पत्र (सी पी) की आंतरिक समीक्षा के आधार पर सी पी जारी करने से संबंधित मार्गनिर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

दिसम्बर, 1989 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में जिसमें सीपी जारी करने से संबंधित मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए थे, कोई कंपनी सी पी जारी करने के लिए सभी पात्र हो सकती थी, बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ इसकी मूर्त निवल मालियत 10 करोड़ रुपए से कम न हो, इसकी निधि पर आधारित कार्यशील पूंजी सीमा 25 करोड़ रुपए से कम न हो और मान्यता प्राप्त दर्जा-निर्धारण एजेंसी द्वारा सी पी का दर्जा, निर्धारित स्तर से कम न हो। इसके साथ ही, सी पी जारी करने वाली कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी अपेक्षित थी और जिस सीमा तक सी पी जारी की जा सकती थी। उसे निधि पर आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं को 20 प्रतिशत तक सीमित किया गया था। प्राथमिक बाजार में सी पी जारी करने की गुंजाइश को व्यापक बनाने और सी पी जारी करने वाली कंपनियों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से इन मार्गनिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नियत तारीखों में सी पी ने वापसी अदायगी करने में की गई चूकों के संबंध में उसे बैंकों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) ये सवाल ही नहीं उठते।

मॉरीशस को ऋण

6329. डॉ. बसंत पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मॉरीशस को ऋण देने की पेशकश की है और इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने ऋण की पेशकश की गई है; और

(ग) अदायगी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारत सरकार ने हाल ही में एक सरकार से दूसरी सरकार को 3.2 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 10 करोड़ रुपए

के समान) का ऋण मॉरीशस सरकार को प्रदान किया है। इस आशय को ध्यान में रखते हुए ऋण समझौते पर 6.9.1994 को हस्ताक्षर किए गए। ऋण अदायगी 1.10.1997 से शुरू करके प्रत्येक 0.132 मिलियन अमरीकी डालर की 24 छमाही किस्तों में, 0.166 मिलियन अमरीकी डालर की अंतिम किस्त को छोड़कर, की जाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट

6330. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित इंस्टीच्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था ने भारत का संक्षिप्त मूल्यांकन तैयार किया है। रिपोर्ट में भारत में आर्थिक सुधारों की सफलता को नोट किया गया है।

(ग) सरकार ने रिपोर्ट में आर्थिक सुधारों के लिए प्रदत्त सहायता को नोट किया है।

[हिन्दी]

राजस्थान में किसानों को बैंक ऋण

6331. श्री कुन्जी लाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों के दौरान कितने लघु एवं सीमांत किसानों को सहकारी, वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ट्यूबवेल लगाने तथा बोरिंग के लिए ऋण दिए गए;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में अनियमितताएं बरतने संबंधी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यववाही की गई है तथा अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान ट्यूबवेल लगाने और बोरिंग के उद्देश्यों के लिए राजस्थान में सहकारी बैंको, वाणिज्कि बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा अलग-अलग लघु और सीमांतिक किसानों को दिये गये ऋण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है तथापि, राजस्थान में कम गहरे (शैलों) और गहरे ट्यूबवेलों, तालाबों इत्यादि के निर्माण ड्रीलिंग यूनिट्स की खरीद सतही कुओं का निर्माण उन्हें गहरा करने, उनकी सफाई करने सहित लघु सिंचाई योजनाओं के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों वित्तीय को सहायता दिये जाने से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है :-

समाप्त वर्ष	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रु.)
जून 1991	15395	16.50
जून 1992	10859	15.69
जून 1993	10338	14.58

(अद्यतन उपलब्ध)

(ख) और (ग) जब कभी बैंको के विरुद्ध सहायता देने में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसे संबंद्ध बैंक के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उठाया जाता है।

बीड़ी मजदूरों की कर्मचारी भविष्य निधि

6332. श्री विजय कुमार यादव :
श्री एन. जे. राठवा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार और गुजरात के बीड़ी मजदूरों को देय भविष्य निधियों में जालसाजी पूर्ण जमा राशियों से संबंधित शिकायतों की जानकारी है जिसके कारण उनमें भारी असंतोष हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश

6333. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत एक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए भारी पूंजी निवेश के बावजूद भी राज्य के लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों में वांछित विकास दर प्राप्त नहीं की जा सकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उपरोक्त राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उक्त लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीड़ी कारखानों से उपकर वसूली

6334. श्री एन.जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 तक गुजरात के आदिवासी जिलों स्थित बीड़ी कारखानों से उपकर के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगे

6335. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कुछ कर्मचारियों की मांगे वर्ष 1991 से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो लंम्बित मांगों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों संघों की मुख्य मांगे (1) जीवन बीमा उद्योग का निजीकरण करना; (2) सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को पुन: बहाल करना; (3) पेंशन योजना का कार्यान्वयन; (4) बोनस के भुगतान के लिए वेतन की अधिकतम सीमा को हटाना (5) वेतन समझौता से संबंधित है।

वर्तमान में जीवन बीमा कारोबार को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जीवन बीमा निगम के विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त हैं और इस संबंध में कोई भी परिवर्तन करने हेतु अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार सामूहिक सौदैबाजी के अधिकार को पुन: बहाल करने के लिए भी जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में संशोधन करना होगा क्योंकि इस अधिनियम के अधीन, केवल केन्द्र सरकार ही जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रदान करने हेतु नियम बना सकती है। इस समय अधिनियम में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर बोनस के बदले में अनुग्रहिक अदायगी की जाती है। हाल ही में सरकार ने एक पेंशन योजना और निगम के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए श्रेणी III और II के कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि का अनुमोदन किया है। इन नये उपायों के वित्तीय प्रभाव की जानकारी के पश्चात् ही वेतन संबंधी महत्वपर्ण समझौते किए जा सकते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में संशोधन वेतन ढांचा

6336. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वाणिज्यिक बैंकों के कामगारों संबंधी छठे द्विपक्षीय समझौते को अभी तक लागू नहीं किया गया है जबकि 22 फरवरी 1991 और 20 मार्च 1993 के सरकारी आदेशों में ग्रामीण बैंको को अपने कर्मचारियों को ये लाभ देने के लिए स्पष्ट रूप से प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). भारत सरकार के दिनांक 22 फरवरी 1991 के परिपत्र तथा नाबार्ड के दिनांक 20 मार्च 1993 के परिपत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के लिए वाणिज्यिक बैंकों के चौथे और पांचवें द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर लाभ देने का उल्लेख किया गया है। इन परिपत्रों में क्षेत्रीय बैंकों के कामगारों के लिए वाणिज्यिक बैंकों में भावी द्विपक्षीय समझौतों के लाभ देने का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को लाभ देने का निर्धारण केन्द्रीय सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत करना है।

पर्यटन विकास

6337. श्री ए. वैंकटेश नायक :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान पर्यटन क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास हुआ है और वास्तव में कितने पर्यटकों ने देश की यात्रा की है; और

(ख) इन वर्षों के दौरान विश्वव्यापी पर्यटन में हुए विकास से इसकी तुलना किस प्रकार की जाएगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान भारत में पर्यटक आगमनों और विश्वव्यापी पर्यटक यातायात में हुई प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार थी :-

वर्ष आगमन	पर्यटक यातायात (वास्तविक)	% परिवर्तन	विश्वव्यापी पर्यटक (मिलियन में)	%परिवर्तन
1992	1867651	-	502.9	
1993	1764830	-5.5	512.9	2.0
1994	1886433	6.9	528.4	3.0

आयात-निर्यात बैंक

6338. श्री धर्मभिक्षम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में आयात-निर्यात बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक) ने सूचित किया है कि उसे आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में बैंक का कार्यालय खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समूह जीवन बीमा योजना

6339. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री श्रीकांत जेना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना और समूह जीवन बीमा योजना के कार्य पर्यवेक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का स्वरूप क्या है और इसे क्या मुख्य कार्य सौंपे गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना और समूह जीवन बीमा योजना के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को कार्यरूप देने के लिए 12 अप्रैल, 1995 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना और इसके विचारार्थ विषयों को क्रमश: विवरण I एवं II में दिया जा रहा है।

विवरण I

समिति की संरचना :

1.	श्री बी. एन. युगान्धर सचिव, ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्रालय भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव (व्यय) अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	सचिव कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सलाहकार (ग्रामीण विकास) योजना आयोग	सदस्य
5.	प्रो. एस. गुहान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डिवलेपमेंट स्टडीज़	सदस्य
6.	श्री निर्मला बुच, सदस्य, पीइएसबी	सदस्य
7-10	कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।	

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह जीवन बीमा योजना के संबंध में ब्यौरे तैयार करने के उद्देश्य से समिति भारतीय जीवन बीमा निगम और बीमा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी सहायता के लिए सहयोजित कर सकती है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के कार्य के साथ सहयोजित कर लिया जाए।

विवरण-II

समिति के विचारार्थ विषय :

(1) गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता से संबंधित केंद्रीय तौर से प्रायोजित नवीन योजना, जिसमें तीन घटक शामिल हैं; अर्थात (क) वृद्धावस्था पेंशन, (ख) ग्रामीण परिवारों के लिए एकमुश्त उत्तरजीवी लाभ और (ग) गरीब परिवारों से संबंधित महिलाओं की पहली संतानोत्पत्तियों के लिए प्रसव-पूर्व और प्रसव-बाद की देखभाल के लिए संपोषण का प्रावधान, के मुख्य कार्यों को तैयार करना।

(2) इन तीन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की पात्रता के मानदंड तथा उन तरीकों को तैयार करना जिनमें ये मानदंड कार्यान्वित किए जाएंगे और क्षेत्र-स्तर, विशेषकर, पंचायतों में लागू किए जाएंगे।

(3) योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्यों के बीच लागतों की हिस्सेदारी से संबंधित ब्यौरा तैयार करना।

(4) योजना के वार्षिक व्यय, विशेषकर प्रारंभिक वर्ष 1995-96 के दौरान और उसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समुचित प्रावधानों को तैयार करना।

(5) इन लाभों का पता लगाने और इनके त्वरित वितरण के लिए राशियों के प्रवाह और संस्थागत प्रबंधों, जिनमें दावों की जांच पड़ताल शामिल है, को सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीके तैयार करना।

(6) प्रसव-पूर्व और प्रसव-बाद की देखभाल के लिए सहायता के प्रावधान से लाभान्वित होने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल और परिवार-कल्याण उपायों के साथ संयोजन स्थापित करना।

(7) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक ढांचा तैयार करना कि इस योजना का सही मानीटरिंग की जाती है और लाभों के वितरण तथा उनक समुचित उपयोग के लिए इस योजना को राज्य विधान-सभाओं और संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है।

(8) भारतीय जीवन बीमा की समूह जीवन बीमा योजना जो भारतीय जीवन बीमा निगम के परामर्श से पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी, के मुख्य कार्य तैयार करना।

(9) इनसे संबंधित प्रासंगिकता और महत्व का अन्य कोई मामला।

हज यात्रियों के लिए यात्रा सुविधाएं

6340. श्री मुल्लीपल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने हज यात्रियों को लाने-ले-जाने हेतु किसी अन्य एयरलाइन्स के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु अन्य एयरलाइन्स की सेवाएं लिए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने भारत में चार स्थानों अर्थात बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास और जद्दाह के बीच प्रत्येक दिशा में 70 से भी अधिक उड़ानों के जरिये लगभग 30,864 हज़ तीर्थ यात्रियों के वहन का ठेका 14,660,400 अमरीकी डालर (अथवा लगभग 42.18 करोड़ रुपए) की संविदा कीमत पर, बी-747 विमान मैसर्स टावर एयर से ठेके पर लिये हैं जिसमें विमान किराया, कर्मीदल, सभी अनुरक्षण सहायता, हल/थर्ड पार्टी बीमा और ईंधन शामिल हैं। प्रचालनों की अन्य लागत का वहन एयर इंडिया द्वारा किया जाना है।

(ग) एयर इंडिया के विमान हज़ प्रचालनों के लिए लगा दिये जाने पर, एयर इंडिया की अनुसूचित हवाई उड़ानों में व्यापक व्यवधान आता, जिससे हजारों यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता।

कुवैत-त्रिवेन्द्रम विमान सम्पर्क

6341. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुवैत-त्रिवेन्द्रम क्षेत्र की सीधी उड़ान के संबंध में एयर इंडिया द्वारा हाल ही में किए गए मार्ग परिवर्तन के विरोध में खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीयों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) गोवा होकर त्रिवेन्द्रम/कुवैत मार्ग के निर्धारण के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(क) जब त्रिवेन्द्रम/कुवैत मार्ग पर उड़ान का प्रचालन सीधा किया जा रहा था,तब वहां पर लोड (यात्री यातायात) कम था। 26-3-95 से, एयर इंडिया ने सीट गुणक में सुधार करने और गोवा के लोगों को एक सीधी उड़ान सेवा प्रदान करने के लिए त्रिवेन्द्रम/कुवैत उड़ान का गोवा से होकर जाने के मार्ग का पुन: मार्ग निर्धारण किया है।

खनिज और धातु व्यापार निगम में विविधीकरण कार्यक्रम

6342. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने अपने कार्यकलापों का विविधीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और खनिज और धातु व्यापार द्वारा अब तक शुरू किए गये विविधीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान क्या विविधीकरण कार्यकलाप शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) उन अनेक मदों के आयात और निर्यात जिनका आयात और निर्यात पहले एम एम टी सी के जरिये किया जाता था, गैर-सरणीकरण करने के परिणामस्वरूप, एमएमटीसी ने अपने क्रियाकलापों को कृषि उत्पादों, समुद्री उत्पादों, वस्त्र, चमड़ा, रसायन, भेषज और औषधियों जैसे नए क्षेत्रों में विविधीकरण करने का कार्य शुरू कर दिया है। ये क्रियाकलाप आठवीं योजना की शेष अवधि ओर उसके बाद के लिए भी जारी रहेंगे।

(घ) एम एम टी सी द्वारा कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये है।

विदेशी मुद्रा

6343. श्री सुशील वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की अधिकारिक दरों और बाजार की विनिमय दरों में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह असंतुलन किस प्रकार से दूर किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार विचार आयात पर प्रतिबंध लगाने अथवा धन हस्तांतरण के मामले में कुल अन्य प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार डालर की तुलना में विशेष रूप से वार्षिक मुद्रास्फीति दर के निरन्तर 10 प्रतिशत के आसपास बने रहने को देखते हुए मुद्रा के अवमूल्यन का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). मार्च, 1993 से प्रचलन में एकीकृत विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत, रुपए की विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी संदर्भ

दर के साथ-साथ अपनी क्रय और विक्रय दरों को नियत करने में बाजार का अनुसरण करता है जो कि विशेष आहरण अधिकारों में संचालनो के लिए और एशियाई निकासी इकाइयों में देशों के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में आयकर दाता

6344. श्री दत्तात्रेय बन्डारू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में व्यापार और उद्योग में लगे आयकरदाताओं की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मई, 1994 की स्थिति के अनुसार व्यापार और उद्योग में कुल कितने आयकर दाता कार्यरत थे;

(ग) क्या इन सभी आयकर दाताओं ने अपने आयकर बकायों का पूरा भुगतान कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे कितने कर दाताओं ने अपने आयकर बकायो का पूरा भुगतान नहीं किया है;

(ङ) इन करदाताओं के विरुद्ध कुल कितनी कर राशि बकाया है;

(च) उन पचास उद्योगपतियों और व्यापारियों का जिन पर वितरण राशि बकायों है; और

(छ) सरकार द्वारा इन बकायों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश में व्यापार और उद्योग में लगे आयकर निर्धारितियों के बारे में अलग आकड़े उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ऐसा वर्गीकरण रिपोर्टिंग प्रणाली में निर्धारित नहीं किया गया है। सूचना के चयन फाइलों का अवलोकन अंतर्ग्रस्त होगा और ऐसे प्रयास प्रादण्य परिणाम के अनुरूप नहीं हो सकते है। तथापि, 31.5.1994 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में सभी वर्गों के आयकर निर्धारितियों की कुल संख्या 4.62, 054 थी।

(ग) से (ङ) कर की मांग का अधिकांश भाग स्रोत पर काटे गए कर अग्रिम कर तथा स्व-कर-निर्धारण कर के रूप में वसूल किया जाता है। जो भी कर बकाया रह जाते है, वे अधिकांशत: अपील में विवादग्रस्त होते है। जब कभी मांग अंतिम हो जाती है, उसे वसूल करने के प्रयोजनार्थ बाध्यकारी उपाय किये जाते है। पूर्व पृष्ठ पर उत्तर के भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय तथा उद्योग में लगे हुए कर-निर्धारितियों जिनकी तरफ मांग बकाया है, का पता लगाने हेतु अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में 31.5.94 की स्थिति के अनुसार कुल आयकर की बकाया मांग 244.91 करोड़ रुपये है।

(च) 50 उद्योगपतियों और व्यापारियों की सूची जिनकी तरफ 30.6.94 की स्थिति के अनुसार आयकर की अधिकतम धनराशि बकाया है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) बकाया कर के मामलों की लगातार निगरानी रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, इस प्रकार मांग को वूसल करने के लिए बैंक खातों की कुर्की, चल एवं अचल संपत्तियों आदि की कुर्की तथा बिक्री जैसे बाध्यकारी उपाय किए जाते है। कुछेक मामलों में ऐसे करों की वसूली किस्तों में भी की जा रही है।

विवरण

	कर-निर्धारितों का नाम
1.	कोरोमण्डल फर्टीलाइजर्स प्रा. लि.
2.	ए.पी. स्टेट एसेंशियल
3.	मैसर्स स्वास्तिक आयल इंडस्ट्रीज
4.	मैसर्स सिंगरैनी कोलरीज कंपनी
5	इंडियन ओशियन एल्जीनेट्स लि.
6.	नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन
7.	ए.पी. पेपर मिल्स लि.
8.	ए.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि.
9.	ए.पी. स्टील्स लि.
10.	ठंकन टोबैको कंपनी
11.	एशियन वायर रोप्स प्रा. लि.
12.	रुरल डिवलेपमेंट एडवाइजरी सर्विस
13.	निज़ाम सुगर फैक्टरी
14.	हो लैदर गारमेंट्स
15.	वाई. श्रीनिवास रेड्डी
16.	मैसर्स आर्टोस ब्रैबरोज लि. रामचन्द्रपुरम
17.	श्री डी. एन. शिव प्रसाद, मदामपेले
18.	कुमार लिकर्स एंड बीयर्स
19.	मैसर्स सरवारिया टैक्सटाइल्स, काकीनाडा
20.	मैसर्स आंध्रा एलॉयज (प्रा.) लि., विशाखापत्तनम
21.	एम.पी. इंडस्ट्रिल डिवलेपमेंट कारपोरेशन
22.	भारत टेलीवीजन्स लि.
23.	मिडवेस्ट लीजिंग लि.
24.	श्री टी. गोपाल रेड्डी, नैल्लोर
25.	एस प्रेमलता
26.	मैसर्स वीजन हाइड्रायर लि.
27.	मैसर्स स्पार्टेक ग्रेनाइटस लि., विजयवाड़ा

28. वाटर डेवलपमेंट सोसायटी
29. स्वर्गीय श्री उप्पलपति किशनजी राव
रिप. एल./आर श्रीमती यू. लीला लक्ष्मी कुमार, विजयवाड़ा
30. श्री एल नरसा रेड्डी गुन्तूर
31. श्री. बी. वेंकटराव
32. आंध्रा प्रदेश मैकैनिकल्स एंड इलैक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज लि.
33. मैसर्स सिंह पोल्ट्री (प्रा.) लि.
34. नवाब मीर बरकत अली खान
35. मैसर्स अन्नापूर्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., विजयवाड़ा
36. एल अवनीर स्टील्स प्रा. लि.
37. प्राइमस कैबसंस
38. रामावतार शिकारिया
39. रायलसीना कंकरीट स्लीपर्स
40. मैसर्स मैरीन फिसरीज प्रा. लि., विशाखापत्तनम (के.जे.एस. सेठी)
41. पेस इंजीनियर्स
42. मैसस्र कोहिनूर ग्लास फैक्टरी
43. मैसर्स ड्रिम रॉक इंजीनियरिंग प्रा. लि.
44. बूसी वसुदेव
45. वाई. रामा रेड्डी
46. मैसर्स ड्रैजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. विशाखापत्तनम
47. जी. एस. प्रकाश राव
48. एम. राजगोपाल राजू
49. ओएमसी कम्प्यूटर्स
50. श्री वल्लभ तोशनीवाल

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी द्वारा जाली दावों का भुगतान

6345. डा. रमेश चन्द्र तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय-I दिल्ली द्वारा जाली दावों के भुगतान संबंधी कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नुकसान/दुर्घटना की तिथि तक जिन व्यक्तियों ने बीमा नहीं कराया था उनके दावों के लिए किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन दावों को पूर्व में रद्द/बंद कर दिया गया था उन्हें 1994-95 में भुगतान के लिए पुनः शुरू किए जाने का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि इस प्रकार कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ग) इस कंपनी ने सूचित किया है कि एक मामले में कंपनी द्वारा वसूल की गई प्रीमियम के चेक का, कंपनी द्वारा चैक को बैंक में ठीक प्रकार जमा न किए जाने के कारण, नकदीकरण नहीं हो सका। बीमाकृत व्यक्ति को वसूली न होने के विषय में सूचित नहीं किया गया था। कंपनी ने प्रीमियम को नकद वसूल करके मामले की स्थिति को सुधार लिया और उसके पश्चात दावे को निपटा दिया गया।

(घ) कंपनी ने सूचित किया है कि बीमाकर्ता से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर दावे को पुनः खोलना और उसका पुनरीक्षण करना एक मामान्य प्रक्रिया है।

(ङ) बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान को विनियमित करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत/अनुदेश/प्रक्रियाएं पहले से ही मौजूद है।

ब्ल्यू चिप कंपनियों का प्रबंधन नियंत्रण

6346. डा. आर. मल्लू :
श्री पी.जी. नारायणन :
डा. लाल बहादुर रावल :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने उन सभी ब्ल्यू चिप कंपनियों जिनमें इनकें 30 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर है, के प्रबंधन नियंत्रण हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या ऐसे एककों का सीधे प्रबंधन करने और उनके चेयरमैन और अन्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन करने के लिए "आईडीबीआई", "आईएफसीआई", "आईसीआईसीआई", "यूटीआई" और "एलआईसी" जैसी वित्तीय कंपनियों का कोई संघ बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे एककों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के चयन का क्या तरीका होता है;

(ङ) क्या इस प्रक्रिया में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को भी शामिल किया जायेगा, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाएं सामान्यतः गैर-सरकारी एककों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंध कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। वित्तीय संस्थाओं ने अपने ऋणकर्ताओं के साथ प्रभावशाली संबंध बनाए रखने के लिए समुचित तंत्र विकसित किया है। सहायता प्राप्त से एककों के बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति से भी ऋणकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण

संबंध बनाने में सहायता मिली है। वित्तीय संस्थाओं ने नामित निदेशकों के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार किए है। नामित निदेशकों से आशा की जाती है कि वे कंपनी के उत्तम के हित में कार्य करें ओर साथ ही संबंधित वित्तीय संस्था के हितों की भी रक्षा करें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) तथा (च) समय-समय यथासंशोधित कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची III में सरकारी लिमिटेड कंपनियों के प्रबंध निदेशकों/पूर्णकालीन निदेशकों की नियुक्ति के संबंधों में व्यवस्था की गई है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

बैंक लेखा परीक्षा पर संगोष्ठी

6347. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अप्रैल 1995 के दैनिक जागरण में "बैंक ऑडिट पर संगोष्ठी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें यह कहा गया है कि बैंको में 1,30,000 करोड़ रुपए के समायोजन की कोई गुंजाइश नहीं है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि उसके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर, 1994 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंतर-शाखा समाधान खातों में 92,904.95 करोड़ रु. की बकाया राशि की अंतर्ग्रस्तता वाली 41.64 लाख प्रविष्टियां थी जिनमें 31 मार्च 1993 तक की अवधि की प्रविष्टियों शामिल हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि खातों के अंतर-शाखा समाधान के लिए बैंको ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

1. पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिये समय सीमा का निर्धारण किया गया है।
2. उच्च मूल्य वाली प्रविष्टियों को अलग किया जाता है और समायोजन/अनुवर्ती कार्रवाई के लिये प्राथमिकता दी जाती है।
3. मांग ड्राफ्टों से संबंधित प्रविष्टियों को अलग किया जाता है।
4. बकायों के निपटान के लिये कुछ बैंको ने विशेष कक्ष/कार्यदल का गठन किया है।

बासमती चावल का निर्यात

6348. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान बासमती चावल का निर्यात निर्धारित लक्ष्य से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या आठवीं योजना के दौरान बासमती चावल के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 और अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 की अवधि के दौरान बासमती चावल के निर्यात निम्नानुसार रहे :-

मात्रा मी. टन में
मूल्य करोड़ रु. में

	मात्रा	मूल्य
1993-94	536,534	1030.95
1994-95	389497	691.10

स्रोत : डी जी सी आई ऐंड एस., कलकत्ता।

(ग) और (घ). आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बासमती चावल के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए उपायों में ये शामिल है :-

(1) कीमत तथा मात्रा संबंधी प्रतिबंधों को हटाना।

(2) प्रचार अभियान शुरू करना, विदेशों में प्रतिनिधिमंडलों को भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, सक्षम क्रेताओं को आमंत्रित करना तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना।

आलू का निर्यात

6349. श्री अनिल बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आलू विशेषत: पश्चिम बंगाल में पैदा होने वाले आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रतिबंध कब तक हटा दिया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के बाहर आलू ले जाने पर पाबंदी लगाई है ताकि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में पायी जाने वाली वार्ट की बीमारी को फैलने से रोका जा सके।

(ग) यह सुझाव दिया गया है कि बीमारी के चलते इस पाबंदी को जारी रखा जाये।

कृषि उत्पादों के निर्यात में गिरावट

6350. डा. चिंता मोहन :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों के निर्यात की प्रतिशतता में पिछले दशकों से लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) सातवें और आठवें दशक के दौरान देश के कुल निर्यात में कृषि उत्पादों के निर्यात की प्रतिशतता कितनी-कितनी थी और गत तीन वर्षों में अब तक इसकी वार्षिक औसत प्रतिशतता कितनी-कितनी रही; और

(ग) सरकार द्वारा 1996-97 के अंत तक के लिए ऐसी प्रतिशतता के रूप में इसका क्या लक्ष्य रखा गया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). देश से होने वाले कुल निर्यातों की तुलना में कृषि निर्यातों की प्रतिशतता में सामान्यत: गिरावट का रूख रहा है जैसा कि निम्नलिखित वितरण से स्पष्ट होता है :-

वर्ष	कुल निर्यात की तुलना में कृषि निर्यात का प्रतिशत
1980-81	30.7 प्रतिशत
1990-91	19.4 प्रतिशत
1992-93	17.6 प्रतिशत
1993-94	18.7 प्रतिशत
1994-95 (अप्रैल-जनवरी)	16.4 प्रतिशत

(स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 1994-95)

(ग) 8वीं योजना में वर्ष 1996-97 के अंत तक कृषि वर्ष निर्यात बढ़कर कुल निर्यात का 14.4 प्रतिशत होने की आशा है।

चीन को कपास का निर्यात

6351. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने भारत से कपास का आयात करने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में चीन के साथ कोई करार समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में चीन को कितने कपास का निर्यात किया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नाबार्ड द्वारा उड़ीसा में धन का वितरण

6352. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सहकारी बैंकों और संस्थाओं को 200 करोड़ रुपये का वितरण रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने दिनांक 4 अप्रैल, 1995 से सभी ऋण व्यवस्थाओं के अंतर्गत उड़ीसा में सहकारी समितियों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना बंद कर दिया है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने उन कृषि ऋणकर्ताओं के ब्याज को माफ करने के रूप में प्रोत्साहनों की घोषणा की थी, जो अपनी मूल देयराशियों को 30 जून 1995 तक पूरी तरह अदा कर देंगे। नाबार्ड ने इस पर आपत्ति की थी, क्योंकि इससे सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी और यह राज्य सरकार द्वारा नाबार्ड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उल्लंघन था जबकि राज्य सरकार ने ऋण/ब्याज का माफ आदि जैसी योजनाएं स्वयं आरंभ न करने की प्रतिबद्धता की थी।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वह पुनर्वित्त सुविधाएं पुन: जारी करने के मामले पर ऋणों पर ब्याज प्रभारित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गनिर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन किए जाने के बाद के विचार करेगा।

विदेशी मुद्रा संबंधी कानून

6353. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार चालू खाते पर रुपये की परिवर्तनीयता में आने वाली बाधाओं तथा विदेशी निवेशकों की वैध शिकायतें दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने हेतु विदेशी मुद्रा संबंधी कानून को उदार बनाने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोइ निर्णय लिया है; और

(ग) सरकार का विचार तत्संबंधी विधेयक कब तक लाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्रमिक हड़ताल

6354. श्री बी.एस. एसम. मूर्ति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मजदूर संघों से जुड़े श्रमिकों ने 14 अप्रैल, 1995 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों द्वारा रखी गयी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सिंगरेनी कोलयरी कंपनी लि. के सिंगरेनी ग्रुप कर्मकार 14.4.95 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल का आह्वान सिंगरेनी ऑल ऐसोसिएशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ-साथ सिंगरेनी कार्मिक सामाक्य द्वारा किया गया था।

(ख) हड़ताल से प्रति दिन 76430 टन तक के कोयले के उत्पादन की हानि हुई और इससे बहुत से कोयला आधारित उद्योगों के कार्यकलाप पर प्रभाव पड़ा।

(ग) कर्मचारियों की मांगें थी, पांचवें राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार को अंतिम रूप दिया जाना, पेंशन योजना, भूतल के नीचे कार्य के भत्ते में वृद्धि किया जाना और आवास आदि।

(घ) श्रम मंत्रालय के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र ने मामले में हस्तक्षेप किया और वार्तालाप शुरू किया। 1.5.95 को पांचवे राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार को अंतिम रूप दिए जाने के बाद 4.5.95 को हड़ताल अंततः समाप्त कर दी गई है।

वाणिज्यिक बैंको का ऋण जमा अनुपात

6355. श्री हरिलाल ननजी पटेल :

श्री हरिभाई पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना था;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत अनुपात से बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) ऋण जमा में असंतुलन दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). गुजरात के संयोजक बैंक-देना बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1994 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात 43.04 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 50.92 है।

(ग) कम ऋण जमा अनुपात के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

(1) वित्त प्राप्त करने वाली कुछ कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय गुजरात से बाहर स्थित हैं और तदनुसार उनके द्वारा प्राप्त किया वित्त अन्य राज्यों में प्रतिबिम्बित होता है।

(2) पिछड़े जिलों में रहने वाले निर्धन लोगों को ऋण खपाने की क्षमता कम है।

(घ) ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :-

(1) सेवा क्षेत्र ऋण योजना के तहत अपेक्षाकृत अधिक ऋण राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

(2) सेवा क्षेत्र ऋण योजना तथा सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नियमित रूप से जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तर पर निगरानी/समीक्षा की जा रही है।

(3) बैंकरों और शीर्ष राज्य सरकारी अभिकरणों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड आदि की सदस्यता वाली राज्य स्तरीय बैंक समिति के मंच पर भी निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

उत्पादकों का कोटा

6356. श्री बी राजा रविवर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु विद्युतकरघा निर्यातक संघ ने सरकार से उत्पादकों का कोटा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर पन्द्रह प्रतिशत करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) तमिलनाडु विधुतकरघा निर्यातक संघ से विनिर्माता निर्यातक हकदारी (एम ई ई) को बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में विमानोपत्तनों का आधुनिकीकरण

6357. डा. साक्षीजी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी एवं संबंध में अब तक कितनी राशि अबंटित की गई है;

(घ) क्य इस कार्य को पूरा करने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे के धावनपथ के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

(ख) से (घ) धावनपथ के दोनों छोर पर राजमार्ग है। राजमार्गों

को अन्यत्र ले जाने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध करवाये जाने के बाद ही धावनपथ का विस्तार व्यवहार्य है जिसके लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में निजी कंपनियों द्वारा विमान सेवाएं

6358. श्री महेश कनोडिया :
श्री काशी राम राणा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से राज्य के अंदर निजी विमान कंपनियों द्वारा विमान सेवाएं शुरू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) मैसर्स गुजरात एयरवेज लिमिटेड, बड़ौदा ने गुजरात और महाराष्ट्र में हवाई टैक्सी प्रचालक (एटीओ) परमिट जारी करने के लिए आवेदन किया था, कंपनी को 15-2-1995 को हवाई टैक्सी प्रचालक परमिट और विमान के आयात के लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी किया गया था।

[अनुवाद]

विमानपत्तन का दर्जा बढ़ाने हेतु सहायता

6359. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों का दर्जा बढ़ाने हेतु 46.25 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो दर्जा बढ़ाने हेतु किन-किन विमानपत्तनों का चयन किया गया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) गुवाहाटी, अगरतला, डिब्रूगढ़, सिल्चर, लीलाबाड़ी, इम्फाल,तेजपुर, लेह, जम्मू, किश्तवार, कारगिल, राजौरी, अगत्ती, अंदरोथ, कुल्लू, शिमला, गग्गल और पोर्ट ब्लेयर।

विमानों का रख-रखाव और ओवरहालिंग

6360. श्री के. प्रधानी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमान रख-रखाव और ओवरहालिंग के उद्देश्य से आसाधारण रूप से लंबी अवधि से खड़े रहने के कारण उड़ान नहीं भर पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो एक एयरबस के आवधिक रख-रखाव और ओवरहालिंग में सामान्यत: कितना समय लगता है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उड़ान नहीं भर पाने वाली एअर बसों का ब्यौरा क्या है; और उन्होंने कितने दिन उड़ाने नहीं भरी, और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स को राजस्व हानि की दृष्टि से एक एयरबस को उड़ान पर नहीं लगाने की कितनी लागत आती है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) एयरबस ए-300 और एयरबस प-320 के लिए विभिन्न अनिवार्य प्रमुख अनुरक्षण जांच हेतु सामान्य समय इस प्रकार लगता है:-

(क) एयरबस ए-300

जांच की किस्म	समय अंतराल	ग्राउंडिंग समय मानदंड (दिन में)
सी	4000 उड़ान घंटे अथवा 18 महीने	30
आईपल	8000 उड़ान घंटे अथवा 3 वर्ष	45
डी	16000 उड़ान घंटे अथवा 6 वर्ष	90

(ख) एयरबस प-320

जांच की किस्म	समय अंतराल	
सी	3600 से 3800 उड़ान घंटे	30

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) एयरबस ए 300 और एयरबस प 320 विमानों द्वारा प्रति घंटे की उड़ान पर क्रमश: 104800 रुपए और 85000 रुपए की औसत सेकण्ड की बचत का अर्जन किया जाता है। विमान एक दिन में लगभग छ: घंटे का प्रचालन करता है।

गत दो वर्षों के दौरान तीस दिनों से अधिक ग्राउंड किए गए एयरबस विमानों के ब्यौरे :

एयरबस ए 300

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	ग्राउंड किए जाने से	की अवधि तक	दिनों की संख्या	कार्य की किस्म
1	2	3	4	5	6
1.	वीटी-ईडीडब्ल्यू	13.9.94	17.10.94	35	निर्धारित निरीक्षण +रिपेयर
2.	वीटी-ईएफवी	8.2.93	15.3.93	35	सी-जांच
		28.7.93	30.8.93	35	निर्धारित निरीक्षण +रिपेयर
		19.8.94	अब तक		फेम 47 रिपेयर (एबोड) +डी-जांच

1	2	3	4	5	6
3.	वीटी-ईडीएक्स	31.3.93	28.5.93	59	निर्धा+फयूजलैग विंग का परिशोधन
		2.9.93	16.12.93	105	सी-जांच
4.	वीटी-ईएफडब्ल्यू	25.5.93	5.10.93	134	आईएल-जांच
		4.11.94	7.12.94	34	निर्धारित निरीक्षण +रिपेयर
5.	वीटी-ईएफएक्स	28.8.93	21.10.93	55	फेम 47 रिपेयर (एब्राड)
		25.12.93	8.8.94	226	आईएल-जांच
6.	वीटी-ईएचसी	7.11.93	7.3.94	120	आईएल-जांच
7.	वीटी-ईडीजैड	1.11.93	17.9.94	321	डी-जांच
8.	वीटी-ईएलडब्ल्यू	11.12.93	15.2.94	67	सी-जांच
9.	वीटी-ईएचडी	11.3.94	7.2.95	334	आईएल-जांच
10.	वीटी-ईएफवी	19.8.94	कार्य प्रगति पर		फेम 47 रिपेयर (एब्रोड) +डी-जांच
11.	वीटी-ईडीडब्ल्यू	3.3.95	28.4.95	57	सी-जांच
12.	वीटी-ईडीवाई	21.9.94	31.1.95	133	सी-जांच
एयरबस ए-320					
1.	वीटी-ईपीक्यू	21.1.93	12.3.93	50	सी-जांच
		7.8.94	आज तक		
2.	वीटी-ईपीपी	21.3.93	11.5.93	41	सी-जांच
3.	वीटी-ईपीएम	3.5.93	8.8.93	98	सी-जांच+4, वर्ष+सैंपलिंग +सीपीसीपी
4.	वीटी-ईपीएच	22.7.93	3.11.93	101	सी-जांच+4वर्ष, सैंपलिंग +सीपीसीपी
5.	वीटी-ईपीओ	24.8.93	20.12.93	119	सी-जांच
6.	वीटी-ईपीएल	8.11.93	7.1.94	61	सी-जांच
7.	वीटी-ईपीआर	20.1.94	10.4.94	81	सी-जांच
8.	वीटी-ईपीटी	1.3.94	10.5.94	71	सी-जांच
9.	वीटी-ईपीई	15.3.94	17.7.94	125	सी-जांच+ 4वर्ष,सैंपलिंग +सीपीसीपी
10.	वीटी-ईपीबी	25.3.94	19.8.94	148	सी-जांच+ 4वर्ष+सैंपलिंग +सीपीसीपी
11.	वीटी-ईपीएफ	16.7.94	25.9.94	71	सी-जांच+ 4 वर्ष,सैंपलिंग +सीपीसीपी
12.	वीटी-ईपीसी	15.10.94	28.11.94	45	सी-जांच+ 4वर्ष,सैंपलिंग +सीपीसीपी
13.	वीटी-ईपीके	26.9.94	7.12.94	80	सी-जांच+ 4वर्ष,सैंपलिंग +सीपीसीपी
14.	वीटी-ईपीजे	7.8.94	21.3.95	227	सी-जांच
15.	वीटी-ईपीओ	7.1.95	16.2.95	41	निर्धारित निरीक्षण
16.	वीटी-ईपीएच	3.3.95	8.4.95	37	सी-जांच

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिये आचार-संहिता

6361. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के लिये जून 1994 में कुछ नियम और विनियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जून 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने 50 लाख रु. और उससे अधिक की निवल निधियों के स्वामित्व वाली और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीएस) के लिए विवेकपूर्ण मानदंड जारी किया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पंजीकृत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मार्च और सितम्बर के अंत की स्थिति के अनुसार अपनी छमाही विवरणियां, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करें। जिसमें विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया गया हो और लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हों विवरणों की संवीक्षा और जहां आवश्यक हो, एन बी एफ सी एस की जांच से यह पता चलेगा कि संबद्ध एन बी एफ सी उन विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन कर रहा है। या नहीं। इस स्थिति का पता 31 मार्च 1995 से संबंधित प्रथम विवरणों की संवीक्षा के पश्चात् ही चलेगा जिसे 31.5.95 तक जमा किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक

6362. श्री पीयूष तीरकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिक प्रथा को समाप्त करने हेतु 850 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी प्रदान की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) मुख्य रूप से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के मॉडल पर आधारित क्रियाकलापों द्वारा वर्ष 2000 ई. तक जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम के संपूर्ण उन्मूलन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 1994 के स्वतंत्रता दिवस पर किये गये आह्वान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995-96 के लिए 34.4 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अंतर्गत किया जाने वाला एक प्रमुख कार्य, कार्य से हटाए गए बालकों के लिए औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषणाहार आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। अनुमान है कि इस प्रयोजनार्थ 850 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी कंपनियों के मामले में वित्तीय संस्थाओं का हस्तक्षेप

6363. श्री पी.जी. नारायणन :

श्री ए. वैंकटेश नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाद की स्थिति में गैर-सरकारी कंपनियों के प्रबंधन में वित्तीय संस्थाओं के हस्तक्षेप करने के संबंध में काई मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाएं आमतौर पर गैर-सरकारी एककों के दिन-प्रति-दिन के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अपने उधारकर्ताओं के साथ प्रभावी संपर्क बनाये रखने के लिए वित्तीय संस्थाओं ने उचित तंत्र तैयार किया है सहायता प्राप्त एककों के बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति उधारकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण सम्पर्क है। वित्तीय संस्थाओं ने नामित निदेशकों के संबंध में दिशानिर्देश तैयार किये है। नामित निदेशकों से कंपनी के उत्तर हित में कार्य करने और संबद्ध वित्तीय संस्थाओं के हितों का सुरक्षा करने की भी अपेक्षा की जाती है।

पूंजी संचयन

6364. श्री रामकृपाल यादव :

श्री सनत कुमार यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पूंजी संचयन की दर संतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान पूंजी अंतर्वाह का क्या रुख रहा है और इसका धन की सप्लाई और मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) पूंजी संचयन की दर में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). केन्द्रीय सांखिकीय संगठन से उपलब्ध नवीनतम सूचनाओं के अनुसार चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में सकल घरेलू पूंजी के स्वरूप के अर्थों में निर्धारित पूंजी संचयन निम्नानुसार है :

1991-92	1992-93 (अ.)	1993-94 (त्व.)
23.6	22.0	20.4

(अ.) अनन्तिम अनुमान (त्व.) त्वरित अनुमान

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1994-95 के दौरान कुल पूंजी अंत: प्रवाह 3758 मिलियन अमरीकी डालर था। तथापि, विदेशी निवेश अंत:प्रवाह के लिए आंकड़े वर्ष 1994-95 के लिए उपलब्ध हैं। ये आंकड़े 4678 मिलियन अमरीकी डालर थे। विदेशी पूंजी अन्त:प्रवाह में इस असाधारण वृद्धि से वर्ष 1993-94 की द्वितीय छमाही और वर्ष 1994-95 की प्रथम छमाही के दौरान वर्ष 1994-95 में मौद्रिक प्रसार पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। कतिपय वस्तुओं की आपूर्तियों में गिरावट से इस संयोजन ने वर्ष 1994-95 में उच्च मुद्रास्फीति दर की भागीदारी की।

(घ) कुल निवेश को बढ़ाने के लिए मानदंडों का सुधार करना अनिवार्य है जो कि निवेश व्यवहार पर निर्भर करता है। इसमें नियमित और व्यैक्तिक करों में कमी, पूंजीगत वस्तुओं के लिए मोडवाट का विस्तार, पूंजीगत वस्तुओं और काम में आने वाली वस्तुओं के लिए मोडवाट का विस्तार, पूंजीगत वस्तुओं और काम ने आने वाली वस्तुओं का, उनके उत्पादन में प्रयोग किए जाने हेतु, आयात पर टैरिफो में कमी प्रौद्योगिकी आयातों और विदेशी निवेश व्यवस्था में उदारीकरण, उद्योगों की लाइसेंस मुक्त करना, वृहद आर्थिक स्थिरता और अर्थव्यवस्था में विश्वास शामिल हैं। इन मानदंडों पर अब तक किए गए अनेकों आर्थिक सुधार संबंधी उपायों से अनुकूल प्रभाव की संभावना की गई है। और अर्थव्यवस्था में पूंजी संचयन की प्रक्रिया को गति दी दो जाएगी।

गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलें

6365. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलों को अर्थक्षम बनाने हेतु कुछ धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) मंजूर की गई राशि को कब तक जारी किया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं। वस्त्र मंत्रालय ने गुजरात में रुग्ण सूती मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रुग्ण सरकारी उपक्रमों के लिए आपरेटिंग एजेंसी

6366. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बी.आई.एफ.आर. द्वारा किन-किन सरकारी उपक्रमों में भारतीय औद्योगिक और वित्त निगम को आपरेटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक और निगम ने प्रत्येक उपक्रम को अर्थक्षम बनाने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण (बाइफर) ने सूचित किया है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) को सरकारी क्षेत्र के 16 उपक्रमों के संबंध में संचालन अभिकरण (ओए) के रूप में नियुक्त किया गया था। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) से (घ). बाइफर ने सूचित किया है कि उपर्युक्त में से और ओ ए की रिपोर्टों के आधार पर दो पुनरुज्जीवन योजनाएं स्वीकृत की गइ हैं, सभी संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद चार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करने के लिए संबंधित उच्च .न्यायालय में सिफारिश की गई है और इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के संबंध में मस्मैदा योजना परिचालित की गई है। बाइफर ने एक मामलें में सभी संगत तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टाय राय दी थी कि कंपनी को पुर्नजीवित नहीं किया जा सकता और एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था कि कंपनी को बंद क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, बाइपर को दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में ओए की रिपोर्ट मिल गई है परन्तु एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के मामले में ओए से संशोधित रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। बाइपर ने पुन: सूचित किया है कि चार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में ओए की रिपोर्ट प्रतीक्षित है और एक मामलों में और की रिपोर्ट अभी देय नहीं है।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिनमें बाइपर द्वारा आई एफसीआई की परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

1. देवगिरी टेक्सटाइलमिल्स लि. महाराष्ट्र
2. कमलेश्वर टेक्सटाइल्स मिल्स लि. महाराष्ट्र
3. यू पी कारबाइड एंड केमिकल्स लि. उत्तर प्रदेश
4. टनरी एण्ड फुटवीयर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. उत्तर प्रदेश
5. ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लि., उत्तर प्रदेश
6. एपी स्टील लि., आंध्र प्रदेश
7. यूपी स्टेट स्पीनिंग कंपनी लि. उत्तर प्रदेश
8. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कापोरेशन लि. पश्चिम बंगाल
9. एनटीसी (एपीकेक एण्ड एम) बंगलौर, कर्नाटक
10. एनटीसी (यूपी) लि. उत्तर प्रदेश
11. पंजाब स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल लि. पंजाब
12. इंडियन टरपेंटाइन रेसिन लि. उत्तर प्रदेश
13. यूपी स्टेट टेक्सटाइल कापोरेशम उत्तर प्रदेश
14. अपट्रोन इंडिया लि. उत्तर प्रदेश
15. पंजाब पावर पेक्स लि. पंजाब
16. स्वदेशी माइनिंग एण्ड मन्युफेक्चरिंग कंपनी लि. उत्तर प्रदेश

जापानी सहायता

6367. श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1995 में जापान के शिष्टमंडल ने भारत को दी जाने वाली सहायता पर विचार-विमर्श करने हेतु भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) क्या भारत और जापान के बीच कोई समझौता हुआ था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सहायता किन-किन परियोजनाओं के लिए प्रदान किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी एक जापानी शिष्ट मंडल ने 26 मार्च से 2 अप्रैल 1995 तक भारत का दौरा किया।

(ख) शिष्ट मंडल ने भारतीय प्राधिकारियों के साथ जापानी

शासकीय विकास सहायता (ओ.डी.ए.) नीति, भारत की आर्थिक स्थिति और विकास संबंधी नीतियों, ओ.डी.ए. परियोजनाओं के प्रसंस्करण के प्रक्रियात्मक पहलुओं और ओ.डी.ए. परियोजनाओं को आरंभ करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खतरनाक उद्योगों में कार्यरत मजदूर

6368. श्री दत्ता मेघे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खतरनाक उद्योगों में कार्यरत मजदूरों पर कोई विशेष ध्यान दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां मजदूरों को विशेष चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं या इस प्रयोजनार्थ उनके वेतन में एक मुश्त धनराशि जोड़ दी जाती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसा प्रावधान कब तक किया जाएगा?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ). अधिष्ठाता की जोखिमकारी प्रक्रियाओं में लगे कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा हेतु विशेष उपाय करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में उपबन्ध विद्यमान है। निर्दिष्ट जोखिमकारी उद्योगों में रोजगार के दौरान लगी चोट के कारण हुई विकलांगता/मृत्यु के लिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति देय है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में रुग्णता, प्रसूति और रोजगार के दौरान लगी चोट की आकस्मिकताओं में पूर्ण चिकित्सा देखरेख के अतिरिक्त नकद लाभों के प्रावधान है।

त्रिपक्षीय समिति

6369. श्री छेदी पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम पर नई औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने हेतु विशेष रूप से गठित त्रिपक्षीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) श्रम संबंधी नई औद्योगिक नीति के प्रभाव और अन्य संबंधित मामले पर विचार करने तथा समुचित सिफारिशें करने के लिए 12 नवम्बर, 1991 को श्रम मंत्रालय द्वारा एक विशेष त्रिपक्षीय समिति गठित की गयी थी। समिति ने 21.12.93 को आयोजित अपनी पहली बैठक में उन उद्योगों, जिनमें रुग्णता स्थानिक है, के संबंध में उपचारात्मक और निवारक उपायों का सुझाव देने के लिए त्रिपक्षीय औद्योगिक समितियों को पुनरुज्जीवन किये जाने का निर्णय लिया था।

विशेष त्रिपक्षीय समिति के निर्णय के आधार पर निम्नलिखित छः औद्योगिक समितियों, अर्थात सूती कपड़ा, जूट, रसायन, इंजीनियरिंग, विद्युत (उत्पादन एवं वितरण) तथा सड़क परिवहन संबंधी, को पुनरूज्जीवन किया गया था।

विशेष त्रिपक्षीय समिति और छः औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां उद्योगों में रुग्णता, औद्योगिक पुनर्संरचना तथा कर्मकारों को पेश आ रही समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करती रही हैं। इन सिफारिशों के विधिवत् कार्यान्वयन हेतु संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सूचित कर दिया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

कॉफी का उत्पादन

6370. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995 के दौरान देश में काफी के उत्पादन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कॉफी का कितना उत्पादन किया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) उम्मीद है कि वर्ष 1995-96 के लिए निर्धारित 2,25000 मी.टन के उत्पादन-लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात

6371. श्री बलराज पासी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान इंजीनियरी क्षेत्र से लगभग 12 प्रतिशत अधिक निर्यात किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्य सहित प्रतिशत में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख). इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार वर्ष 1994-95 (अप्रैल, 94 फरवरी, 95) के दौरान मूल्य के रूप में इंजीनियरी क्षेत्र से निर्यात 8245 करोड़ रु. (अनंतिम) के हुए जो 1993-94 की तदनुरूप अवधि में हुए 7300 करोड़ रु. के निर्यात की तुलना में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हैं।

आयात-निर्यात नीति के संबंध में राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श

6372. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री मुल्लप्पल्ली रामचन्द्रन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात-निर्यात नीति की घोषणा करने से पूर्व राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (च). निर्यात एवं आयात नीति की समीक्षा एक निरन्तर एवं सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें राज्य सरकारों समेत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अभ्यावेदनों/सुझावों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार समय समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

6373. **श्री नरेश कुमार बालियान :**

श्री अमर पाल सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल श्रमिकों के शैक्षिक स्तर के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में बाल श्रमिक प्रथा को समाप्त करने हेतु बाल शिक्षा को बाध्यकर बनाने हेतु कोई योजना तैयार करने की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यह योजना कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाल श्रम संबंधी आंकड़े भारत की जनसंख्या के आधार पर रखे जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए अलग से सर्वेक्षण नहीं किया जाता है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 के अंतर्गत किया जाने वाला प्रमुख कार्य, काम से हटाए गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा(व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक, पोषणाहार आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं मुहैय्या कराने हेतु विशेष स्कूलों की स्थापना करना है। जोखिमकारी व्यवसायों से बाल श्रम के उन्मूलन के लिए वर्ष 1995-96 हेतु 34.4 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया है साथ ही राष्ट्रीय बाल श्रम नीति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं (एन सी एल पी) के मॉडल पर आधारित क्रियाकलापों द्वारा सन् 2000 ई. तक जोखिम व्यवसायों से बाल श्रम के सम्पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

ऋण राहत योजना के लाभार्थी

6374. **श्री राजेश कुमार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक ऋण राहत योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने किसान तथा ग्रामीण कारीगरों को लाभ पहुंचा है;

(ख) 1 जनवरी, 1994 से 31 अप्रैल, 1995 तक बिहार और उड़ीसा के लिए कितनी राशि जारी की गई तथा उपरोक्त योजना के लिए कितनी धनराशि अभी दी जानी शेष है; और

(ग) शेष राशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कृषि एवं ग्रामीण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों और ग्रामीण कारीगरों की राज्यवार संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत अनुदान और ऋण के रूप में बिहार और उड़ीसा को इन राज्यों में स्थित सहकारी समितियों के दावों के संबंध में क्रमशः 521.611 करोड़ रुपए और 150.760 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नाबार्ड ने सूचित किया है कि मार्गनिर्देशों के अनुसार बिहार और उड़ीसा में बैंको के दावों का पूर्णरुपेण निपटान कर दिया गया है।

संयुक्त स्टाक कंपनियां

6375. **श्री प्रभूदयाल कठेरिया :**

श्री राजेश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान संयुक्त स्टाक कंपनियों द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई थी;

(ख) इन कंपनियों पर सरकार किस प्रकार अपना नियंत्रण बनाए हुए है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ अनियमितताओं का पता लगा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कंपनियों के समुचित नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विदेश ऋण

***6376. श्री रतिलाल वर्मा :**

श्री अंकुशराव टोपे :

डा. चिंता मोहन :

श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमानमल लोढा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों की समाप्ति पर कुल विदेशी और आंतरिक ऋण का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई धनराशि का शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ब्याज के रूप में भुगतान की गई कुल धनराशि संबंधित वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत थी; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा देश की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में कितनी विदेशी मुद्रा जमा की गई और इस धनराशि पर देय ब्याज का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) केन्द्र सरकार पर तत्कालीन विद्यमान विनिमय दरों पर सरकारी खाते में बाह्य ऋण सहित वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (आर.ई.) के दौरान क्रमशः 480467, 558421 और 632872 करोड़ रुपए का कुल सार्वजनिक ऋण और देयताएं थीं।

(ख) और (ग). ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(रुपए करोड़ों में)

ब्याज अदायगी

आंतरिक अदायगी	1992-93	1993-94	1994-95 (आर.ई.)
आंतरिक ऋण और अन्य देयताएं	27546	32971	39890
बाह्य ऋण	3529	3724	4110
कुल	31075	36695	44000
सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत	4.4%	4.6 %	4.8 %

(घ) अर्जित ब्याज सहित विभिन्न अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा-राशि के अंतर्गत बकाया राशि (सितम्बर, 1994 के अंत तक) इस प्रकार थी :-

(यू. एस.एण्ड एम.एन.)

1.	विदेशी मुद्रा अप्रवासी (एफ सी एन आर) खाते	8279
2.	विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक्स) योजना (एफ सी एन आर) (बी)	2395
3.	अप्रवासी (बाह्य) रुपया खाते (एन आर (ई)आर)	4191
4.	अप्रवासी (गैरपरिदेय) रुपया जमा-राशि (एन आर) (एम आर) (आर डी)	2068
5.	विदेशी मुद्रा सामान्य गैरपरिदेय (एफसीसीएन)	9
6.	विदेशी मुद्रा (बैंक एवं अन्य) जमा-राशि (एफ सी)(बी एण्ड ओ डी)	5
	कुल	16947

बेल्जियम के दोहरे कराधान समझौते

6377. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बैल्जियम ने द्विपक्षीय दोहरे कराधान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग के लिए कई नए क्षेत्रों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान व्यापार एवं व्यवसाय में सुधार लाने से दोनों देश कितने लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारत और बेल्जियम के बीच दोहरे कराधान के परिहार से संबंधित एक करार पर दिनांक 26 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त करार का उद्देश्य भारत और बेल्जियम के बीच प्रौद्योगिकी, निवेश, व्यापार और सेवाओं के द्विपक्षीय प्रवाह को बढ़ावा देना है।

उक्त करार में एक देश के व्यावसायिक उद्यमों पर दूसरे देश में केवल तभी कर लगाए जाने की व्यवस्था है यदि वह उक्त दूसरों देश में कोई स्थायी संस्थापन रखता है। लाभांशों तथा ब्याज-जैसी निवेश आय और राल्टियों तथा तकनीकी सेवाओं के लिये फीस पर कराधान की निम्न दें लागू किए जाने की भी व्यवस्था हैं।

उक्त करार में दोनों देशों के बीच, खासकर करों की धोखाधड़ी अथवा उनके अपवंचन की रोकथाम करने के लिए, सूचना के अदान-प्रदान की भी व्यवस्था हे। एक पारस्परिक करार प्रक्रिया तैयार की गई है ताकि कर-सम्बन्धी विवादों को इस प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जा सके।

तथापि, उक्त करार को अभी प्रवृत्त होना है क्योंकि बेल्जियम द्वारा अभी तक उसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) भारत बेल्जियम संयुक्त आयोग की एक बैठक मार्च, 1995 में हुई, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग के लिए कुछके क्षेत्रों की पहचान की गई। ये क्षेत्र हैं :- ऊर्जा, दूर संचार, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, बिजली का सामान, रासायनिक पदार्थ तथा आटोमोटिव कलपुर्जे।

इस स्तर पर इस बात का आंकलन करना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1995-96 के दौरान कारोबार तथा व्यापार में किस हद तक वृद्धि होने की आशा है। तथापि, डालर के संबंध में भारत द्वारा बेल्जियम को किए गये निर्यात में वर्ष 1993-94 में 22.74 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में (जनवरी, 1995 तक) पूववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.13 प्रतिशशत तक की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

यू.पी. एयर नामक घरेलू उड़ान

6378. श्री रामपाल सिंह :
श्री प्रभूदयाल कठेरिया :
श्री पंकज चौधरी :

क्या नागर विमान और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में "यू.पी. एयर" नामक घरेलू वाणिज्यिक उड़ान शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों को इस उड़ान से जोड़ा जाएगा; और

(ग) कौन-कौन से अन्य राज्य ऐसी उड़ान शुरू करेंगे?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवर्तित मैसर्स यू.पी एयर सर्विस सोसाइटी को, अनुसूचित हवाई यातायात प्रचालर्क का परमिट जारी किए जाने तक, पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए कुछ मार्गों पर निम्नलिखित स्टेशनों को जोड़ने के लिए 21.4.95 तक एफ-27 विमान सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है :-

दिल्ली, लखनऊ, कूल्लू, वाराणसी, म्यूरपुर, गोरखपुर।

(ग) अन्य राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

[अनुवाद]

टाटा सिंगापुर एयर टैक्सी सेवा

6379. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा सिंगापुर एयर टैक्सी सेवाओं के विरुद्ध कतिपय आपत्तियां की गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमान और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) हवाई परिवहन प्रचालनों की सुरक्षा, संरक्षा और सुचारू वृद्धि सुनिश्चित करने की दृष्टि से, उन हवाई टैक्सी प्रचालकों और अन्य आवेदनों को इस समय विमान के आयात की अनुमति देना संभव नहीं जो हवाई परिवहन सेवाएं आरंभ करना चाहते हैं। तथापि, लगभग तीस सीटों की सीट क्षमता वाले विमान के आयात के आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं के विकास के बाद, टाटा-सिंगापुर एयरलाइन्स सहित काफी संख्या में विमानों के बारे में विचार किया जा सकता है।

महिला श्रमिक प्रकोष्ठ

6380. श्री अंकुशराव टोपे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस समय कितने महिला श्रमिक प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं;

(ख) नियोजित योजना के अंतर्गत महिला श्रमिक प्रकोष्ठों के गठन के पश्चात अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रकोष्ठ पूरे देश में काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा अधिक प्रवेश स्थलों की मांग.

6381 श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री एम.एम. लालजान बाशा :
श्री के. प्रधानी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अंतराष्ट्रीय एयरलाइनों ने भारत में अपने विमानों के लिए अधिक गंतव्य स्थलों और प्रवेश स्थलों के लिए अनुरोध किया है; हालांकि अपने अपने देशों में उन्होंने एयर इंडिया को ऐसी छूट नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अंतराष्ट्रीय एयरलाइनों ने अधिक उडानों की अनुमति मांगी है;

(घ) क्या भारत ने भी अन्य देशों से ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतराष्ट्रीय विमानन प्राधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ). जी, हां। अवसर और लाभ की पारस्परिकता तथा यातायात की मांगों को देखते हुए द्विपक्षीय आधार पर संबंधित सरकारों

के साथ यातायात अधिकारों के आदान-प्रदान की व्यवस्था की जाती है।

आकस्मिकता-निधि

6382. श्री जे. चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की आकस्मिकता निधि से 1994-95 के दौरान उधार के रूप में कितनी धनराशि निकाली गई; और

(ख) उन आकस्मिकता अनुदानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ये धनराशि निकाली गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारत की आकस्मिकता निधि से उधार के रूप में मंजूर की गई धनराशि जो वर्ष 1994-95 में अनुपूरक अनुदानों के जरिए निधि को लौटा दी गई, निम्नलिखित है :-

भारत की आकस्मिकता निधि से उधार ली गई धनराशि	अनुपूरक अनुदानों के जरिए लौटाई गई
1543.21	पहला बैच (अगस्त, 94)
83391.10	दूसरा बैच (दिसम्बर, 94)
12051.00	तीसरा बैच (मार्च, 1995)

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1994-95 में भारत की आकस्मिकता निधि से उधार के रूप में मंजूर की गई धनराशि के प्रयोजन।

क्रम सं.	मंजूरी की तारीख	मंत्रालय विभाग	प्रयोजन	धनराशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5
1.	26.4.94	औद्योगिक विकास	न्यायालय के आदेश की तुस्टि में भुगतान के लिए।	42.81
2.	27.6.94	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	यथोपरि	0.40
3.	7.7.94	वाणिज्य	निर्यात निरीक्षण परिषद् एवं निर्यात निरीक्षण एजेंसियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता के लिए।	1500.00
			जोड़ पहली बैच के अनुपूरक अनुदानों के जरिए भारत की आकस्मिकता निधि को लौटाई गई धनराशि	1543.21
4.	5.9.94	कल्याण	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना के लिए	1000.00
5.	21.9.94	वस्त्रोद्योग	भारतीय पटसन निगम को पटसन के मूल्य समर्थन अभियान हेतु भुगतान तहत के लिए।	1200.00,
6.	26.9.94	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय प्लेग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत व्यय की पूर्ति करने के लिए	2000.00
7.	27.9.94	शिक्षा	भारतीय विद्या भवन को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए	100.00
8.	29.9.94	वाणिज्य	श्रमिक अधिकारों का संरक्षण और सम्बद्ध मामलों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित आयोग पर हुए खर्च के लिए	87.00

1	2	3	4	5
9.	4.10.94	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	ऊपर क्रम सं. 1 में दिए गए प्रयोजन हेतु	1.00
10.	11.10.94	ग्रामीण विकास	संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु	79000.00
11.	19.10.94	परमाणु ऊर्जा	ऊपर क्रम सं. 1 में दिए गए प्रयोजन हेतु	3.10
			जोड़ क्रम सं. 4-11 दूसरे बैच के अनुपूरक	83391.10
12.	1.2.95	वाणिज्य	कॉफी बोर्ड को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संहायता के लिए	390.00
13.	1.2.95	विदेश	भारतीय सांस्कृतिक संपर्क परिषद को अनुदान सहायता हेतु	451.00
14.	7.2.95	वाणिज्य	निर्यात संवर्धन और बाजार विकास स्कीम के तहत आर्थिक सहायता का भुगतान करने के लिए	11210.00
			जोड़ (क्रम सं. 12-14) तीसरे बैच के अनुपूरक अनुदानों के जरिए भारत की आकस्मिकता निधि को लौटाई गई धनराशि।	12051.00

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा सोने और चांदी का निर्यात

6383. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम देश में बहुमूल्य धातुओं का सबसे बड़ा व्यापारी बन कर उभरा है;

(ख) यदि हां, तो निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रति वर्ष कितनी मात्रा में सोने और चांदी का निर्यात किया गया;

(ग) सोने और चांदी के निर्यात में लगी अन्य एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि में इन एजेंसियों का कार्य-निष्पादन क्या रहा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां। एम एम टी सी देश में सोने और चांदी का सबसे बड़ा आयातक और आभूषणों के निर्यातकों को आपूर्तिकर्ता है। एम एम टी सी घरेलू बाजार में आपूर्ति के लिए विशेष आयात लाइसेंस का प्रयोग करके सोने और चांदी का आयात भी करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि एम एम टी सी स्वर्णाभूषणों का निर्यात करता है न कि सोने/चांदी का।

(ग) एस.बी.आई. और तथा हथकरधा और हस्तशिल्प निगम जैसी अन्य एजेन्सियों सोने और चांदी का आयात करने और स्वर्णाभूषणों के निर्यातकों को उसकी आपूर्ति करने के लिए नामोद्दिष्ट एजेंसियों के रूप में काम करती हैं और इन मूल्यवान धातुओं का निर्यात नहीं करती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु क्षेत्र के उद्योगों को एन.एस.आई.सी. द्वारा वित्तीय सहायता

6384. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एन एस आई सी फाइनेन्शियल सर्विसेज लांच्ड टू एंड स्मॉल यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त योजना दिल्ली में चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो उद्यमियों को दी जाने वाली सहायता सहित अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

रुपए का मूल्य

6385. श्री विश्वनाथ शास्त्री : *क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान रुपए की क्रय शक्ति में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय रुपए की क्रय शक्ति खरीद क्षमता (औद्योगिक कामगार उपभोक्ता सूचकांक, 1982 के आधार पर) कितनी है; और

(ग) उपरोक्त आधार पर रुपए की क्रय शक्ति वर्ष 1994 के दौरान कितनी रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) रुपए की क्रय शक्ति (1982-100 के आधार सहित औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई. आई.डब्ल्यू.) से पारस्परिकता के रूप में निर्धारित) मार्च, 1994 में 37.45 पैसे से मार्च, 1995 में 34.13 पैसे तक गिर गई।

(ग) रुपए की क्रय शक्ति ऊपर दिए गए विवरण के आधार पर वर्ष 1984 में 84.75 पैसे थी।

[अनुवाद]

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात

6386. श्री सनत कुमार मंडल : *क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1995 के "दि इकानोमिक टाइम्स", नई दिल्ली में "एम.एम.टी.सी. शुगर डील रेजेज आइब्रोज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस सौदे में यदि कोई घाटा हुआ है, जिसके लिए सरकार ने सहायता देने का निर्णय लिया है, तो वह कितना है; और

(घ) इस चीनी का निपटान किस प्रकार से करने का विचार है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसे बेचने पर कुल कितने मूल्ये का अंतर रखा जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अग्रिम संविदा पर चीनी खरीद के संबंध में सरकार द्वारा एम एम टी सी को दिए गए निर्देश के अनुसरण में एम एम टी सी की सिंगापुर स्थित एक सहायक कंपनी एम एम टी सी ट्रांसनेशनल प्रा. लिमिटेड में वित्तीय वर्ष *1994-95 में 1.55 लाख एम टी चीनी का वित्त वर्ष 1995-96 के* दौरान पोतलदान के लिए समझौता किया था। यह चीनी सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेची जाएगी।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग क्षेत्र का निर्यात

6387. श्री चेतन पी. एस. चौहान : *क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान इंजीनियरिंग क्षेत्र को निर्यात के मामले में निर्धारित की गई विकास दर प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारित किये गये लक्ष्य इस संबंध में हुई उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 1995-96 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इंजीनियरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क)

(क) से (ग) वर्ष 1994-95 (अप्रैल 1994-फरवरी 95) के दौरान इंजीनियरी क्षेत्र से निर्यात वर्ष 1993-94 की समसामयिक अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत लक्षित वृद्धि दर के बजाए 12.9 प्रतिशत की अंनतिम रूप से निर्यात वृद्धि दर दर्ज की गयी।

(घ) और (ङ) वर्ष 1995-96 के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र से निर्यात के लिए 11620 करोड़ रुपए का अनंतिम रूप से लक्ष्य रखा गया है।

(च) निर्यात का संवर्धन करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं-निर्यात आयात नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन देना जैसे-शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान योजना, विशेष आयात लाइसेंस इत्यादि, शुल्क वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एस.एच.सी के तहत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता और निर्यातको को आस्थगित ऋण एवं ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। इनके अतिरिक्त, सरकार 1.3.95 को इंजीनियरिंग उत्पाद निर्यात (लोहा एण्ड इस्पात मध्यवर्ती प्रतिपूर्ति) नामक एक नई योजना की अधिसूचना जारी की है। इंजीनियरिंग सामान के निर्यातकों ने इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के विभिन्न क्रिया-कलापों के अंतर्गत संवर्धनात्मक सहायता भी प्राप्त की है।

उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को बैंक ऋण

6388. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने उद्यमियों को बैंक प्रदान किया गया;

(ख) ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं, जिनके नामों की जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा सिफारिश की गई, परन्तु उन्हें अब तक ऋण प्रदान नहीं किया गया है; और

(ग) सभी योग्य व्यक्तियों को कब तक ऋण मिल जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना (एसईईयूवाई) और प्रधानीमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत बैंकों द्वारा मंजूर किए ऋणों से है। दिनांक 2 अक्तूबर, 1993 को आरंभ की गई पीएमआरवाई का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करना है। पहली अप्रैल, 1994 से एसईईयूवाई योजना, पीएमआरवाई में शामिल कर दी गई है। 1993-94 और 1994-95 (26 फरवरी, 1995 तक) के वर्षों के लिए पीएमआरवाई के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त हुए और मंजूर किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :-

वर्ष	संस्तुत आवेदनों की संख्या	मंजूर किए गए आवेदनों की सं.
1993-94	12,691	3,995
1994-95	42,365	13,459

(28 फरवरी, 1995 तक)

*उत्तर प्रदेश राज्य के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनन्तिम आंकड़े।

बैंकों को 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले ऋण आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अंदर और 25000 रूपये से अधिक की ऋण सीमा वाले आवेदन पत्रों को निपटाना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने बैंको से कहा है कि वे निर्धारित समय सीमाओं के अंदर आवेदन को निपटायें।

[अनुवाद]

अम्बारी-फालाकाटा हवाई अड्डे का पुनः चालू किया जाना

6389. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जलपाईगुडी में अम्बारी-फालाकाटा हवाई अड्डे को पुनः चालू करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) अम्बारी-फालाकाटा की हवाई पट्टी निजी पार्टी की है। एयरलाइनों से मांग में कमी के कारण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जलपाईगुडी में नये हवाई अड्डे के विकास की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

पक्षियों के विमानों से टकराने संबंधी घटनाएं

6390. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान पक्षियों के विमानों से टकराने संबंधी कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(ख) इनके परिणाम स्वरूप कितनी क्षति हुई; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावर्ती को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1993-94 के दौरान पक्षी टकराने की 132 घटनाएं हुई।

(ख) इस संबंध में विभिन्न आपरेटरों को हुई हानि लगभग 336.34 लाख रुपए थी।

(ग) पक्षी टकराने को रोकने के लिए उठाये गये कदमों में, प्रत्येक हवाई अड्डे पर हवाई क्षेत्र वातावरण प्रबंध समिति गठित की गई है। पक्षी संत्रास की रोकथाम के लिए बड़े हवाई अड्डों पर कार्रवाई योजना तैयार की गयी है। हवाई अड्डा प्राधिकारियों ने प्रचालनात्मक क्षेत्रों को समतल करने, जल ठहराव रोकने के लिए प्रभावी निकासी प्रणाली का निर्माण, दूब घास लगाने, भवनो से कबूतरों को हटाने, हवाई अड्डा भस्मकों की स्थापना करने और पक्षियों को डराने जैसे उपाय किये हैं जिससे हवाई अड्डा क्षेत्रों पर भी पक्षी आकर्षण स्रोत को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

औद्योगिक रूप से विकसित कस्बे के लिए विमान सेवा

6391. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार औद्योगिक दृष्टि से विकासशील कस्बों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करने का है चूंकि बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे कस्बों मे अपने एककों की स्थापना हेतु सहमत हो गई हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने नए उद्यमियों के लिए इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का वायदा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) किसी भी नये स्टेशन को विमान सेवा से जोड़ने का निर्णय संबंधित एयरलाइनों द्वारा लिया जाना होता है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार की किसी भी वचनबद्धता की केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

गुजरात में बैंकों की शाखाएं

6392. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बैंकवार कितनी शाखाएं हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में बैंकवार कितनी राशि जमा की गई, किसानों को कितनी राशि मंजूर की गई तथा वास्तव में कितनी राशि वितरित की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इन ऋणों की मंजूरी तथा बांटने के लक्ष्य को पा लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान किसानों से कुल कितनी राशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंक-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों में बैंक-वार जमा राशियों संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। किसानों को वितरित राशि संलग्न विवरण III में दी गई है।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण योजना लक्ष्य तथा वितरण सम्मिलित रूप में निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपए में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	58741.61	68041.05
1993-94	62284.30	63166.96
1994-95 (सितम्बर तक)	75929.59	40275.05

(ङ) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान गुजरात में सभी बैंकों द्वारा किसानों से वसूल की गई कुल राशि निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मांग	वसूली
1990-91	1146	659
1991-92	1208	534
1992-93	1345	734

विवरण-I

गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं-बैंक-वार शाखाओं की संख्या

	बैंक का नाम	शाखाओं की सं.
	1	2
1.	इलाहाबाद बैंक	22
2.	आंध्रा बैंक	5
3.	बैंक आफ बड़ौदा	650
4.	बैंक आफ इंडिया	211
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	31
6.	केनरा बैंक	29
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	214
8.	कारपोरेशन बैंक	20
9.	देना बैंक	545
10.	इंडियन बैंक	38
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	51
12.	पंजाब नेशनल बैंक	78
13.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	7
14.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	18
15.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	168
16.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	14
17.	यूको बैंक	77
18.	विजया बैंक	26
19.	सिंडीकेट बैंक	43
20.	भारतीय स्टेट बैंक एंड जयपुर	434
21.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर	6
22.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	4
23.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	7
24.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	33
25.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	4
26.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	314
27.	स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	1
	योग	3020

विवरण-II

गुजरात राज्य में बैंक-वार जमाराशियां

बैंक का नाम	सित. 94	मार्च 94	मार्च 95
1	2	3	4
1. इलाहाबाद बैंक	9642	8808	4723
2. आंध्रा बैंक	5786	5691	3571
3. बैंक आफ बड़ौदा	537706	512453	416454
4. बैंक आफ इंडिया	2280007	217518	181880
5. बैंक ऑफ महा.	15054	12077	10360
6. केनरा बैंक	39028	38050	26008
7. सेन्ट्रल बैंक	130569	117699	104841
8. कारपोरेशन बैंक	31175	37254	21269
9. देना बैंक	197358	180634	148560

1	2	3	4
10. इंडियन बैंक	32581	26225	45096
11. इं. ओवरसीज बैंक	41034	35711	29006
12. पंजाब नैशनल बैंक	56764	54078	42287
13. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3422	1605	1420
14. ओरि. बैंक आफ कामर्स	19829	20152	15725
15. सिंडीकेट बैंक	29702	28603	25651
16. यूनियन बैंक	97429	86243	72920
17. युनाईटेड बैंक	8471	7890	5181
18. यूको बैंक	30057	28122	28824
19. विजया बैंक	21178	20443	15083
20. भा. स्टेट बैंक	349384	322736	287795
21. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1796	2363	1804
22. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2937	2609	2080
23. स्टेट बैंक आफ इंदौर	4534	4303	3229
24. स्टेट बैंक आफ मैसूर	973	733	941
25. स्टेट बैंक आफ पटि.	5758	3543	1409
26. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	168422	163110	131483
27. स्टेट बैंक आफ त्रवणकोर	631	631	316
कुल	2069207	1939284	1627916

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में किसानों को संवितरित ऋण

(लाख रुपए में)

बैंक का नाम	सित. 94	मार्च 94	मार्च 95
1	2	3	4
1. इलाहाबाद बैंक	10.41	20.33	27.03
2. आंध्रा बैंक	—	-	-
3. बैंक आफ बड़ौदा	6675.50	8583.08	7806.75
4. बैंक आफ इंडिया	1807.11	2390.32	2468.95
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	42.08	84.09	84.66
6. केनरा बैंक	1.08	4.39	3.89
7. सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	1026.02	1280.11	1261.95
8. कारपोरेशन बैंक	42.68	66.78	51.16
9. देना बैंक	2727.74	3970.28	3034.88
10. इंडियन बैंक	94.99	234.64	287.34
11. इं. ओवरसीज बैंक	174.65	187.54	1127.72
12. पंजाब नैशनल बैंक	66.42	72.84	84.74
13. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	4.98	0.04	-
14. ओरि. बैंक आफ कामर्स	3.13	112.95	11.81
15. सिंडीकेट बैंक	63.29	103.43	73.01
16. यूनियन बैंक आफ इंडिया 1417.70	1183.56	1909.48	1417.70
17. यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	0.14	79.38	0.16
18. यूको बैंक	119.76	299.24	295.92
19. विजया बैंक	57.42	23.58	43.46
20. भारतीय स्टेट बैंक	3800.04	4666.17	2554.00
21. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	7673.87	6485.41	4911.14
कुल	25574.87	30574.08	25046.27

[अनुवाद]

चाय के मूल्य

6393. श्री द्वारका नाथ दास : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय की नीलामी और खुदरा मूल्यों में भारी अंतर होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार ने स्वदेशी उपभोक्ताओं के हित में चाय के खुदरा मल्यों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) खुली चाय अथवा पैकेट की चाय की खुदरा मूल्य नीलामी मूल्यों से अधिक होते हैं, क्योंकि नीलामी स्थल से उपभोक्ता के पास चाय से कई मध्यआवर्ती अवस्थाओं से होते हुए पहुंचती है जैसे थोक विक्रेता, पैकेजर्स, खुदरा व्यापार इत्यादि। इनमें से प्रत्येक इसकी कीमत में वृद्धि करता है।

(ख) सरकार चाय की कीमतों को विनियमित नहीं करती है। नीलामी तथा खुदरा दोनों स्तरों पर कीमतें मांग और पूर्ति द्वारा तय की जाती है। तथापि, चाय बोर्ड नियमित रूप से चाय की कीमत पर निगरानी रखता है। और इसने चाय उत्पादकों के माध्यम से अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) के जरिए खुदरा बाजार में शिकायती पैकटों में चाय उपलब्ध कराने के उपाय किए हैं।

वस्त्रों के लिए प्राकृतिक रंग

6394. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग में प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) वस्त्र उद्योग में प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (सरकारी-उद्यम) ने कई कदम उठाये हैं। इन उपायों में प्राकृतिक-रंगों के उत्पादन को बढ़ावा देने, व विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे कार्यशालाओं, सेमिनार, प्रदर्शनियों आदि के आयोजन से वस्त्र में प्राकृतिक रंगों के लाभ के संबंध में जागरूकता पैदा करना शामिल है।

प्राकृतिक रंगों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम वस्त्र समिति और अन्य अनुसंधान संघों ने कई सुव्यवस्थित योजनाएं तैयार की है और इस निगम ने प्राकृतिक रंगों की ठीक कवरेज और स्त्रोत के साथ इस क्षेत्र में अगवाई की है। कवरेज के अंतर्गत निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है :-

कवरेज :

1. प्राकृतिक रंगों के लिए उपयुक्त स्त्रोत की पहचान।
2. प्राकृतिक रंजक सामान को घिस कर उसका अर्क निकाल कर रंग की प्रतिशतता आंकना।
3. विभिन्न फार्म पर इसके प्रयोग का मानकीकरण

(क) नमूना (ख) समूह रंगई।

4. पक्के रंगों का मूल्यांकन
5. शेड-कार्ड तैयार/विकसित करना।
6. लागत विश्लेषण आदि।

स्त्रोत :- राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने कुछ प्रमुख विशेषज्ञों और अनुसंधान के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक रंग विकसित किए हैं इनके नाम इस प्रकार हैं :-

नाम	तैयार किया गया रंग
मंजीथ	लाल
बरबैलाइन	पीला
टेस/पालस	संतरी
लेकी डाई	जर्मनी और माउस ग्रे
इनडिगो	नीला भूरा अंकेडिया कटेचू

इस समय उपरोक्त प्राकृतिक रंगों के मानकीकरण के लिए सरंक्षण की राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान में कार्य चल रहा है।

प्राकृतिक रंगों के प्रयोग को और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और वस्त्र समिति और अनुसंधान संघ देश के विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। आरंभ में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने बुनकर सेवा केन्द्रों के सहयोग से खेकड़ा (मेरठ), उत्तर प्रदेश,पानीपत (हरियाणा) दिल्ली और मगरु (राजस्थान) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

भारत तुर्की संयुक्त आयोग

6395. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तुर्की संयुक्त आर्थिक आयोग ने हाल ही में दिल्ली में अपनी बैठकें की थी;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कोई समझौते किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो उनकी समझौतावार मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). व्यापार संबंधी मुद्दों के अलावा, रेलवे, पेट्रोलियम, कृषि, परिवहन, पर्यटन और संचार साधनों जैसे क्षेत्रों मे सहयोग पर भी चर्चा हुई थी। द्विपक्षीय वार्ताओं के फलस्वरूप एक ऐसे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अंतर्गत तुर्की पक्ष इस आशय के लिए इण्डिया रेलवे कंस्ट्रक्शन क. लि. (इर्कोन) और तुर्किश रेलवेज के बीच सीधी वार्ताओं की संभाव्यता का पता लगाएगा जिससे कि इजमिर उपनगरीय क्षेत्र के विद्युतीकरण तथा सिगनल योजना और उससे संबद्ध निर्माण कार्य सम्पन्न हो सके। भारत से भैंस का मांस आयात करने के पहलुओं पर विचार करने के लिए तुर्की पक्ष पशुधन स्वास्थ्य तथा प्रसंस्करण सुविधा का मूल्यांकन करने हेतु एक प्रतिनिधिमंडल भेजने पर भी सहमत हुआ।

[हिन्दी]

बैंको में पास-बुक प्रणाली

6396. **डा. मुमताज अंसारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में पास- बुक प्रणाली समाप्त करने है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय बैंक संघ ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंको में पासबुक प्रणाली को जारी न रखने/समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कम्प्यूटरीकृत शाखाओं में, आमतौर पर, बचत बैंक खातों के लिए भी पास बुक के बदले खातों का कम्प्यूटरीकृत विवरण जारी किया जाता है।

[अनुवाद]

विश्व व्यापार संघ

6397. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन का सक्रिय सदस्य बनने की सभी औपचारिकताएं और विधिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विश्व व्यापार संगठन की मूल सदस्यता के लिए पूरी की

जाने वाली आवश्यक शर्तें विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 1 में दी गई हैं। अनुच्छेद 1 (1) में यह व्यवस्था है कि :

"इस करार के लागू होने की तारीख से गाट 1947 के संविदाकारी पक्ष तथा यूरोपीय समुदाय जिन्होंने इस करार तथा बहुपक्षीय व्यापार करारों को स्वीकार किया तथा जिनके लिए रियायतों तथा वचनबद्धताओं की अनुसूचियां गाट 1994 में संलग्न हैं, और जिनके विशेष वचनबद्धता की अनुसूचियां गाट में संलग्न है, विश्व व्यापार संगठन के मूल सदस्य होंगे।

कुछ ऐसे दायित्व हैं जो विश्व व्यापार संगठन करार से संबद्ध विभिन्न करारो में आते हैं। और जब भी वे उत्पन्न होते हैं सदस्यों को इन दायित्वों को पूरा करना होता है। भारत गाट 1947 का संस्थापक सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले करार का अनुसमर्थन करके हमने रियायतों तथा वचनबद्धताओं की अनुसूचियों के साथ बहुपक्षीय व्यापार करारों को भी स्वीकार किया है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

6398. डा. लाल बहादुर रावल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान विदेशी सहायता की ऐसी कितनी राशि प्राप्त हुई, जिसकी अदायगी नहीं की जायेगी; और

(ख) यह सहायता किन-किन देशों ने दी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान प्राप्त विदेशी सहायता (अनुदान) की कुल राशि 885.62 करोड़ रुपये है।

(ख) उपर्युक्त सहायता डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्वीटजरलैंड, यूनाईटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

गुजरात में बैंक ऋण

6399. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1994-95 से अप्रैल 1995 के दौरान विभिन्न बैंको द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ख) बैंको में कुल जमाओं की तुलना में कितने प्रतिशत ऋण दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआई) ने सूचित किया है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं के संबंध में, सितम्बर 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार, बकाया ऋण और जमाराशियों का शेष क्रमशः 1362.45 करोड़ रु. और 3179.88 करोड़ रु. था, सितम्बर 1994 के अंत तक ऋण जमा अनुपात 42.8 प्रतिशत था।

सूती धागे का उत्पादन

6400. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान देश में सूती धागे का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से सूती धागे की कितनी मात्रा की हथकरघा क्षेत्र के लिए रखा गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान हथकरघा क्षेत्र द्वारा इसकी कितनी मात्रा का उपयोग किया गया;

(घ) हथकरघा क्षेत्र द्वारा उक्त मात्रा के पूर्ण उपयोग नहीं करने के क्या कारण है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 में उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या प्रश्न उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) देश में सूती धागे का उत्पादन इस प्रकार रहा :-

वर्ष	सूती धागे का उत्पादन (लघु इकाई क्षेत्र सहित) (मिलियन वर्ग मीटर में)
1993-94	1697
1994-95	1655

(वर्तमान अनुमान के अनुसार)

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान बाध्यता योजना में शामिल हो सकने वाले उत्पादित हैंक यार्न (जिसमें कम से कम 90 प्रतिशत सूती अथवा विसकोस फाइबर जिसमें मिश्रित और/अथवा उनके अपशिष्ट शामिल हैं) तथा पैक किए गए और अलग से हथकरघा क्षेत्र के लिए रखे गये सूती धागे का वितरण इस प्रकार है :-

वर्ष	उत्पादित हैंक यार्न (मिलियन किलोग्राम में)
1993-94	502.91
1994-95	500.11

(अनुमानित)

(ग) और (घ). उपरोक्त अवधि के दौरान हथकरघा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले हैंक यार्न डिलीवरी की मात्रा का विवरण इस प्रकार है :-

वर्ष	हैंक यार्न डिलिवरी
1993-94	469.27
1994-95	459.00

(अनुमानित)

चूंकि हथकरघा क्षेत्र बहुत ही विकेन्द्रिकृत प्रकार का है इसलिए इसके प्रयोग के ठीक आंकड़ों का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समस्त वितरित हैं यार्न हथकरघा क्षेत्र में प्रयोग कर लिया गया।

(ङ) सरकार द्वारा सूती धागे सहित वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

1. स्थानीय मार्गदर्शिका का पालन करते हुए क्षमता को सृजन करना और उसके विस्तार पर लगी सीमा को समाप्त करना।
2. निम्नलिखित को छोड़कर लाईसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना-100 प्रतिशत ई.ओ.यू. के मामले, वर्ष 1991 में की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर से 25 किलोमीटर की परिधि में स्थापित इकाइयां और यदि यह 24.4.91 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित न हो, ऐसी ईकाईयाँ जिसमें विदेशी सहयोग हो, एस.एस.आई. के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन वाली लेकिन एस.एस.आई. मीमा से अधिक निवेश की गई इकाईयां आदि।
3. आवश्यकता अनुसार नीति हस्तक्षेप के माध्यम से उद्योग को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय (जैसे ओ.जी.एल. के अंतर्गत शून्य दर पर कपास के आयात की अनुमति।)
4. ओ.जी. एल. के अंतर्गत वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति और ऐसी मशीनों के आयात शुल्क में छूट।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा टेल्को में पूंजी निवेश

6401. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अप्रैल, 1995 के इंवेस्टर्स गाइड आफ द इकानामिक टाइम्स में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा टेल्को में पूंजी निवेश के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस सौदे में भारतीय यूनिट ट्रस्ट को कितना घाटा हुआ और जनता के धन की इतनी बड़ी हानि किन परिस्थितियों में हुई;

(ग) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट टेल्को के शेयरों को 500 रुपए प्रति शेयर की दर पर फिर से खरीद रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। तथापि, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बताया है कि उन्होंने दिनांक 24 अप्रैल, 1995 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित लेन-देन नहीं किए।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने 500/- रुपए प्रतिशेयर के मूल्य पर बाजार में "टेल्को" के शेयरों को हाल में नहीं खरीदा है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

मुद्रा उतार-चढ़ाव

6402. **श्री तारा सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व के बाजारों में मुद्रा के उतार-चढ़ाव के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विपरीत प्रभावों से संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कुछ तंत्र विकसित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्लवमान विनिमय दरों की व्यवस्था में, जो कि आज अधिकतर देशों द्वारा अपनाई जाने वाली विनिमय दर व्यवस्था है, मुद्रा उतार-चढ़ाव मांग और आपूर्ति कारकों के कारण होते हैं। विनिमय दरों पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विचार विमर्श किया जा रहा है जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वाणिज्य स्तर पर विदेशी विनिमय अवस्थितियों के प्रबंधन के लिए अग्रवर्ती संविदाएं और विनिमय जैसी विभिन्न प्रणालियां उपलब्ध हैं।

बंधुआ मजदूर

6403. **श्री पी.सी. थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, राज्य-वार कितने बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास किया गया;

(ख) देश में अभी कितने बंधुआ मजदूर ऐसे हैं जिनका अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है; और

(ग) सरकार ने देश में बंधुआ मजदूरी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख). बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के लागू होने की तारीख से दिनांक 31.3.1993 तक 2,51,424 बंधित श्रमिक अभिज्ञात किए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

राज्य	31.3.1993 तक अभिज्ञात बंधित श्रमिक	1992-93 पुनर्वासित	93-94 बंधित	94-95 फर. 95 तक श्रमिक
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	36,289	905	855	1,102

1	2	3	4	5
बिहार	12,986	71	364	235
कर्नाटक	62,708	1283	774	86
मध्य प्रदेश	12,804	157	83	
उड़ीसा	49,971	12	31	43
राजस्थान	7,478	231	149	7
तमिलनाडु	38,886	6695	241	-
महाराष्ट्र	1,382	-	-	
उत्तर प्रदेश	27,489	70	-	-
केरल	823		-	-
हरियाणा	544	-	-	-
गुजरात	64	-	-	
कुल	2,51,424	3424	2497	1,473

अभिज्ञात किए गए तथा मुक्त कराये गए 2,51,424 बंधित श्रमिकों में से अब केवल 6000 बंधित श्रमिकों को पुनर्वासित किया जाना है।

(ग) सरकार ने समूचे देश से बंधित श्रम प्रणाली को पूर्ण रूप से समाप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है और इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से जोरदार अभियान चलाती रही है। राज्य सरकारों को बंधित श्रमिकों के अभिज्ञान के लिए आवधिक सर्वेक्षण करने की सलाह दी गई है। अभिज्ञात बंधित श्रमिक सरकार द्वारा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके और सघन प्रबोधन द्वारा समयबद्ध तरीके से पुनर्वासित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कामगारों के लिए योजनाएं

6404. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति लेने वाले कामगारों के पुनर्वास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना कब से लागू की जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाने वाले एनटीसी के कामगारों को प्रशिक्षण देते तथा पुनः तैनात करने के प्रयोजन से 50.00 करोड़ रु. के संग्रह से पुनर्वासन निधि की परिकल्पना की गई है। सुव्यवस्थित कामगार को विद्युत करघा रीलिंग एकक स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए भी योजनाएं बनाई गई है। करघा रीलिंग एकक के 6 महीने एफलतापूर्वक चलने के बाद योजनाओं की पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक उत्पादन प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है ताकि ऐसे उद्यमों को अधिक लाभप्रद बनाया जा सके। अब तक इस योजना के अंतर्गत 404 कामगारों को 1643 करघे वितरित किए गए हैं।

(ग) यह योजना निरंतर चल रही है।

नई पर्यटन नीति

6405. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नई पर्यटन नीति प्रस्तुत की है जिसमें अनिवासी भारतीयों सहित निजी क्षेत्र को शामिल करके राज्य में पर्यटन केन्द्रो के विकास पर प्रमुख रूप से बल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार को उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है अथवा की जायेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

नए वायु मार्ग

6406. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान यातायात की भीड़-भाड़ को देखते हुए एवं विमान ईंधन की खपत में कमी करने के लिए नए वायु मार्गों को चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए वायु मार्गों को स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लिए चालू किया गया है; और

(घ) इससे अनुमानतः प्रति वर्ष कितनी बचत होने की संभावना है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग). जी, हां। 1991 से 1994 की अवधि के दौरान 12 अंतर्देशीय और तीन नये अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों की स्थापना की गई है।

(घ) इन नये मार्गों से अनुमानित वार्षिक बचत 14.90 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन और निर्यात

6407. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान चाय की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ/निर्यात किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने चाय की पत्तियों/पाउडर के निर्यात पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है और साथ ही चाय पर लगे निर्यात शुल्क में संशोधन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाजार में चाय की पत्तियों/पाउडर का मूल्य बढ़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इसके घरेलू बाजार में 1994 के मूल्यों की तुलना में वर्तमान मूल्य क्या है; और

(च) सरकार द्वारा चाय के मूल्यों को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में चाय की पत्तियों/पाउडर को प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान उत्पादित तथा निर्यात की गयी चाय की मात्रा निम्नानुसार है;

उत्पादन मिलियन कि.ग्रा. में	निर्यात मिलियन कि.ग्रा. में
737.39*	149.76*

*अनुमानित

(स्रोत : चाय बोर्ड)

(ख) और (ग). इंस्टैन्ट चाय (चाय पाउडर) सहित चाय के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चाय के निर्यात पर कोई निर्यात-शुल्क भी नहीं है।

(घ) और (ङ). पेय के रूप में घरेलू बाजार में इंस्टैन्ट चाय की खपत चाय की सकल खपत की तुलना में नगण्य है। इसलिए इंस्टैन्ट चाय की खुदरा कीमत की मानीटरिंग चाय बोर्ड द्वारा नहीं की जाती है। वर्ष 1994 तथा 1995 (अप्रैल तक) के दौरान देश के मुख्य नगरों में उपभोक्ताओं की तरजी वाली मध्यम प्रकार की चाय के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(च) सरकार चाय की कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखती है। चाय की कीमतें मांग और पूर्ति के आाधार पर तय होती है। तथापि, बोर्ड चाय की कीमतों पर नियमित रूप से निगरानी रखता है। चाय बोर्ड द्वारा उत्पादकों के माध्यम से अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एम सी सी एफ) के जरिए खुदरा बाजार में किफायती पैकटों में चाय उपलब्ध कराने के उपाय भी किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1994 तथा अप्रैल 1995 तक भारत में विभिन्न प्रमुख शहरों में उपभोक्ताओं की तरजीह वाली मध्यम प्रकार की चाय की खुदरा कीमतें।

(रु./कि.ग्रा. में)

राज्य/नगर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
कलकत्ता												
1994	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
1995	70.00	70.00	70.00	70.00								
नई दिल्ली												
1994	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	62.00	62.00
1995	62.00	62.00	62.00	62.00								
मद्रास												
1994	65.00	65.00	65.00	60.00	65.00	70.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	
1995	75.00	75.00	75.00	80.00								
त्रिवेन्द्रम												
1994	60.00	60.00	62.00	62.00	62.00	62.00	62.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
1995	60.00	60.00	60.00	60.00								
लखनऊ												
1994	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	84.00	80.00	84.00	84.00	80.00	80.00	80.00
1995	84.00	84.00	84.00	84.00								
बंबई												
1994	80.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00
1995	85.00	85.00	85.00	88.00								

महाराष्ट्र में शहरी सहकारी बैंक

6408. श्री विलास राव नागनाथ राव गुंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में शहरी सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग). इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). शहरी सहकारी बैंकों का पंजीकरण भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व मंजूरी लेकर राज्य सरकार के सहकारी समितियों के रजिस्टार द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार उन्हें महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से 87 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 53 प्रस्तावों को पहले ही पंजीकरण के लिए मंजूर किया जा चुका था।

[अनुवाद]

मंहगाई भत्ते का भुगतान

6409. श्री उद्धव बर्मन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों के एक वर्ग जिनकी मंहगाई भत्ता आपातकाल के दौरान रोक दी गई थी उसका अब भी भुगतान किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राशि का पूर्ण भुगतान करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त राशि का कब तक भुगतान किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) रोके गए अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान पाँच समान किश्तों में किया जाना था और अंतिम किश्त नकद भुगतान हेतु जुलाई, 1980 में देय थी। ऐसे छुट-पुट मामले यदि कोई हों, जिनमें भुगतान नहीं किया गया है, दावे प्राप्त हाने पर उन्हें निपटा दिया जाता है।

पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता

6410. श्री अनादि चरण दास :

श्री सुशील चन्द वर्मा. :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों को सेवारत कर्मचारियों को दी जाने वाली दरों पर मंहगाई भत्ता अथवा अंतरिम राहत नहीं दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पेंशनभोगियों को उसी दर पर मंहगाई भत्ता और अंतरिम राहत देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखरमूर्ति) : (क) से (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों पर मूल्य-वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव के निराकरण के लिए न्यूनतम समायोजन की शर्त पर, 1750/- रूपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को पूर्णत:, 1751/- से 3000/: रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को 75 प्रतिशत और 3000 रूपए प्रति माह से ऊपर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को 65 प्रतिशत मंहगाई राहत दी जाए। चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को मूल्य वृद्धि पर वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी और जुलाई के महीने में पेंशन पर राहत मिलती है।

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष और सरकारी पक्ष में आपसी समझौते के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत 16 सितम्बर, 1993 से मंजूर की गई थी। यह लाभ केन्द्रीय सरकारी पेंशनभोगियों को नहीं दिया गया है।

विदेशी प्रोत्साहन

6411. डॉ आर. मल्लू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान औद्योगिक एककों में विदेशी प्रोत्साहकों की भूमिका का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय प्रोत्साहकों और विदेशी प्रोत्साहकों के मामले में भी भेदभाव किया है और वित्तीय संस्थाओं ने भी उनके लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ड.): सरकार की एक निरन्तर नीति रही है कि वित्तीय संस्थानों को अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक हितों के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। तथापि, भारतीय प्रमोटरों को सरकार द्वारा कई रूपों में विदेशी प्रमोटरों से भिन्न माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, भारतीय उद्योग में विदेशी प्रमोटरों द्वारा निवेश भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार द्वारा प्रशासित अनुमोदनों और विनियामक क्रियाविधि के अधीन होता है, जो भारतीय प्रमोटरों पर लागू नहीं है।

औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अंतर्गत मामले

6412. श्री कोडी कुन्नील सुरेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के कौन-कौन से सदस्य हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं:

(ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान अब तक प्रतिवर्ष कितने मामले प्राप्त किये गए तथा प्रतिवर्ष उनमें से कितने मामलों का अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया;

(ग) आज तक कितने मामले लंबित हैं ओर इन मामलों को मंजूरी देने में कितना समय लगेगा; और

(घ) औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड को और प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बाइपर) की स्थापना रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए की धारा 4 के तहत उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त या सौंपे गए क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्य एवं कर्तव्य पूरे करने के लिए की गई थी। एस आई सी ए की धारा 4 (2) के तहत बाइपर में एक अध्यक्ष तथा कम से कम दो और अधिक से अधिक 14 अन्य सदस्य होने चाहिएँ।

(ख) बाइपर ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 और 1995 (दिनांक 30.4.1995 तक) के दौरान प्राप्त दर्ज और निपटाए गए संदर्भों की संख्या निम्नलिखित है :

	1993	1994	1995
1. प्राप्त संदर्भ	223	296	69
2. *दर्ज संदर्भ	152	193	22
3. उपर्युक्त (2) में से निपटाए गए संदर्भ	100	45	--
4. वर्ष के दौरान निपटान जिसमें पहले दर्ज मामले शामिल हैं परन्तु वे मामले शामिल नहीं हैं जिन्हें पुन: शुरू किया गया है/ वापस किया गया है।	232	275	77

* उपर्युक्त (1) और (2) के बीच के अंतर की गणना उन मामलों द्वारा की जाती है जिनमें पंजीकरण में गिरावट आई है और जो जांच के अधीन हैं।

(ग) और (घ) बाइपर के पास उसके प्रारंभ से और दिनांक 30.4.1995 तक पंजीकृत मामलों की कुल संख्या 1661 थी, इनमें से 1223 मामले निपटा दिए गये थे। बाइपर ने सूचित किया है कि दिनांक 30.4.1995 तक पंजीकृत सभी संदर्भों को अंतिम रूप से निपटाने के बारे में वास्तविक अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, बाइपर अपने पास पंजीकृत सभी संदर्भों को शीघ्र निपटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

ऑटोमोबायल कल पुर्जों के निर्यात हेतु जापान से सहायता

6413. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनको इस समय ऑटोमोबायल कुल पुर्जों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में जापान से सहायता ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1995-96 और 1996-97 के दौरान इन कलपुर्जों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जिन कुछ प्रमुख देशों को आटोमोबाइल हिस्से पुर्जे निर्यात किए जा रहे हैं, उनमें शामिल हैं : यू.एस.ए., आस्ट्रेलिया, मिश्र, जर्मनी, सिंगापुर, यू. के. इंडोनेशिया, श्रीलंका और नीदरलैंड।

(ख) और (ग) : भारत से आटो - पुर्जों का निर्यात बढ़ाने के लिए जापान से कोई निश्चित सहायता नहीं ली गई है। तथापि, ऑटोमोटिव कम्पोनेन्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) ने जापान ऑटोपार्ट्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेएपीआईए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं :-

(1) बाजार सूचना का नियमित रूप से आदान-प्रदान करना;

(2) दोनों देशों का दौरा करने के लिए उद्योग शिष्टमंडल भेजने में सहायता करना; और

(3) प्रदर्शनियों, मेलों, क्रेता - विक्रेता बैठकों, सेमीनारों इत्यादि में भाग लेने के लिए एक-दूसरे की मदद करना।

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए पूर्व वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की अनंतिम वृद्धि दर निर्धारित की है जिनमें ऑटोमोबाइल-पार्ट्स भी शामिल हैं।

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

6414. श्री राम नारायण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार युवकों और अन्य उद्यमियों को लघु उद्योग लगाने हेतु सहायता देने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित और राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महिला उद्यमियों के लिए भी ऐसी कोई योजना चलाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महिला उद्यमियों के लिए पृथक-ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वित्तीय सहायता की सीमा कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें उपलब्ध कराई गई ऋण सहायता का ब्यौरा क्या है;

(च) 1995-96 के दौरान कुछ नई योजनाएं शुरू की जाएंगी; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ.) सरकार द्वारा तैयार की गई और बैंकों द्वारा कार्यान्वित

रोजगार उत्पन्न करने वाली कई योजनाओं अर्थात शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) शहरी माइक्रो उद्यमों की योजना (एसयूएमई) के तहत व्यापार, सेवा और औद्योगिक कार्यों के लिए ऋण मंजूर किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण देने के अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्वरोजगार के लिये महिलाओं को ऋण प्रदान करते हैं। अक्तूबर 1993 में शुरू की गई पी एम आर वाई योजना के तहत महिलाओं को वरीयता दी जानी है। एसयूएमई के तहत योजना के लिए निर्धारित की गई निधियोंको 30 प्रतिशत महिला हिताधिकारियों के लिए उपयोग किया जाना है। एसयूएमई योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लिए 4,000 रूपए की की तुलना में, महिला हिताधिकारी 5.000/- रूपए की सब्सिडी की पात्र हैं। तदनुसार, सामान्य श्रेणी के लिए 16,000 रूपए की तुलना में महिला हिताधिकारियों के लिए सब्सिडी सहित अधिकतम ऋण राशि 20,000 रूपए हैं। एक लाख रूपए तक की परियोजना लागत के लिए पीएमआरवाई योजनाा के तहत ऋण अनुज्ञेय हैं। आंकड़ा सूचना प्रणाली से इन योजनाओं के तहत या तो लघु उद्योग क्षेत्र या महिला हिताधिकारियों को दी गई ऋण सहायता का अलग से ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है।

(च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(छ) यह सवाल हीं नही उठता।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष

6415. डा. पी. वल्लल पेरुमान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस वित्तीय वर्ष से नाबार्ड में नये ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कोष द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और राज्यों के अधीन निगमों को चालु परियोजनाओं हेतु राज्य-वार कितना ऋण दिया गया/दिये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष 2000 करोड़ रूपए का होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और नए स्थापित गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को, जिन्होंने कृषि वित्त के संबंध में निवल बैंक ऋण के 18 प्रतिशत का उपलक्ष्य प्राप्त नही किया है, ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष में (आरआईडीएफ) निवल बैंक ऋण के अधिकतम 1.5 प्रतिशत के अध्याधीन पूर्वोक्त उपलक्ष्य में कमी के समतुल्य राशि का अंशदान करना होता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा आर आई डी एफ के संसाधनों का प्रयोग लघु/मध्यम सिंचाई, भूमि संरक्षण, जल-विभाजक (वाटरशेड) प्रबंध आदि से संबंधित ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और/या निगमों / सरकारों के स्वामित्व वाले निकायों को ऋणों की मंजूरी के लिए किया जाएगा। नाबार्ड द्वारा कोष से ऋणों का संवितरण वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद लिया जाएगा।

[हिन्दी]

राजकोट, बडोदरा और भावनगर को वायु सेवा से जोड़ना

6416. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या नागर विमानन पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राजकोट, बडोदरा और भावनगर को नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास और दिल्ली के साथ वायु सेवा से जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) : गुजरात में विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अधिक विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार और कई अन्य से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रचालन कर्मीदल की उपलब्धता में कठिनाइयों और वाणिज्यिक तथा प्रचालनात्मक सीमितताओं के कारण, इंडियन एयरलाइंस इस समय और अधिक अंतर्देशीय सेवाएं आरंभ करने की स्थिति में नहीं है। निजी अंतर्देशीय अनुसूचित अपरेटर सूचीबद्ध 93 हवाई अड्डे में से किसी पर भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैकों का वेतन बिल (वेज बिल)

6417. श्री जे. चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतन बिल (वेज बिल) विकास दर के अनुरूप हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वेतन बिल की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान अर्जित लाभदर कितनी है और इस समय बैंक कर्मचारियों को दिए जाने वाले अंतिम लाभ का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ कर्मचारी (लिपिकीय और अधीनस्थ सं.) के लिए वेतन एवं भत्ते और साथ ही सेवा निवृत्ति लाभ, भारतीय बैंक संघ (बैंक प्रबंधनों का प्रतिनिधित्व करने वाला) तथा कामगार यूनियन एवं अधिकारी संघ द्वारा समय-समय पर तय किए गये द्विपक्षीय) समझौतों द्वारा संचालित किए जाते हैं। समझौते बैंकिंग उद्योग के लिए समान होते हैं और वेतन बिल का प्रत्येक बैंक के कारोबार के अनुसार वृद्धि दर के अनुपात में होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए लाभ और वेतन बिल के बीच कोई संबंध नहीं है, विशेष रूप से तब, जबकि कुछ बैंकों को घाटा हो रहा हो।

निजीकरण के लिए हवाई अड्डे का अभिनिर्धारण

6418. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजीकरण के लिए हवाई अड्डों के अभिनिर्धारण हेतु किसी अंतर मंत्रालय दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस परिप्रेक्ष्य में उक्त दल का गठन किया गया;

(ग) क्या अब तक दल द्वारा कोई रिपोर्ट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6419. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :
डा. साक्षी जी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री खेतान राम जांगड़े

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या कितनी है। उनके प्रायोजित बैंकों के नाम क्या हैं; और उनकी कुल जमा राशि और कार्यशील पूँजी का पृथक - पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) इस अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा वर्षवार और राज्यवार कितनी राशि के ऋण वितरित किए गए एवं वसूल किए गए;

(ङ.) क्या इस अवधि के दौरान सरकार को इन बैंकों में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(छ) उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : दिनांक 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या, उनकी कुल जमाराशि, कार्यशील पूंजी और उसमें कार्य कर रहे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या बतलाने वाला विवरण संलग्न है। प्रायोजक बैंकों की एक सूची और उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या विवरण-2 में दी गई है।

(ग) ओर (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी दी जायेगी।

(ङ.) और (च) : भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सूचना प्रणाली से सामान्यत: देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अथवा उनकी शाखाओं के कार्यकरण से संबंधित शिकायतों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने निदेशक मंडल के सामान्य सर्वेक्षण और मार्गनिर्देशों के तहत और नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की अनुरूप कार्य करते हैं। सरकार सहित विभिन्न स्तरों पर जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो सम्बद्ध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन अथवा प्रायोजक बैंकों अथवा नाबार्ड द्वारा यथास्थिति अनुसार जांच की जाती है। ऐसी जांचों के पूरा होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(छ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने उपाय किए हैं और उपायों के एक पैकेज की घोषणा दिसम्बर, 1993 में की गई थी। व्यापक पुनर्गठन के लिए देश के कुल 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया गया है। इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अनुभव बाद के वर्षों में दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अपनायी जाने वाली योजना का मार्गदर्शन करेगा। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी, 1995 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनकी गैर एस एल आर अधिशेष निधियों को विनिर्दिष्ट लाभप्रद क्षेत्रों और प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम रहित शेयर भागीदारी प्रमाण-पत्रों के माध्यम से अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो में निवेश करने की अनुमति दी है।

विवरण I

31.3.94 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या और उनकी कुल कार्यशील निधियां और उनमें कार्यरत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की कुल संख्या

(राशि लाख रू.)

क्र. सं	राज्य का नाम	क्षे.ग्रा. बैंकों की संख्या	कुल जमाराशियां	कुल कार्यशील पूंजी	अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या
1.	हरियाणा	4	30748.40	35292.17	1684
2.	हिमाचल प्रदेश	2	11713.35	12786.49	615
3.	जम्मू व कश्मीर	3	12226.94	13200.34	1197
4.	पंजाब	5	14487.74	17801.45	801
5.	राजस्थान	14	45665.65	53228.78	4409
6.	अरूणाचल प्रदेश	1	628.27	799.77	67
7	असम	5	16478.48	19543.39	2021
8.	मणिपुर	1	387.59	764.88	106
9.	मेघालय	1	5080.32	5457.88	188
10.	मिजोरम	1	2000.11	2375.17	175
11.	नागालैण्ड	1	162.68	274.24	33
12.	त्रिपुरा	1	8157.55	11357.03	705
13.	बिहार	22	109948.14	123386.53	7934
14.	उड़ीसा	9	37031.53	52727.87	4136
15.	पश्चिम बंगाल	9	63402.12	72129.84	5184
16.	मध्यप्रदेश	24	63913.92	74529.88	6434
17.	उत्तरप्रदेश	40	246276.33	295666.15	14840
18.	गुजरात	9	16839.88	23006.86	1690
19.	महाराष्ट्र	10	22076.55	30685.76	2575
20.	आंध्र प्रदेश	16	72548.49	107478.76	5889
21.	कर्नाटक	13	57732.39	86054.47	5912
22.	केरल	2	21096.95	36049.36	2631
23.	तमिलनाडु	3	9673.10	13467.19	1107
	योग	196	869176.48	1088063.86	70333

विवरण - 2

प्रयोजक बैंकों का नाम और उनकेद्वारा प्रयोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या

क्र.सं.	प्रायोजक बैंक	उनके द्वारा प्रायोजक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	30
2.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	01
3.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	03
4.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	04
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	02
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	01
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	03
8.	इलाहाबाद बैंक	07
9.	बैंक आफ बड़ौदा	19
10.	आंध्रा बैंक	03
11.	बैंक आफ इंडिया	16
12.	बैंक आफ महाराष्ट्र	03
13.	केनरा बैंक	08
14.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	23
15.	कार्पोरेशन बैंक	01

1	2	3
16.	देना बैंक	04
17.	इंडियन बैंक	04
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक	03
19.	पंजाब नेशनल बैंक	19
20.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	01
21.	सिंडिकेट बैंक	10
22.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	04
23.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	11
24.	यूको बैंक	11
25.	विजया बैंक	01
26.	बैंकऑफ राजस्थान	01
27.	जे.एण्ड के. बैंक लि0	02
28.	उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि0	01
	योग	196

करेंसी नोट का दुरूपयोग

6420. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे व्यापार की जानकारी है जिसमें विभिन्न वर्ग के करेंसी नोट को फूलों का आकार देकर एक माला बनाई जाती है तथा इन मालाओं को करेंसी नोट से 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या करेंसी नोट को जोड़कर फूलों का आकार देना राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम प्रतीक और नाम का अनुचित उपयोग निवारण अधिनियम/प्रीवेन्सन ऑफ इम्प्रापर यूजऑफ इम्बलेम्स एण्ड नेम्स एक्ट; तथा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) इस व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) : माला में फूलों का आकार बनाए जाने के लिए मुद्रा नोटों का प्रयोग देश की किसी भी विधि के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं है।

मालवाहक विमान

6421. **श्री धर्मण्णा मौंडय्या सादुल** :
श्री गोबिन्दराव निकम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में निर्यात सामग्री भेजने के लिए देश के निर्यातकों को पर्याप्त संख्या में मालवाहक विमान उपलब्ध किये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) : कार्गो के लिए मुक्त गगन नीति के अन्तर्गत, भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइनों द्वारा निर्यात व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्गो क्षमता प्रदान की जा रही है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सेवानिवृत्ति लाभ योजना

6422. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभयोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की अपनी पेंशन स्कीम है, इसलिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएं शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मुखबिरों को पुरस्कार

6423. **श्री लालबाबू राय** :
श्री रामटहल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुखबिरों तथा माल को जब्त/बरामद करने वाले कर्मचारियों को माल के मूल्य के अनुसार पुरस्कार देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वापकों/औषधों की बरामदगी पर पुरस्कार स्वरूप अल्प राशि दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा हथियारों तथा गोला बारूद की बरामदगी पर कोई पुरस्कार दिया जाता है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : जी, हां। मुखबिर और सरकारी कर्मचारी सोना, चांदी और स्वापक औषधियों को छोड़कर, जहां शुद्धता और भार के आधार पर पुरस्कार दिए जाते हैं, अन्य मामलों में पकड़े गए माल के मूल्य के 20 प्रतिशत तक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। मंजूर किए गए पुरस्कार की वास्तविक राशि सूचना की यथार्थता और सूचना एकत्र करने और उसके आधार पर कार्यवाही करने के जोखिम पर निर्भर करती है।

(ग) स्वापक औषधियों के संबंध में पुरस्कारों की निर्धारित दरें भारत में अवैध बाजार में व्यापक औषधियों के अनुमानित मूल्य के संबंध में हैं और इन्हें कम नहीं समझा जाता है।

(घ) जी, हां।

(ड.) ऊपर "घ" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी की नीलामी

6424. श्री अन्ना जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड द्वारा नियत सोलहवी सामान्य कॉफी नीलामी को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी नीलामी को पहले भी स्थगित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस नीलामी के कब तय किए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 3.8.1994 के लिए नियत 16 वीं सामान्य नीलामी आयोजित नहीं की जा सकी थी क्योंकि परमिट धारकों, विशेषरूप से निर्यातकों ने काफी बोर्ड द्वारा निर्यात परमिट जारी करने में किए गए तथाकथित विलम्ब के विरूद्ध अपना विरोध करने के लिए इस नीलामी में भाग नहीं लिया। घरेलू बाजार के व्यापारी भी उनके साथ हो गए।

(ग) और (घ) : जी, हां। दिनांक 20.7.1994 के लिए निर्धारित 15वीं सामान्य नीलामी भी स्थगित करनी पड़ी थी क्योंकि परमिट धारकों, विशेषरूप से घरेलू बाजार के व्यापारियों ने काफी बोर्ड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर इस नीलामी के लिए आरक्षित की गई ऊंची कीमत में परिलक्षित घरेलू काफी कीमतों में हुई वृद्धि के विरूद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए उक्त नीलामी नहीं होने दी थी।

(ड.) 15 वीं और 16वीं सामान्य नीलामी जो पहले क्रमशः दिनांक 20.7.1994 और 3.8.1994 को होनी निश्चित हुई थी, स्थगित तो करनी पड़ी थी किन्तु उन्हें पुनः तय करके क्रमशः दिनांक 27.7.1994 और 10.8.1994 को आयोजित किया गया था।

फूलों का निर्यात

6425. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यात किये जाने वाले अच्छे किस्म के फूल उगाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों का निर्यात बहुत कम होता है;

(घ) क्या सिक्किम में निर्यात किए जाने वाले अच्छे किस्म के फूलों का उगाने की भारी संभावना है;

(ड.) क्या सरकार का विचार 1995-95के दौरान फूलों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) : निर्यात योग्य क्वालिटी के फूल उगाने वाले कुछ राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, और केरल। फिर भी, इस समय फूलों के विश्व बाजार में भारत का हिस्सा बहुत कम है।

(घ) पुष्पोत्पादों के मामलों में सिक्किम की निर्यात संभाव्यता का आंकलन करने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, एपीडा द्वारा कार्यान्वित की जा रही यू.एन.डी.पी. से सहायता प्राप्त पुष्पोत्पाद संवर्धन परियोजना, सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व में वाणिज्यिक पैमाने पर आर्किड उगाने की संभावनाओं का अध्ययन करेगी।

(ड.) और (च) : फूलों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं;

(1) प्रशीतित/इंसुलेटिड गाड़ियों जैसे अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास और प्री-कूलिंग/कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(2) निकासी की प्रतीक्षा में पड़ी निर्यात क्षेपों के लिए पांच वाक-इन-टाइप के कोल्ड स्टोरों की स्थापना।

(3) वाणिज्यिक माल की शीघ्र निकासी के लिए पौध क्वेरण्टाइन क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाना।

(4) ग्रीष्म .... के लिए अपेक्षित विशिष्ट वस्तुओं पर रियायती सीमा-शुल्क।

(5) पुष्पोत्पाद में लगी इकाईयों को निर्यातोन्मुख इकाई/निर्यात प्रसंरण जोन योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयात के लाभ उपलब्ध कराना और उनके उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचने की अनुमति देना।

(6) कट-फ्लावर्स का उत्पाद और निर्यात बढ़ाने के लिए यूएनडीपी से सहायता प्राप्त पुष्पोत्पाद संबंधी परियोजना का कार्यान्वयन। इस परियोजना में किए जानेवाले कुछ क्रियाकलापों में शामिल हैं : फूलों का उत्पादन करने के लिए उद्यमियों को सलाह देना, फसल मैनुअल तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण करना और बाजार सूचना उपलब्ध कराना; तथा

(7) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट में स्थानांतरण नीति

6426. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला कर्मचारियों की प्रोन्नति और स्थानान्तरण

भारतीय रिजर्व बैंक, आई डी बी आई और आई सी आई में कार्यरत उनके सहयोग पुरूष कर्मचारियों के समान अखिल भारत आधार पर किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला कर्मचारियों संबंधी उक्त स्थानान्तरण नीति भारतीय यूनिट ट्रस्ट में भी अपनाई जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन उक्त संस्थाओं में एक समान नीति अपनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही

6427. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 31 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के कोषों के अनियमित निवेश के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) द्वारा की गई जांच के परिणाम क्या हैं; और

(ख) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

अमरीकी वित्त मंत्री की भारत यात्रा

6428. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री राजेश कुमार :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी के वित्त मंत्री के दौरान ही की भारत यात्रा के दौरान किन-किन विषयों पर चर्चा/सहमति हुई;

(ख) क्या उनकी यात्रा के दौरान भारतीय बीमा कम्पनियों के निजीकरण के संबंध में भी कोई चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : 17 अप्रैल से 20 अप्रेल, 1995 तक भारत में अमरीका के राजकोषीय सचिव की यात्रा के दौरान विचार-विमर्श का केन्द्र बिन्दु भारत और अमरीका के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने से संबद्ध था। बहुपक्षीय वित्त पोषण अभिकरणों के महत्व से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई थी। वर्तमान नीतिगत पहलों तथा एक ऐसे वातावरण जो निवेशकों के लिए सहायक हो और देश में निवेशकों को बढ़ाने के लिए सुसाध्य हो, की आवश्यकता महसूस की गई। विचार विमर्श के दौरान अमरीकी निवेशों को, विशेष रूप से प्रमुख आधारभूत क्षेत्रों में, बढ़ाने के व्यापक अवसरों पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के परिप्रेक्ष्य में यह स्वीकार किया गया कि दोनों देश अमरीका से भारत में निजी निवेशों को और अधिक संबंधित करने के लिए एक-दूसरे के सानिध्य में कार्य करना जारी रखेंगे और द्विपक्षीय आर्थिक तथा वाणिज्यिक संबंधों को भी मजबूत बनाएंगे।

जीवन बीमा निगम में कार्यकारी प्रशिक्षुओं की भर्ती

6429. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा भर्ती किए गए कार्यकारी प्रशिक्षुओं का संवर्गवार संख्या कितनी है;

(ख) सीधी भर्ती हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई; और

(ग) घोषित की गई रिक्तियों, प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों तथा यदि कोई लिखित परीक्षा हुई तो उसमें बुलाए गए आवेदकों की संख्या, चयन किए गए व्यक्तियों की संख्या और रिक्तियों की घोषणा और चयन की तिथियों के बीच समयान्तराल का संवर्गवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम का "कार्यकारी प्रशिक्षु" नामक कोई संवर्ग नहीं है, हालांकि यह प्रत्यक्ष भर्ती के जरिए अधिकारियों के निम्नतर सवंर्ग में परिवीक्षाधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सवंर्ग में की गई भर्ती के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	संख्या
1992--93	265
1993-94	245
1994-95	शून्य

(ख) यह भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं, में प्रत्याशी के समग्र कार्यनिष्पादन के आधार पर की जाती है।

(ग) सूचना निम्न प्रकार से है :

	1992-93	1993-94
घोषित की गई रिक्तियों की संख्या	250	250
प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	135519	135562
लिखित परीक्षा में शामिल हुए व्यक्तियों की संख्या	86265	86812
चुने गए व्यक्तियों की संख्या	324	314
घोषणा की तारीख	26.1.1991	19.12.1992
चयन की तारीख	15.6.1992	4.10.1993
घोषणा और चयन के बीच समयान्तराल	लगभग 17 महीने,	लगभग 10 महीने

सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में जमाराशि

6430. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1995 और 31 मार्च, 1995 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल जमाराशि कितनी थी;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 1995 - 96 के प्रथम पखवाड़े में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमाराशियों में भारी कमी आई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे कि बैंक वित्तीय वर्ष के अन्त में जमाराशियों को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं दिखाएंगें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारती रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि 17 मार्च, 1995 (15 मार्च, 1995, आंकड़े उपलब्ध नहीं) और 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमाराशियां निम्नानुसार हैं :

जमाराशियां	
दिनांक : 17.3.1995	दिनांक 31.3.1995
356188.13 करोड़ रू.	372559.14 करोड़ रू.

(ख) और (ग) : राजकोषीय वर्ष 1995-96 के प्रथम पखवाड़े में इन जमाराशियों में 0.941 की कमी आई है। इसके कारण तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा था (1989 में ही) कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजकोषीय वर्ष के अन्त में जमाराशियों को बढ़ा चढ़ा कर न दिखाया जाए।

मुख्य आयकर आयुक्तों का सम्मेलन

6431. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 16 अप्रैल, 1995 को दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा क्या-क्या सुझाव दिए गए तथा इसमें कौन-कौन से निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) उपरोक्त सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीएम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। 17 और 18 अप्रैल, 1995 को नई दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्त की एक अखिल भारतीय बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) इस बैठक में आयकर विभाग के सभी मुख्य आयुक्तों एवं महानिदेशकों सहित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। मोटे तौर पर, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी:

(एक) कार्य योजना, 1994-95 की समीक्षा एवं वार्षिक कार्य योजना, 1995-96 को अन्तिम रूप दिया जाना;

(दो) ब्लाक सर्च एसेसमेन्ट्स की नई योजना;

(तीन) स्रोत पर कर में कटौती की निगरानी;

(चार) आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण / आधुनिकीकरण

(पांच) उपधारणात्मक कर योजना; और

(छह) कर निर्धारण प्रक्रिया आदि।

इस बैठक में दिये गये मुख्य सुझाव एवं इसमें लिये गये निर्णय निम्नलिखित हैं :

(एक) कार्य योजना, 1995-96 का प्रमुख क्षेत्र अभिलेख प्रबंधन (रिकार्ड मैनेजमेंट) एवं गृह व्यवस्था (हाऊस कीपिंग) होना चाहिए।

(दो) बकाया राशि की सही स्थिति की सूचना देना।

(तीन) गृह व्यवस्था कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निरीक्षण दलों का गठन;

(चार) वर्तमान मांग में से 25 प्रतिशत एवं बकाया मांग में से 20 प्रतिशत नगद समाहरण पर बल देना;

(पांच) ब्लांक एवं एसेसमेन्ट की नई प्रक्रिया के अंतर्गत, 1.7.95 को अथवा उसके बाद ली गई तलाशियों के संबंध में सर्च एसेसमेन्ट को अन्तिम रुप दी जा रही प्रक्रिया के अनुसार पूरा किया जाएगा :

(छह) पूरे देश में नये स्थायी खाता नम्बरों (पी ए एम) के आबंटन एवं सभी आयकर विवरणी फार्म के साथ स्थायी खाता नम्बर फार्म संलग्न करने के लिए अनुदेश जारी करना;

(सात) उपधारणात्मक कर योजना को जारी रखना;

(आठ) संवीक्षा हेतु चयन किए जाने वाले मामलों के संबंध में चालू वर्ष के लिए भी विद्यमान दिशानिर्देशों को जारी रखना;

(नौ) मुख्य आयकर आयुक्तों द्वारा कार्यालयों के रुप में दर्जा बढ़ाने के लिए 50 कार्यालयों का तत्काल पता लगाना ।

(ग) इनमें से अधिकांश संस्तुतियों निर्णयों को मान लिया गया है और उनके शीघ्र कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

"फाउन्डेशन फॉर सोशल एक्शन"

6432. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई सी आई सी आई "फाउन्डेशन फॉर सोशल एक्शन " की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त "फाउन्डेशन" की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक तथा निवेश निगम लिमिटेड (आईसीआईसीआई) ने सूचित किया है कि हालांकि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि आई सी आईसीआई में फाउन्डेशन फार सोशल सर्विस होना चाहिए।

भारत को यूरोपीय समुदाय सदस्य देशों की सूची से निकाला जाना

6433. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को यूरोपीय समुंदाय (ई.सी.) सदस्य देशों की संशोधित सूची से निकाले जाने के कारण भारत में उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र के लोग चिंतित हैं ,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारत को जी.एस.पी. से निकाले जाने से व्यापार एवं उद्योग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, और

(घ) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क)और (ख) यूरोपीय समुदाय की नई जी एस पी योजना 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी हुई। यह योजना चार वर्षों अर्थात 1 जनवरी, 1995 से 31 दिसम्बर 1998 तक की अवधि के लिए वैध है। यह योजना सुमेलित व्यवस्था के अध्याय 25 से 97 के अंतर्गत आने वाले अधिकांश उत्पादों पर लागू होती है।

फिलहाल यह योजना 145 देशों तथा 25 राज्य क्षेत्रों पर लागू होती है। लाभ प्राप्त करने वाले देशों में भारत शामिल है।

इस नई जी एस पी योजना की एक मुख्य विशेषता आंशांकन ग्रेजुएशन है। नई योजना के अंतर्गत जिन देशों की प्रति व्यक्ति जी एन पी 1991 में 6000 अमरीकन डालर से ज्यादा थी, उन देशों को 1 अप्रैल, 1995 से उन क्षेत्रों में केवल 50 प्रतिशत जी एस पी लाभ मिलेगा जिन क्षेत्रों में उन्होंने व्यापार विशेषज्ञता का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें। जनवरी, 1996 से इन क्षेत्रों मे जी एस पी लाभों से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा। जहां तक 6000 अमरीकन डालर से कम प्रति व्यक्ति जी एन पी वाले देशों का संबंध है, उन्होने जिन क्षेत्रों में उच्च स्तर की व्यापार विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, उन्हें 1 जनवरी 1997 से 50 प्रतिशत जी एस पी लाभ मिलेगा तथा 1 जनवरी, 1998 से उन्हें जी एस पी लाभों से बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में व्यापार विशेषज्ञता का कोई ऊंचा स्तर नहीं है, वहां ये लाभ जारी रहेगें।

यह अंशाकन व्यवस्था उन लाभ प्राप्त करने वाले देशों पर भी लागू होगी जिनके जी एस पी के अन्दर आने वाले उत्पादों का किसी निश्चित क्षेत्र में किया गया निर्यात सभी लाभ प्राप्त करने वाले देशों द्वारा उस क्षेत्र में समुदाय को किए गए निर्यात के 25 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है। इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों तथा देशों के लिए 1 जनवरी, 1996 से अधिमानी पहुंच समाप्त हो जएगी।

(ग) और (घ) अभी तक भारत को जी एस पी से हटाया नहीं गया है। हमारे निर्यातों पर यूरोपीय समुदाय की नई जी एस पी योजना का प्रभाव इस तथ्य के कारण कम हो जाएगा कि हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धा समान रुप से प्रभावित होगें। जनवरी 1995 के व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान यूरोपीय समुदाय को हमारे निर्यातों में 1994 की इसी अवधि की तुलना में काफी वृद्धि हुई है।

कारखाना अधिनियम, 1948

6434. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कारखाना अधिनियम, 1948 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1957 में कतिपय संशोधित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

श्रम मंत्री (श्री पी.एम. संगमा) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवसाय संघ अधिनियम, 1957 और कारखाना अधिनियम, 1948 में कुछ संशोधन करने के लिए सुझाव दिया है जिनकी जांच पड़ताल कर ली गई है। जब कि व्यवसाय संघ अधिनियम, 1957 से संबंधित सुझाव को संशोधन विधेयक में शामिल् कर लिया गया है जो कि पहले से संसद के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, कारखाना अधिनियम, 1948 में विमान उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

विमान सेवा से जुड़े शहर

6435. **डा. के. वी. आर. चौधरी :** क्या विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कौन-कौन से शहर विमान सेवा से जुड़े हुए है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान किन-किन शहरों को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ग) विमान सेवा से जोड़ने के प्रस्तावित कार्य में तेजी शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) राज्य वार विमान सेवा से जुड़े हुए शहरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख)और (ग) प्रचालन कर्मीदल कठिनाईयों और वाणिज्यिक कारणों से इंडियन एयरलाइंस की उस समय अंतर्देशीय नेटवर्क पर किन्हीं नये स्टेशनों के लिए सेवाएं आरम्भ करने की कोई योजनाएं नहीं है। निजी अंतर्देशीय अनुसूचित ऑपरेटर सूचीबद्ध 93 हवाई अड्डों में से किसी भी हवाई अड्डे पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विवरण

	राज्य	शहर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
		विशाखापत्तनम
		तिरुपति
		विजयवाड़ा
2.	अरुणाचल प्रदेश	तेजू
		जीरो
3.	असम	डिब्रूगढ़
		गुवाहटी
		जोरहाट
		सिल्चर
		तेजपुर
		उत्तरी लखमीपुर
4.	बिहार	पटना
		रांची
5.	दिल्ली	दिल्ली
6.	गोवा	गोवा
7.	गुजरात	अहमदाबाद
		भावनगर
		भुज
		जामनगर
		राजकोट
		बड़ौदरा
		सूरत
		कांडला
		केशोड
		पोरबंदर
8.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू
		शिमला
		गग्गल
9.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू
		लेह
		श्रीनगर
10.	कर्नाटक	बंगलौर
		मंगलौर
		हुबली
		बेलगांव
11.	केरल	कोचीन
		त्रिवेन्द्रम
		कालीकट
12.	मध्य प्रदेश	भोपाल
		ग्वालियर
		इंदौर
		खजुराहो
		रायपुर
		जबलपुर
13.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
		बंबई नागपुर
		पुणे
		कोल्हापुर
14.	मणीपुर	इंफाल
15.	मेघालय	शिलांग
16.	मिजोरम	एजवाल
17.	नागालैंड	दीमापुर
18.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
		अमृतसर
		लुधियाना
20.	राजस्थान	जयपुर
		जोधपुर
		उदयपुर
		कोटा
		बीकानेर
		जैसलमेर
21.	तमिलनाडू	कोयम्बतूर
		मद्रास
		मदुरै
		तिरुचिरापल्ली
22.	त्रिपुरा	अगरतला
23.	उत्तर प्रदेश	आगरा
		लखनऊ
		वाराणसी
		कानपुर
		देहरादून

1	2	3
24.	पश्चिमी बंगाल	बागडगरा
		कलकत्ता
		बेहाला
संघ क्षेत्र		शहर
1.	अंडमान व निकोबार	पोर्ट ब्लेयर
2.	लक्षद्वीप	अगत्ती
3.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़

[हिन्दी]

आंतरिक ऋण

6436. श्री नवल किशोर राय :

श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लिए गए ऋण ब्याज की दर में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः वर्ष 1991-92 के अन्त में और 1994-95 के दौरान औसत दर कितनी थी;

(ग) क्या सरकार ने इस ब्याज दर में वृद्धि के कारण हुए वित्तीय घाटे का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्रमशः वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश को कितना अतिरिक्त वित्तीय घाटा उठाना पड़ा; और

(ङ) ब्याज दर में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और ख) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 में बाजार ऋण की भारित औसत ब्याज दर क्रमशः 11.70 प्रतिशत, 12.46 प्रतिशत, 12.62 प्रतिशत और 11.87 प्रतिशत थी।

(ग) से (घ) वर्ष 1991-92 तक सरकार पूर्व-निर्धारित ब्याज दरों पर ऋण ले रही थी। तथापि, वर्ष 1992-93 से सरकारी ऋण इस प्रयोजन हेतु संचालित में निर्धारित बाजार से सम्बद्ध दरों पर लिए जाते है।

[अनुवाद]

पूंजीगत वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की योजना का विस्तार

6437. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित आयात निर्यात नीति के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं को प्रोत्साहन देने की योजना का सर्विस क्षेत्र में विस्तार करने से होटल उद्योग को भी लाभ होगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उपाय हैं;

(ग) पूंजीगत उपकरण होटल उद्योग में कुल आयात का अकेला सबसे बड़ा भाग है;

(घ) क्या होटल अपने अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर आयात करने के अधिकार के अनुसार इन उपकरणों को अन्य प्रकार से आयात कर रहे थे; और

(ङ.) होटल परियोजनाओं को संशोधित मानदंडों के अध्याय-1/1 के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के संशोधित मानदंडों का कितना लाभ हुआ है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) होटल उद्योग को पूंजीगत वस्तुओं के संवर्धन का विस्तार करने की स्कीम के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त होते हैं, वे हैं, सीमा शुल्क में बचतें। सामान्य ड्यूटी के बजाय होटल उद्योग को लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य का केवल 15 प्रतिशत, सीमा शुल्क के रूप में अदा करना होता है। यह निर्यात बाध्यता से सम्बद्ध है, जो कि वस्तुओं के एफ ओ बी मूल्य का चार गुणा है, इसे पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना होता है। इस स्कीम में नई आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत होटल आयोग उद्योग के लिए एक अन्य विकल्प यह है कि अगर आयात की जाने वाली वस्तुओं का सी आई एफ मूल्य 20 करोड़ रू. या अधिक है तो कोई शुल्क नहीं लगाया जाना होता है। तथापि, निर्यात बाध्यता सी आई एफ मूल्य का छः गुणा है और इसे आयात लाइसेंस जारी करने की तारीख के 8 वर्षों के अन्दर पूरा किया जाना होता है।

(ग) और (घ) : जी, हां। पंजीकृत वस्तुओं के संवर्धन का विस्तार करने की स्कीम के अतिरिक्त ये होटल अन्यथा अपनी विदेशी मुद्रा अर्जन के 10 प्रतिशत के अपनी आयात हकदारी के प्रति इस उपकरण का आयात कर रहे थे और वे परियोजना के आयातों के अन्तर्गत दूसरे विकल्प का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जहां 35 प्रतिशत के मूल शुल्क जमा प्रति संतुलनकारी शुल्क पर नई परियोजनाओं तथा मौजूदा होटलों के पर्याप्त विस्तार के लिए चीजें आयात की गई थीं।

(ङ.) पिछले एक वर्ष में विदेशी मुद्रा कमाने वाले होटलों ने पूंजीगत वस्तुओं के संवर्धन का विस्तार करने की स्कीम के अंतर्गत 54.02 करोड़ रूपए की सी आई एफ की कुल कीमत के उपकरणों का आयात किया मौजूदा होटल तथा नई होटल परियोजनाएं जिन्होंने भविष्य में विदेशी मुद्रा अर्जन का आश्वासन दिया है वे अपने होटलों के लिए अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों के आयात हेतु ई पी सी जी का लाभ ले रहे हैं।

[हिन्दी]

तकनीकी कमियां

6438. श्री जगमीत सिंह बराड़ :
श्री गुमान मल लोढा :
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1994 के दैनिक "पायनियर" में "लूपहोल ब्लॉक्स रूपीज 1,000 करोर्स एबरॉड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार को कुछ दस्तावेजों में तकनीकी खामियों के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या सरकार ने भारतीय निर्यातकों को हो रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई तंत्र स्थापित किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह तंत्र किन-किन देशों में स्थापित किया गया है और यह भारतीय निर्यातकों को हो रही कठिनाईयों को दूर करने में किस माध्यम से सहायता करता है; और

(च) 1994-95 के दौरान इस तंत्र के द्वारा कितने मामलों को सुलझाया गया और किन-किन देशों में ऐसे मामले सुलझाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीपी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाणिज्य मंत्रालय में ऐसा कोई ज्ञापन नहीं मिला है।

(घ) से (च) यद्यपि ऐसी किसी औपचारिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई है। हस्तक्षेप की अपेक्षा रखने वाले भारतीय निर्यातकों की खास समस्याओं को मामला दर मामला आधार पर हमारे विदेश स्थित मिशनों के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

"नाबार्ड" द्वारा उत्तर प्रदेश को ऋण

6439. डा. साक्षी जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नाबार्ड" द्वारा उत्तर प्रदेश को गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक योजनावार कितनी-कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इसके अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) अब तक ऋण की कितनी राशि वसूल की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों को पुनर्वित्त सुविधायें प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा किये गये उद्देश्यवार संवितरणों की विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि हिताधिकारियों की संख्या और वसूल की गई ऋण राशि से संबंधित विस्तृत जानकारी नाबार्ड के पास नहीं बल्कि वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध है।

विवरण

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध ढंग से ऋण देने के तहत नाबार्ड द्वारा दिए गए पुनर्वित्त के प्रयोजनवार ब्यौरे।

(लाख रुपए)

	प्रयोजन	1993-94	1994-95
1.	लघु सिंचाई	10867	14641
	भूमि विकास	-	4
	वृक्षारोपण/बागवानी	193	392
	फार्म यंत्रिकरण	10574	9557
	डेयरी विकास	2532	2169
	मत्स्ययन	137	104
	वानिकी	391	151
	बायो-गैस	19	15
	मुर्गी पालन	38	79
	भेड़/बकरी/सुअर पालन	1354	168
	आई आर डी पी	16520	16612
	गैर फार्म क्षेत्र	2045	1477
	अन्य	-	1711
	योग	44670	47077

II. नाबार्ड ने चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 30 अप्रैल, 1995 तक 843 लाख रूपए का पुनर्वित्त किया है।

[हिन्दी]

लखनऊ क्षेत्र के शीर्ष करदाता

6440. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या [illegible] बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे पच्चीस व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान लखनऊ सर्किल में सर्वाधिक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और आयकर का भुगतान किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन्होंने कितनी राशि का भुगतान किया और उनके विरुद्ध कितनी राशि बकाया थी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र से उत्पाद शुल्क और आयकर की कुल कितनी धनराशि की वसूली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

टाटा उद्योग समूह का सिंगापुर की विमान कम्पनी के साथ समझौता

6441. श्री रवि राय : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा उद्योग समूह का सिंगापुर की विमान कम्पनी के साथ समझौता करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य विदेशी विमान कम्पनियों के साथ भी भारत की घरेलू विमान कम्पनियों की बराबर की भागीदारी के प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) : टाटा सिंगापुर एयरलाइंस (टी.एस.ए.) ने सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा 40 इक्विटी की हिस्सेदारी और पहले वर्ष में 7 विमानों के प्रचालन की अनुमति का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव है कि विमानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ाकर 20 कर दी जाए। अभी तक टी.एस.ए. को अंतर्देशीय एयर-लाइन स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) मैसर्स अल्टीमा एस्टेट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा0 लि0 (इन्डोरिकएयरलाइंस) ने मैसर्स आइसलैण्ड एयर, आइसलैण्ड द्वारा2 25 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की हिस्सेदारी की पेशकश की है। मैसर्स चॉयस एयरलाइंस ने मैसर्स मैयरेक्स एयर लिमिटेड, डेनमार्क द्वारा 40 प्रतिशत विदेशी इक्विटी का भी प्रस्ताव रखा है। अंतर्देशीय एयरलाइनों की स्थापना हेतु इनके प्रस्तावों को अभी मंजूरी नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

राज्य सरकारी बैंकों तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

6442. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री 16 दिसम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1649 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड द्वारा अक्तूबर, 1992 में गठित अध्ययन दल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी विमान टैक्सी संचालकों को प्रोत्साहन

6443. श्री लक्ष्मैया उम्मे : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूरवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत निजी विमान टैक्सी संचालकों तथा ट्रेवल एजेंसियों को विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन सुदूरवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ कोई समन्वित प्रयास शुरू किए गए हैं;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) एयरलाइनों और अनुमोदित यात्रा अभिकर्त्ताओं को उपलब्ध सामान्य प्रोत्साहन पर्याप्त समझा जा रहा है।

(घ) जी, हां।

(ङ.) पहाड़ी और दुर्गम्य क्षत्रों में स्थित निम्नलिखित हवाई अड्डों पर आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है : गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिल्चर, जोरहाट, तेजपुर, उत्तरी लखीमपुर (लीलाबाड़ी), इम्फाल, दीमापुर, अगरतला, लेह, श्रीनगर, जम्मू, कारगिल, किश्तवार, राजौरी, शिमला, गंग्गल और पोर्ट ब्लेयर।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

"नाबार्ड" और उड़ीसा सरकार के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन

6444. श्री के. प्रधानी :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और उड़ीसा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के अन्तर्गत, नाबार्ड द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उड़ीसा सरकार, उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक/उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि0 द्वारा नाबार्ड के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

(ख) सहकारी बैंकों की अर्थक्षमता, लाभप्रदता, वसूली कार्य में सुधार लाने और संगठनात्मक मामलों के युक्तिकरण के लिए समझौता ज्ञापन में विशेष उपाय निर्धारित किये गये हैं।

(ग) मानदण्डों के अनुसार नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करेगा और शेयर पूंजी में अंशदान पर विचार करेगा और समझौता ज्ञापनों की शर्तों के संतोषजनक अनुपालन के अध्ययधीन मानव संसाधन विकास और प्रोद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने का विचार करेगा।

गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम

6445. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.एफ.ए.डी. ने महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर, यवतमाल पुणे और नांदेड़ में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक सौ पचास करोड़ रूपये की एक परियोजना को शुरू करने की अनुमति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण परियोजना (ला.सं. 325-आईएन) के अन्तर्गत भारत सरकार ने 1-6-1993 को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई.एफ.ए डी) से 29.2 मिलियन अमरीकी डालर (90.5 करोड़ रूपये) का ऋण प्राप्त किया है। 60 करोड़ रूपये की शेष परियोजना लागत राज्य सरकार द्वारा पूरी की जा रही है। उक्त परियोजना आरंभ में महाराष्ट्र के चार जिलों तथा यवतमाल चन्द्रपुर पुणे और नांदेड़ में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना के उद्देश्य निम्न प्रकार है :

(1) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं के प्रावधान में सुधार करना (2) एक बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीबों को बैंक - ग्राह्य ग्राहक बनाना (3) परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए आधार के रूप में स्वावलम्बी समूहों की सृजन प्रचालन के माध्यम से बढ़ावा देना।

जी. डी. आर. जारी करना

6446. डॉ आर मल्लू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंपनियों को विदेशी बाजार में जी.डी.आर. जारी करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि वे इनका आगम बिना पूर्व सूचना के अपने देश में न लाएं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की शर्त लगाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस नए दिशा-निर्देश के अन्तर्गत अब तक जारी किए गए जी.डी.आर. का वार्षिक सेवा प्रभार विदेशी मुद्रा में कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : जी, हां। सरकार द्वारा 28 अक्टूबर, 1994 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, जी.डी.आर. जारी करने वाली कंपनियों को यूरो-इश्यू से हुई आय को अनिवार्यतया विदेश में ही रखना होगा जिसे तभी प्रत्यावर्तित किया जाएगा जब अनुमोदित अंतिम प्रयोगों (जिसमें सामान्य कार्पोरेट पुर्नसंरचनात्मक उपयोगों के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत तक का भाग शामिल है) के लिए व्यय उपगत किए जाएं। इससे कंपनियां अनुमोदित प्रयोजनों के लिए विदेशों में बाजारों का लाभ उठा पाने के साथ-साथ निधियों की जरूरत से पहले यूरो इश्यू से होने वाले अन्तर्प्रवाहों के परिणामस्वरूप मौद्रिक विस्तार से भी बच सकेंगी।

(ग) अन्डरलाइंग साधारण शेयरों पर लाभांश भारतीय कंपनियों द्वारा जारी जी.डी.आर. के कारण वार्षिक सेवा प्रभार का द्योतक होगा। ऐसे भुगतान कंपनियों के कार्य-निष्पादन और उनके द्वारा घोषित लाभांश की दरों पर निर्भर होंगे।

लौह अयस्क का निर्यात

6447. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए इस संबंध में खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) : पिछले दो वर्षों के दौरान लौह अयस्क का निर्यात करीब 31 मिलीयन मी. टीन वार्षिक होता आ रहा है। यह आशा है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में निर्यात का यही स्तर बना रहेगा।

(ग) आशा है कि एम.एम.टी.सी. द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि के दौरान निर्यातों के वर्तमान स्तर को बनाए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

हथ करघा विकास कार्यक्रम

6448. श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री राजेश कुमार :
श्री अमर पाल सिंह :
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से जन-जातीय बाहुल्य वाले तथा पिछड़े क्षेत्रों के बुनकरों के लिए कोई कल्याणकारी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कल्याणकारी योजनाओं को कब तक पूरी तरह से लागू कर दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित सभी कल्याणकारी योजनाऐं जन-जातीय बाहुल्य तथा पिछड़े क्षेत्र के बुनकरों के लिए भी उपलब्ध है।

(ख) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाऐं कार्यान्वित कर रही है :

1. कार्यशाला - -सह आवास योजना

3. थ्रिफ्ट फंड योजना

4. स्वास्थ्य पैकेज योजना

(ग) सभी कल्याणकारी योजनाऐं निरंतर आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को राशि जारी की जाती है।

[अनुवाद]

गुजरात की पर्यटन परियोजनाएं

6449. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गुजरात राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई और इनके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और अब तक प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) शेष परियोजनाओं के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 237.29 लाख रू. की राशि की 17 परियोजनाएं/स्कीमें मंजूर की।

(ख) से (घ) : वर्षवार मंजूर की गई परियोजनाओं/स्कीमों स्थानों के नामों, मंजूर की गई राशि तथा रिलीज़ की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजनाएं/स्कीमें, गुजरात राज्य सरकार द्वारा निष्पादित की जाती हैं तथा मंजूरशुदा परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के लिए मंजूर की गई परियोजनाएं/स्कीमें

(रू. लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना/स्काम का नाम	मंजूरी का वर्ष	मंजूरी की गई राशि	रिलीज़ की गई राशि
1.	अहमदपुर मांडवी समुद्रतट पर हवेली कुटीरें	1985-86	21.02	15.00
2.	द्वारका में कैफेटेरिया	वही	6.28	5.00
3.	सोमनाथ में कैफेटेरिया	वही	5.00	4.50
4.	नरगोले, बुलसर जिला, में 25 समुद्रतट कुटीरों का निर्माण	वही	30.17	25.00
5.	डकोर में यात्री निवास	वही	41.20	35.00
6.	लिम्बडी में मार्गस्थ सुविधाएं	वही	6.46	5.50
7.	अंकलेश्वर में राजमार्ग सुविधाएं	1986-87	35.84	33.00
8.	सासनगरी के लिए मिनी बसें	वही	13.00	13.00
9.	मेलों और उत्सवों का सवंर्धन	वही	6.38	6.38
10.	पाटन में कैफेटेरिया	1987-88	4.25	3.50
11.	तिथल में कुटीर	1988-89	12.62	11.00
12.	पावागढ़ में शयनागारों का निर्माण	वही	14.76	13.76
13.	पतंग उत्सव, अहमदाबाद	वही	3.50	3.50
14.	सपुतारा पर्वत सैरगाह में 5 ''क'' टाइप और ''ख'' टाइप कुटीरों का निर्माण	1989-90	15.00	10.00
15.	राजकोट में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	वही	16.50	5.00
16.	पतंग उत्सव	वही	4.25	4.25
17.	राष्ट्रीय युवा मेला	वही	0.10	0.10
		कुल	237.29	193.49

वरिष्ठ नागरिकों को कर राहत

6450. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को आय कर और धन कर में विशेष राहत देने की अनुमति दिए जाने संबंधी कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रहन-सहन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए तथा चिकित्सा संबंधी खर्चों को इसमें शामिल करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक आधार पर कर राहत देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। केवल आयकर अधिनियम के अन्तर्गत

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 88-ख के अन्तर्गत एक लाख रूपए तक की आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को कर से 40 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(ग) और (घ) : यह राहत पर्याप्त समझी गई है और इसमें संशोधन करने के बारे में कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रूपये का शून्य

6451. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994 के दौरान यूरोपीय मुद्रा की तुलना में रूपये के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें 1994 में प्रतिमाह तथा जनवरी, 1995 में कितनी गिरावट आई;

(ग) यह गिरावट आने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) रूपये के मूल्य में कमी आने का कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994 के दौरान और जनवरी 1995 में प्रमुख यूरोपीय मुद्राओं के अर्थों में भारतीय रूपए का मासिक औसत मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रूपए की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती है।

(घ) रूपए की विनिमय दर के उतार-चढ़ाव ने प्रमुख मुद्राओं की तुलना में देश के व्यापार और भुगतान को प्रतिकूल रूपए से प्रभावित नहीं किया है।

विवरण

विदेशी मुद्राओं की रूपया प्रति इकाई (मासिक औसत दरें)

महीने	पौंड स्टर्लिंग	मूल्य में वृद्धि/ मूल्य में ह्रास	ड्यूश मार्क	मूल्य में वृद्धि मूल्य में ह्रास	नीदरलैंड गिल्डर	मूल्य में वृद्धि/मूल्य में ह्रास	स्विस फ्रेंक	मूल्य में वृद्धि/ मूल्य में ह्रास	फ्रेंच फ्रेंक	मूल्य में वृद्धि/ मूल्य में ह्रास	बेल्जियम फ्रेंक	मूल्य में वृद्धि/ मूल्य में ह्रास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दिसम्बर, 93	46.7849		18.3504		16.3634		21.4227		5.3585		0.8786	
जनवरी, 94	46.7970	0.0259	18.0053	1.9167	16.0847	1.7327	21.3357	0.4078	5.3002	1.1000	0.8669	1.3496
फरवरी, 94	46.4871	0.6666	18.0784	-0.4043	17.1472	6.1963	21.5624	-1.0514	5.3293	-0.5460	0.8778	--1.2417
मार्च, 94	46.7971	0.6624	18.5319	-2.4471	16.5047	3.8928	21.9351	-1.8991	5.4419	-2.0691	0.9001	-2.4775
अप्रैल, 94	46.4942	0.6415	18.4810	0.2754	16.5233	-0.1126	21.8360	0.4538	5.3996	0.7834	0.8981	0.2214
मई, 94	47.1676	-1.4277	18.9261	-2.3518	16.8837	-2.1346	22.2167	-1.7136	5.5330	-2.4110	0.9206	-2.4438
जून, 94	47.8267	-1.3781	19.2448	-1.6560	17.2007	-1.8429	22.8540	-2.7886	5.6435	-1.9580	0.9364	-1.6882
जुलाई, 94	48.4890	-1.3659	19.9639	-3.6020	17.8240	-3.4970	23.7470	-3.7605	5.8354	-3.2885	0.9701	-3.4707
अगस्त, 94	48.3863	0.2123	20.0214	-0.2872	17.8657	-0.2334	23.8026	-0.2336	5.8546	0.-3279	0.9733	-0.3306
सितम्बर, 94	49.0444	-1.3418	20.2308	-1.0351	18.0675	-1.1169	24.3343	-2.1850	5.9225	-1.1465	0.9807	-0.7530
अक्तूबर, 94	50.3967	-2.6833	21.3726	-5.3424	18.4295	-1.9642	24.6968	1.4678	6.0303	-1.7876	1.0033	-2.2510
नवम्बर, 94	49.8302	1.1369	20.3974	4.7810	18.1845	-1.3473	24.1282	1.9762	5.9359	1.5903	0.9909	1.2451
दिसम्बर, 94	48.8625	1.9805	19.9609	2.1868	17.8545	1.8483	23.6430	2.4329	5.8049	-2.2567	0.9718	1.9698
जनवरी, 95	49.3578	-1.0035	20.4685	-2.4799	18.3064	-2.4685	24.4356	-3.2436	5.9339	-2.1739	0.9961	-2.4361

[हिन्दी]

पुरस्कार की राशि

6452. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1988 के कर्नाटक के पूर्वी तट पर गगाली गांव में लगभग 10 करोड़ 39 लाख रूपये मूल्य तस्करी का सोना पकड़ा गया था;

(ख) क्या तस्करी के सोने के बारे में जानकारी देने के बदले में एक करोड़ दस लाख रूपये का पुरस्कार दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को पुरस्कार की यह राशि प्रदान की गई थी; और

(घ) जब्त किए गए तस्करी के इस सोने का वास्तविक मूल्य कितना था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में सावधि जमा खाते

6453. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को उत्तर प्रदेश में सावधि जमा खातों की संख्या कितनी थी तथा प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक में कुल जमाराशि कितनी थी तथा अन्य खातों में कुल कितनी जमा राशि थी;

(ख) क्या नगरों में सावधि जमा योजना अन्य तरह की बचत योजनाओं से ज्यादा लोकप्रिय है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1993 (नवीनतम उपलब्ध)के अन्त की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमाराशि खातों की कुल संख्या 1225550 थी और उसमें जमा राशि 1261445 लाख रूपए थी। अन्य खातों में कुल राशि 1075485 लाख रूपए थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा प्रणाली में पूछे गए ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती है।

विमानों के स्पेयर पार्ट्स

6454. श्री बलराज पासी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या विमानों के स्पेयर पार्ट्स बनाने तथा देश में इनकी पूरी तरह से मरम्मत करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब से शुरू की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) : मैसर्स हिन्दुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में कुछ विमान कल-पुर्जो का निर्माण कर रही है। हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरबस ए-320 विमान और डोर्नियर डी.ओ0 - 228 विमान के कुछ कलपुर्जो के निर्माण के लिए क्रमशः फ्रांस के मैसर्स एयरबस इंडस्ट्री और जर्मनी की मैसर्स डोर्नियर के साथ एक करार भी किया । तथापि, इससे विदेशी मुद्रा व्यय में बचत को आंकना बहुत कठिन है चूंकि इनमें से अधिकांश अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई विमान/इंजन विनिर्माताओं और उनके प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से की जाती है। कुल पुर्जों की ओवरहॉलिंग सामान्यतया एयरलाइनों द्वारा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए कानून में संशोधन

6455. श्री रतिलाल वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों से संबंधित कानून में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऋण राहत योजना

6456. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ऋण राहत योजना के अंतर्गत कितने किसानों, ग्रामीण शिल्पियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को लाभ हुआ;

(ख) उपरोक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और राजस्थान को कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) क्या इस वित्तीय सहायता की कोई धनराशि अब तक जारी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह राशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत (ए आर डी आर) योजना, 1990 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 51.45 लाख (लगभग) हिताधिकारियों और राजस्थान में 20.16 लाख (लगभग) हिताधिकारियों को ऋण राहत प्रदान की गई थी। तथापि, श्रेणीवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि दिनांक 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार, उसने ए आर डी आर योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में

सहकारी बैंकों को अनुदान और ऋण के रूप में क्रमशः 638.014 करोड़ रुपए और 311.457 करोड़ रुपए जारी किया है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिये क्रमशः 99.96 करोड़ रुपए और 73.22 करोड़ रुपए जारी किये गये हैं। नाबार्ड ने सूचित किया है कि नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के दावों का अंतिम वाणिज्यिक बैंकों की निधियां राज्यवार जारी नहीं की गई थी परन्तु सरकारी क्षेत्र के अलग-अलग बैंकों द्वारा किये गये दावों को नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निपटा दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रक्रिया पुस्तिका जारी करने में विलंब

6457. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 1995 के समाचार पत्र "पायनियर" में "डिले इन इश्यूइंग हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स इरक्स एक्सपोर्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या प्रक्रिया पुस्तिका जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) क्रियाविधि पुस्तिका, भाग-1 1992-97 का संशोधित संस्करण 30.4.95 को प्रकाशित हो चुका है। पिछली क्रिया विधि पुस्तिका, भाग-1, 31.3.1995 को यथा संशोधित निर्यात आयात नीति के असंगत नहीं थी और वह 30.4.1995 तक लागू रही। इसके कारण से निर्यातकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ा।

मुद्रा स्फीति की दर

6458. श्री अंकुशराव टोपे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीति रोकने के लिए "मार्केट आप्रेशन्स" स्थापित किया है;

(ख) यह हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) मुद्रा स्फीति रोकने के ताजा परिणाम क्या हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग) हाल ही के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्था में नकदी में वृद्धि को नियमित किए जाने के लिए खुले बाजार परिचालनों को शुरू किया जा रहा है। इन परिचालनों से अर्थव्यवस्था में अन्य बातों के साथ-साथ मुद्रास्फीति की दर को संयमित किए जाने की सहायता की संभावना भी की गई है।

चालू वित्त वर्ष के आरम्भ से ही मुद्रास्फीति दर में मन्दी का आना दिखाई दे रहा है। थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों पर आधारित मुद्रास्फीति दर (अंतिम) 25 मार्च, 1995 को 10 प्रतिशत और 30 अप्रैल, 1994 को 11.8 प्रतिशत के मुकाबले 28 अप्रैल, 1995 को 8.6 प्रतिशत थी।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में एफ.सी.वी. तंबाकू का उत्पादन

6459. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान देश में विशेष तौर पर आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में एफ.सी.वी. तंबाकू का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अन्य तंबाकू उत्पाद देशों जैसे चीन जिम्बाब्वे, अमरीका एवं अन्य देशों में देश-वार तंबाकू का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ/होने की संभावना है; और

(ग) किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में वर्ष 1994-95 तथा वर्ष 1995-96 के दौरान वर्जिनिया तंबाकू के उत्पादन के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(मिलियन किग्रा.)

	कर्नाटक	आन्ध्र प्रदेश
1994-95	25.00	82.00
1995-96	25.24*	-**

* तंबाकू बोर्ड द्वारा तय किया गया वर्जिनिया तंबाकू की फसल का आकार

** वर्जिनियां तंबाकू की फसल का आकार तंबाकू बोर्ड द्वारा अभी तय किया जाना है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान कुछ प्रमुख तंबाकू उत्पादक देशों में वर्जिनियो तबाकू के अनुमानित उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। वर्ष 1995-96 के लिए इस उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

	देश		(मिलियन)
1.	चीन		2686
2.	जिम्बाम्बे	171	
3.	यू.एस.ए	424	
4.	फिलीपीन्स		39
5.	ब्राजील	336	
6.	अर्जेंटिना	78	

(स्त्रोत : यू.एस.ए., दिसम्बर, 1994 जनवरी, 1995)

(ग) कृषकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाई में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है:

1. तंबाकू की मांग और पूर्ति के अनुरूप इसके उत्पादन के लिए आयोजना और क्रियान्वयन;

2. तंबाकू की गुणवत्ता एवं पैदावार में सुधार करने के लिए विकासात्मक एवं विस्तारपूरक योजनाओं का क्रियान्वयन;
3. सही वजन, वर्गीकरण एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नीलामियों का आयोजन;
4. फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया तंबाकू के लिए न्यूनतम गारन्टी मूल्य तय करने के लिए तंबाकू व्यापारियों के साथ बातचीत करना; और
5. केन्द्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर समान किस्म और तरीके अपनाने के लिए कृषकों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों / बैठकों / प्रचार के जरिए परामर्श देना।

रंग-सामग्री का निर्यात

6460. **श्रीमती वसुन्धरा राज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन देशों में रंग सामग्री की अच्छी मांग है; और

(ख) सरकार द्वारा रंग-सामग्री के निर्यात को बढ़ावा देने और इसके लिए नए बाजार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जिन देशों से रंजक पदार्थों की अच्छी मांग है वे ये हैं- बंगलादेश, बेल्जियम, चीन ताइपेई, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इन्डोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैण्ड, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैण्ड, थाइलैण्ड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका।

(ख) रंजक पदार्थ एक अत्यधिक ध्यान दिए जाने वाले समूह की मद है। सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों में शामिल हैं नीति एवं क्रियाविधियों का उदारीकरण, बाजार विकास सहायता का प्रावधान और मूल-रसायन, भेषजीय पदार्थ और प्रसाधन-सामग्री निर्यात सर्वधन परिषद (कैमेक्सिल) के जरिए अन्य संवर्द्धनात्मक उपाय जिनमें नए बाजारों का पता लगाना भी शामिल है।

[हिन्दी]

निकारागुआ में पूंजी निवेश

6461. **श्री राम पाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकारागुआ ने अपने देश में पूंजी निवेश करने के लिए भारत को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) निकारागुआ के विदेश संबंध मंत्री महामहिम एर्नस्टो लील सांचेज की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने अपने देश में भारतीय उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। निवेश के क्षेत्रों में शामिल हैं - दूर-संचार, पर्यटन, इमारती लकड़ी, परिवहन समुद्री खाद्य, कृषि उद्योग, खान एवं ऊर्जा

(ग) सरकार उन मामलों में निवेश का स्वागत करती है एवं उसे प्रोत्साहित करती है जो विदेशों की सरकारी नीति के अंतर्गत आते हैं।

राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा चीनी का आयात

6462. **डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड तथा भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड ने 1995 के दौरान जून और जुलाई में अग्रिम अनुबंधों के द्वारा चीनी को सप्लाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सौदे किये थे;

(ख) यदि हां, तो चीनी की कुल कितनी मात्रा के लिए अनुबंध किये गये और उसके मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान चीनी के पर्याप्त उत्पादन की संभावना के बावजूद चीनी का आयात किन कारणों से आवश्यक समझा गया;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मई माह के लिए चीनी के दाम कथित सौदे की चीनी के मूल्य की तुलना में कम हो गये हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू बाजार में चीनी के मूल्य में हाल ही में आयी गिरावट के कारण इन दोनों संगठनों को कितना घाटा होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) जी, हां। अग्रिम अनुबंधों के जरिए चीनी की खरीद के बारे में सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एस.टी.सी. और एम.टी.सी. दोनों ने अब तक कुल मिलाकर लगभग 4.05 लाख टन चीनी का ठेका लिया है जो लगभग 429 डालर प्रति मी. टन औसत सी एण्ड एफ मूल्य पड़ता है। यह आयात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जा रहा है।

(घ) और (ङ.) जी, हां। वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। चूंकि आयात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जा रहा है, इसलिए घाटे का तो प्रश्न नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड

6463. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ने प्रमुख संगठनात्मक पुर्नसंरचना का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रमुख संस्था में लोगों का विश्वास फिर से बहाल करने के लिए अन्य कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). सेवा द्वारा संगठनात्मक पुर्नसंरचना का कार्य लगातार किया जा रहा है ताकि यह स्वयं को पूंजी बाजार की परिवर्तनशील अपेक्षाओं के लिए तैयार कर सके। इस प्रयोजन के लिए, सेवा संगत अनुभव वाले व्यक्तियों की भर्ती करती है और मौजूदा कार्मिकों को आवश्यक कौशल प्रदान करती है।

जोखिमपूर्ण पर्यटन

6464. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि भारतीयों और विदेशी पर्यटकों में जोखिमपूर्ण पर्यटन लोकप्रिय होता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार जोखिमपूर्ण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट और पूर्ण प्रस्तावों को मद्देनजर रखते हुए साहसिक पर्यटन के लिए विकास अर्थात् पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, कैम्पिंग, जल-क्रीडा माउन्टेन बाइकिंग, हवाई क्रीडाओं आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है। वर्ष 1994-95 के दौरान पर्यटन विभाग ने विभिन्न राज्य सरकारों को साहसिक पर्यटन से संबंधित नई और पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए 176.15 लाख रूपए की राशि की निधियां जारी की हैं।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थापना

6465. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम विलास पासवान :
क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड भारत में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना हेतु एक त्रिपक्षीय नीति तैयार कर रहा है;

(ख) क्या उक्त नीति में भारत में परियोजनाओं की स्थापना हेतु ब्रिटिश कंपनियों के साथ जापान के व्यापारिक घरानों को भी शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता भी हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) दोनों देशों के बीच व्यापार में आगे कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख). जी, हां। ब्रिटेन का व्यापार और उद्योग विभाग त्रिपक्षीय रूप से कार्य कर रहा है जिसमें भारत में परियोजनाओं में जापान और ब्रिटिश निवेश शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) भारत और इन देशों के बीच व्यापार में वृद्धि का अनुमान निवेशों के आकार और उनसे जुड़ी शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है।

राज्य व्यापार निगम और कॉफी बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम

6466. श्री अनंतराव देशमुख : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम की योजना विदेशों में कॉफी के विपणन के लिए कॉफी बोर्ड के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार अन्य विनिर्माण संयुक्त उद्यमों में भी प्रवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया पुष्पोत्पादन, बागवानी-उत्पाद समुद्री-उत्पाद, संसाधित खाद्य, उपभोक्ता मदें, चमड़े का सामान, रत्न और आभूषण, वस्त्र, इंजीनियरी वस्तुएं, साफ्टवेयर, औषध व भेषजीय आदि के क्षेत्रों में निर्यातों के अपने आपूर्ति आधार को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

बैंकों हेतु वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड

6467. श्री एस.एम. लालजान बाशा :
श्री मनोरंजन भक्त :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने वाणिज्यिक बैंकों की अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी (ऑफ साईट सर्वीलैंस) करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रूडेंसियल सुपरवाइजरी रिपोंटिंग सिस्टम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह प्रणाली हाल ही में हुए बैंक घोटाले की तरह के घोटालों में लिप्त बैंकों पर नियंत्रण रखने और परिसम्पत्ति का मूल्यांकन तथा जोखिम पूर्ण जैसे संवदेनशील क्षेत्रों पर वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान केन्द्रित करने के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमों के अनुपालन कर निगरानी रखने के संबंध में कितनी सहायता सिद्ध होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी. आई.) ने वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए स्थल से दूर (आफ साइट) निगरानी प्रणाली (ओ एस एस) शुरू की है।

(ख) ओ एस एस में बैंकों को दो चरणों में आर बी आई को 12 विवरणियां (10 तिमाही और 2 अर्द्ध वार्षिक अन्तराल पर) प्रस्तुत करनी होती है। 7 विवरणियों की पहली श्रृंखला दिनांक 28 फरवरी, 1995 से पहले ही शुरू कर दी गई है।

(ग) स्थल से दूर सूचना देने की प्रणाली से विवेक सम्मत हितों के क्षेत्रों के संबंध में जानकारी मिलेगी और इससे समय से पहले ही चेतावनीपूर्ण संकेत भी मिलेंगे। जिनकी स्थल पर निरीक्षणों के जरिए पुन: जांच की जा सकेगी। सूचना देने की नई प्रणाली से प्रबंध सूचना प्रणाली भी सुदृढ़ बनेगी, क्योंकि इससे पूंजी पर्याप्त, आस्तियों की गुणवत्ता आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सत्ता आधार पर व्यापक जानकारी मिलेगी।

विदेशी संस्थागत निवेशक

6468. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को अभिरक्षा सेवा (कस्टोडियन सर्विस) एवं व्यवस्थापन के क्षेत्र में कठिन तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी संस्थागत निवेशकों की तकनीकी समस्याओं को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास केन्द्रीय रूप से पंजीकृत होते हैं न कि क्षेत्रीय आधार पर अथवा राज्य-वार भारत में निवेश करने के आरंभिक चरणों में, विदेशी संस्थागत निवेशकों को कार्यकुशल अभिरक्षा संबंधी सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्योंकि शेयर अन्तरणों में काफी कागजी कार्यवाही होती थी और विदेशी संस्थागत निवेशकों की अभिरक्षा संबंधी सेवाओं की जरूरतों का प्रबन्ध बहुत कम अभिरक्षक कर रहे थे। तथापि, सरकार और सेबी द्वारा शेयरों का बड़ी मात्रा में अन्तरण करने के लिए जम्बो अन्तरण विलेख आरम्भ करके तथा जहां बड़ी मात्रा में लेन-देन होते हैं वहां बैंकर के चैक द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के समेकित भुगतान की सुविधा की व्यवस्था करके विस्तृत कागजी कार्यवाही को कम करने के उपायों से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाजार में नए प्रवेशकर्ताओं द्वारा अभिरक्षा संबंधी अतिरिक्त सेवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं।

कर्नाटक में तंबाकू की फसल में कमी

6469. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तंबाकू बोर्ड ने कर्नाटक के किसानों को तंबाकू की फसल में कमी लाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने तंबाकू बोर्ड को निर्देश दिया है कि तंबाकू की फसल में कमी लाने के लिए किसानों पर दबाव न डाला जाये; और

(घ) क्या तंबाकू बोर्ड ने राज्य में विशेष रूप से मैसूर जिले में किसानों द्वारा उत्पादन किए जा रहे सारे तंबाकू को खरीदने की कोई योजना बनाई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) तंबाकू बोर्ड ने कर्नाटक के लिए वर्जीनिया तंबाकू की वर्ष 1995-96 की प्राधिकृत फसल में कमी नही की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बोर्ड का तंबाकू खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन वह मैसूर जिले सहित कर्नाटक में उगाई जाने वाली प्राधिकृत वर्जीनिया तंबाकू के विपणन के लिए अपेक्षित व्यवस्था करता है।

रोजगार के अवसर

6470. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में संगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं;

(ख) क्या गुजरात में संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) त्वरित अनुमानों के अनुसार, गुजरात में, 31.3.1994 को संगठित क्षेत्र (अर्थात् सभी सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उन गैर-कृषीय प्रतिष्ठानों में जहां कामगारों की संख्या 10 या इससे अधिक हो) में कामगारों की संख्या 1696.6 हजार थी।

(ख) और (ग). जी नहीं। वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात के संगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या में वृद्धि लगभग 1.54 प्रतिशत थी।

आर्थिक अपराध

6471. **श्री तारा सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इससे प्राप्त होने वाले लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

6472. श्री आनन्द रत्न मोर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब से कार्यान्वित की जाएगी; और

(घ) इसे शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

मुम्बई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना

6473. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता हेतु मुम्बई शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार का एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के पास भेजा है;

(ख) यहां हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) :

(क) और (ख) शहरी विकास मंत्रालय ने 1.9.94 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार मुम्बई शहरी बुनियादी ढांचा नामक योजना का प्रस्ताव संभावित वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजा है। इस परियोजना के उद्देश्य नगर निगम की सेवाओं, शहरी बुनियादी ढांचे की संपूर्ण क्षमता में सुधार करना और पर्यावरणीय संरक्षण में संवर्धन करना है। इस परियोजना की लागत 2608 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। इस परियोजना के मुख्य संघटक हैं :

(1) संस्थागत विकास जिसमें शहरी विकास निधि और तकनीकी सहायता शामिल हैं।

(2) शहरी बुनियादी ढांचा विकास

(3) ऊर्जा संवितरण

(4) पर्यावरणीय संरक्षण

(ग) विश्व बैंक को यह प्रस्ताव 8.9.94 को भेजा गया था। विश्व बैंक की टिप्पणियां महाराष्ट्र सरकार को सूचित कर दी गई हैं और उस पर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र

6474. श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्थित मुक्त व्यापार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र से होने वाले निर्यात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नये मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;, और ये क्षेत्र कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या करण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) महाराष्ट्र में बंबई में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र कार्य कर रहा है। कोषो की उपलब्धता तथा वर्तमान निर्यात्त संसाधन क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का देश में नए क्षेत्रों की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा या संयुक्त/निजी क्षेत्र में निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

बीमा कम्पनियों की नई शाखाएं

6475. श्री एन.जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा कम्पनियों की नई शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से गुजरात के जनजाती क्षेत्रों में बीमा कंपनियों की नई शाखाएं खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि बीमा कम्पनियों की नई शाखाएं कारोबार की संभावना; वित्तीय व्यवहार्यता; और प्रीमियम एवं लागत को ध्यान में रखते हुए खोली जाती हैं।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र को ऋण

6476. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऋण पुनर्निर्धारण तथा उपकरण खरीदने के लिए फसल ऋण और मध्यावधि ऋण देने के लिए राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों द्वारा कुल कितना कृषि ऋण मंजूर किया गया और मार्च 1995 तक प्रत्येक राज्य विशेषतः महाराष्ट्र की ओर कितनी राशि बकाया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मार्च में उपरोक्त अवधि के दौरान इस बाबत प्रत्येक राज्य में ग्रामस्तर, सोसायटीस्तर, जिलास्तर और उच्च स्तर पर कितनी राशि बकाया थी; और

(ग) ब्याज की अधिक दर और आदान-मूल्यों, ऊर्जा, तथा सिंचाई प्रभारों के कारण अन्य खर्चों में वृद्धि की वजह से अधिक लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के एककों में इक्विटी

6477. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एककों में अपनी इक्विटी को आम निवेशकों को नियत मूल्य पर देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) जी हां। हालांकि सरकार ने खुदरा निवेशकों को नियत मूल्य की पेशकश के जरिए सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा उपक्रमों में शेयरों का विनिवेश करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है, तथापि, पेशकश संबंधी ब्यौरे प्रचलित बाजार-स्थितियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नए शेयर जारी करने की अपनी योजनाओं और अन्य कारकों के संदर्भ में उपयुक्त समय पर तय किये जाएंगे।

राज्यों के लिए विदेश ऋण

6478. **श्री जे. चोक्का राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्य सिंचाई परियोजनओं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं आदि जैसे विकास कार्यों हेतु विदेशी ऋण ले रहे हैं और अपनी नियमित आय को वेतन आदि जैसे गैर-योजना खर्च में लगा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ऋणों के पुनर्भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है और

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा विभिन्न विदेशी एजेंसियों से अब तक कितना ऋण लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमा व्यापार नीति

6479. **डा. कृपासिंधु भोई :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी सीमा व्यापार नीति की समीक्षा के इसमें संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की नेपाल के साथ सीमा व्यापार नीति क्या है;

(घ) चीन और बंगलादेश के साथ सीमा व्यापार के मामले में क्या सिद्धान्त अपनाए जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार ने पाकिस्तान और कुछ अन्य सीमावर्ती देशों के साथ मीमा से व्यापार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) इस प्रकार की कोई सीमा व्यापार नीति नहीं है। सीमा व्यापार की व्यवस्था केवल चीन और म्यांमार के साथ की गई है। इसका उद्देश्य स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यापार को पुनर्जीवित कर परम्परागत व्यापार का संवर्धन करना है।

(ग) नेपाल के साथ सीमा खुली हुई है, वस्तुतः इसके साथ मुक्त रूप से व्यापार होता है, इसलिए नेपाल के साथ सीमा व्यापार नीति आवश्यक नहीं है।

(घ) चीन के साथ सीमा व्यापार वर्ष 1991-92 में पुनः आरम्भ हुआ था और यह सीमा पर रहने वाले निवासियों द्वारा आपसी सहमत वस्तुओं के विनिमय के लिए पारस्परिक हित एवं समानता के आधार पर हुआ।

(ड.) और (च) म्यांमार के साथ 21.1.94 के हस्ताक्षरित सीमा व्यापार करार में सीमा व्यापार मणिपुर में मोरे तथा मिजोरम में चम्फाई के जरिए करने की व्यवस्था है। इसमें सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों द्वारा प्रचलित परम्परागत तरीकों के अनुसार स्थानीय उत्पादित वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है जिसमें वस्तु-व्यापार अथवा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में व्यापार शामिल है। तदनुसार, म्यांमार के साथ सीमा व्यापार परस्परिक रूप से भिज्ञात 23 वस्तुओं को अप्रैल, 1995 में मोरे के मार्ग से प्रारम्भ हुआ।

(छ) पड़ौसी देशों के साथ व्यापार की व्यवस्था परम्परा, आवश्यकता और आपसी सहमति के आधार पर की जाती है।

पर्यटकों को सुविधाएं

6480. **श्री नुरूल इस्लाम :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र

में पर्यटकों को विशेष रूप से रहने भोजन तथा परिवहन की और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई और इसमें से कितनी धनराशि वर्षवार तथा राज्यवार वास्तव में खर्च की गई?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों को पर्यटक आवास सुविधाओं के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकताओं, धन की उपलब्धता और स्कीमों के मार्गनिर्देशों को मद्देनजर रखकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) गत तीन वर्षों के लिए असम सहित सात पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटक आवास सुविधाओं के संवर्धन के लिए स्वीकृत की गई राज्यवार परियोजनाओं/स्कीमों और राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाखों में)
	अरूणाचल प्रदेश	
1.	जिरों में पर्यटक गृह	7.98
2.	डेबोन में पर्यटक गृह	7.98
3.	पेगिंग में पर्यटक गृह	7.98
4.	डेप्रिजो में पर्यटक गृह	7.98
5.	तम्बुओं में आवास	9.35
6.	प्रचार सहायता	7.00
7.	मिआओ (दबान) में पर्यटक कुटीर	4.65
8.	यमबंग में पर्यटक कुटीर	4.65
9.	रागा में पर्यटक कुटीर	4.65
10.	बागी में पर्यटक कुटीर	4.65
11.	भालुकपोंग में पर्यटक कुटीर	4.65
12.	जिरो में पर्यटक कुटीर	4.65
13.	पर्यटक कैम्प लगाने के लिए तम्बुओं की खरीद	1750
	जोड़ :	93.67
	असम	
1.	कामाख्या में तीर्थ यात्रा कुटीरें	27.09
2.	बारदालोनी पक्षी शरण स्थल में पर्यटक गृह	14.00
3.	क्लेन में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	11.73
4.	एंगिलिंग उपकरणों की खरीद	4.40
5.	ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जलक्रीडा उपकरण	5.56
6.	तम्बुओं में आवास	15.88
7.	हाजो में पर्यटक कुटीरें	24.35
8.	विश्वनाथ घाट पर पर्यटक रिसोर्ट	15.45
9.	तिनसुखिया में पर्यटक गृह	23.54
10.	कालीरंगा, मानस और भोलुकपोंग उमरॉस में तम्बुओं में आवास	14.77
11.	हाफ्लॉग में पर्यटक परिसर	27.79
12.	राजीव गांधी वन्य जीव शरण स्थल औरंग में पर्यटक परिसर	25.20
	जोड़	209.76

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाखों में)
1	2	3
	मणिपुर	
1.	किराओ में पर्यटक गृह	9.83
2.	लम्डान में पर्यटक गृह	9.83
3.	बेस कैम्प, सिरोय में पर्यटक गृह	9.83
4.	सेन्ड्रा में कैफेटेरिया और जेटी	7.05
5.	फुबाला में कैफेटेरिया और जेटी	7.05
6.	पर्वतारोहण उपकरण की खरीद	9.71
7.	माउंटेन बाइसिकल की खरीद	1.06
8.	प्रचार सहायता	4.88
9.	कुट उत्सव	7.00
10.	टेमेगलोंग जिला में थेरीन गुफा में पर्यटक परिसर	11.92
11.	सिरीयू में पर्यटक गृह	10.91
12.	थाऊबल जिला में थोंगम मंडल में पर्यटल परिसर	10.91
13.	उखरूल में पर्यटक परिसर	10.91
14.	प्रचार सहायता	0.85
15.	प्रचार सामग्री के उत्पादन के लिए सहायता	4.00
	जोड़	115.74
	मिजोरम	
1.	लांगतलाई में पर्यटक गृह	20.72
2.	छियातलांग में पर्यटक कुटीरें	7.29
3.	टाइबंग में कैफेटेरिया	8.57
4.	तावीपुई में कैफेटेरिया	8.97

1	2	3
5.	चपचार कुट उत्सव	2.15
6.	खावंग में पर्यटक गृह	22.07
7.	चाटलांग में पर्यटक गृह	17.91
8.	दरजो में पर्यटक गृह	10.34
9.	थेंजोल में पर्यटक गृह	10.83
10.	कमला नगर में (चांगटे) में पर्यटक गृह	13.25
11..	थैंगसिल में पर्यटक गृह	10.09
12.	चपचार कुट उत्सव	3.69
13.	संगाऊ (छिंतुपुई जिला) में पर्यटक परिसर	18.68
14.	तामडिल में पर्यटक गृह	17.54
15.	पैरासेलिंग	10.25
16.	तम्बुओं में आवास	5.02
17.	ट्रैकिंग उपकरण की खरीद	5.00
18.	चपचार उत्सव	3.60
	जोड़	195.97

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि रू. लाखों में
1	2	3
	मेघालय	
1.	तम्बुओं में आवास	9.77
2.	नोंगकेरम नृत्य उत्सव	1.85
	जोड़	11.62
	नागालैंड	
1.	मोकोकचुंग में पर्यटक गृह में आवास सुविधाओं को बढ़ाना	7.17
2.	सुसुंग में केफ्टेरिया	4.69
3.	माउंट जतसु, जफ्फू, बुलबाजे, तीई और सरमाटी के लिए चट्टानारोहण उपकरण	6.97
4.	पोस्टरों की छपाई	5.00
5.	मालियो पिसाईलेक (दीमापुर) में कैफेटेरिया	14.36
6.	शिलोई लेक के पास पर्यटक गृह	8.72
7.	प्रचार सामग्री के उत्पादन हेतु सहायता	5.00
	जोड़	51.91
	त्रिपुरा	
1.	अगरतला में यात्रिका	20.10
2	दम्बूर में कोकेनेट द्वीपसमूह पर कैफेटेरिया एवं पर्यटक बंगला	10.47
3.	नेहरू पार्क, अगरतला में कैफेटेरिया	4.93
4.	गंडाचेरा में पर्यटक गृह	17.03
5.	कुमार घाट पर पर्यटक बंगला	27.75
6.	मंदिर घाट पर कैफेटेरिया का निर्माण	3.29
7.	कमला सागर पर कैफेटेरिया	6.02
8.	पिल्लक में पर्यटक गृह	4.40
9.	उना कोटी चट्टान के पास कैफटेरिया	4.40
10.	हैंड ग्लाइडिंग उपकरण	12.06
11.	तम्बुओं में आवास	18.98
12.	दम्बूर लेक के लिए जलक्रीडा उपकरण	6.77
	जोड़	136.30

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योगों को ऋण

6481. डा. लाल बहादुर रावल :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 1993-94 और 1994-95 दौरान विशेषरूप से उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में और सामान्य रूप से अन्य राज्यों में लघु उद्योगों को कितना ऋण दिया गया; और

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में उक्त राज्यों में बैंक ऋणों की अदायगी के मामले में लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्र शेखर मूर्ति) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिक

6482. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रमिकों को लगाने की प्रथा को समाप्त करने की प्रधानमंत्री की घोषणा के समय तक अनुमानतः कितने बाल श्रमिक

(1) माचिस एवं आतिश कारखाना, शिवकासी, तमिलनाडु,
(2) फिरोजाबाद स्थित कांच एवं कांच की चूड़ियों के कारखाने
(3) वाराणसी एवं मिर्जापुर स्थित कालीन एवं साड़ियों की कढ़ाई के कारखानों तथा
(4) अन्य जोखिम पूर्ण कारखानों में कार्यरत थे,

(ख) क्षेत्रवार कितने बाल श्रमिकों को अब तक इन जोखिम पूर्ण कार्यों से मुक्त कराया गया है तथा उनमें से कितने बाल श्रमिकों को वैकल्पिक व्यवसायों में लगाया गया अथवा प्रशिक्षण या शिक्षा के लिए भेजा गया; और

(ग) इस दिशा में सरकार का क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) अनुमान है कि देश में 20 लाख बालक जोखिमकारी व्यवसायों में लगे हुए हैं। विभिन्न जोखिमकारी व्यवसायों में लगे बालकों के संबंध में अलग से उद्योग-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए "बाल श्रमिकों की पहचान, मुक्ति और पुनर्वास" नामक एक कार्य योजना स्वीकार की है। संक्षेप में, इसके लिए बाल श्रमिकों की पहचान, और पुनर्वास और संगत कानूनों के कड़ाई से प्रवर्तन हेतु कारगर ढंग से, कार्यवाही करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कार्यान्वयन स्तर जिलों-स्तर पर सेवाओं और योजनाओं के अभिमुखीकरण का आह्वान किया गया है। इस कार्य योजना को अपनाए जाने हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया गया है। फिलहाल, सरकार जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम, जो अनुमानतः 20 लाख है, को समाप्त करने के लिए एक प्रमुख कार्य योजना तैयार करने के कार्य में लगी हुई है। इस संबंध में योजना संचालित करने के लिए सरकार को समर्थ बनाने हेतु योजना आयोग ने वर्ष 1995-96 के लिए 34.40 करोड़ रूपये का परिव्यय पहले ही निर्धारित कर दिया है। जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सन् 2000 तक का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पर्यटन विकास

6483. श्री दत्ता मेघे :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पर्यटन के विकास हेतु महाराष्ट्र को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सहायता से महाराष्ट्र में कौन-कौन से पर्यटक स्थल विकसित किए गए और वे कहां-कहां पर हैं;

(ग) मार्च, 1995 तक केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पर्यटन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य में पर्यटन के विकास के लिए 546.25 लाख रूपए की लागत की 28 परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की थी।

(ख) राशि और उसके स्थानों सहित स्वीकृत परियोजनाओं/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत उन सभी परियोजनाओं/ स्कीमों को जिन्हें पूर्ण एवं मार्गनिर्देशों के अनुसार पाया गया था। स्वीकृत कर दिया गया है।

विवरण

1993-94 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं/स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति राशि (रू. लाख में)
	महाराष्ट्र	
1.	गणपतिपुले जिला रत्नगिरी (कोंकण परिपथ) में (समुद्र तटीय कुटीरें) पर्यटल परिसर का निर्माण	26.57
2.	मथेरन (पहाड़ी, स्टेशन, जिला रायगढ़) में पर्यटक परिसर का निर्माण	16.39
3.	महाबलेश्वर (पहाड़ी स्टेशन, जिला सतारा) में पर्यटक परिसर का निर्माण	23.46
4.	फर्दपुर (जिला - औरंगाबाद) में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.25
5.	हरिहरेश्वर, श्रीवर्धन जिला रायगढ़ कोंकण परिपथ में तटीय कुटीरों का निर्माण	24.88
6.	कोंकेश्वर, तालुक ढिगार जिला - सिंधुदुर्ग में पर्यटक परिसर का निर्माण	24.80
7.	भंडारडारा, अकोला तालुक, जिला अहमदनगर में लेक विठ रिसोर्ट का निर्माण	27.00
8.	महेड, रायगढ़ जिले कोंकण परिपथ में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	7.33
9.	गोल्फ कोर्स बम्बई का उन्नयन	35.61
10.	गोल्फ कोर्स, पुणे का उन्नयन	48.00
11.	10 एचपी ओ बी एम एस (20+35) सहित 6 वाटर स्कूटरों की खरीद	4.67
12.	सेरोढ़ा और मथपुर के लिए 100 सेल्फ कन्टेन्ड टैंट्स की खरीद	12.80
13.	जलक्रीड़ा उपकरणों की खरीद	20.54
14.	गणेश उत्सव	7.33
15.	अजन्ता, एलोरा गाइड-बुक के लिए प्रचार सहायता	5.48
	जोड़	309.11

1994-95 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं / स्कीमें

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाखों में)
	महाराष्ट्र	
1.	गगनवाडा में पर्यटक परिसर	25.02
2.	कुडाल में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	6.85
3.	पनहाला में पर्यटक परिसर	25.02
4.	तरकरली म पर्यटक परिसर	23.21
5.	विजयदुर्ग में पर्यटक परिसर	23.21
6.	वसीम में पर्यटक परिसर	23.65
7.	नावों की खरीद	27.13
8.	कारवां की खरीद	32.40
9.	टू सीटर होवर क्राफ्ट्स की खरीद	27.00
10.	फाइव सीटर होवर काफ्ट्स की खरीद	10.80
11.	गणेश उत्सव के लिए सहायता	5.00
12.	एलीफेन्टा उत्सव	2.37
13.	प्रचार सहायता	5.48
	जोड़	237.14

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र को निर्यात हेतु सुविधाएं

6484. **श्री पी. सी. थामस :**

श्री छेदी पासवान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग क्षेत्र को सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र द्वारा निर्यात को बढ़ाने के लिए गत तीन वर्ष के दौरान दिए गए योगदान का कोई मूल्यांकन किया है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संशोधित आयात-निर्यात नीति से उपरोक्त क्षेत्रों में हमारे निर्यात में वृद्धि हो पायेगी;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्यात में कितनी वृद्धि होगी; और

(ज) सरकार द्वारा सोफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने और इनकी वर्तमान स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न सुविधाएं दे रही है जैसे चुनिन्दा निर्यात योग्य लघु औद्योगिक इकाईयों की सरकारी खर्च पर प्रदर्शनियां आयोजित करना। देश के विभिन्न भागों में निर्यात के लिए पैकेजिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ताकि एस.एस. आई. निर्यातकों को नवीनतम पैकेजिंग स्टैण्डर्ड/तकनीक से परिचित कराया जा सके, एस. एस.आई विनिर्माताओं/निर्यातकों को तकनीकी और प्रबन्धकीय परामर्श की व्यवस्था करना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.) निर्यात बढ़ाने में एस.एस.आई. सेक्टर के अंशदान के बारे में उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है:

	1991-92	1992-93	1993-94
		करोड़ रूपये	
एस.एस.आई. सेक्टर से निर्यात	13883	17785	25307
कुल निर्यात	44042	53688	69751
प्रतिशत हिस्सा	31.5	33.1	36.3

(च) तथा (छ) संशोधित आयात-निर्यात नीति एवं मध्यम श्रेणी के निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करती है। निर्यात घटाने/व्यापार घटाने / स्टार व्यापार घराने / सुपर स्टार व्यापार घराने का दर्जा प्रदान करने में, जिसका निर्णय निर्यात निष्पादन के स्तर के आधार पर किया जाता है, अर्हता का दर्जा पाने के प्रयोजन के लिए लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्यात से अर्जित निवल विदेशी मुद्रा अथवा एफ ओ बी मूल्य पर लघु उद्योगों की दोगुनी तरजीह दी जाती है। दिनांक 30.4.1995 की स्थिति के अनुसार नियम पुस्तिका के संशोधित प्रसंस्करण में दिए गए उपबंधों के अनुसार लघु उद्योगों हथकरधा और हाथ से बने कालीनों रेशम उत्पादों और खेल सामग्री सहित हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यातकों को 1 प्रतिशत एस आई एल की अनुमति दी जाएगी बशर्ते इन उत्पादों का निर्यात उनके कुल निर्यात के 50 प्रतिशत से भी अधिक हो।

(ज) सरकार द्वारा दिनांक 30.4.95 को अधिसूचित संशोधित ई एच टी पी एवं एस टी पी योजनाओं के कार्यान्वयन से तथा चालू आयात-निर्यात नीति के विभिन्न प्रावधानों से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का निर्यात बढ़ाने की आशा है। साफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए धारा 80 एच एच सी और 80 एच एच ई के रूप में निर्यात प्रोत्साहन वर्ष 1995-96 के लिए भी जारी रहेंगे।

हेरोइन की तस्करी

6485. **श्री प्रकाश वी. पाटील :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1995 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में 'इंडियन कैमिकल फीडिंग हेरोइन पाक' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी की इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) हेरोइन तथा मैथाक्वालोन बनाने के लिए एसीटिक ऐनहाइड्राइड एक प्रारंभिक रसायन है जिसे एन0डी.पी.एस0 एक्ट के अधीन एक नियंत्रित पदार्थ घोषित किया गया है तथा एसीटिक एन्हाइड्राइड के निर्माण 'वितरण' विक्रय, निर्यात तथा उपभोग को नियंत्रित करने के लिए एक विनियमन आदेश जारी कर दिया है। सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन रसायन के संचालन को भारत पाक सीमा के 50 कि.मी. तथा भारत म्यांमार सीमा के 100 कि.मी. के भीतर नियंत्रण में रखा गया है। ऐसीटिक एन्हाइड्राइड के आयात एवं निर्यात को भी नियंत्रित किया गया है।

सभी प्रवर्तन एजेंसियों का यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी. एस एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकरियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन और संचार उपस्कर उपलब्ध करा दिए गए हैं। भारत पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी है। एसेसिटक एन्हाइड्राइड की निम्नलिखित मात्रा (लीटर में) जब्त की गई है।

1993	1994	1995 (30.4.1995 तक) (अनंतिम)
19758	47740	3284

विदेशी मुद्रा लेन-देन करने वाले बैंक

6486 श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने वाले बैंक बहुत कम हैं,

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बैंकों की शाखाओं की संख्या बढ़ाने का या विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए कुछ अन्य बैंकों की अनुमति देने का है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस समय विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए 81 बैंकों को प्राधिकृत किया गया है। इन बैंकों की 21,000 से अधिक शाखाओं द्वारा विदेशी मुद्रा का लेन-देन किया जाता है।

(ग) से (ङ) किसी बैंक को विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए लाइसेंस समग्र रुप से प्रदान किया जाता है और बैंक विदेशी मुद्रा कारोबार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से शाखा-वार अनुमोदन प्राप्त किए बिना अपनी शाखाओं को पदनामित करने के लिए स्वतंत्र है। संबंधित बैंकों द्वारा शाखाओं की संख्या में वृद्धि या कमी कारोबार की मात्रा के आधार पर की जाती है।

दूसरे देशों से वाणिज्यिक ऋण लेना

6487. श्री महेश कनोडिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से वाणिज्यिक ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल बना दिया/बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं । विद्यमान प्रक्रियाओं के अन्तर्गत एक वर्ष तक की अन्तिम परिपक्वता वाले अल्पावधिक उधारों के लिए स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है और अन्य सभी विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए स्वीकृति वित्त मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

बैंक के मृत कर्मचारियों के परिवारों को मुआवजा

6488. श्री दत्तात्रेय बंडारु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंक डकैतियों के दौरान मारे गए/घायल हुए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार अथवा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई,

(ख) यदि हां, तो बैंक वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क से ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी परामर्श सेवाएं

6489. श्री अन्ना जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय परामर्श सेवा क्षेत्र की लागत पर विदेशी परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति अथवा दिशा-निर्देश तैयार किए है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय परामर्श सेवाओं की वृद्धि दर का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय परामर्श सेवा क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए इन दिशा निर्देशों को रद्द करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित परामर्शी सेवाओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा तथा वृद्धि दर निम्नानुसार है :

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा	वृद्धि दर (करोड़ रू. में)
1991-92	720	
1992-93	831	15 प्रतिशत
1993-94	1369	64 प्रतिशत
1994-95	1700 अनुमानित	24 प्रतिशत

(स्रोत एफ.आई.ई.ओ.)

(घ)से (च). प्रश्न नहीं उठते ।

[अनुवाद]

सेबी द्वारा अध्ययन

6490. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री सूरज मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शेयर बाजार में वर्तमान सैटलमेंट सिस्टम में सुधार लाने/आसान करने के लिए प्रयास किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबा) प्रतिभूति कारोबार में अधिक शीघ्र निपटान प्रणाली के लिए निरन्तर कार्य करता रहा है और उसके प्रयासों के परिणामस्वरूप स्टॉक एक्सचेंजों ने आम तौर पर नकद शेयरों में सात दिन के निपटान चक्र का पालन करना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

ऋणग्रस्तता

6491. श्री राजनाथ सोनकरी शास्त्री :

श्री पी. कुमारसामी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ऋणग्रस्तता इस हद तक बढ़ गई है कि 1993-94 के दौरान इसे 214 करोड़ रूपये प्रतिदिन या लगभग 9 करोड़ रूपये प्रति घंटे देना पड़ता था;

(ख) यदि हां; तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं;

(ग) देश पर इस भारी ब्याज दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान उपरोक्त भाग (क) में दी गई स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) : वर्ष 1993-94 में केन्द्र सरकार के कुल सरकारी ऋण और अन्य देयताओं में 214 करोड़ रूपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि हुई है। तथापि, वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) और 1995-96 (बजट अनुमान) में इसमें क्रमशः 204 करोड़ रूपए और 161 करोड़ रूपए प्रतिदिन की दर से वृद्धि होने की संभावना है।

(ख) कुल व्यय और गैर-ऋण सृजनकारी पूंजीगत प्राप्तियों सहित राजस्व प्राप्तियों के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उधारों का सहारा लिया जाता है।

(ग) राजकोषीय घाटे में कमी करके ही ब्याज का भार कम किया जा सकता है। चालू वर्ष में राजकोषिय घाटे को बजटीय स्तर पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास किए जाएँगे।

विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

6492. डा. रमेश चंद तोमर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रतिवर्ष कौन-कौन से विभिन्न ऋण लिए गए; और

(ख) अभी तक कितनी मूल राशि और ब्याज का भुगतान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त किये गए कुल विदेशी ऋणों की राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1974	2826	1683
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	3407	2083	3100
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	2436	4096	820

(ख) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अदा किये गए मूलधन और ब्याज के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :

(करोड़ रूपए में)

	1992-93		1993-94		1994-95	
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज
अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1795	1896	2216	1938	2372	1987
अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक	479	338	548	358	608	383
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	890	448	817	654	412	810

बेरोजगारी भत्ता

6493. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें शिक्षित बेरोजगार युवकों को मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की योजना है तथा इसके लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) भत्ते की राज्य-वार दर क्या है; और

(ग) 1 अप्रैल, 1995 तक लाभार्थियों की संख्या अनुमानतः कितनी थी?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.टी.सी. प्रबंधन तथा बी.ए.टी. उद्योग के बीच विवाद

6494. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटेन के बी.ए.टी. उद्योगों तथा आई.टी.सी. प्रबंधन के बीच विवाद के बारे में जानकारी है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार अथवा इस विवाद के निपटारे से जुड़ी विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने सूचित किया जाता है कि किसी सहायता प्राप्त कंपनी में प्रवर्तकों और व्यावसायिक प्रबंधन के बीच विवाद की स्थिति में वित्तीय संस्थायें कंपनी के हित, व्यावसायिक प्रबंधन का पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड तथा विवाद का स्वरूप और उसकी अंतर्वस्तु को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं के हितों का त्याग किए बगैर उचित कार्यवाही करती है। तथापि बैंकों में प्रचलित रीतिरिवाजों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली सांविधियों के उपबंध के अनुसार एवं लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार भी किसी ग्राहक से संबंधित सूचना प्रकट नहीं की जा रही है।

तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6495. श्री पी. कुमारासामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ब्यौरा क्या है और उनके प्रायोजक बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक बैंक द्वारा वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान प्राप्त की गई जमाराशियों तथा दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक बैंक को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन बैंकों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तमिलनाडु राज्य में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। उनके तथा उनके प्रायोजक बैंकों के नाम निम्नलिखित हैं :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम	प्रायोजक बैंकों के नाम
अधियमान ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक
वल्लालर ग्रामीण बैंक	इंडियन बैंक
पाण्डयान ग्रामीण बैंक	इंडियान ओवरसीज बैंक

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 के दौरान इन बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों, प्राप्त जमा राशियों और घाटे की राशियां निम्नलिखित हैं :

(लाख रूपए)

बैंक का नाम	जमा	वितरण	घाटा
अधियमान ग्रामा बैंक	958.05	686.05	65.89
वल्लालर ग्रामा बैंक	885.95	245.65	16.01
पाण्डयान ग्रामा बैंक	7829.90	5244.15	525.91

वर्ष 1994-95 में आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं और दिसम्बर 1993 में उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई थी। देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का चयन व्यापक पुनर्संरचना के लिए किया गया है।

इन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त अनुभव का लाभ आगे चलकर अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इसके अलावा, जनवरी, 1995 से आर बी आई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति प्रदान की है कि वे अपने प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी गैर-जोखिम शेयर भागीदारी के जरिए अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियों सहित विशिष्ट लाभप्रद क्षेत्रों में अपने गैर-एस एल आर निधियों का निवेश करें।

देश के जिन 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का चयन व्यापक पुनर्संरचना हेतु किया गया है उनमें तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् वल्लालर ग्राम बैंक भी शामिल है।।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पूंजीगत पुनर्गठन और संयुक्त उद्यम

6496. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के उनके मंत्रालय को पूंजीगत पुनर्गठन संबंधी कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और पुनर्गठन और विविधीकरण में कुल कितनी पूंजी/इक्विटी अंतर्गत हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम ने पूंजीगत पुनर्गठन की प्रक्रियाओं के साथ कई संयुक्त उद्यम शुरू करने का प्रस्ताव भी किया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के माध्यम से सारणीकृत अनेक मदों के आयात और निर्यात का गैर-सारणीकृत कर दिए जाने के फलस्वरूप, सरकार इसको इस प्रकार से पुनराभिमुख करने की आवश्यकता की समीक्षा इस प्रकार करने पर विचार कर रही है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा प्रतियोगी वातावरण के अनुरूप हो। प्रचलित उदारीकृत वातावरण में एस.टी.सी. के व्यापार संबंधी क्रियाकलापों के पुन: अभिमुखीकरण के एक भाग के रूप में एस.टी.सी. पूंजीगत पुनर्गठन तथा विविधीकरण के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

(घ) और (ड.) जी, हां। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन निर्यातों के अपने आपूर्ति आधार को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित करने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए इसे उन उद्यमियों से कुछेक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो इसके साथ पुष्पोत्पादन, मत्स्य पालन, इस्पात, बागवानी, औषध तथा भेषजीय आदि जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का प्रौद्योगिक विकास और आधुनिकीरण कोष

6497. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** :

श्री राम विलास पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु एककों की निर्यात क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी सहायता हेतु करोड़ों रूपयों की प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण कोष स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसके लिए तैयार की गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से प्रभावी होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने अप्रैल 1995 में प्रौद्योगिक विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना (टीडीएमएफएस) शुरू की थी ताकि लघु औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी निर्यात करने की क्षमताओं को मजबूत बनाया जा सके। टी डी एम एफ एस का 200 करोड़ रूपए का संग्रह है। टी डी एम एफ एस के तहत सहायता के लिए पात्रता मानदण्ड में अन्यों के साथ - साथ ये शामिल हैं :-

(i) अनुषंगी इकाइयों सहित लघु औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां जो आधुनिकीकरण/प्रोद्योगिकी/प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम के परिव्यय का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) इकाइयों को कम से कम तीन वर्ष तक परिचालन में रहना चाहिए।

(iii) जो इकाइयां पहले से ही अपने उत्पादों का निर्यात कर रही हैं या जिनमें आधुनिकीकरण योजना अपना कर अपने उत्पादों का कम से कम 25 प्रशित निर्यात करने की क्षमता का है, और

(iv) जिन इकाइयों में संस्थाओं या बैंकों के प्रति चूक नहीं की है।

किसी एक बैंक शाखा की सेवाओं से लाभान्वित जनसंख्या

6498. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किसी एक बैंक शाखा की सेवाओं से औसतन कितनी जनसंख्या लाभान्वित होती है, और

(ख) किसी एक बैंक शाखा की सेवाओं से लाभान्वित अखिल भारतीय औसत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में किसी बैंक शाखा की सेवा से लाभान्वित होने वाली औसत जनसंख्या और किसी बैंक शाखा की सेवा से लाभान्वित होने वाली अखिल भारतीय औसत जनसंख्या 10,000 (1931 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है) है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के वेतनमान

6499. **डा. साक्षी जी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) : जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय के कर्मचारियों के संबंध में वेतनमानों और औद्योगिक मंहगाई भत्ता पद्धति के तहत अन्य भत्तों के संशोधन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) चूंकि इसमें बहुत सी सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं इसलिए इसका सही समय बता पाना सम्भव नहीं है कि कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा झींगा मछली पालन की समीक्षा

6500. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.पी.ई.डी.ए. के पास आन्ध्र प्रदेश में एम.पी.ई.डी.ए.

प्रायोजित खारा झींगा मछली पालन के कारण प्रदूषण के प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु आवश्यक मूलभूत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या एम.पी.ई.डी.ए. द्वारा झींगा मछली पालन के प्रभाव की वार्षिक आधार पर नियमित समीक्षा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ड.) : एम्पीडा तथा इस क्षेत्र में कार्यरत राज्य मे मत्स्य विभाग तथा खारा पानी किसान विकास एजेंसी जैसी अन्य एजेंसियों आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन दे रही है।

आंध्र प्रदेश की सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय खारा पानी मत्स्य पालन संस्था सी.आई.बी.ए. तथा एम्पीडा क्षेत्र स्तर पर स्थिति की मानिटरिंग कर रहे हैं। झींगा पालन के प्रभाव का आकलन करने तथा पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए एम्पीडा ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन.ई.ई. आर.आई.) द्वारा एक अध्ययन भी कराया है। इस अध्ययन में निस्सारी अभिक्रिया व्यवस्थाओं सहित मत्स्य पालन में पर्यावरण प्रबंधन के लिए डिजाइन और सुझाव दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश की सरकार ने पर्यावरण संबंधी संकटों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के बारे में झींगा पालन करने वाले किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है तथा राज्य में मत्स्य पालन क्रियाकलाप का नियमन करने के लिए कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

वस्त्र प्रशिक्षण संस्थाएं

6501. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस समय कितनी वस्त्र प्रशिक्षण संस्थाएं विशेषरूप से वस्त्र पहनावे/रंगाई/छपाई और डिजाइन के लिए कितनी हथकरघा वस्त्र प्रशिक्षण संस्थाएं चलाई जा रही हैं,

(ख) इन संस्थाओं में प्रतिवर्ष कुल कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसी और संस्थाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय गुवाहाटी, सेलम, वाराणसी, जोधपुर में 4 भारतीय हथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान चला रहा है। ये संस्थान हथकरघा प्रोद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। सेलम और वाराणसी में स्थित दो संस्थान वस्त्र रसायन में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चला रहे हैं।

(ख) इन संस्थानों में कुल 157 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है और इन चारों संस्थानों में विभिन्न राज्यों को आंबटित स्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

	गुवाहाटी संस्थान			सेलम संस्थान	
1.	असम	8	1.	केरल	7
2.	मेघालय	2	2.	तमिलनाडु	18
3.	मनीपुर	8	3.	पाण्डिचेरी	4
4.	त्रिपुरा	4	4.	कर्नाटक	18
5.	नांगालैंड	2	5.	आन्ध्रप्रदेश	12
6.	अरूणाचल प्रदेश	2	6.	गोवा	1
7.	मिजोरम	2			
8.	सिक्किम	1			
		29			60

	वाराणसी संस्थान			जोधपुर संस्थान	
1.	उत्तर प्रदेश	13	1.	मध्य प्रदेश	6
2.	बिहार	3	2.	पंजाब	2
3.	उड़ीसा	7	3.	हरियाणा	2
4.	पश्चिम बंगाल	5	4.	दिल्ली	3
5.	हिमाचल प्रदेश	3	5.	राजस्थान	9
6.	जम्मू व कशमीर	4	6.	गुजरात	3
7.	महाराष्ट्र	8			
		43			25

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एक समान बिक्री कर

6502. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

श्री कोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक-समान बिक्री कर प्रणाली के मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में पूंजी निवेश कर्ताओं को बढ़ावा देने के साथ ही देश में समस्या रहित पूंजी निवेश का माहौल प्रदान करने हेतु एकल कराधान प्रणाली का प्रस्ताव किया है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राज्य स्तर पर कराधान को युक्ति संगत बनाए जाने को ध्यान में रखते हुए, राज्य स्तर पर कर सुधारों पर विचार-विमर्श करने के लिए 27 मई, 1994 को राज्यों में वित्त मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में बिक्री कर की दरों को सुमेलित

बनाए जाने की आवश्यकता पर सर्वसम्मति थी। सम्मेलन में दर संरचना को सुमेलित बनाए जाने सहित कर सुधारों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन करने का संकल्प लिया।

[अनुवाद]

नामित निदेशकों हेतु विवेकपूर्ण मानक

6503. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों के बोर्डों पर अपने नामित निदेशकों को बैंकों के प्रबंधन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित विवेकपूर्ण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए है; और

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों के बोर्डों पर नामित निदेशकों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1992 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड निर्धारित किए हैं। इसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में सभी सरकारी निदेशकों की जानकारी में लाया गया है।

[अनुवाद]

परिधानों का निर्यात

6504. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किए जाने वाले सिले-सिलाए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस गुणवत्ता की जांच कौन सी एजेंसी करती है; और

(ग) इस जांच के समय गुणवत्ता का आंकलन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी; नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आरक्षण

6505. श्री रतिलाल वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के श्रेणी III तथा IV में क्या अधिकारी वर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्या है तथा किस तारीख से ये पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को अब तक नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक भर दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बताया है कि उसके पास इस समय अधिकारी वर्ग, श्रेणी III और IV स्तर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को बैंकलॉग इस प्रकार है :-

संवर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
श्रेणी I के अधिकारी	7	2
श्रेणी III	37	71
श्रेणी IV	29	14

(ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण वह बैकलॉग को भरने में असमर्थ रहा है। तथापि, इसने देश के सभी क्षेत्रों में विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैंकलॉग को भरने के लिए पहले से ही कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

छोटे निवेशकों हेतु दिशानिर्देश

6506. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के पास छोटे निवेशकों हेतु नए दिशानिर्देश जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पब्लिक एवं राइट इश्यूस के संबंध में ''सेबी'' के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करने वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों पर बकाया ऋण

6507. श्री अंकुशराव टोपे :

डा. पी. वल्लन पेरुमान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने केन्द्र के राज्यों पर बकाया ऋण को बट्टे खाते में डालने की योजना की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). दसवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए ऋण राहत की निम्न प्रकार से सिफारिश की है:-

(i) राजकोषीय निष्पत्ति से जुड़े सभी राज्यों के लिए सामान्य ऋण राहत की योजना। इस योजना में, राज्यों की राजकोषीय निष्पत्ति में सुधार को एक दिए गए, वर्ष में कुल राजस्व व्यय के लिए राजस्व प्राप्तियों अंतरण और केन्द्र से मिले अनुदानों सहित के अनुपात को तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों में संगत अनुपात के औसत के साथ तुलना करके आंका जाना होता है। आयोग द्वारा सिफारिश की गई ऋण राहत 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के प्रत्येक वर्ष में देय होने वाली बट्टे खाते डाली जा रही ऋण की पुनः अदायगी निश्चित प्रतिशत के रूप में है। केवल वे पुनः अदायगियां जो 1989-95 के दौरान राज्यों के लिए नए केन्द्रीय ऋणों से संबंधित है और 31 मार्च, 1995 को बकाया के रूप में है, शामिल की जानी है।

(ii) सभी विशेष श्रेणी के राज्यों और तीन अन्य राज्यों अर्थात उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिन्हें उच्च राजकोषीय दबाव लाने राज्यों के रूप में चित्रित किया जाता है, के लिए विशेष राहत। इन राज्यों के लिए, आयोग ने 1989 - 95 के दौरान दिए गये नए केन्द्रीय ऋणों तथा 31 मार्च, 1995 को बकाया से संबंधित देय ऋण की वापसी के 5 प्रतिशत को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की है। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि इस योजना में, राज्य का दर्जा पाने जा रहे संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात अरूणाचल प्रदेश मिजोरम और गोवा) की देयताओं से संबंधित नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर समेकित किए गए ऋणों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) पंजाब सरकार को अग्रिम रूप में दिए गए विशेष अवधि ऋणों के 1995-2000 के दौरान देय होने वाले मूलधन की पुनः अदायगी के एक तिहाई को बट्टे खाते डालना।

(iv) अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रबन्ध के अधीन खरीदे गए हेलीकाप्टरों के संबंध में अदायगी के लिए ऋण को बट्टे खाते डालना।

(v) इसके अतिरिक्त आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार, उसकी शेयर पूंजी का विनिवेश करके राज्यों द्वारा लौटाए गए ऋण के बराबर ऋण को अतिरिक्त बट्टे खाते में डाले। तथापि इसे 31 मार्च, 1995 के अनुसार राज्यों के साधारण पूंजी निवेशों के 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है।

(ग) सामान्य ऋण राहत के लिए योजना के बारे में आदेश 1996-97 के आगे वर्षवार जारी किए जाने हैं। राज्य सरकार की धारित साधारण शेयर पूंजी के विनिवेश से प्राप्त राशि से ऋण के लौटाए जाने के कारण राहत के बारे में आदेश, राज्य सरकारों से जैसे ही कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा, जारी किए जाएँगे। अन्य योजनाओं के बारे में राशियों को बट्टे में डालने के लिए आदेश चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए जाएंगे।

सूत का आयात

6508. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कुछ फाइबर और सूत के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी0 वेंकट स्वामी) : (क) देश में फाइबर/यार्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन मदों के आयात को मौजूदा निर्यात आयात नीति के अन्तर्गत मुक्त रूप से अनुमति दी जाती है और इन मदों के आयात के लिए सरकार की कोई विशेष अनुमति अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

बजट घाटा

6509. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को बजट घाटे में कटौती लाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोष के अध्यक्ष ने हाल ही में यह टिप्पणी की है कि भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यान्वयन धीमा पड़ गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ.) सुधार प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ.) जुलाई, 1991 में शुरू की गयी वृहत आर्थिक स्थितिकरण और सुधारों की सरकारी नीति का मुख्य मुद्दा राजकोषीय घाटे को कम करना रहा है। राजकोषीय समेकन में प्रारम्भिक सफलता के पश्चात् वर्ष 1993-94 में गिरावट आई और 1994-95 में घाटे का दवाब जारी रहा। 1995-96 का केन्द्रीय बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने संसद को सम्बोधित अपने भाषण में कहा है कि हमें अपने राजकोषीय घाटे को कृतसंकल्प होकर नियंत्रित रखना होगा ताकि सुधार कार्यक्रमों को जारी रखा जा सके और सामाजिक न्याय के साथ विकास के अपने मूल उद्देश्य सुनिश्चित किये जा सकें। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की राहत समिति की बैठक की पूर्व संध्या में अप्रैल, 1995 को प्रैस कान्फ्रेंस में यही विचार दोहराया था। सरकार व्यापार, कराधान, वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, औद्योगिक नीति और सामजिक सेवाओं की सुपुर्दगी प्रणाली के क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम, के लाभों का समेकन करने के लिए कदम उठा रही है।

जबलपुर के लिए उड़ानें

6510. श्री हरिन पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर से "इंडियन एयरलाइन्स" एवं "वायुदूत" की उड़ानें रद्द कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उड़ानों को पुन: शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख). जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स/वायुदूत ने वाणिज्यिक और प्रचालनात्मक कठिनाईयों के कारण, जबलपुर से अपनी सेवाएं हटा ली हैं।

(ग) इस समय इंडियन एयरलाइन्स/वायुदूत की जबलपुर के लिए अपनी सेवाओं को पुन: बहाल करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

तुर्की में निवेश

6511. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को तुर्की में वस्त्र एवं निर्माण क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है;

(ख) क्या जनवरी, 1995 में तुर्की के एक व्यापारी शिष्टमंडन ने भारत की यात्रा की थी;

(ग) क्या भारत एवं तुर्की के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) तुर्की भारतीय उद्यमियों सहित विदेशी पूंजी निवेशकों को समान अवसरों की पेशकश करता है। यह पूंजीनिवेश वस्त्रों अथवा किसी भी अन्य विनिर्माण क्षेत्र में हो सकता है।

(ख) जी, हां। तुर्की के राष्ट्रपति की जनवरी-फरवरी में भारत यात्रा के दौरान उनके साथ एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल आया था।

(ग) और (घ). जी, हां। तुर्की के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों सरकारों ने दोहरे कराधान से बचने संबंधी करार और पर्यटन के क्षेत्रज्ञ में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए।

[हिन्दी]

मारजिन मनी स्कीम

6512. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धन बुनकरों हेतु शुरू की गई मारजिन मनी स्कीम के अंतर्गत राज्यवार कितने बुनकर लाभान्वित हुए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितना अनुदान जारी किया?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	तीन वर्ष में शामित बुनकर	3 वर्ष में जारी अनुदान		
1	2	3	4	5	6
			1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	5630	3.00	72.60	4.50
2.	असम	5900	38.00	40.00	19.00
3.	बिहार	8059	18.00	25.50	55.09
4.	गुजरात	316	.	1.46	2.06
5.	हिमाचल प्रदेश	452	2.20	2.27	2.44
6.	जम्मू कश्मीर	469	-	3.19	1.50
7.	कर्नाटक	2158	-	19.08	2.50
8.	केरल	2499	7.72	9.53	18.75
9.	मध्य प्रदेश	3814	1.85	0.50	35.79
10.	महाराष्ट्र	150	-	1.00	1.00
11.	मनीपुर	7950	-	13.00	66.50
12.	मिजोरम	820	-	-	8.20
13.	नागालैंड	50	-	-	0.50

1	2	3	4	5	6
14.	उड़ीसा	6650	50.50	29.50	19.50
15.	पंजाब	201	-	1.08	0.50
16.	राजस्थान	55	0.10	-	0.50
17.	सिक्किम	304	-	-	3.04
18.	तमिलनाडू	3819	1.00	38.19	22.64
19.	त्रिपुरा	800	-	1.00	8.00
20.	उत्तर प्रदेश	5338	10.10	21.64	27.44
21.	पश्चिम बंगाल	250	-	5.50	0.50
	योग	55.684	132.47	285.04	299.95

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु बैंकों को पुनवित्त

6513. श्री आनंनद रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सिडबी" और "नाबार्ड" ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पुनर्वास करने के लिए बैंकों को आसान शर्तों पर पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या वह पुनर्वित्त सुविधा पुरानी मशीनों के लिए भी प्रदान की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी तरह का निगरानी तंत्र बनाया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का लेखा-परीक्षा दल

6514. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकलापों की सर्वांगीण लेखा-परीक्षा शुरू करने के लिये श्री एम. पी. चिताले के नेतृत्व में एक लेखा-परीक्षा दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निदेशपद क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बताया है कि जनवरी, 1995 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा मैसर्स चिताले एण्ड कंपनी, की लेखा परीक्षा फर्म को ट्रस्ट की नीतियों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों की ब्यौरेवार समीक्षा करने तथा निवेशों और निवेशक सेवा से संबंधित भारतीय यूनिट ट्रस्ट के प्रचालनों के संबंध में सुझाव देने का अनुरोध किया गया था। समीक्षा हेतु विचारणीय विषय निम्नानुसार है :

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963, भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियम, 1964 और सेबी के दिशानिर्देशों के उपबंधों, जहां भी लागू हों, के संदर्भ में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्य-निष्पादन और अनुपालन का मूल्यकंन करना;

(ख) अधिनियम अथवा विनियमों में अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति द्वारा अथवा संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित निवेश संबंधी मापदंडों के अनुपालन की जांच करना :

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा ब्रोकरों को दिए गए कारोबार - विस्तार को नियंत्रित करना;

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपनाए जा रहे निवेश संबंधी बाजार व्यवहारों के संबंध में समीक्षा, टिप्पणी करना और सुझाव देना;

(ङ) स्वयं भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपनाए जा रहे निवेशक सेवा-संबंधी व्यवहारों की समीक्षा करना, उन पर टिप्पणी करना तथा सुझाव देना; और

(च) आर.टी.ए. को सौंपी गई योजनाओं के संबंध में रजिस्ट्रारों और अन्तरण एजेंटों (आर.टी.ए.) को मॉनीटर करने हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपनाई जा रही नीतियों, व्यवहारों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, उन पर टिप्पणी करना तथा उनके संबंध में सुझाव देना।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तम्बाकू नीलामी केन्द्र की स्थापना

6515. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र के तम्बाकू उत्पादकों से राज्य में किसी तम्बाकू नीलामी केन्द्र की स्थापना करने तथा उत्पादकों को उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रशन नहीं उठते।

[अनुवाद]

टैक्सटाइल सिटी

6516. **श्री एन.जे. राठवा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कोई टैक्सटाइल सिटी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है/ की जाएगी; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किया जाएगा?

वस्त्र मंत्री (श्री जे. वेंकट स्वामी) : (क) से (घ) : सरकार का देश में कोई वस्त्र नगर स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि वस्त्र मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन एव स्वायत्त निकाय है, ने आन्ध्र प्रदेश में वस्त्र नगर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। ए ई पी सी द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

बकाया ब्रिजलोन

6517. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को कई महीनों से बकाया पड़े सभी प्रकार के ब्रिज लोनों के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों द्वारा दिए गए ब्रिज लोन को स्टाक मार्केट में खर्च किये जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों से कहा है कि उन तात्कालिक ऋणों की प्रमात्रा की जानकारी दे जिनकी मंजूरी उन्होंने दो तथा जो उनकी पुस्तकों में छः महीनों से अधिक समय से बकाया है। तथापि, बैंकों, में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में संचालित करने वाले कानूनों और साथ ही लोक वित्तीय संस्था (विश्वसनीय और गोपनीयता विषयक बाध्यताएं) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग संघटकों से संबंधित जानकारी प्रकट नहीं की जा सकती है।

(ग) और (घ) : आर बी आई ने सूचित किया है कि 01 दिसम्बर, 1993 से 31 मार्च, 1994 की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा स्वीकृत 5 करोड़ रूपए और अधिक से तात्कालिक ऋणों की नमूना जांच से ऋणकर्ताओं द्वारा तात्कालिक ऋणों के विशिष्ट दुरूपयोग का पता नहीं चलता है। परन्तु यह पाया गया था कि बैंक दी गई निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर थे।

(ङ.) आर बी आई ने सूचित किया है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्गमों/ बाजार उद्योग के बदले तात्कालिक ऋण / अन्तरिम वित्त स्वीकृत करने पर दिनांक 17 अप्रैल, 1995 से रोक लगा दी गई है।

उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात

6518. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित अधिकतर वस्तुएं विशेष रूप से खाद्य पदार्थ स्वदेशी उपभोक्ता को क्षति पहुंचा कर निर्यात कर दिये जाते हैं;

(ख) क्या घरेलू बाजार में उपभोक्ता अपने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं कर पाते है; और

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) उपभोक्ता मदों, विशेषरूप से खाद्य मदों का निर्यात समग्र उपलब्धता की तुलना में नगण्य मात्रा में होता है।

सरकार की यह नीति है कि कृषि जन्य वस्तुओं का निर्यात संवर्धन इस तरीके से किया जाए कि आम खपत की मदों की घरेलू उपलब्धता पर प्रति कूल प्रभाव नहीं पड़े और जब इनकी उचित कीमतों पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत हो तब इनके आयात की अनुमति दी जाए।

'यूको' बैंक

6519. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'यूको' बैंक ने 1994-95 के दौरान अपनी कुछ शाखाओं को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 'यूको बैंक' के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और(ख) : जी, हां । यूको बैंक द्वारा 1994-95 के दौरान बंद की गई शाखाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इन शाखाओं को इसलिए बन्द किया गया था क्योंकि उन्हें हानियां हो रही थीं और वे अलाभप्रद हो गई थीं।

क्रम सं.	राज्य	केन्द्र
1.	कर्नाटक	रायचूर
2.	गुजरात	अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा
3.	गुजरात	अहमदाबाद, सारंगपुर
4.	बिहार	बारमसिया
5.	बिहार	चैना
6.	बिहार	धमकुंड
7.	बिहार	केनौर
8.	बिहार	कोटराचक
9.	बिहार	नवगांव
10.	बिहार	रंगा
11.	बिहार	श्रीपठार
12.	बिहार	गोधना
13.	बिहार	मोहन्त
14.	बिहार	मनहेरिया
15.	उत्तर प्रदेश	मेरठ,बागपत रोड़
16.	राजस्थान	असवाड़ी
17.	मध्य प्रदेश	नोऐस

सैटेलाइट कार्यालयों में परिवर्तित।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक, यूको बैंक को लाभप्रद स्थिति में लाने के वास्ते कार्य नीतियों का सुझाव देने के लिए गहन अध्ययन करा रहा है।

बीमा क्षेत्र के लिए नियामक निकाय

6520. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीमा क्षेत्र के लिए एक नियामक निकाय की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां तो इसकी संरचना, निदेश पदों तथा इसे प्रदान किए जाने वाले दर्जे से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क)और (ख) : वित्त मंत्री ने अपने 1995 के बजट भाषण में घोषणा की कि बीमा उद्योग के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में ब्यौरों को अंतिम रुप देने के बाद ही समुचित कार्यवाही की जाएगी।

समुद्री उत्पाद नियति विकास प्राधिकरण के कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

6521. श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या वाणिज्य मंत्री की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश अब समुद्री उत्पादों के नियति का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है;

(ख) क्या समुद्री उत्पाद नियति विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को कोचीन से विशाखापत्तनम ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) आन्ध्र प्रदेश समुद्री उत्पाद और मछली पालन पर आधारित निर्यातों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

सोने का आयात

6522. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा जनवरी, 1995 तक आयात किए गए सोने की मात्रा क्या है; और

(ख) स्वदेशी बाजार में सोने के मूल्य पर सोना आयात योजना का क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और जनवरी, 1995 तक आयातित सोने की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	यात्री असबाब के रुप में आयातित सोने की मात्रा (मी. टन में)	विशेष अग्रिम लाइसैंसों के अन्तर्गत आयातित सोने की मात्रा
1992(मार्च दिसम्बर)	92.3	–
1993	116.3	–
1994	159.7	18.7
1995 (जनवरी तक)	22.5	0.7

(ख) स्वदेशी बाजार में सोने का मूल्य बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। वैध रुप से आयातित सोने की उपलब्धता और इसका मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य केवल उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक है जिनसे सोने के स्वदेशी मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। पात्र यात्रियों को स्वर्ण आयात योजना के अंतर्गत सोना आयात करने की अनुमति दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोने के मूल्य में वृद्धि पर रोक लग गई है।

अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृखलाओं के साथ समझौता

6523. श्री अनंतराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृखलाओं के साथ आई.टी.डी. सी. के होटलों के विपणन और प्रबंधन समझौते के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य ब्यौरों के साथ प्राप्त बोलियों की संख्या क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क और ख): जी, हां । भारत पर्यटन विकास निगम के छः चुनिन्दा होटलों के लिए विपणन और प्रबंधन समझौते हेतु 10 पार्टियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं। चूंकि बोलियों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए बोलियों के ब्यौरे बताना भारत पर्यटन विकास निगम के कारोबार के हित में नहीं होगा।

चिट फंड् अधिनियम में संशोधन

6524. श्री तारा सिहं : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल 1995 के "स्टेटसमैन" में "डिमांड टू अमेन्ड चिट फडस एक्ट 1982" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चिट फड अधिनियम में संशोधन करने की लगातार मांग की जाती रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिनियम में कुछ संशोधन लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त संशोधन कब तक लाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चिट फंड कंपनियों के मंचों ने चिट फंड अधिनियम में संशोधन की मांग की है।

(ग और घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को चिट फंड अधिनियम, 1982 में किन्हीं संशोधनों का सुझाव दिया है जो विचाराधीन है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

6525. श्री फूलचंद वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की और अधिक शाखाओं को खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी राज्य-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी; नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

वर्जीनिया तम्बाकू की मांग में गिरावट

6526. डा. आर. मल्लू : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करों की दरें ऊंची होने के कारण देश में आन्ध्र प्रदेश के वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादों, जैसे सिगरेटों इत्यादि की मांग में धीरे-धीरे गिरावट आई है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने घरेलू खपत में वर्जीनिया तंबाकू की गिरती हुई मांग के दूरगामी प्रभाव पर विचार किया है;

(ग) क्या सरकार वर्जीनिया तंबाकू की गिरती हुई मांग के कारण तम्बाकू बोर्ड को बंद करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) सिगरेट का उत्पादन 1994-95 में अधिकतम होने के बाद इसमें गिरावट आई है हालांकि 1993-94 में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था। उत्पादन में कमी के अनेक कारण हो सकते हैं। हालांकि वर्जीनिया तम्बाकू की घरेलू मांग में गिरावट के दीर्घावधि प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तम्बाकू बोर्ड ने कोई निश्चित अध्ययन नहीं किया है लेकिन आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में वर्जीनिया तम्बाकू की वार्षिक फसल का आकार निर्धारित करते समय इस पहलू को भी अवश्य ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

6427. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों की जांच करने हेतु एक कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यदल द्वारा सिफारिशें कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14.10.1994 को एक कार्यदल की स्थापना की गई है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के प्रतिनिधि हैं। कार्यदल की स्थापना की गई है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के प्रतिनिधि हैं। कार्यदल का गठन भारत में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध स्कीमों और प्रोत्साहनों के साथ-साथ मौजूदा प्रचालात्मक प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और स्कीमों और प्रक्रियाओं में आवश्यक समझे गए सुधार और संशोधनों की सिफारिश करने के लिए किया गया है।

(ग) दल द्वारा रिपोर्ट अतिशीघ्र प्रस्तुत कर देने की आशा है। तत्पश्चात् स्वीकृत सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

कपास का मूल्य

6528. डा. लाल बहादुर रावल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास का मूल्य भारत में उसके मूल्यों की तुलना में कितना है; और

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत में कपास के मूल्य अलग अलग होने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वैंकट स्वामी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न देशों में कपास की कीमतें विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है जो कि प्रत्यक्ष रूप से तुलनात्मक नहीं है।

विवरण

(क) 18.5.1995 की स्थिति अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कुछ चुनिन्दा किस्मों की कीमतें निम्नानुसार हैं :-

देश	किस्म	कीमत रू. प्रति कैंडी एफ ओ बी मूल्य
यूएसए	ओआरएलएन टेक्सास एलएलएन	27461
यूएसए	एमईएमपीएचआईएस	28688
पैरागुए	एमआईडीओ	23091
सीआईएस	सीईएनएस आईएनएसएलएम	25597
यूएसए	एस जे वी	28,935
यूएसए	पीआईएमए	34994

भारत में कपास की चुनिन्दा किस्मों की कीमतः

किस्म	रू. प्रति कैंडी
जे 34 एस जी	18,600
एफ 414	21,600
एलआरए	18,800
एच - 4ए	20,200
एस-6	23,300
डीसीएच-32	30,500

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति दर

6529. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित करने और चालू वर्ष के लिए उसे आठ प्रतिशत के आस-पास रखने के अपने उद्देश्य में असफल रही है;

(ख) इसी यदि हां, तो किस सीमा तक असफल रही हैं; और

(ग) इसकी असफलता के कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1994-95 की प्रथम छमाही के लिए ऋण नीति 14 मई, 1994 को घोषित की गई जब नवीनतम उपलब्ध वार्षिक मुद्रास्फीति दर थोक मूल्यों की सूचकांक संख्या में बिन्दु-प्रति-बिन्दु परिवर्तनों पर आधारित 23 अप्रैल, 1994 को समाप्त सप्ताह (12.9 प्रतिशत तक अंतिम रूप दिया गया) के लिए 11.2 प्रतिशत (अनंतिम) थी। इस नीति का एक घोषित लक्ष्य इस स्तर पर लगभग 4 प्रतिशतता बिन्दुओं तक मुद्रास्फीति दर में कमी लाना है। विभिन्न मुद्रास्फीतिकारी विरोधी उपायों को अपनाते हुए 3 सितम्बर, 1994 को समाप्त सप्ताह में वार्षिक मुद्रास्फीति दर उत्तरवर्ती रूप में 8.77 प्रतिशत तक घट गई। फिर भी, कतिपय वस्तुओं के उत्पादन में कमी और उच्च मौद्रिक प्रसार दोनों के कारण बाद में मुद्रास्फीतिकारी दबाव पुनः प्रवर्तित हुआ, प्राथमिक रूप से बाद में वर्ष 1994-95 की प्रथम छमाही में विदेशी पूंजी अन्तः प्रवाह में असाधारण वृद्धि के कारण हुआ और 31 दिसम्बर, 1994 को वार्षिक मुद्रास्फीति दर 11.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में मांग और आपूर्ति उपाए अपनाए गए, वार्षिक मुद्रास्फीति दर में पुनः कमी किए जाने के लिए उत्प्रेरित किया जो 29 अप्रैल, 1995 को समाप्त सप्ताह में 8.6 प्रतिशत तक घट गई है।

बीड़ी कामगार

6530. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में, विशेषतः वहां के आदिवासी जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना में लाए गए बीड़ी कामगारों की संख्या क्या है;

(ख) क्या बीड़ी कामगारों के वेतनों से काटी जाने वाली राशि उनके भविष्य निधि खातों में समुचित रूप से जमा की जाती है।

(ग) क्या भविष्य निधि योजना में बहुत सारे बीड़ी कामगारों को नहीं लाया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस गलत कार्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (श्री पी.एस. संगमा) : (क) 28.2.1995 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय जिलों सहित क.भ.नि. योजना के अंतर्गत 4,10,512 बीड़ी कर्मकारों को शामिल किया गयाहै।

(ख) बीड़ी कर्मकारों के वेतनों से काटी गई और नियोजकों से उगाही गयी भविष्य निधि राशि को, चूक के मामले को छोड़कर, अंशदाताओं के खातों में उचित रूप से जमा करवाया जा रहा है।

(ग) और (घ) क.भ.नि. योजना के अंतर्गत नए कर्मकारों को शामिल किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा घरेलू बीड़ी कर्मकारों को जब भी पहचान पत्र जारी किये जाते हैं उन्हें योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी

कर्मकारों के रूप में अभिज्ञात सभी कर्मचारों को क.भ.नि. अंशदाताओं के रूप में पहले ही दर्ज कर लिया गया है।

ऋणों को बट्टे खाते डालना

6531. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 को राष्ट्रीयकृत बैंकों की घरेलू और विदेशी कारोबार अप्रयुक्त पड़ी आस्तियां परिशुद्ध रूप से क्रमशः 19,678,04 करोड़ और 4,065,11 करोड़ रूपए मूल्य की थी;

(ख) क्या राष्ट्रीय बैंक ऋणों को बट्टे खाते डाल रहे हैं और सुलह समझौतों का सहारा ले रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्दशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार कुछ अनिष्पादित अग्रिम (एन पी ए) 26189.81 करोड़ रूपए बैठता है जिसमें से राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं का एन पी ए का स्तर 4066 करोड़ रूपए बैठता है।

(ख) और (ग)जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों सेकहा है कि अतिदेय राशियों को बट्टे खाते डालते समय और समझौता प्रस्ताव स्वीकार करते समय उनके द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का पालन करें।

न्यूनतम मजदूरी

6532. श्री सैय्द शहाबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 1 अप्रैल, 1995 तक न्यूनतम मजदूरी की क्या दरें लागू थीं,

(ख) न्यूनतम मजदूरी में पिछली बार संशोधन, राज्यवार, किस तिथि को किया गया,

(ग) 1989 - 90 की कीमतों के अनुसार इस मजदूरीका वास्तविक मूल्य क्या है, और

(घ) 1981-82 की कीमतों पर अथवा थोक कीमतों के चालू सूचकांक हेतु आधार वर्ष के अनुसार इस मजदूरी का वास्तविक मूल्य क्या हैं।

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत केन्द और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण/संशोधन के लिए उत्तरदायी हैं।। कर्मकारों की अकुशल श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यथानिर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर के राज्य-वार ब्यौरे के बारे में उपलब्ध सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। तथापि, कीमतों के भिन्न-भिन्न स्तर पर मजदूरी के वास्तविक मूल्य संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	न्यूनतम मजदूरी की विधमान दर और/संशोधन की तिथि/पिछले
1	2	3
1.	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	11.00 रु. से 40.00 रु. प्रति दिन (11.10.94)
2.	अरुणाचल प्रदेश	21.00 रु. से 24.00 रु. प्रति दिन (1.11.90)
3.	असम	25.30 रु. से 32.00 रु. प्रति दिन (10.2.92)
4.	बिहार	21.00 रु. में 34.00 रु. प्रति दिन (19.7.94)
5.	गोवा	14.00 रु. से 27.00 रु. प्रति दिन (7.2.92)
6.	गुजरात	15.00 रु. में 37.50 रु. प्रतिदिन (1.4.94)
7.	हरियाणा	1189.00 रु. प्रति माह (1.7.94)
8.	हिमालय प्रदेश	24.00 रु. से 26.00 रु. प्रति दिन (14.11.93)
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रु. प्रति दिन (24.3.89)
10.	कर्नाटक	23.44 रु. से 32.53 रु. प्रति दिन (22.7.92)
11.	केरल	19.50 रु. से 76.40 रु. प्रति दिन (31.3.92)
12.	मध्य प्रदेश	30.36 रु. से 33.92 रु. प्रति दिन (29.1.94)
13.	महाराष्ट्र	8.00 रु. से 69.10 रु. प्रति दिन (29.6.94)

1	2	3
14.	मणिपुर	37.90 रु. प्रतिदिन (मैदानी क्षेत्रों के लिए)
		40.90 रुपये प्रति दिन (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1.6.90)
15.	मेघालय	35.00 रु. प्रति दिन (16.3.94)
16.	मिजोरम	28.00 प्रति दिन (6.7.92)
17.	नागालैंड	25.00 रु. प्रति दिन (6.7.92)
18.	उड़ीसा	25.00 रु. प्रतिदिन (1.7.92)
19.	पंजाब	40.52 रु. प्रति दिन (1.3.93)
20.	राजस्थान	22.00 रु. प्रतिदिन (2.7.90)
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडु	10.00 रु. से 56.25 रु. प्रति दिन (27.1.93)
23.	त्रिपुरा	11.80 रु. से 23.65 रु. प्रति दिन (1.1.90)
24.	उत्तर प्रदेश	468.00 रु. से 1038.00 रु. प्रति माह (3.1.94)
25.	पश्चिम बंगाल	17.40 रु. से 45.16 रु. प्रति दिन (1.12.93)
26.	अण्डमान व निकोबार	27.00 रु. से 28.00 रु. प्रति दिन (13.8.92)
27.	चण्डीगढ़	1043.00 रु. प्रति माह (22.2.90)
28.	दादरा और नगर हवेली	19.50 रु. से 29.65 रु. प्रतिदिन (15.12.92)
29.	दमन और दीव	22.00 रु. से 27.00 रु. प्रति दिन (19.3.93)
30.	दिल्ली	57.50 रु. प्रति दिन (1.2.95)
31.	लक्ष्यद्वीप	30.00 रु. प्रतिदिन (1.1.93)
32.	पांडिचेरी	8.00 रु. से 14.00 रु. प्रति दिन (15.12.89)
II	केन्द्रीय सरकार	31.02 से 46.42 रु. प्रति दिन (1.4.95)

आई.टी.सी. लिमिटेड को सहायता

6533. **श्री तारा सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अप्रैल, 1995 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में "गवर्नमेंट टेल्स चुघ टू पुट इन आर्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने आईटीसी लिमिटेड को सहायता देने के लिए निश्चित एकदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सहायता प्राप्त कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता होती है, न कि सरकार की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि किसी सहायता प्राप्त कंपनी के प्रवर्तकों और व्यावसायिक प्रबंध के बीच विवादों के मामले में, वित्तीय संस्थाये अपने हितों का बलिदान दिये बिना, कंपनी के हितों, व्यावसायिक प्रबंधन के पिछले रिकार्ड और विवाद की प्रकृति और विषयवस्तु को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करती है। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जाली "यू.टी.आई. मास्टर गैन 92" की खरीद फरोख्त

6534. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "मास्टर गैन 92'8 के भारी संख्या में जाली सर्टिफिकेट सर्कुलेशन में है, जैसाकि 6 मई, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या बाम्बे स्टॉक एक्सचेंच ने बाजार में "मास्टर गेन 92" की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में यू.टी.आई. के निष्पादन में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने सूचित किया है कि उसके रजिस्ट्रार, मैसर्स डाटामैटिक्स फाइनेन्शियल सर्विसेज लि. (डी.एफ.एस.एल.) ने मास्टगेन, 1992 यूनिटों के अंतरण को पंजीकृत करते समय जाली सर्टिफिकटों का पता लगाया है।

(ख) और (ग) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ने निर्धारित समयावधि के अंदर अंतरणों के पूरे न होने के कारण, 26 अप्रैल, 1995 से स्कीम के अधीन यूनिटों की खरीद-फरोख्त को स्थगित कर दिया है।

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बताया है कि इसके रजिस्ट्रार की शोधन करने की क्षमता 20,000 से बढ़ाकर 1,20,000 प्रति सप्ताह कर दी गई है और अंतरण के लंबित पड़े सभी मामलों के जून, 1995 तक निपटा दिए जाने की संभावना है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से खरीद-फरोख्त पुन: शुरू करने के लिए भी अनुरोध किया है।

विदेशी पर्यटकों द्वारा आंध्र प्रदेश का भ्रमण

6535. डा. के.वी. आर. चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के भ्रमणार्थ विनियम देश के शेष हिस्सों के विनियमों के समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में विद्यमान असमानताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानम और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) आंध्र प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के भ्रमणार्थ विनियम देश के शेष हिस्सों के विनियमों के समान ही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में मुक्त व्यापार क्षेत्र

6536. डा. साक्षी जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में स्थित मुक्त व्यापार क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में वस्तुओं के बढ़ते हुए निर्यात को देखते हुए सरकार का विचार नये मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों की कब तक स्थापना की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) : उत्तर प्रदेश में नोएडा में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र कार्य कर रहा है। कोषों को उपलब्धता तथा वर्तमान निर्यात संसाधन क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार का देश में नए क्षेत्रों की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा या संयुक्त/निजी क्षेत्र में निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की जा सकती है।

तंबाकू से प्राप्त राजस्व

6537. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिगरेट पर अत्यधिक करों और इसकी खपत में गिरावट के आपसी संबंध का अध्ययन किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सिगरेट निर्माताओं द्वारा वर्जीनियों तंबाकू के बदले में कर मुक्त तंबाकू का इस्तेमाल किए जाने के संबंध में सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका राजस्व से होने वाली आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क की दर सिगरेटों के उत्पादन, मूल्य राजस्व सहित सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है।

(ग) अनिर्मित्त वर्जीनिया तम्बाकू तथा अनिर्मित अन्य किस्मों के तम्बाकू कर मुक्त हैं। (छूट दी गयी है)। एक किस्म के तम्बाकू के स्थान पर दूसरे किस्म के तम्बाकू के इस्तेमाल के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

भारत और पूर्वी देशों के बीच व्यापार संबंध

6538. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एवं पूर्वी देशों के बीच व्यापार संबंधों में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) : जी, हां। भारत और पूर्वी देशों के बीच व्यापार संबंधों में वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिए गए व्यापार आंकड़ों से पता चलता है :

वर्ष	निर्यात	आयात	करोड़ रू. में व्यापार
1992-93	19668	27968	47636
1993-94	28590	31779	60369
194-95	25885	34437	60322
(अप्रैल - जनवरी)			
1993-94	22752	25200	47952

2. सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि संस्थागत तंत्र, जैसे संयुक्त व्यापार समिति, संयुक्त मंत्रालय आयोग, सरकारी तथा व्यापारिक दोनों स्तरों पर द्विपक्षीय व्यापार विचार-विमर्शों के माध्यम से व्यापार संबंधों को बढ़ाया जाए।

व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने और उनमें वृद्धि करने के लिए सार्क अधिमानी व्यापार प्रबंध (साप्टा) को स्थापित करने वाले करार पर ढाका में हुए 7वें सार्क सम्मेलन में 11 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अतिरिक्त, भारत ने म्यांमार के सीमावर्ती, व्यापार करार

भी किया है ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।

भारत-म्यांमार सीमावर्ती व्यापार औपचारिक रूप से 12.4.1995 को शुरू किया गया। चीन के साथ सीमावर्ती व्यापार कुछ रास्तों अर्थात् हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा तथा उत्तर प्रदेश में लिपुले दर्रा के माध्यम से खुला है।

कॉफी नीति

6539. श्री मनोरंजन भक्त :

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यान 4 अप्रैल, 1995 के समाचार पत्र ''इकोनॉमिक टाइम्स'' में ''ए पॉलिसी ऑफ नॉट हैविंग ए कॉफी पॉलिसी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में नई कॉफी नीति की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कॉफी उत्पादकों को कितना लाभ होगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार समय समय पर ऊपजकर्ताओं, उपभोक्ताओं, व्यापारियों और निर्यातकों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा बदलती हुई स्थिति की आवश्यकता पर विचार करते हुए मुक्त बिक्री कोटा (एफ एस क्यू) के मानदण्डों समेत कॉफी के बारे में अपनी नीति की पुनरीक्षा करती रहती है। फिलहाल, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई नीति नहीं रही हो।

(ग) और (घ) हाल ही में काफी के बारे में कुछ निर्णयों की घोषणा की गयी थी। वे हैं :-

(1) जिन ऊपजकर्ताओं के पास 10 हेक्टेयर से कम की जोत है, उन्हें 100 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटे की अनुमति दी जायेगी।

(2) शेष ऊपजकर्ताटों को 70 प्रतिशत मुक्त बिक्री कोटे की अनुमति दी जायेगी और शेष 30 प्रतिशत काफी बोर्ड के पूल में जमा करनी होगी।

(3) कॉफी बोर्ड सीधे बिक्री का कार्यक्रम चलाएगा और वह प्रचलित बाजार भावों पर काफी की उचित मात्रा की खरीद करेगा।

(4) कॉफी बोर्ड पूल में जमा की गयी तथा खरीदी गई कॉफी का इस्तेमाल हालातों की जरूरतों के अनुसार बाजार में दखल देने के लिए करेगा।

(5) दिनांक 1.4.1995 को घोषित एग्जिम नीति में यह अनुमति दी गयी है कि सीमा-शुल्क का भुगतान कर रोस्टेड और डिकैफीनेटेड कॉफी का मुक्त रूप से आयात किया जा सकेगा।

(ङ) ऐसी उम्मीद है कि इससे ऊपजकर्ताओं को उचित मूल्य मिल सकेगा और उन्हें कॉफी बागान में पुर्ननिवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अधिक निवेश से उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

भारत स्टेट बैंक द्वारा परामर्शदात्री की नियुक्ति

6540. श्री मोहन रावले :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने एक अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्म, ''मैकिंसे कम्पनी'' की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री फर्म की नियुक्ति का क्या उद्देश्य है,

(घ) क्या उक्त परामर्शदात्री फर्म ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(छ) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मैंकिंसे एंड कंपनी को अभी तक कितना भुगतान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने बदलती हुई परिस्थितियों की अनुक्रिया में ऋण नीति तैयार करने और विश्वस्तर पर संगठन का निर्माण करने में बैंक की सहायता कराने के लिए मैसर्स मैक्किन्से एंड कंपनी की सेवायें ली हैं।

(घ) और (च) परामर्शताओं ने विचार व्यक्त किया है कि बदलती हुई स्थिति में, इसके वित्तीय निष्पादन और इसकी बाजार की स्थिति में सुधार करने के लिए, बैंक को ऋण नीति की नई प्राथमिकतायें स्थापित करनी चाहिए। उसने बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और स्थानीय प्रधान कार्यालयों का पुनर्गठन करने की भी सिफारिश की है। बैंक के प्रबंधन को, सिफारिशों पर गहराई से विचार करना है तथा सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् अपनी राय प्रकट करनी है।

(छ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन परामर्शदाता फर्म को अभी तक 3,05,76,000/- रूपए का भुगतान कर दिया।

राष्ट्रीयकृत बैंक

6541. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं और इन बैंकों में विभिन्न राज्यों के राज्यवार कितने-कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या बैंकों में भर्ती और बैंक शाखाएं खोलने के मामले में असंतुलन है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पर्याप्त क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चि करने और बैंक शाखाएं खोलने हेतु क्या उपाय किए गए हैं और क्या इस संबंध में कुछ मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन राज्यों में विशेष रूप से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों में रोजगार के अवसरों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और बैंक की नौकरियां हेतु अधिक अभ्यार्थियों को आकर्षित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) केन्द्रीय सेवाओं की भांति ही सेवाओं में आने के इच्छुक समाज के कमजोर वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग हेतु राज्य में संस्थानों की स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ) प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओ की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। विभिन्न राज्यों में शाखाओं का खोला जाना भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाईसेंसिंग नीति द्वारा नियंत्रित होता है।

जहां तक बैंकों में भर्ती को संबंध संबंध है, लिपिकीय सवंर्ग और अधिकारी संवर्ग की सीधी भर्ती बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों (बी एस आर बी) के माध्यम से की जाती है अधिकारियों की भर्ती, विनिर्दिष्ट बी एस आर बी द्वारा की जाती है जबकि किसी बी एस आर बी के क्षेत्राधिकार में आने वाली सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए लिपिकीय संवर्ग की भर्ती, उसी बी एस आर बी द्वारा की जाती है। विभिन्न शाखाओं पर स्टाफ का विस्तार, आवश्कताओं के अनुसार किया जाता है। जबकि बैंक यह सुनिश्चित्त करते हैं कि आवश्यकता पर आधारित स्टाफ, विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों पर मुहैय्या कराया जाए तथापि, दिये गये निर्धारित समय पर कतिपय स्थानों में कर्मचारियों को अस्थाई रूप से कमी हो सकती है।

भर्ती एजेंसियों अर्थात् बी एस आर बी / केन्द्रीय भर्ती बोर्ड संबंधित क्षेत्रों के प्रमुख समाचार पत्रों में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन देते हैं। जब कभी व्यवहार्य होता है, तो आकाशवाणी के माध्यम से भी घोषणा की जाती है। जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित रिक्त पदों का संबंध है, इन राज्यों में कार्यरत इन समुदायों के नामित स्वैच्छिक संगठनों को बैंक सूचित करते रहते हैं जिससे कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित पात्र उम्मीदवारों को इन नौकरी के अवसरों की जानकारी दे सकें।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिकारियों/लिपिकीय संवर्गों के सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था बी एस आर बी/ केन्द्रीय भर्ती बोर्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से क्षेत्रों में सुविधापूर्वक अवस्थित उन केन्द्रों पर की जाती है जहां पर ऐसी भर्ती आयोजित की जाती है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्यवार शाखाओं की संख्या

(31.12.1994 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	कुल
आन्ध्र प्रदेश	4533
अरूणाचल प्रदेश	68
असम	1219
बिहार	4904
गोवा	255
गुजरात	3415
हरियाणा	1310
हिमाचल प्रदेश	753
जम्मू व कश्मीर	524
कर्नाटक	3912
केरल	1996
मध्य प्रदेश	4395
महाराष्ट्र	5191
मणिपुर	86
मेघालय	178
मिजोरम	78
नागालैंड	70
उड़ीसा	2137
पंजाब	2200
राजस्थान	2919
सिक्किम	42
तमिलनाडु	3514
त्रिपुरा	181
उत्तर प्रदेश	8370
पश्चिम बंगाल	4178
अंडमान व निकोबार	30
चण्डीगढ़	115
दादरा व नागर हवेली	7
दमन व दीव	10
दिल्ली	1074
लक्षद्वीप	8
पांडिचेरी	60
कुल	57732

गुजरात से श्रमिकों का पलायन

6542. श्री एन.जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को गुजरात से आदिवासी जनसंख्या के विदेशों को पलायन संबंधी रिपोर्टों की जानकारी मिली है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में राजस्व मंडल / जिले

6543. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में कुछ नए राजस्व मंडल और राजस्व जिले बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इस राजस्व और जिलों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : राजस्व मंडलों और जिलों के सृजन का मामला राज्य सरकार से संबंधित हैं।

राज्य धारित घाटा

6544. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य धारित घाटे और समायोजित राज्य धारित घाटों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या समायोजित राज्य धारित घाटे में कमी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस संबंध में कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) गत तीन वर्षों के लिए राज्यों के धारित घाटों के असमायोजित और समायोजित तुलनात्मक आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :

	करोड़ रूपयों में राज्यों में धारित घाटे	
	असमायोजित	समायोजित
1992-93	37601	16028
1993-94 (संशोधित अनुमान)	46275	19347
1994-95 (बजट अनुमान)	52374	22779

(ख) से (घ) : समायोजित राज्य धारित घाटे की राशि वृद्धि की ओर है। तथापि, समायोजित राज्य धारित घाटे की राशि में वृद्धि असमायोजित राज्य धारित घाटे की राशि में हुई वृद्धि से कम है। राज्य धारित घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारों के व्यय में वृद्धि दर उनकी प्राप्तियों में हुई वृद्धि से अधिक है। असमायोजित राज्य धारित घाटा, कुल संवितरणों (राज्यों द्वारा केन्द्र को किए गए ऋणों की पुनः अदायगियां और ब्याज अदायगी का शुद्ध) और कुल प्राप्तियों (केन्द्र से राज्यों को करों, अनुदानों और ऋणों के रूप में अन्तरित किए गए संसाधनों का शुद्ध अन्तरणों को घटाने के बाद, असमायोजित राज्य धारित घाटे से रोकड़ शेष और रोकड़ शेष निवेश राशि (शुद्ध) से निकाला जाता है। संघ सरकार ने, नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, गत पांच वर्षों के लिए पूरे अनुदान अदा कर दिए हैं। राज्यों के धारित घाटे में वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे अपनी आय के संबंध में अपने कुल व्यय पर नियंत्रण रखे।

बीड़ी उत्पादन के संबंध में अध्ययन

6545. श्री एम. बी. रेड्डी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग अत्यधिक तम्बाकू का उपयोग करता है;

(ख) क्या तम्बाकू बोर्ड ने घरेलू बाजार पर बीड़ी उत्पादन में कमी लाने के प्रभावों का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) : जी, हां। देश में उत्पादित गैर-वर्जीनिया तम्बाकू के करीब 30 प्रतिशत की खपत बीड़ी उद्योग द्वारा की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

यथामूल्य शुल्क प्रणाली

6546. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिर्माताओं द्वारा केन्द्रीय उत्पाद कर के कथित अपवंचन संबंधी काफी मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार करापवंचन की संभावना वाली मदों पर यथामूल्य शुल्क लगाने की प्रणाली शुरू करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्व अधिकारियों की सहायतार्थ शुल्क सेवा परीक्षा धारण और प्रणाली की शुरूआत करने का भी है जिसके लिए राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार करने का नियम होगा; और

(घ) यदि नहीं तो करापवंचन पर नियंत्रण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। विभाग द्वारा प्रति वर्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के बहुत से मामलों का पता लगया जाता है और उन्हें दर्ज किया जाता है।

(ख) इस समय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन हेतु केवल पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के संबंध में ही टैरिफ मूल्य निश्चित किया जाता है और अन्य किसी मद के संबंध में टैरिफ मूल्य निश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) यद्यपि सांविधिक लेखों परीक्षकों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा पद्धति लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि वर्ष 1995-96 की वित्त विधेयक में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 में एक नई धारा 4 शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके तहत कुछेक ऐसे मामलों में लागत लेखाकार द्वारा विशेष लेखा परीक्षा किए जाने की व्यवस्था है जहां यह समझा जाता है कि निर्धासिती द्वारा मूल्य की घोषण या निर्धारण सही नहीं किया गया है। इसके शुल्क अपवंचन के और अधिक मामलों का पता लगाने और अपवंचन की राशि सुनिश्चित करने में विभाग को सहायता प्राप्त होने की आशा है। इसके साथ-साथ शुल्क अपवंचन को रोकने के लिए विभाग द्वारा निवारण जांच कार्यों, लेखा परीक्षा जांच कार्यों और आसूचना एकत्र करने के कार्य में तेजी लाई गई है। इसके अलावा, कर - ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और छूट प्रदायी अधिसूचनाओं की संख्या में कमी करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों से विवाद की संख्या में कमी लाने और कर अपवंचन को रोकरने में सहायता मिलेगी।

"एग्रो-एक्सपो", 1995 एवं "आहार, 1995"

6547. डा. असीम बाला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रगति मैदान में 8 मार्च से 14 मार्च, 1995 तक आयोजित दो प्रदर्शिनियों "ऐग्री एक्सपो, 95" एवं "आहार 95" में प्राप्त उपलब्धियों एवं निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रदर्शनियों में विशेष रूप से किन-किन क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया;

(ग) क्या निर्यात को बढ़ावा देने वाले मदों के रूप में पशु पालन, पुष्प कृषि, मत्स्य पालन एवं दुग्ध उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी चिदम्बरम्) : (क) जैसा कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन (इटपो) ने सूचित किया है कि कृषि-एक्सपो, 95 तथा आहार, 1995 में 560 करोड़ रू. का व्यापार बुक हुआ था। ऐसी सूचना मिली है कि अधिकांश सहभागियों ने उनकी मेलों में सहभागिता, गुणवत्ता तथा लागत-प्रभाविता और व्यापार परिणामों के अपने उद्देश्यों की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया है, और इनमें दोबारा भाग लेने की अपनी इच्छा की पुष्टि की है।

(ख) जहां कृषि-एक्सपो में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों को महत्व दिया गया, वहीं आहार में खाद्य संसाधन क्षेत्र पर बल दिया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) पशुपालन और डेरी उद्योग क्षेत्र से प्रदर्शन की मदें थी - पशुधन जनसंख्या और संसाधन, चारा संसाधन, पशुधन स्वास्थ्य, डेयरी विकास, मांस तथा मांस-उत्पाद, पशुधन विकास संबंधी कार्यनीति और कार्यक्रम।

कृषि मंत्रालय के बागवानी प्रभाग ने विभिन्न प्रकार के पुष्पों तथा फसलों का प्रदर्शन किया है।

मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में अन्य मदों के अतिरिक्त, विशेष बल श्रिम्प मछलीपालन तथा समुद्री मछली स्टॉक मूल्यांकन के साथ-साथ निर्यात प्रयोजनों के लिए मोती उत्पादन सहित प्रर्वतित फसल तथा फसल पश्चात् प्रौद्यागिकियों पर विशेष बल दिया गया था।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा बांड जारी किया जाना

6548. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विकास कार्यों हेतु बांड जारी करने की अनुमति देने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस सबंध में क्या नीति अपनाई जा रही है;

(घ) इस संबंध में किन-किन राज्य सरकारों को अनुमति दी गई है और दिन राज्यों को अनुमति नहीं दी गई है; और

(ङ) इस संबंध में अनुमति न देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का उपयोग न किया जाना

6549. श्री एम.आर. कादम्बूर जर्नादन :

श्री रामदेव राम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितने नए विमानपत्तनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तूतीकोरिन के नए विमानपत्तन का जिसका उद्घाटन 1992 में हुआ था, उपयोग बंद कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं और सरकार का इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) सभी नये हवाई अड्डों से प्रचालन हो रहे हैं।

(ख) और (ग). तूतीकोरिन हवाई अड्डा प्रचालनरत है। चूंकि चार्टर और गैर-अनुसूचित उड़ानों का प्रचालन यदा-कदा ही किया जाता है, किसी भी अनुसूचित प्रचालक ने इस हवाई अड्डे से प्रचालन में रूचि नहीं दिखाई है।

कृषि सरकारी संस्थाओं को आयकर में छूट

6550. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि सहकारी संस्थाओं को आयकर में छूट देने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/ निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) उन सभी शीर्ष कृषि विपणन सहकारी संस्थाओं को, जो अपने सदस्यों का माल नहीं बेच रही हैं, कर में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग) इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 80 त (2) (क) (सही) के अंतर्गत कृषि उपज के प्रसंस्करण में लगी सहकारी समितियों के सदस्यों को 100 प्रतिशत की कटौती की अनुमति दी जाती है। इसी प्रकार, धारा 80 त (2) (क) (iii) के अंतर्गत कृषि उपज के विपणन के संबंध में सहकारी समितियों के सदस्यों को 100 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी जाती है।। इस प्रकार, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने संबंधी उक्त नीति में सदस्यों के साथ लेन-देनों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया है। गैर-सदस्यों के साथ सहकारी समितियों के लेन-देनों के बारे में 20,000/- रु० की एक बहुत ही कम छूट की अनुमति दी गई है।

कताई पर उत्पाद शुल्क

6551. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ऊन और ऊनी उत्पाद संवर्धन परिषद के उत्पाद शुल्क और प्रतिकारी शुल्क ढांचे की पुनरीक्षा करने हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोधों की जांच की गई है और उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

वित्तीय प्रणाली

6552. श्री वी. श्री निवास प्रसाद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अप्रैल, 1995 के स्टेट्समैन में "इंडियन फिस्कल सिस्टम नीड्स ओवरहालिंग" शीर्षक से प्रकाशित प्रैस समाचार की और आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने भारत के वित्तीय सुधारों और उदारीकरण की गति को एक अस्थायी बात बताया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई गंभीर प्रयास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ). दिनांक 22 अप्रैल, 1995 को स्टेट्समैन में "भारतीय वित्तीय प्रणाली को पुन: प्रवर्त्तन की जरूरत" शीर्षक से प्रकाशित समाचार विषय के अनुसार, वाशिंगटन की अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्था ने, "वित्तीय सुधारों में आत्मसंतोष और वर्ष 1994 से पूर्व भारत में उदारीकरण के कदम की भावना पर ध्यान दिया" और आशा की है कि यह एक केवल अस्थायी घटना है।

कभी भी आत्मसंतोष की भावना नहीं रही है और सरकार ने वर्ष 1991-92 से लागू किए गए अपने उदारीकरण और सुधारों की प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखा है। वित्तीय घाटा जो वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद का 8.3 प्रतिशत था, वर्ष 1994-95 (संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद का 6.7 प्रतिशत तक घट गया। लघु बचतों की वसूली में अचानक वृद्धि और राज्यों को दिए गए ऋणों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए वित्तीय घाटा अब भी कम रहेगा। वर्ष 1995-96 में वित्तीय घाटे में अभी और 5.5 प्रतिशत तक कमी आने का अनुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर खर्च

6553. डा. चिन्ता मोहन :
श्री गुमानमल लोढ़ा :
श्री नवल किशोर राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार में इस समय कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष खर्च की जा रही धनराशि के विगत तीन वर्षों से निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) यह धनराशि संकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है;

(ङ). क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी वर्षों में इस प्रतिशतता में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1 मार्च, 1995 को केन्द्रीय सरकारी (सिविल) कर्मचारियों की अनुमानित संख्या लगभग 39.45 लाख थी।

(ख) मंहगाई भत्ते में वृद्धि, वार्षिक वेतन वृद्धियां और मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते आदि के उद्देश्य के लिए नगरों का दर्जा बढ़ने के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर खर्च की जा रही वार्षिक धनराशि में विगत तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकारी (सिविल) कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर उसी अवधि के दौरान वर्ष-वार व्यय और वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के रूप में उल्लिखित प्रतिशतता निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	व्यय (करोड़ रूपए)	कालम (2) का सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1992-93	12976	1.846
1993-94	14570	1.853
1994-95 (अनुमानित)	15532	सकल घरेलू उत्पाद को अभी तैयार किया जाना है

(ङ.) और (च) हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के प्रति वेतन और भत्तों पर होने वाले वार्षिक व्यय की प्रतिशतता में कमी करने के कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं, तथापि केन्द्रीय सरकार में पदों की संख्या कम करने के प्रयास जारी हैं।

व्यापार घाटा

6554. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार के परिप्रेक्ष्य में नए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण नीति के परिणामों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा व्यापार घाटे की स्थिति का सामना करने और भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) हाल ही में चीन, ईरान, नेपाल और म्यांमार के साथ हुए व्यापार समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय इन देशों के साथ भारतीय व्यापार की स्थिति कैसी है और इनके साथ किन-किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाएगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) : जी, हां। आयात-निर्यात नीति की सतत् समीक्षा होती है। निर्यात को सुकर बनाने के लिए संशोधन किए जाते हैं। एक्सिम नीति 1992-97 के संशोधित संस्करण में 31 मार्च 1995 तक किए गए संशोधन समाविष्ट हैं। निर्यात संवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये है, जिनमें निर्यात नीति, वित्तीय नीति, ऋण, अवस्थापना संबंधी एवं संस्थागत पहलुओं को शामिल किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में निर्यात वृद्धि दर बढ़ी है। वर्ष 1993-94 में डालर के रूप में निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 1994-95 में पिछले वर्ष 20 प्रतिशत आधार की तुलना में निर्यातों में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) ईरान और चीन - जनवादी गणराज्य के साथ हाल में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। म्यांमार के साथ 21.4.1994 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। व्यापार को भारत नेपाल संधियां (5 वर्षों तक वैध), पारगमन, (7 वर्षों तक वैध) तथा अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सहयोग का समझौता, 1991 (5 वर्षों के लिए वैध) पर 6 दिसम्बर, 1991 को हस्ताक्षर किए गए।।

(घ) अप्रैल-फरवरी 1994-95, वह नवीनतम अवधि जिसके लिए ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान नेपाल, ईरान, म्यांमार और चीन जनवादी गणराज्य के साथ भारत के निर्यात और आयात का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(मूल्य मिलीयन अमरीकन डालर में)

क्रम सं.	देश	निर्यात	आयात	मुख्य वस्तुएं निर्यात की गई	मुख्य वस्तुएं आयात की गई
1	2	3	4	5	6
1.	नेपाल	98.05	30.27	परिवाहन उपकरण, इंजीनियरी उत्पाद	टैक्सटाइल यार्न, फैब्रक मेडअप्स मसाले।
2.	ईरान	143.58	474.14	तेल खाद्य,	पैट्रोलियम, लोहा लोह अयस्क और इस्पात, कार्बनिक रसायन

1	2	3	4	5	6
3.	म्यांमार	18.71	112.83	मूल तथा आधा तैयार लोहा और इस्पात शीशा एवं सेरामिक उत्पाद	दालें, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद
4.	चीन जनवादी गणराज्य	217.81	698.86	लौह अयस्क, समुद्री उत्पाद	चीनी कच्चा रेशम, कार्बनिक रसायन।

[अनुवाद]

सिक्किम में आयकर अधिनियम

6555. प्रो. प्रेम धूमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में अभी भी भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या अधिनियम को लागू करने वाला तंत्र राज्य में अभी भी कार्य नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में आयकर अधिनियम के प्रावधानों को पहले से लागू करने का है; और

(ङ.) यदि हां, तो इससे कर दाताओं पर कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सिक्किम राज्य में आयकर अधिनियम, 1961, दिनांक 1.4.1990 से प्रवृत तथा लागू हैं और आयकर विभाग द्वारा हर संभव तरीके से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) और (ग) यद्यपि सिक्किम राज्य में एक कार्यालय को स्थापित करने के निमित्त किए गए प्रयास अभी तक लाभकारी साबित नहीं हुए हैं तथापि मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के अधीन सिलीगुड़ी में आयकर प्राधिकारियों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है;

(घ) और (ड.) चूंकि सिक्कम राज्य में आयकर अधिनियम 1.4.1990 से लागू किया गया है, अत: अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाये जाने योग्य आय पर उक्त अधिनियम के अनुसार कर लगाया जाता है। हालांकि ऐसे मामलों में जहां कर देने योग्य व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से उक्त उपबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं, वहां उनके विरूद्ध आयकर अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की जाएगी, तथापि ऐसे मामलों में जहां पर स्वैच्छिक अनुपालन किया जाता है, वहां उचित मामलों में अथवा मामलों के वर्ग में दण्डिक कार्यवाही को आंशिक रूप से लागू करने पर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए आयकर अधिनियम, 1961 में स्वनिधित्व उपलब्ध मौजूद है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अर्जित ब्याज

6556. श्री बे. चोक्का राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितना ब्याज कमाया और जमाकर्ताओं को कितने ब्याज का भुगतान किया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकिंग संस्थानों द्वारा ग्राहकों को बहुत घटिया किस्म की सेवायें प्रदान की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंको से प्राप्त होने वाली शिकायतों में असंतोषजनक ग्राहक सेवा से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित गोइपोरिया समिति ने कई सिफारिशें की थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिकांश शिकायतें कार्यान्वित करने के लिए बैंकों को पहले ही परामर्श दे दिया है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने इन सिफारिशों पर कार्यवाही शुरू कर दी है और अधिकांश बैंकों में प्रमुख सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार

6557. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी 31 क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय विदेश व्यापार कार्यालयों में किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या निर्यातकों ने इन उपायों का स्वागत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इससे निर्यातकों, को तथा निर्यात वृद्धि में कितनी सहायता मिली है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) निर्यातकों को तथा निर्यात वृद्धि में सहायता के उद्देश्यों से विद्यमान क्रियाविधियों को और अधिक सरल बनाया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को और अधिक शक्तियां दी गई हैं और विभिन्न प्रकार के पार्थनापत्रों के निस्तारण के लिए समय सीमा को क्रियाविधि पुस्तिका, 1992-97 (संशोधित संस्करण: अप्रैल, 1995) में विनिर्धारित कर दिया गया है। सामान्यत: निर्यातकों सहित व्यापारियों ने नीति और क्रियाविधियों में किए गए परिवर्तन की सराहना की है। प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयास पहले ही शुरू किए जा चुके हैं जिससे उनकी कार्य प्रणाली में सुधार होगा। निर्यातकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत प्रकाष्ठ भी गठित किए गए हैं।

[अनुवाद]

देश में कृषि श्रमिकों की समस्याएं

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मै सभा का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसका हमारे देश की 25 प्रतिशत जनसंख्या को सामना करना पड़ रहा है। महोदय आप इस बात को जानते हैं कि देश में श्रमिक बल में सबसे अधिक संख्या कृषि मजदूरों की है और वे हमारे देश के श्रमिक बल का 26 प्रतिशत हैं। उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और अधिकांश अनूसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यक समुदायों के हैं। उनकी हालत बहुत गंभीर है। उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। प्रत्येक सरकार समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करती है। महाराष्ट्र के चार अलग-अलग क्षेत्रों में मजदूरी भी भिन्न-भिन्न है। मैंने विभिन्न जिलों का दौरा किया है और पाया है कि अनेक भागों को उन लोगों को न्यूनतम मजदूरी का केवल 70-80 प्रतिशत ही मिलता है। अधिकांश राज्यों में यही स्थिति है। राज्य सरकारों द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है।

दूसरे कार्य दिवसों की संख्या भी कम होती जा रही है। यद्यपि श्रम आयोग ने घोषित की थी कि उनको 130 दिन के लिए रोजगार मिल रहा है परन्तु अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बावजूद वास्तव में उन्हें वर्ष में केवल 85 दिनों के लिए ही रोजगार मिल रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष सूखे तथा बाढ़ों ने उनकी समस्या को बढ़ाया है। महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश के 25 प्रतिशत लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं है। हमारे पास जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून है। पौधों की सुरक्षा के लिए कानून हैं, परन्तु हमारे पास आदमियों की सुरक्षा के लिए कानून नहीं है। यह देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम ऐसा कानून पास नहीं कर सके हैं जो देश के सबसे गरीब जनसंख्या जो कि कुल जनसंख्या का 25 प्रतिशत है , के बारे में है। हम इस बारे में सरकार से बार-बार अपील करते रहे हैं। श्रीमती गांधी के शासन के दौरान अनेक समितियां बनाई गईं। एक प्रारूप तैयार किया तथा उस पर चर्चा भी की गई। श्री वी. पी. सिंह के शासन के दौरान इस ओर कुछ प्रगति हुई थी, परन्तु कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है। हम श्रम मंत्री से भी अनेक बार मिले हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कानून पास किया जायेगा परन्तु, सरकार प्रारूप को अंतिम रूप देने तथा संसद में तत्संबंधी विधान लाने में असफल रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि सब से गरीब इस वर्ग, जो कि हमारी कृषि की रीढ की हड्डी है और जो सबसे अधिक बोझा सहन करते हैं के हितों की देखभाल की जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ कि वह सभा में तुरन्त कानून पास करें और मैं सभा के वरिष्ठ नेताओं से भी अपील करता हूँ कि इसको अपना समर्थन दें। यदि देश के इस वर्ग को कानूनी सुरक्षा दी जाती है तो यह देश की बहुत बड़ी सेवा होगी।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री हन्नन मोल्लाह ने यहां जो कुछ कहा, मैं उसका न केवल सम्पूर्ण तौर पर समर्थन करता हूँ बल्कि आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इस बारे में प्रोटैक्शन संबंधी कानून जल्दी से जल्दी लाने का काम करें क्योंकि इन लोगों की देश में काफी बड़ी आबादी है और हम उनके बारे में सदन में सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं लेकिन उनका कोई हित नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कि इस मामले में पूरा सदन एकमत होगा इसलिये सरकार को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करके जल्दी से जल्दी प्रोटैक्शन संबंधी कानून बनाना चाहिये। जब तक इन गरीब लोगों को हम मजबूत नहीं करेंगे, हम कभी मजबूत होने वाले नहीं हैं, यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय वर्तमान बजट में यह प्रावधान है कि यदि कोई कृषि मजदूर 65 वर्ष तक जीवित रहता है तो उसे कुछ सुविधायें दी जायेंगी। परन्तु, महोदय ये लोग निर्धनता के उस वर्ग से आते हैं जहां कोई व्यक्ति 65 वर्ष तक जीवित नहीं रहता। आप 65 वर्ष का एक भी व्यक्ति नहीं पायेंगे। अत: ऐसा प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार कानून हो क्योंकि यह सर्वविदित है और सरकार को भी जानना चाहिए कि देश में लोगों की आयु में वृद्धि हो रही है परन्तु यह आयु वृद्धि केवल समृद्ध वर्गों में ही है और गरीबी के रेखा में नीचे रहने वाले वर्गों के लोगों में नहीं। 65 वर्ष की आयु के लोग आपको वाजपेयी जी तथा अन्य ऐसे ही लोगों में मिलेंगे परन्तु गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों में नहीं। अत: यह एक तत्काल आवश्यकता है इसलिए हम यह प्रस्ताव यहां लाये हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, खेतिहर मजदूर, खेत में काम करने वाले लोग 65 वर्ष तक जीवित नहीं रहते, यह बात ठीक नहीं है। गांव में आज भी ऐसे लोग आप को मिल जाएंगे, जो खेतों में डेरे पर रहते हैं, वे 100, 105 और 110 वर्ष के ऊपर के हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो कानून बने वह सब लोगों के लिए बने। उन लोगों के लिए भी बने जो गांव में रहते हैं और खेत में भी काम करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि मेरा नाम लिया गया। मैं यह कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि यह समस्या केवल कानून की नहीं है। अनेक प्रान्त हैं जहां न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है जहां मजदूर सरकार से जुड़े हुए किसी काम में भाग लेते हैं। वहां वे न्यूनतम मजदूरी का लाभ उठाते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब वे प्राईवेट जगह काम करते हैं। निजी लोगों के यहां काम करते हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी, जो भाव तय होता है, उसके अनुसार नहीं मिलती है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। मगर ऐसे लोगों के बारे में केवल कानून से समस्या कैसे हल होगी। अगर उन्हें कोई और विकल्प हो कि यहां न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, तो हम यहां काम नहीं करेंगे। व्यावहारिक कठिनाई यह है कि उन्हें जहाँ रोजगार मिलता है वहां काम करते हैं और इसमें अगर वे केवल कानून के भरोसे रहे, तो उन्हें रोजगार मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर यह डर पैदा किया जाए कि न्यूनतम मजदूरी से कम देंगे, तो सजा दी जाएगी, तो वे लोग रोजगार देना बन्द कर देंगे और लोगों को कठिनाई पैदा होगी। इसलिए यह मामला इतना सरल नहीं है कि जिसे आसानी से हल किया जा सके। इसलिए इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूँ जो बूढ़े लोगों, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, को राहत देने के लिए हो।

इस सम्बन्ध में अनेक कानून हैं। केरल में एक कानून है जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एक न्यूनतम पेंशन दी जाती है बशर्ते उनका कोई पुत्र न हो, यही वास्तविक समस्या है। मान लो किसी व्यक्ति का पुत्र तो है, परन्तु उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है और उसे अपने पिता की देखभाल भी करनी है। ऐसी असंगतियों को दूर किया जाना चाहिए।

मैं श्री निर्मल कान्त चटर्जी की टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। केवल उच्च वर्ग के लोगों की ही आयु कम होती है क्योंकि उन्हें रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोग होते हैं। गरीब लोगों में ये रोग नहीं होते। गरीब वर्गों में आयु सीमा अधिक होती है और हमें उनकी देखभाल करनी है। मेरा सुझाव है 65 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को, जिनका आजीविका का कोई साधन नहीं है, एक न्यूनतम पेंशन दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, इमान मोल्लाह जी ने बहुत ही मौजू सवाल को इस सदन के सामने उठाया है। यह केवल खेतीहर मजदूरों तक सीमित नहीं है। तमाम घरेलू नौकर हैं, उसके अलावा बहुत सारे गैर-सरकारी संगठनों में काम करने वाले मजदूर हैं। उनके लिए इस तरह का कोई कानून हमारे देश में नहीं है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर एक बंदिश लगाई जा सके कि न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर कानून बने हैं। जो मजदूर उन राज्य स्तर के संगठनों में काम करते हैं, उनको भी निर्धारित मात्रा में मजदूरी नहीं मिलती। इसको रैगुलेट करने के लिए कोई ऐसा अधिकार शासन के पास कानूनी तौर पर होना चाहिए जैसे हमारे कन्ज्यूमर कोर्ट बने हैं। उसी तरह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए . . . . . (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये कोर्टस बिल्कुल फेल हो गई हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ऐसी बात नहीं है, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी निकले हैं। मेरा मतलब यह है कि उसी तरह के कोर्ट बनें, उस तरह की एक बंदिश और उस तरह का एक कानूनी प्रावधान होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में निर्धारित मात्रा में न्यूनतम मजदूरी है लेकिन वह नहीं मिलती, उसको एनफोर्स कराने का एक लीगल राइट मिलना चाहिए, ऐसा मैं आग्रह करना चाहूँगा।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, खेत मजदूर की समस्या पर इस सदन में भी बराबर चर्चा होती है। उनके लिए कॉमन ऑल इंडिया पैमाने पर कानून बने जिस तरह से इंडस्ट्रीयल लेबरर्स के लिए है। लेकिन वह एक अलग मामला है और वह लड़ाई चल रही है। वैसे कांग्रेस के लोग उससे सहमत हैं और यदि वह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा निर्धन है, साधनहीन हैं, उसी को हम खेत मजदूर कहते हैं। इसलिए उनके लिए इस तरह की व्यवस्था कड़ाई से लागू होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसे सरकार को बिना ऐज डिसक्रिमिनेशन लाए हुए लाना चाहिए और यदि वह इसी सत्र में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : खेत मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी तादाद में हैं। आंध्र प्रदेश में इस पर काफी आन्दोलन हुआ। जब तक आन्दोलन नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद खेत मजदूर को कम से कम 40-50 रुपये मिल रहे हैं। सरकार ने खेत मजदूर के लिए मिनिमम वेज एक्ट बनाया है लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर उसे उसके मुताबिक मजदूरी नहीं मिलती जिसकी वजह से उसका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यह कानून हरिजनों के लिए भी बनाना चाहिए क्योंकि कानून बनाने से डर रहता है। खेत मजदूर को लाभ पहुंचाने के लिए सभी राज्यों को आदेश दें।

[अनुवाद]

श्री इमान मोल्लाह : महोदय जी संगमा आ गये हैं। उन्होंने बार बार कहा कि वह इस विषय पर एक विधान लायेंगे। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय क्या वह इसका उत्तर देने को सहमत होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की चर्चा में बाधा न डालें अब मैं श्री डी.पी. यादव तथा तत्पश्चात् दार्जीरिया को बोलने की अनुमति देता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, खेत मजदूर की समस्या अत्यन्त गंभीर है। जिन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां निश्चित रूप से उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती।

और न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने के चलते आज लाखों मजदूरों का पलायन हो रहा है और यह राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। जिन राज्यों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वहां उनको काम नहीं मिलता है और वहां से रोजगार के अभाव में मजदूरों का बाहर पलायन हो रहा है, जहां उनको काम मिलता है। इसी तरह से राष्ट्रीय संकट उपस्थित होगा, जब पलायन का मामला और तेज होगा। .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर वापस आयें। सदस्य अपने स्थान पर जायें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए मैं माँग करता हूं कि ऐसे लाचार और साधनहीन कमेरे खेत मजदूरों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की कोई व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार को यहां सदन में एक कानून लाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप के पास सुव्यस्थित बात है तो कहिये अन्यथा मामले में भ्रम ही उत्पन्न होगा।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, खेत मजदूरों के साथ किसान भी जुड़ा है और ऐसा तो नहीं है कि खेत मजदूर सरकारी खेतों में काम करता है। उसमें खेत मजदूर और किसान दोनों जुड़े हैं। किसान को यदि समर्थन मूल्य ठीक प्रकार से मिलता है तो मजदूरी देने के लिए वह समर्थ हो जाता है और इसलिए खेत मजदूरों का शोषण नहीं हो सके, उसके उपाय करने के लिए अलग से वित्त पोषण करने और सहायता देने के उपाय किये जाने चाहिए।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग किसान हैं, हमको मजदूर से अपने खेत में काम कराने का मौका मिला है। इसलिए मैंने आपसे समय भी मांगा है। कानून बने, यह आवश्यक है, इसमें कतई दो मत नही हो सकते हैं, क्योंकि इस देश के जितने गरीब हैं, मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, उनके लिए एक समान कानून नहीं है। राज्य स्तर पर अलग-अलग कानून बनाये गये हैं, लेकिन मजदूर वहां से हर जगह पलायन करते हैं। हम लोगों के यहां से मजदूर पंजाब और हरियाणा चले जाते हैं, चूंकि यहां के किसान सबल हैं, इसलिए वहां के मजदूर यहां मजदूरी करने आते हैं। बिहार में किसान बहुत कमजोर हैं इसलिए वहां मजदूर को काम नहीं मिलता है। किसान को भी सबल होना चाहिए और वहां के मजदूरों की जो स्थिति है, उसमें पेंशन ही नहीं, मैं उसमें और मांग करना चाहता हूं कि जो मजदूर हैं, जो मजदूर के क्राइटीरिया को फुलफिल करता है, उसको निश्चित रूप से मैडिकल एड भी देनी चाहिए। चूंकि मैडीकल एंड न मिलने के कारण भी बहुत सारे मजदूरों की दुर्दशा के कारण मृत्यु हो जाते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दे दूंगा, मगर आप सोचकर बोलिएगा, इस बार कुछ भी मत बोलिएगा।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचिट्टिपालयम) : भूमिहीन मजदूरों की जो कि हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग हैं, सुरक्षा की आवश्यकता है। तमिलनाडु में 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले भूमिहीन मजदूरों को पेंशन सुविधायें दी जाती हैं। समाज के इस महत्वपूर्ण वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इनकी सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून लाया जाये।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, 10 वर्ष की सेंसर की रिपोर्ट को देखा जाय तो खेत मजदूरों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। आज तो मार्जिनल फार्मर है, 10 वर्ष के बाद फ्रगमेण्टेशन आफ लैण्ड के कारण, परिवार के बंटवारे के कारण वह खेत मजदूर हो जाता है। फैक्टरी के मजदूर रीआर्गेनाइज रहते हैं, इस कारण वह अपना वेतन बढ़वा लेते हैं, मजदूरी बढ़वा लेते हैं, लेकिन खेत मजदूरों का ऐसा कोई संगठन नहीं है, इसलिए उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती है। हर स्टेट में उनके लिए अलग-अलग कानून हैं, मगर उनका पालन नहीं किया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसा कोई कानून बनाया जाय, जिसके तहत हर जगह खेत मजदूरों को सुविधा दी जाय और उनको मजदूरी दी जाय।

यों तो हम शुरू से नारा लगा रहे हैं, "मांग रहा है हिन्दुस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान।" मगर खेत मजदूरों को आज तीनों चीजों, रोटी, कपड़ा और मकान में से कुछ नहीं मिलता है, इसलिए एक केन्द्रीय कानून बनाया जाय।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा विचार है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : खेतिहर मजदूरों की समस्या, जैसा अभी हमारे पूर्व साथी ने कहा कि वास्तव में एक एकड़ से कम के जितने भी जमीन वाले हैं ....

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, यह वित्त की समस्या नहीं है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : वह एक तरह से प्रभावित हो रहे हैं।

एक समस्या इसके साथ और भी जुड़ी है। यह कोई पूरे वर्ष का काम नहीं है, केवल अंशकालिक काम है, वर्ष में 100 दिन से ज्यादा खेत मजदूरों को काम नहीं मिलता है और इसके कारण खेत मजदूर परेशानी में रहता है।

एक दूसरी समस्या इससे जुड़ी हुई है कि मजदूर के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाय तो इसके लिए कोई बीमे की सहायता भी नहीं मिलती है और वह इस संदर्भ में निरन्तर परेशान भी रहता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ब्यौरों में मत जाइये।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, पर्वतीय क्षेत्र में तो खेत ही नहीं है, इसलिए वहां पर जो खेती करने वाले लोग हैं, वही सब मजदूरी करने वाले लोग भी हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो सरकारी काम वहां पर चलते हैं, उन्हीं में उनको मजदूरी मिलती है।

अभी सुनिश्चित रोजगार योजना में सभी मजदूरों का ग्रीन कार्ड बने। पर्वतीय क्षेत्रों में यह चीज हो सकती है क्योंकि वहां जो दूसरे सरकारी काम चलते हैं, उनमें भी मजदूर काम करते हैं उनका सारा रिकार्ड भी रहता है इनके लिये पैंशन योजना और मेडिकल सुविधा चलायी जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाथ (आंतरिक मणिपुर) : महोदय ऐसे कृषि तथा अन्य मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिन्हें उनके पुत्रों ने त्याग दिया हो साथ ही कृषि मजदूर भूमिहीन भी हैं। अत: यह एक उचित सहायता है जिसे समाज के सभी वर्गों को समर्थन देना चाहिए।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों की देख भाल करें।

समूचे देश में इन लोगों की सँख्या बढ़ गई है जिन्हें उनके द्वारा गोद लिए गये पुत्रों ने इस समय छोड़ दिया है जबकि वे बहुत कमजोर और मजबूर हो गये हैं, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है,

मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

साथ-साथ उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारे संसार की बातें इसमें कवर मत करिये। अब आप बैठ जायें और दूसरों को बोलने दें।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी खेत मजदूरों के संबंध में सम्माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये, उसमें अपने को सम्बद्ध करते हुए और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने उठा रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सवाल ठठाने के लिय मैं आपको बाद में समय दूंगा।

श्री रामनिहार राय (रॉबटर्सगंज) : अध्यक्ष महोदय, खेतिहर मजदूरों को रबी और खरीफ के मौसम में ही काम मिला है और इसमें सबसे अधिक शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग काम करते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हों, उनके लिये हर ब्लाकों में दवा की व्यवस्था होनी चाहिये.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब आप बैठ जायें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम एवं कल्याण मंत्रालय की स्थायी समिति में हूँ। वहाँ सभी सदस्यों ने डिसकस करके श्रम मंत्री से अनुरोध किया था कि कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिये कानून बनाया जाये। मंत्री जी और अधिकारियों ने सदस्यों को आश्वस्त भी किया था कि ऐसा एक कानून बनाया जायेगा लेकिन इस बारे में अभी तक सरकार न इस सदन में और न ही दूसरे सदन में कोई कानून प्रस्तुत कर पायी है। मैं स्वयं सीमान्त कृषक का पुत्र हूँ और गांव में रहता हूँ। मैं बड़े जमीदारों के खेतों में काम करने वाले किसानों और विशेष तौर पर महिलाओं की दयनीय स्थिति से परिचित हूँ। उनके कल्याण के लिये एक ऐसा कानून बनाया जाये ऐसी मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय हम श्रम तथा कल्याण समिति के सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी हमें बता रहे हैं कि वह असंगठित मजदूरों विशेषकर कृषि मजदूरों के लिये एक व्यापक विध ेयक ला रहे हैं। इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत मजदूर महिलाएं हैं। समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरूषों के समान ही वेतन दिया जाना चाहिए। अत: व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये। असंगठित क्षेत्रों में कोई सँगठन नहीं है। उनको राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार से न्यूनतम मजदूरी की सहायता मिल रही है।

दूसरे 60 अथवा 65 जो भी आयु निर्धारित की गई है, पर सेवानिवृत्ति के पश्चात उनको पैंशन आदि की सुविधा दी जानी चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यथाशीघ्र एक व्यापाक विधेयक लायें ताकि इन लोगों को तुरन्त सुविधायें दी जा सकें।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, इस केन्द्रीय बिल के बारे में, मैं पूरे जीवन के अनुभव को लेकर, बगैर सरकारी दल में रहे हुए, कहना चाहता हूं कि केवल पैंशन, खैरात और भीख की बात नहीं है, मुद्रास्फीति का असर तो सब र पड़ेगा। इसलिए सुनियोजित उत्पादक कार्यों के लिए धन और साधन दिया जाए। अभी गरीबी की रेखा से नीचे दिया जा रहा है। उसको कुछ तो बैंक वाले खा जाते हैं व कुछ ब्लाक वाले खा जाते हैं और जिनको मिला है, वे ही खा जाते हैं। ... (व्यवधान) वे क्रिमिनल कार्य करते हैं .... (व्यवधान) बीज ही जो खा जाएगा, वह फल कैसे देखेगा। ... (व्यवधान) मैं खेतिहर मजदूरों को रखने वाला नहीं हूँ और न मैं जमीन वाला हूँ।...... (व्यवधान)

जनतंत्र की कार्यरता हम लोगों को मजबूर करती है और कहेंगे कि बीच मत खाइए, इससे तुम पैदा करो..... (व्यवधान) यह कायरता हम लोगों में आ जाती है। मैं कहता हूँ कि ब्लाक वालों को और बैंक पैमाने को कहा जाए कि निगरानी करो, ठीक होता है या नहीं। आठवीं योजना में बड़े पैमाने पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा और देश की सम्पत्ति बढ़ जाएगी और वे मालिक बनेंगे, मजदूर नहीं।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मेल्लाह जी ने जो मामला उठाया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। खेत मजदूरों को नका हक मिले और लेबर लॉज होने चाहिए। साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में महाराष्ट्र में जहां मिल वर्क्स हैं, उनको भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है।

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, खेतिहर मजदूर जो खेत में काम करते हैं, उनमें महिलायें भी उसमें लग कर काम करती हैं। जो सरकारी अस्पताल हैं.....

अध्यक्ष महोदय : इस डिटेल में मत जाइए। ऐसा नहीं है।

श्री केशरी लाल : साथ ही साथ शहरों में छोटी-छोटी मिलों में, छोटे-छोटे कारखानों में भी हिसाब होता है कि एन्ट्री है या नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : इसमें आप सारी दुनिया को ले आयेंगे, तो बंनेम ेनमित होगा।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेतिहर मजदूरों के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है, उसका समर्थन करता हूँ। देर आयद, दुरूस्तत आयद - यह कानून तो बहुत पहल बन जाना चाहिए था। भारत की आजादी के समय ही राष्ट्रपिता महात्तमा गांधी ने इस बात को कहा था कि दरिद्रता ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस से संबंधित बिल को शीघ्रातिशीघ्र पास किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्यों ने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। सरकार के पास इस मुद्दे पर अपनी नीति की व्याख्या करने का मौका मिलेगा। माननीय श्रम मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। जहां तक सम्भव हो वह इस मामले पर अपनी नीति स्पष्ट कर सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मुझे आशा है कि इसमें महिला कृषि मजदूर भी शामिल हैं।

श्रम मंत्री (श्री पी. संगमा) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने एकमत होकर इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। भारत सरकार भी ऐसा ही सोचती है। ग्रामीण मजदूरों संबंधी राष्ट्रीय अपील ने कृषि मजदूरों के बारे में दो महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। एक सिफारिश इनकी 20 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देने की है और दूसरी यह है कि कृषि मजदूरों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय कानून बनाया जाये। रिपोर्ट के इस भाग को भारतीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया था और पहली सिफारिश को सम्मेलन में ही स्वीकार कर लिया गया था जो कि 20 रूपये प्रतिदिन देने के बारे में है। मुझे खुशी है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने इसे लागू कर दिया है।

इसके साथ-साथ हमने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक दो वर्ष का अवधि के पश्चात् न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित की जाये क्योंकि वलयरन कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी प्रति पांच वर्ष की अवधि के बाद संशोधित की हमने सोचा कि असंगठित मजदूरों के लिए यह अवधि बहुत लम्बी है अतः श्रम मंत्रियों ने यह निर्णय लिया कि न्यूनतम मजदूरी हर दो वर्ष की अवधि के बाद बढ़ाई जाये। हमने श्रम मंत्रियों की सिफारिश को मान लिया है और मैं न्यूनतम मंजूरी अधिनियम, का संशोधन सभा में लाऊंगा, जो कि कृषि मजदूरों की मजदूरी को शासित करता है।

जहां तक विधायी भाग का सम्बन्ध है, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने इस के ब्यौरे की जांच हेतु ग्यारह श्रम मंत्रियों का एक समूह बनाया है।

इन मंत्रियों की अंतिम बैठक कल हुई थी जिसकी अध्यक्षता मैंने की थी। इससे पूर्व परसों सभी राज्यों के श्रम सचिवों को एक बैठक हुई थी। हमने इस विषय पर सारा दिन चर्चा की। कृषि मजदूरों के राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई सचिवों की सिफारिशों को कल मंत्रियों की समिति के समक्ष रखा गया था। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि मंत्रियों ने सर्वसम्मति से इस बात का समर्थन किया है कि कृषि मजदूरों के बारे में केन्द्रीय विधान लाया जाये। मैंने इन्हें स्वीकार कर लिया है कि और केन्द्र कृषि मजदूरों सम्बन्धी व्यापक विधान का प्रस्ताव सभा में लायेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रोजगार गारंटी योजनाओं पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं जो कि भूमिहीन मजदूरों को रोजगार देने के लिए चलाई जा रही है। केन्द्रीय सरकार ने जवाहर रोजगार योजना जैसे रोजगार गारंटी योजनाओं पर कितनी धन राशि खर्च की है।

श्री पी.ए. संगमा : रोजगार गारंटी योजना कहीं भी नही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जवाहर रोजगार योजना, आई आर डी पी आदि की बात कह रहा हूँ।

श्री पी.ए. संगमा : महाराष्ट्र राज्य में रोजगार गारंटी योजना है। इस पर चर्चा हुई थी और हमने राज्य सरकारों को महाराष्ट्र सरकार का अनुसरण करने की सलाह दी थी। आज हमारे देश में 315 मिलियन श्रमिक हैं और इनमें से 110 मिलियन कृषि मजदूर हैं। वे समूचे देश में इस प्रकार फैले हुए हैं कि यह आसान नहीं है कि . ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाहर रोजगार योजना के बारे में क्या कहना चाहते हैं।

श्री पी. ए. संगमा : महोदय हम यहां पर जो कुछ भी करें हमें उसके लिए राज्य सरकारों को विश्वास में लेना पड़ता है। यदि सभा को वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि महराष्ट्र की भांति सभी जिलों में रोजगार गारंटी बोर्ड स्थापित किये जायें। सिद्धान्त रूप से हमने यह निर्णय ले लिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, महिलाओं के बारे में क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई समस्या नहीं है। यह दोनों पर लागू होता है।

मेरा विचार से राज्य स्तर पर कानून नहीं है ओर वे न्यूनतम मंजूरी हेतु इन्हीं कानूनों को लागू कर रहे हैं। यह बात अलग है कि वे कानून प्रभावी है अथवा नहीं। यह भी अलग बात है कि हमें उन्हें प्रभावी बनाने हेतु कदम उठाते हैं अथवा नहीं।

हमें खुशी है कि केन्द्रीय कानून बनाया जायेगा। मुझे विश्वास है कि रोजगार गारंटी योजना केवल महाराष्ट्र में ही है और मेरे विचार में यह किसी अन्य राज्य में नहीं है। यह सिद्धान्त ..... (व्यवधान) ....

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : महोदय, यह अन्यत्र भी उपलब्ध है। देश के अनेक खण्डों में प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का कार्य उपलब्ध है। अनेक बड़े विकास खण्डों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100 दिन का कार्य देने की योजना है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें गारंटी शब्द नहीं है। किन्तु लगभग सभी राज्य ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें इस मुद्दे पर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना है। परन्तु अन्य सरकारों के पास अपने अपने राज्यों में बेरोजगार लोगों की रोजगार देने सम्बन्धी योजना है। हां गारंटी योजना नहीं बल्कि रोजगार योजना कहा जाता है। केन्द्रीय सरकार के पास जवाहर रोजगार योजना तथा अनेक अन्य रोजगार योजना हैं और यदि मैं गलत नहीं हूँ तो देश के सभी लोगों में रोजगार चाहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए इन पर लगभग 7000 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं।

श्री पी. ए. संगमा : सालाना तौर पर यह राशि खर्च की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार 7000 करोड़ रूपये खर्च करती है ओर राज्य सरकारें भी कुछ धन देती हैं। इन प्रबन्धों के पश्चात् भी हमें कुछ कदम उठाने हैं। और मुझे विश्वास है कि समय और सरकार का यह मत है कि काफी कुछ किया गया है और अभी काफी कुछ किया जाना है। मुझे लगता है कि यह यथासंभव शीघ्र किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री नाथूराम मिर्धा : आप क्यों नहीं बताते हो, आप यह सबको बताओ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहबुद्दीन से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कुछ बोलना चाहते है। वह इससे सम्बन्धित हैं और वहां ग्रामीण विकास के बारे में सब कुछ जानते हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत जो विकासखंड आते है, उनके अंतरगत 100 दिन मजदूरी देने का कार्यक्रम चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : 365 दिन में से केवल 100 दिन ही रोजगार क्यों देते हैं, यह भी बता दीजिए।

श्री उत्तम भाई हरजी भाई पटेल : 100 दिन के रोजगार की तो पक्की गारंटी है, इससे ज्यादा भी दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : 100 दिन रोजगार इसलिए देते हैं, क्योंकि बाकी दिन खेती कार्य में काम मिल जाता है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, हम अपने देश में बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे पास एक बहुत ही विकसित जनगणना प्रणाली है जोकि एक शताब्दी से भी अधिक समय से प्रचलित है और हमने इसमें बहुत विशेषज्ञता भी प्राप्त कर ली है। पिछली जनगणना 1991 में हुई थी। आजकल हम योजनाबद्ध विकास कर रहे है। और विकास आयोजन के लिए आकड़ों का बहुत महत्व है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि भारत के महा पंजीकरण द्वारा 1991 की जनगणना में असाधारण विलम्ब किया जा रहा हैं हालांकि जहां तक मै जानता हूँ समूची प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है और परिणामों के शीघ्र उपलब्ध होने की आशा की जाती है परन्तु पांच वर्ष गुजर गये है फिर जब जिलों के सम्बन्ध में मूल जनसंख्या आंकड़ों को भी प्रकाशित नहीं किया गया है। धर्म तथा भाषा सम्बन्धी सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंकड़ों की तो बात ही छोड़ दो। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास ये आंकड़े नहीं है। राज्य स्तर पर हमारे पास जिला स्तर के आंकड़े नहीं है। मेरे विचार में योजनाबद्ध विकास में ये रूकावटें हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह 1991 की जनगणना के आकड़ों का संगणन, उन्हें अंतिम रूप देने का कार्य तथा प्रकाशक कार्य शीघ्र पूरा करें और प्रकाशित करें।

महोदय एक मूल कमी की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1931 के बाद जाति संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं किये गये है। क्योंकि हमने राष्ट्रीय नीति के रूप में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण मूलत: जाति आधार पर ही किया है और पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतें भी उनके लिए आरक्षण लागू किया है। इसलिए प्रमाणिक

आंकड़ों का उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है। हर राज्य अब अपने निजी तरीकों से ये जाति संबंधी आंकड़े तैयार कर रहा है जिसमें बहुत कमियां होती हैं। अतः वह 1991 की जनगणना के परिणामों को यथाशीघ्र प्रकाशित करने के साथ-साथ सरकार को मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार को 2001 की जनगणना का फारमेंट भी अभी से विचार करें। और यदि इस बीच जाति पर आधारित जनगणना कराना सम्भव न हो पाये, तो जातिगत आंकड़े भी उसमें सम्मिलित किये जायें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ।

राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण की समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में लोगों के सामने आ रही है और राजनीतिक नेताओं तथा दलों द्वारा बहुत से जाने-माने अपराधियों को राजनीति में सम्मान देना, राजनीतिक पद देना और राजनीतिक संरक्षण देना भी अपराधों के बढ़ने का एक मुख्य कारण है। राजनीतिक दलों की शरण में अपराधी जा रहे है, अपराधियों को वहां सम्मान मिल रहा है। इससे न केवल समाज में भय का वातावरण पैदा हो रहा है, बल्कि प्रशासन पर भी इसका असर पड़ता है तथा जिन पर शांति और व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी है, वे भी अपने को असहाय स्थिति में महसूस करते हैं। मझे लगता है कि सरकार में और राजनीति में जो प्रभावी लोग हैं, वे स्वयं ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं, मैं समझता है कि यह गंभीर स्थिति है और मैंने देखा है कि आम लोगों में भय का वातावरण हो रहा है और ऐसे चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस गंभीर समस्या पर विचार किया जाना चाहिए।

एक आचार-संहिता कोड ऑफ कंडक्ट सभी राजनैतिक दलों का बनाया जाना चाहिए और भविष्य में ऐसे तत्वों को जो जाने-माने अपराधी हैं राजनीति में सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए और उनको सार्वजनिक जीवन में सम्मान देकर के शांति और व्यवस्था को लूंज-पूंज नहीं बनाया जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रांतीय कार्यालय कैशरबाग लखनऊ में स.पा. विधायक राजेन्द्र यादव कल दिनांक 18.5.1995 को अपराह्न अपने असलाधारियों के साथ पहुंचे। उनके साथ दो दरोगा और चार सिपाही भी थे। राजेन्द्र यादव ने आते ही कार्यालय के टेलीफोन के तार और कुर्सियों को तोड़ दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के हरिजन प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी को जबरदस्ती खींचकर और उसके साथ उसके पति को भी जीप में डाल कर ले गये। तारा देवी के प्रतिरोध करने पर उनके कपड़े और चूड़ियां फाड़ व तोड़ दी गयीं। तारा देवी को बचाने में कार्यालय में उपस्थित लोगों को मारा और पीटा गया एवं हथियार के बल पर उन लोगों को अपने स्थान से न हिलने के लिए मजबूर किया गया। पार्टी के सहायक सचिव अशोक मिश्रा के सीने पर रायफल लगा दी गयी। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि सदन में इस घटना पर बयान दें, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करें ताकि जिला पंचायत की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी सकुशल अपने घर वापस आएं।

[अनुवाद]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

12.41 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्वारकानाथ :

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यद्यपि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन यह एक हरिजन महिला का मामला है जो कि उम्मीदवार थी, अतः केन्द्रीय सरकार से मैं मांग करती हूँ कि वह इस पर ध्यान दें और जांच करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री द्वारका नाथ आपको बोलने के लिए कहा है। कृपया सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय बहुत कम है, अन्य सदस्य भी अपनी शिकायतों के बारे में बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : एक तो वह हरिजन महिला है और दूसरे वह चुनाव में प्रत्याशी थी। यह हमारे जनतंत्र पर हमला है। उपाध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूँ कि सरकार इस पर वक्तव्य दें। यह एक असाधारण घटना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं किया जायेगा अपने स्थान पर बैठिये। आप इस प्रकार नहीं बता सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार इसका उत्तर नहीं देगी। यदि आप चाहते हैं तो विशेष सूचना दीजिये। आप सदन में चर्चा के लिए प्रावधानों का प्रयोग नहीं कर सकते।

श्री द्वारिकानाथ दास (करीमगंज) : महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र करीमगंज में ....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप इधर चलिये। अपनी सीट पर जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही कह रहे थे कि कुछ सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलेगा। हमारे पास कुल 15 मिनट हैं।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन आप कुछ कहना चाहेंगे।

रक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं इनकी भावनाओं को सम्बन्धित मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री मल्लिकार्जुन यहां उपस्थित हैं, मैं समझता हूं कि वे इसे ठीक से सुन नहीं सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नियमों तथा अनुशासन का पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब आप क्या यह समझते हैं कि इस प्रकार बरताव करना उचित है। हमारे पास केवल 15 मिनट हैं और अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। गत चार पांच दिनों से अनेक सदस्य नोटिस दे रहे हैं। सरकारी कार्यों के माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। वह खड़े हैं। कृपया उन्हें सुने।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं इनकी भावनाओं को सम्बन्धित मंत्री तक पहुंचा दूंगा। यह उन पर है कि वह जो कार्यवाही करना चाहे करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास नाम है। आप इसमें सन्देह क्यों करते हैं में उससे पीछे नहीं हट सकता। आप मुझे उनसे परे जाने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं?

श्री द्वारका नाथ दास : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र करीमगंज, आसाम में भारतीय चाय कपास निगम (टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया) क्या चलाये जा रहे चाय बागान अच्छी स्थिति में नहीं है।

सिंघानिया तथा अन्य निजी कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे चाय बागानों की भी स्थिति बहुत खराब है। मुझे डर है कि आगामी कुछ वर्षों में अनेक चाय बागान बाकी नयी नहीं बचेंगे।

इन चाय बगानों में काम करने वाले मजदूरों को नियमित रूप से मंजूरी तथा राशन नहीं मिल रहा है, पिछले वर्ष चाय व्यापार निगम के पंथोनी चाय बागान में दस मजदूर भूख से मर गये थे और अब इस बीमार और कमजोर चाय बागानों में बहुत सारे मजदूर आधे भूखे तथा आधे नंगे हैं।

मैं भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे चुनाव संघ में स्थित इन चाय बागानों को पुनर्जीवित करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें ताकि इन मजदूरों तथा इनके परिवारों को बचाया जा सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस के मण्डल : मेरे पास नाम है मैं सबको एक एक करके बताऊंगा। सभी को बोलने का उचित अवसर मिलेगा।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, सुन्दर वन, पश्चिमी बंगाल का सबसे गरीब क्षेत्र है। ज्वारभाटें के दिन इस क्षेत्र में भारी वर्षा हुई जिससे न केवल गोसाबा, वंसती, कैसिंग, रायदगी, सन्देशहरी बल्कि समूचे तटीय क्षेत्र में भारी तबाही हुई है हजारों लोगों बेकार हो गये हैं। पेय जल पाइप को क्षति पहुंची जिस कारण पीने के पानी की सप्लाई टूट गई है। बांध तबाह हो गये हैं जिस कारण ये मजदूर लोग नमकीन पानी पी रहे हैं और इससे सब्जियाँ भी नष्ट हो गई हैं जिस पर इन लोगों का जीवन तथा आजीविका निर्भर है।

केन्द्रीय सरकार से मैं मांग करता हूँ कि वह असमयिक भारी वर्षा से हुई तबाही का अनुमान लगाने तथा इस तबाही पर काबू पाने हेतु लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए सुन्दरवन क्षेत्र में एक बल तुरन्त भेजें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नाम मेरे पास है। मैं रूक करके सभी को बुलाऊंगां यदि आप लोग एक व दो मिनट बोलेंगे तो अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। जब आप को बोलने का मौका मिलता है तो आप अधिक समय लेते है और अपने साथियों का समय भी लेते हैं आते ही नहीं। यह अन्याय है। मैं इस बारे में कर रहा हूँ। कुछ माननीय सदस्य इस बारे में कह भी रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपको सावधान होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राय (पलाम) : उपाध्यक्ष महोदय, छोटा नागपुर से पठानकोट तक वाया रांची ट्रेन चलाने की हमारी मांग बहुत अर्से से है। हमने बार बार इस संबंध में संभीजी को पत्र लिखा, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। इसके अलावा हम लोगों ने समय परिवर्तन की भी मांग की थी, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अत: मैं मांग करता हूँ कि हमने जो दूसरी ट्रेन चलाने की प्रार्थना की है। वह बात नहीं सुनी गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि पठानकोट से छोटा नागपुर रांची जाने के लिए दसरी ट्रेन दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने माननीय सदस्यों के लिये उदाहरण स्थापित किया है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना की ओर खींचना चाहता हूँ, इस योजना के अन्तर्गत बिहार के कुछ जिलों को चुना गया है लेकिन हर जिले में भी कुछ सलेक्टेड प्रखंडों को लिया गया है। मेरे जिला रोहतास में केवल चार प्रखंडों को इस योजना के तहत किया गया है जबकि दिनारा दावत नोखा, विक्रमगंज अमेठी गोला, नोहा, कोचस, राजपुर, ओपरीगोला जैसे अभावग्रस्त प्रखंडों में इस रोजगार योजना को नहीं चलाया जा रहा है। इस कारण प्रखंडों के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से यह मांग करता हूँ

कि इस योजना को रोहतास जिला के प्रत्येक प्रखंड में चलाया जाये ताकि सभी लोगों को प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मिल सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम नाइक, आपके विषय पर और जिले का बहुमुखी विकास हो सकें के अनुसार सभा में भी चर्चा हो चुकी है। कार्यालय टिप्पणियों में भी यह बताया गया है कि मामले को सदन में उठाया गया है तथा चर्चा की गई है।

[हिन्दी]

श्रीराम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, ऑफिस नोट का पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैं डेढ मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।।

स्टार टी वी पर निक्की नाईट का एक कार्यक्रम हुआ था जिसके बारे में मैंने यह बात इस सदन में उठायी थी क्योंकि उस कार्यक्रम में महात्मा गांधी की घोर अवमानना हुई थी।

अध्यक्ष जी ने उस समय कहा कि इस विषय पर ज्यादा विचार न करें और उन्होंने मंत्री महोदय से कहा था कि सरकार को इस बात को नोट करना चाहिये और मंत्री महोदय ने कहा कि हम नोट कर रहे हैं और अध्यक्ष जी ने इस पर स्टेटमेंट करने के लिये निर्देश दिया। यह बात 8 मई की है जिसको आज 11 दिन हो गये हैं लेकिन स्टेटमेंट नहीं हुआ है। राज्य सभा में इस विषय पर विचार हुआ है, यह बात दूसरी है लेकिन यहां पर स्टेटमेंट न आना सदन की अवमानना है। सरकार इस सबजैक्ट की कैजुअली ले रही है। हम जानते हैं कि सरकार का ख्याल सदन में न होकर बाहर है क्योंकि आज 19 तारीख है और बाहर कुछ और चल रहा है लेकिन जो जिम्मेदार मंत्री है, उनको इस विषय के बारे में सदन में निवेदन करना चाहिये था और एक स्टेटमेंट देना चाहिये, नहीं तो यह सदन की अवमानना है। महात्मा गांधी की अवमानना हुई है। सरकार को स्टेटमेंट करना चहिये था और न करने पर मैंने इस विषय को यहां पर फिर से उठाया है। उस समय अध्यक्ष जी ने कहा था कि वे हमारी बात मानते हैं लेकिन अब सरकार नहीं मान नहीं है। मैं आज इस बात को उठा रहा हूँ कि सरकार इस बारे में एक स्टेटमेंट करें। इसलिये मेरी मांग है कि आप निर्देश करें कि यह अवमानना है।

[अनुवाद]

यह सभा के महत्व के विषय में करना है।

[हिन्दी]

यह गंभीर मामला है और इसे ऐसे ही लाईटली ले रही है। सरकार तुरंत इस पर स्टेटमेंट करें, ऐसा आपका निर्देश हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्लिकार्जुन, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन : यह मामला सदन में उठा चुका है। श्री राम नाईक हीं नहीं बल्कि अन्य सदस्य भी इस पर बता चुके हैं।

जहां तक वक्तव्य का प्रश्न है मैं सम्बन्धित मंत्री को याद दिला दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामेश्वर पाटीदार बोलेंगे । समय बचाने का प्रयत्न करें। यदि आप सहयोग करे तो एक बजे तक चार पांच अन्य सदस्यों को अवसर दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग-3 की ओर दिलाना चाहता हूँ कि गत वर्ष अधिक वर्षा होने के कारण इस राजमार्ग की हालत बहुत खराब हो रही है। जिसकी आज तक रिपेयरिंग नहीं की गयी है। यह मार्ग बम्बई - आगरा के लिए मध्यप्रदेश के इन्दौर डिवीजन से होते हुये विन्ध्याचल सतपुड़ा पर्वत घाट क्षेत्र से होकर निकलता है। यह मार्ग इतना खराब है कि प्रतिदिन दो घंटे का रास्ता तय करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। आजकल आवागमन भी बढ़ गया है, भारवाहक ट्रकों का यातायात बहुत ही बढ़ गया है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान खीचंना चाहता हूँ कि इस मार्ग की रिपेयरिंग के लिए जल्दी से जल्दी ध्यान दें। इसके साथ ही मेरे क्षेत्र में नर्मदा नदी पर बम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक किलोमीटर का ब्रिज बना हुआ है जो दस साल पहले 4 करोड़ रूपये की लागत से बना था। दो वर्ष से रिपेयरिंग का काम बंद है और जब रिपेयरिंग चलती है तो ट्रेफिक को पास होने में आधा घंटा से ऊपर लग जाता है। इसकी ओर भी केन्द्र सरकार जल्दी ध्यान दे।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एच ई सी के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एच ई सी मदर इंडस्ट्री कहलाती है। वहां 25 हजार आदमी काम करते थे ओर अब 12 हजार ही रहे हुए हैं। उसके बाद भी उनको दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती कर दी गई है। बी आई एफ आर द्वारा रैकमंड किया गया था कि एच ई सी को 310 करोड़ रूपया देना है, मगर वह भी अभी तक नहीं मिला है। आज तीन महीने से वहां मजदूरों का आंदोलन चल रहा है, मगर अभी तक उस कारखाने को बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कार्य कार्यवाही नहीं की गई है। प्रधान मंत्री ने भी आश्वासन दिया और बहुत से माननीय सदस्यों ने भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, मगर एच ई सी को बचाने के लिए सरकार न पैसा दे रही है और न कोई कार्यदेश उस कारखाने को दे रही है। एक तरफ लोगों को वोलंटरी रिटायर किया जा रहा है और दूसरी तरफ करीब तीन सौ इंजीनियरों की बहाली की गई है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर एक कमेटी बनाए और सारी बातों की जांच करवाए और एच ई सी का पैसा दे और कार्यदेश दे और जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को बातचीत के द्वारा समाप्त करने की और ध्यान दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह समय एक बजे समाप्त हो जायेगा। यह आप पर निर्भर है कि आप सहयोग को और मौके का लाभ उठायें।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : कई दिनों से हम नोटिस दे रहे हैं। हमारा नाम नहीं आता है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग करते तो आपको भी बुला सकता था। चार पांच अन्य सदस्यों को भी बुलाया जा सकता था। परन्तु दुर्भाग्यवश आप बहुत गुस्से में हैं। आज सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज पवित्र दिन शुक्रवार परन्तु आप लोग सहयोग करना नहीं चाहते। अब श्री रवि राय बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष जी, यहां श्रम मंत्री संगमा जी बैठे हैं। जब श्री हन्नान मोल्लाह जी ने ऐग्रीकल्चर लेबर के बारे में प्रश्न उठाया, उसके तुरन्त बाद हमारे लायक दोस्त शहाबुद्दीन जी को स्पीकर साहब ने बुलाया। उसी से संबंधित और एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। यह अच्छा संयोग है कि यहां श्रम मंत्री जी बैठे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सबसे तकलीफ की बात है कि अभी भी सरकार लेबर कान्ट्रेक्ट सिस्टम के जरिये उसी सामन्ती व्यवस्था को चला रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते उन्होंने कानट्रेक्ट लेबर सिस्टम को खत्म करने के बारे में एक बहुत अच्छा फैसला दिया है। हमें लगता है कि यह सरकार के विवेक को जगाने के लिए अच्छी बात है कि किस तरीके से हमारे संविधान लागू होने के करीब 42 साल बाद भी लेबर कानट्रेक्ट सिस्टम के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि -

[अनुवाद]

"सर्वोच्च न्यायालय ने यह उपयुक्त प्रावधान कर अधिनियम संशोधन करने को केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उचित सरकार संविधा श्रम प्रणाली को समाप्त करें। मुख्य संस्थान मे महत्वपूर्ण ठेकेदार के मजदूरों को सीधे रोजगार देने का प्रश्न औद्योगिक न्यायाधीश को भेजे "।

[हिन्दी]

इसके आगे जाकर हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार और राज्य सरकारों से कहती है कि-

[अनुवाद]

"हम इस तथ्य पर जाँच किये बिना नहीं रह सकते कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी ठेका मजदूरों को लगाकर अनुचित श्रम प्रथा अपना रहे हैं जबकि अधिनियम की धारा 10(2) मे निर्धारित परीक्षण के अनुसार मजदूरों को सीधे नियुक्त किया जा रहा है।" उन्होंने आज कहा है कि-

1.00 म.प.

"इस तथ्य के बावजूद कि यह अनुचित श्रम प्रथा है आर्थिक रूप से भी छोटे न जीयें तथा कमजोर नीति है, देश तथा सम्बन्धित उपक्रम के दृष्टिकोण से भी यह न्यायालय ने कहा है कि आर्थिक प्रगति को केवल उत्पादन तथा लाभ से ही नहीं लाया जा सकता। इसको रोजगार के अवसरों तथा लोगों की आय से लाया जाना चाहिए। विकास का समूचा ध्यान व्यक्ति पर ही होना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा अपनाया गया रवैया बेरोजगारी को कम करने तथा समय-समय पर सरकार द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषित नीति के अनुरुप नहीं है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 38,39,41,42,43 और 47 में निहित निर्देशित सिद्धान्तों के अलावा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, यहां संगमा जी बैठें है, इण्डियन कार्टेक्ट लेबर सिस्टम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है और सरकार से रिकमण्ड किया है। मैं चाहूंगा कि सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया बताये ताकि सदन को पता चल जाये और इस तरह सामंती प्रथा हिन्दुस्तान से खत्म हो।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संगमा जी आप कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन का अनुशासन क्यों नही बनाये रखते:

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : महोदय हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी हो। इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सारी जटिलताओं की जांच कर रहे है तथा अध्ययन कर रहे है। मैं अभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। इसी बीच श्री जार्ज फार्नान्डीज ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं नहीं जानता कि अध्यक्ष महोदय ने इसे स्वीकार किया है अथवा नहीं। मेरे विचार में तब तक मैं सरकार के विचारों के बारे में बता सकूंगा।

[ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7598/95]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभापटल पर पत्र रखे जायेगें।

1.03 म.प.

सभापटल पर रखे गये पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभापटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण :

श्रम मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : मै कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूँ।

चाय अधिनियम,1953 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. पी. चिदम्बरम्) : मैं, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त चाय संवर्धन निदेशकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995, जो 12 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चाय संशोधन नियम, 1995, जो 30 मार्च, 1995 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स.का.नि. 301(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल.टी. 7599/45]

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 50 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा0का0नि0 29(अ), जो 21 जनवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 15 सितम्बर, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 452 का शुद्दि पत्र दिया गया है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल.टी. 7600/95]

(एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल.टी. 7601/95]

(एक) बेसिक कैमिकल्स, फर्मास्युटिकल्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमिकल्स, फर्मास्युटिकलस एण्ड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल.टी. 7602/95]

(एक) प्लास्टिक्स एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक एण्ड लिनोलियम्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गई देखिये संख्या एल.टी. 7603/95)

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंकर कंपनी (उपक्रमों अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 आदि के अन्तर्गत आधार रचना:

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ:

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (संशोधन) विनियम, 1994 जो 31 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीओ/एसएण्डबी/3391 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7604/95]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 का धारा 9 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1995, जो 3 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का0 आ0 289 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1995, जो 3 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का0 आ0 290 (अ) में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7605/95)

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1992 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 50 (अ), जो 3 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस बात की व्यवस्था करना है कि भारत से बाहर भेजे गए कॉपर कन्सन्ट्रेंट्स से बने कॉपर वायर, कॉपर कैथाड्स और कॉपर वायर रॉड्स पर आयात शुल्क विदेश में हुई मूल्य वृद्धि के 50 प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा तथा जिनमें श्रम प्रभार, माल की लागत (जिसमें भारत से बाहर भेजे गए माल का मूल्य शामिल नहीं हुए हैं), बीमा और माल भाड़ा भी शामिल होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयात सूची (जलयान) संशोधन विनियम, 1995, जो 13 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 132 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञातन।

(तीन) सा.का.नि. 272 (अ), जो 16 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना संख्या 161/92-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 275 (अ), जो 20 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 69/95 सी.शु. के कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 285 (अ), जो 22 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 के अधिसूचना संख्या 69/95-सी.शु0 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छ) सा.का.नि. 306 (अ), जो 30 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 47/95-सी.शु0 में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 310 (अ), जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत में आयात किए गए माल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 311 (अ), जो 31 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना की तालिका में दर्शाई गई अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 323 (अ), जो 1 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस विनिर्दिष्ट माल पर मूल सीमाशुल्क की रियायती दर निर्धारित करना है जब उसका श्रीलंका से भारत में आयात किया जाता हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 324 (अ), जो 3 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो खाद्य तेलों अथवा किसी अन्य सामग्री, जिससे खाद्य तेल निकाला जा सकता है, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7606/95]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 276 (अ), जो 20 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, कतिपय अतिरिक्त शर्तों के अध्यधीन अपरम्परागत कच्ची सामग्री के भार के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत लुगदी के अंश से विनिर्मित पेपर और पेपर बोर्ड या उससे बनाई गई वस्तुओं पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत के हिसाब से रियायती उत्पाद शुल्क को बहाल रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 277 (अ), जो 20 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्लाइड फास्टनर्स के विनिर्माण में प्रयुक्त और 2000 दिनीर और उससे अधिक के पोलिएस्टर मोनीफिलामेंट यार्न पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत मूल उत्पाद शुल्क की दर निर्धारित करना है, ताकि बजट प्रस्तावों को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 290 (अ), जो 24 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 फरवरी, 1993 की अधिसूचना संख्या 1/93 के.ऊ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 322 (अ), जो 1 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जनवरी, 1995 की अधिससूचना संख्या 2/95-के.ऊ.शु. में कतिपय किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7607/95]

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1993-94 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन :

(एक) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7608/95]

(दो) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हजारीबाग (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7609/95]

(तीन) सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजामढ़, (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7610/95]

(चार) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7611/95]

(पांच) हिण्डन ग्रामीण बैंक, गाजियायबाद (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7612/95]

(छह) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (बिहार)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7613/95]

(सात) लक्ष्मी गांवलिया बैंक, गोलाघाट (असम)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7614/95]

(आठ) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7615/95]

(नौ) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7616/95]

(दस) नैनीताल, अल्मोड़ा क्षेत्रीय बैंक, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7617/95]

(ग्यारह) मम्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7618/95]

(बारह) कछार ग्रामीण बैंक, सिलचर (असम)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7619/95]

(तेरह) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7620/95]

(चौदह) उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (पश्चिम बंगाल)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7621/95]

(पन्द्रह) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक, भिवानी (हरियाणा)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7622/95]

(सोलह) हदौटी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7623/95]

(सत्रह) बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलांगीर, (उड़ीसा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7624/95]

(अठ्ठारह) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7625/95]

(उन्नीस) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा (बिहार)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7626/95]

(बीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला (त्रिपुरा)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7627/95]

(इक्कीस) सहयाद्री ग्रामीण बैंक, शिमोगा (कर्नाटक)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7628/95]

(बाईस) नागालैण्ड ग्रामीण बैंक, कोहिमा (नागालैण्ड)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7629/95]

(तेईस) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलास पुर (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7630/95]

(चौबीस) शोलापुर, ग्रामीण बैंक शोलापुर (महाराष्ट्र)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7631/95]

(पच्चीस) श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7632/95]

(छब्बीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड्डयपा (आन्ध्र प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7633/95]

(सत्ताईसस) लांग्पी देहांगी ग्रमीण बैंक, दीफू, जिला कार्बी आंगलोंग (असम)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7634/95]

(अट्ठाईस) सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चाईबासा (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7635/95]

(उनतीस) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7636/95]

(तीस) शेखावती ग्रामीण बैंक, सीकर (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7637/95]

(इकतीस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक (उड़ीसा)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7638/95]

(बत्तीस) सथाल परगना ग्रामीण बैंक, दुमका (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7639/95]

(तैंतीस) ढेंकनाल ग्राम्य बैंक, ढेंकनाल (उड़ीसा)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7640/95]

(चौंतीस) समस्त पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर (बिहार)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7641/95]

(पैंतीस) कोलारा ग्रामीण बैंक, कोलार (कर्नाटक)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7642/95]

(छत्तीस) इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इटावा (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7643/95]

(सैंतीस) रीवा सिंधी ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7644/95]

(अठ्तीस) बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7645/95]

(उनतालीस) बूंदी चित्तौड़गढ़, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी (राजस्थान)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7646/95]

(चालीस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7647/95]

(इकतालीस) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रायगढ़ (उत्तर प्रदेश)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7648/95]

(बयालीस) चिकमगलूर कोडगू ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर (कर्नाटक)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7649/95]

(तैंतालीस) डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डूंगरपुर (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7650/95]

(चवालीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना (मध्य प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7651/95]

(पैंतालीस) फरीदकोट भूटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा (पंजाब)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7652/95]

(छियालीस) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मैनपुरी (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7653/95)

(सैंतालीस) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7654/95]

(अड़तालीस) अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर (राजस्थान)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7655/95]

(उनचास) फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7656/95]

(पचास) मगध ग्रामीण बैंक, गया (बिहार)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7657/95]

(इक्यावन) चन्द्रपुर गडचिरौली ग्रामीण बैंक, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7658/95]

(बावन)कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7659/95]

1.04 म.प.

सभा का कार्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय में 22 मई, 1995 से आरम्भ होने ववाले सप्ताह के दौरान आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा:

1. आज की कार्यसूची से आगे ले जाये जाने वाले किसी भी सरकारी कार्य पर विचार।
2. निम्नलिखित पर विचार तथा उन्हें पारित करना :

(क) व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) विधेयक 1993

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधीकरण विधेयक, 1992

(ग) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(घ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1995

(ङ.) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को देय भ्रमण की वसूली (संशोधन) विधेयक, 1994.

(च) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 राज्य सभा द्वारा प्ररित रूप में।

[हिन्दी]

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद) : मेरे निम्नलिखित प्रस्ताव अगले सप्ताह की कायवाही में जोड़े जायें।

1. उत्तर प्रदेश में चम्बल नदी पर पिनाट और उखेद घाट पर पुल निर्माण का उद्घाटन वर्ष 1987 में स्व. राजीव गांधी के करकमलों द्वारा किया गया था, इस पुल का निर्माण शीघ्र किया जाये।
2. सरकार से मांग है कि विशेष रूप से आगरा तथा फिरोजाबाद में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार किया जाये। ... (व्यवधान)

प्रो रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को सम्मिलित करें -

1. भू जलस्तर को बढ़ाने हेतु वर्षा से प्राप्त लगभग 70 प्रतिशत जल नदियों एवं नालों से होकर बहकर समुद्र में चले जाने को रोकने हेतु प्रभावी उपाय किये जाने तथा राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : कृपया आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाये -

1. राजस्थान को सन् 1986 की जनसंख्या के आधार पर दी जाने वाली चीनी के कोटे को व पेट्रोल को जो मई, 1994 के आधार पर है, 1995 की जनसंख्या के आधार पर दिया जाये।
2. राजस्थान सरकार को कन्ट्रोल रेट पर पूर्व की भांति कागज उपलब्ध कराया जाये, जिससे कोर्स की पुस्तकें और कापियां सस्ती दर पर मिल सकें।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये:

(1) देश में एन.टी.सी., एस.टी.सी और निजी कपड़ा मिलों के लगातार बन्द होने से बेरोजगार मजदूरों की सुरक्षा हेतु सरकार सभी कपड़ा मिलों को चलाने और कपड़ा मिलों में काम कर रहे श्रमिकों के रोजगार का प्रबन्ध करें।

(2) देश में गांवों और नगरों में पेयजल आपूर्ति की समस्या विकट हो गयी है। गांवों और नगरों को निरन्तर वर्षभर पेयजल उपलब्ध हो सके, ऐसे उपाय करने का सरकार प्रबन्ध करें।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय निम्नलिखित कार्य को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये:

(1) विभिन्न पर्सनल कानूनों को सहितबद्ध करने तथा समान सिविल संहिता लागू करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी।

(2) अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की रोशनी में धार्मिक, भाषीय और जातीय अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को सम्मिलित किया जाये: दूरदर्शन विभाग ने एक नया चैनल डी.डी.-2 शुरू किया है, उसे बूंदी और बारां से भी शुरू किया जाये।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

(1) बीड़ी मजदूरों का प्रोविडेंट फंड में जमा पैसों का लिखित प्रमाणपत्र अविलम्ब प्रदान करने की आवश्यकता।

(2) प्राचीन नालन्दा विश्व-विद्यालय के गौरव एवं ऐतिहासिक महत्व को कायम रखने के लिए बिहार राज्य स्थित नालन्दा जिले में नालन्दा केन्द्रीय विश्व-विद्यालय खोलने की आवश्यकता।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष जी, कृपया निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाये :

मा. जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के आधार पर उच्च-न्यायालय उत्तर प्रदेश की खण्डपीठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपयुक्त एवं उपयोगी बसुविधाजनक स्थान 'बरेली' में स्थापित करने की घोषणा की जाये।

श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर) : उपाध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की कृपा करें :

(1) सीतापुर जनपद में घाघरा नदी को बाढ़ व कटान से बचाने के लिये तटबन्ध व चहलारी घाट पर पुल के निर्माण की आवश्यकता।

(2) ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने हेतु आवश्यक विचार किया जाये।

1.08 म.प.

[अनुवाद]

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक :*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक** को पुरः स्थापित करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याहन भोजन के लिए सभा को स्थगित करने से पूर्व मैं यह बात आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आपने 9 और 10 बजे के बीच से आवेदन किये थे उन्हें सूचीबद्ध कर लिया गया है। कोई आवेदन, गुम नही हो सकता। वे सूची के रूप में आये हैं। यह कर्तव्य है कि उच्च वरीयता वाली सूचनाओं को पहले लिया जाये। शेष सूचनाओं को एक एक करके लिया जायेगा। अगला दिन श्री प्रभू दयाल का है। श्री छेदी पासवान, श्री आदिवार, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्री संजय लाल, श्री विश्वनाथ शास्त्री उसके बाद हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय एक अनुरोध सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं आपका नाम भी इसमें हैं। 20 नम्बर पर आपका नाम है। आपका नाम 21वें नम्बर पर है। श्रीमती सरोज दुबे, श्री विजय कुमार यादव, श्री राजेन्द्र सिंह का नाम है। कोई अमांटन नही खोयेगा।

(व्यवधान)

श्री के.पी. रेड्डिया यादव (मछली पालन) इनको क्रमबद्ध कैसे लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस और आपका ध्यान दिलाया है ताकि आप किसी गलत कारण में न रहें।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : महोदय, एक अनुरोध सुन लें। आपको भी अहसास होता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसकी और कार्यालय ने हमारा ध्यान दिलाया है वह यह है कि जैसे ही सूचना दी जाती है उस पर क्रम संख्या में दी जाती है और समय लिख दिया जाता है। अतः इस विषय पर कोई शंका नहीं होनी चाहिये। जल्दी आना बेहतर है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : सर, हमने टाइम पर भी देकर देख लिया। सर आप यकीन कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सबने सहयोग किया होता और प्रत्येक सदस्य एक अथवा डेढ़ मिनट बोला होता तो आपका नाम भी अवश्य आ जाता। मैं माननीय सदस्यों ने सहयोग और न्याय करने की बार-बार अपील करता हूँ। आपके कुछ साथियों के साथ सामाजिक अन्याय हो रहा है। मैं बार-बार यह दोहरा रहा था।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : सर आाप यकीन कीजिए छः महीने तक मेरा नाम ही नहीं आता है। यह कैसे हो सकता है। पूरा पूरा सैशन गुजर जाता है। यह लोक सभा केवल आगे की दो बैंचों पर बैठने वालों के लिए ही रह गई है। हम पीछे बैठने वालों को समय दिया ही नहीं जाता।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : अवसर समान रूप से बाटे जाने चाहिए। अवसर केवल अधिक बोलने वालो को दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक वाद-विवाद का सम्बन्ध है यह सभा में राजनैतिक दलों की सदस्य संख्या के अनुसार होता है। उन्हीं सदस्यों को बुलाया जाता है। जिनके नाम दलों के सचेतक देते हैं। एक पद्धति के अनुसार ही प्रत्येक दल को एक एक करके बुलाया जाता है। परन्तु जहां तक शून्य काल का सम्बन्ध है। इसमें राजनैतिक दलों की सदस्य संख्या के अनुसार समय नहीं दिया जाता। आप जब भी सूचना देंगे आपको बुलाया जायेगा। अतः पहले बोलेने वालों को यह बात मन में रखनी चाहिए कि उनके बाद भी बोलने वाले सदस्य हैं। इतना ख्याल तो रखना ही चाहिये। मैं आग्रह करता हूँ कि आगे सब ठीक रहेगा। जो अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं।

---

*दिनांक 19-5-1995 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-2 खंड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम पर नोटिस देकर भी देख लिया है।

[अनुवाद]

श्री जी .एम. सी बालयोगी (अमालापुरम) : प्रश्नमाला में भी वरिष्ठ सदस्यों को अवसर मिलता है। कनिष्ठ सदस्यों को नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यही पार्टी अथवा वह पार्टी मत कहें। माननीय अध्यक्ष जी ने इसे बार-बार 12.30 बजे बन्द कर देने को कहा है फिर भी इन्होंने 1 बजे तक की अनुमति दे दी है।

श्री जी.एम.सी. बालयोगी : वरिष्ठ सदस्य तो खड़े होकर बोलने लगते हैं, लेकिन पीछे बैठने वालों को मोका ही नहीं मिलता।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : उपाध्यक्ष महोदय, जब नोटिस देना होता है, तो टाइम पर ही देना होता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 15 मिनट पर पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

1.14 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.15 म.प.

[अनुवाद]

2 बजकर 15 मिनट पर गणपूर्ति की घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। 2 बजकर 18 मिनट पर फिर गणपूर्ति की घंटी बजाई गई परन्तु गणपूर्ति नहीं हुई। 2 बजकर 22 मिनट पर एक बार फिर गणपूर्ति की घंटी बजाई गई परन्तु गणपूर्ति नहीं हुई। इसके बाद महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की।

2.24½ म.प.

गणपूर्ति के अभाव में सभा बैठक को 4 बजकर 40 मिनट तक स्थगित किये जाने के बारे में घोषणा।

महासचिव : सभा में गणपूर्ति नहीं है। अत: सभा की बैठक तब तक आरंभ नहीं हो सकती जब तक सभा में गणपूर्ति न हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि सभा 2.40 म.प. समवेत होगी।

2.25 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 40 मिनट म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.45 म.प.

लोक सभा 2 बजकर 45 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

वित्त विधेयक, 1995 जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम वित्त विधेयक पर चर्चा जारी रखेंगे। श्री उदयसिंह राव गायकवाड़।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ (मोल्दापुर) : महोदय मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ। परन्तु मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ और कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। एक से अधिक कारणों में मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने श्रीमती डी. देशमुख की बराबरी का है। जिन्होंने लगातार पांच बार बजट पेश किया था। दोनों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कठिन स्थिति से निकाला था। भारत का आर्थिक इतिहास लिखने वाले इसे याद रखेंगे। डा. सी.जे. देशमुख ने हमारी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के पहले पांच वर्ष कार्य किया था। और आर्थिक योजना की नींव डाली थी।

डा. देशमुख सिद्धान्त के व्यक्ति थे और बहुत ही ईमानदारी व्यक्ति थे। वह महाराष्ट्र के रहने वाले थे और एक सम्मानित संसद सदस्य थे। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र के प्रश्न पर त्याग पत्र दे दिया था। मराठी बोलने वाले लोगों के लिये एकीकृत महाराष्ट्र का उनका स्वप्न अभी भी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि विवाद अभी हल नहीं हुआ है। मैं किसी अन्य अवसर पर इस बारे में बोलना चाहूँगा।

1991 में जब मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला तो वित्तीय संकट, भुगतान शेष का संकट और अत्यधिक मुद्रा स्फीति जैसे संकट देश के सामने थे। उस समय आर्थिक नीति और प्रबन्धन, व्यापार नीति में सुधारों की बड़ी आवश्यकता थी और अन्तत: सामाजिक न्याय की भी चुनौती थी।

गत चार वर्षों में वित्त मंत्री ने देश को इस संकट से बाहर निकाल दिया है। अब हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत अच्छी है। बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है। निर्यात बढ़ रहा है और भुगतान संतुलन का संकट खत्म हो गया है। आयात को उदार बनाये जाने के बावजूद मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और विश्व में भारत की एक बिल्कुल ही अलग छवि बन गई है।

एक और कारण जिसके लिए मैं माननीय मंत्री को सलाम करता हूँ, यह है कि उन्होंने विश्व समुदाय में भारत के राष्ट्रीय सम्मान को बढ़ाया है। मुझे याद है कि वित्त मंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद अपने शुरू के एक प्रेस सम्मेलन में कहा था। उन्होंने कहा है कि वह एक FsPs हजिया कन्सर्टियम और उसकी बैठकों में होने वाले देश के अपमान को रोकेंगे। उस समय लोगों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया और प्रेस वालों ने भी उनका मजाक उठाया था। वे सोचते थे कि यह एक असंभव कार्य है। परन्तु इस दुनिया में असम्भव कुछ भी नहीं है। उन्होंने

जून, 1994 में उन्होंने यह कर दिखाया। 'एड इण्डियन कान्सर्टियम' के स्थान पर इसका नाम 'भारत विकास फोरम' राव दिया गया है। इसमें न खेल विभिन्न देश के सरकारी प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया बल्कि निजी क्षेत्र के लोगों को भी बुलाया गया। भारत सरकार ने बराबरी के आधार पर पहली बार इसमें भाग लिया न कि भिखारी के रूप में। संकट का सामना करने के लिए भारत को तेजी से लिये जाने वाले ऋण के लिए भी नहीं कहना पड़ा। बल्कि भारत ने अपनी दी शर्तों पर ऋण तथा निधियों के लिए कहा। कोई भी देश अब हमें अर्थव्यवस्था के गलत प्रबन्ध आदि के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकता ओर न ही उपाय सुझा सकता है जैसा कि गत 36 वर्षों से होता आ रहा था।

यह पहला अवसर था जबकि भारत के प्रतिनिधियों ने पूरे विश्वास के साथ तथा छोटेपन अहसास के बिना इसमें भाग लिया और अपनी शर्तों पर धन लिया। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में होने वाले अपमान को समाप्त किया गया और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को बहाल किया। यह कोई कम सफलता नहीं है और इस उपलब्धि के लिए पूरा राष्ट्र माननीय मंत्री का ऋणी रहेगा।

वित्त मंत्री जी ने सामाजिक समानता और गरीबी उन्मूलन के लिए जो विशेष प्रावधान किया है, मैं उसके लिए भी उन को बधाई देता हूँ। उन्होंने गरीब की सहायता के लिए गरीबी-विरोधी अनेक कार्यक्रम शुरू किये हैं जैसे कि गांवों में मूल-भूत ढांचे के विकास हेतु विशेष सहायता। नान्देड़ द्वारा अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष वित्तीय सहायता देना, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन, प्राथमिक शिक्षा पर नोट विशेष कर लड़कियों के लिए, गरीबों तथा जरूरत मन्दों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जन जातियों के लिए आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्रो में सामूहिक जीवन बीमा योजना आदि।

'मेकरो-आर्थिक नीति के स्थायीकरण और विकास में अब तक जो प्राप्त हुआ है उस पर वित्त मंत्री ने विचार किया है और साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा को नई दिशा दी है और इस प्रकार आर्थिक नीति के मूल ढांचे को पूरा किया है इसलिए केन्द्रीय योजना को बजट समर्थन ग्रामीण विकास, रोजगार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों पर केन्द्रित किया गया है।

यद्यपि मुद्रास्फीति को रोकने के बहुत प्रयास किये गये हैं तथापि थोक मूल्य सूचकांक में 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है जो बहुत अधिक है। आर्थिक सुधारों की सफलता मूल्यों के स्थिर रहने पर निर्भर करती है। 5 से 7 प्रतिशत मुद्रास्फीति तो ठीक है परन्तु उससे अधिक से विकास की समूची प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता हैं। अर्थव्यवस्था में गड़बड़ होती है, प्रतिस्पर्धा की शक्ति कम होती है, विनिमय दर बिगड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप मंजूरी और लागत में वृद्धि मुद्रास्फीति को और बढ़ाती है। यह मुद्रास्फीति वित्तीय घाटे और बढ़ते हुए सरकार के खर्चे के कारण है।

वित्त मंत्री वित्तीय घाटे को 1990-91 में कुल घरेलु उत्पाद के 8.9 प्रतिशत से कम करके 1993-94 में 5 प्रतिशत करना चाहते थे। इस समय यह घाटा लगभग 6.7 प्रतिशत है और गत अनुभव को देखते हुए यह लगता है कि सरकार के लिए इसे नियंत्रण में रखना कठिन होगा।

इस घाटे का मुख्य कारण बढ़ता हुआ सरकारी खर्च है। अनियंत्रित सरकार खर्च का मतलब है कि मुद्रास्फीति को पर्याप्त रूप से रोका नहीं जा रहा और यह सरकार के लिए एक खतरा है। कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण, मंहगाई भत्ते में वृद्धि आदि से सरकारी खर्च में वृद्धि अनिवार्य है।

इसको नियंत्रण में रखने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ विशेष कार्यक्रम बनाने होंगे।

वित्त मंत्री ने अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क घटाकर मुद्रास्फीति के बोझ को कम करने का प्रयास किया है। इससे इन वस्तुओं के मूल्यों में कमी आयेगी और मुद्रास्फीति को कुछ हद तक नियंत्रण में रखा जा सकेगा।

लघु क्षेत्र की इकाइयों के लिए वित्त मंत्री ने विशेष प्रौद्योगिकी विकास निधि का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय इक्विटी फण्ड को लघु इकाइयों पर लागू कर दिया गया है यदिवे कहीं पर स्थापित हों, तथा क्षेत्र की नई यूनिटों को पांच वर्ष और आयकर से छूट दी गई है; और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क रियायत के लिए छूट सीमा को 2 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रूपये कर दिया गया है, ये कुछ अच्छी बातें हैं। परन्तु लघु क्षेत्र इससे बहुत खुश नहीं हैं। मैं इस बारे में निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूँ।

(1) सामान्य उत्पाद शुल्क मंजूरी सीमा जो लगभग 10 वर्ष पहले 30 लाख रूपये रखी गई थी, मुद्रास्फीति के हिसाब से इस बढ़ाकर कम से कम 75 लाख रूपये किया जाना चाहिए।

(2) उत्पाद शुल्क रियायत प्राप्त करने हेतु कुल विक्री की जो 3 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा रखी गई है, उससे लघुक्षेत्र के एककों के विकास में बाधा आई है। कोई भी आर्थिक नीति आर्थिक विकास के लिए ही बनाई जानी चाहिए और इस लिये मैं महसूस करता हूँ कि लघु क्षेत्र के एककों दो को 3 करोड़ रूपये तक की उत्पाद-शुल्क रियायत दी जाये और जो इससे अधिक बिक्री करते हैं उनसे 3 करोड़ रूपये से ऊपर सामान्य उत्पाद शुल्क दिया जाये चाहे एक सीमा तक स्लैब सिस्टम अपनाया जाये और उसके बाद पूरा शुल्क लिया जाये। इससे लघु एककों के विकास में सहायता मिलेगी।

(3) बैंकों द्वारा लघु क्षेत्र से ब्याज ऊंची दर वसूल किये जाने के बारे में बजट मौन है। रियायती दर पर धन लेने के लिए 2 लाख रूपये के पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 10 लाख रूपये किया जाना चाहिए।

प्रोद्योगिकी का दर्जा बढ़ाने और आधुनिकीकरण के लिए समूचे देश के लिए 200 करोड़ रूपये की निधि बहुत कम है।

एस.आई.डी.बी.आई. को इसके वितरण के लिए उदार नियम अपनाने चाहिए न कि बैंकों के सामान्य नियम।

हमारे कुल निर्यात का 35 प्रतिशत लघु क्षेत्र के उद्योग ही करते हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनकी पूरी क्षमता का अभी लाभ उठाया जा रहा है। यह आवश्यक है कि सरकार इस लघु क्षेत्र को निर्यात में सहायता के लिए विशेष प्रावधान करें। निर्यात बढ़ाने तथा व्यापार में आयात से निर्यात को अधिक करने के लिए हमें नई वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आयात नियंत्रण और सीमाशुल्क कार्यालयों में लालफीताशाही को बदलना होगा और निर्यात संबंधी सभी लाइसेंसों 24 घंटे में जारी करने चाहिए। पत्तनों पर विशेषकर शुष्क पत्तनों निर्यात में माल की निकासी उसी दिन करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सीमाशुल्क पत्तनों पर कान्टेनरों की उपलब्धता निर्यात के माल की निकासी के लिए कार्यालय 24 घंटे कार्य करें। सरल प्रक्रिया और उत्पादक शुल्क तथा सीमाशुल्क विभागों में समन्वय अति आवश्यक है। यह बताया गया है कि इन में समन्वय के अभाव के कारण लघु क्षेत्र को भारी विलम्ब शुल्क पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात व्यापार हतोत्साहित होता.है। इसी प्रकार डी.ई.ई. से पुस्तक का मंजूरी के समय सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और तीन दिन के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए। मैंने लघु क्षेत्र के अपने निर्यातक मित्रों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है।। उनके अनुसार उन्हें बहुत समय खर्च करना पड़ता है तथा एक जगह से दूसरी जगह भागदौड़ करनी पड़ती है। इसका कारण है :

(क) अग्रिम लाइसेंस संबंधी अति जटिल प्रक्रिया ओर एक मामले में शेष 25 दिनों में अधिक समय तक रूकी रही।

(ख) सीमा-शुल्क कलेक्टर, बम्बई से अनुमति लेनी पड़ती है और साथ ही केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, पूणे स्थानीय कलेक्टर में भी अनुमति लेनी पड़ती है : और

(ग) वित्त मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है। जिसके कारण निर्यातक को परेशानी उठानी पड़ती है। मराठी में एक कहावत है

"भीक नाको कुइरा आवर"

और लघु क्षेत्र के मामले में भी यही बात लागू होती है।

लघु क्षेत्र के 90 प्रतिशत एकक बहुत ही छोटे हैं अत: प्राथमिकता क्षेत्र में निधियों का अधिकांश भाग इनके लिए आरक्षित करने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक को यह देखना चाहिए। इस क्षेत्र की ऋण की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी तरह तथा तुरन्त पूरी हों।

अगस्त, 1995 में लघु क्षेत्र के लिए घोषणा करते समय यह कहा गया था कि टाइनी क्षेत्र के लिए एक अलग पैकेज की घोषणा की जायेगी। इकनीति पर उद्यमियों का भाग्य निर्भर करता है, अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह कराधान, उत्पाद-शुल्क, श्रम कानून आदि संबंधी अपनी नीतियों सहित पैकेज की शीघ्र घोषणा करें।

तीन वर्ष पहले चेल्लिया समिति ने आयकर छूट सीमा 50,000 रूपये करने की सिफारिश की थी। 9.5 प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर को देखे हुए इस दर सीमा को बढ़ाकर 65,000 रूपये किया जाना चाहिए। परन्तु वित्त मंत्री ने इस स्लैब को 35,000 रूपये से बढ़ाकर 40,000 किया है और ब्याज से होने वाली आय की कर मुक्त सीमा को 10,000 रूपसे बढ़ाकर 13,000 रूपये ही किया है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही मामूली रियायत है।

मैं कर वसूली अधिकारियों सम्बन्धी एक मामले पर वित्त मंत्री का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिकारी बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं।

3.00 म.प.

यह बताया गया है कि इस योजना के कारण कर दाताओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि कर अपवंचन को सूचना देने वाले को एकत्रित कर का कुछ प्रतिशत दिया जाता है। कर वसूली करने वाले अपराधियों को समुचित कर में ये हिस्सा देने की बात मैं नहीं समझ सका हूँ क्योंकि वे लोग सरकारी कर्मचारी हैं। इससे कर देने वाले सही लोगों का भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अत: कर वसूली अधिकारियों को यह प्रतिवेदन तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिए। एकत्रित राजस्व और संस्थापन व्यय और दिये गये प्रोत्साहन सहित खर्च सम्बन्धी प्रतिवेदन यह पता लगाने के लिए समय - समय पर प्रकाशित किये जाने चाहिए कि ऐसे छापों में शुद्ध कितना राजस्व एकत्रित हुआ है।

आयकर छापों के बारे में भी ऐसा ही अनुभव है। हालांकि इन छापों का बहुत प्रचार किया जाता है परन्तु वास्तविक प्राप्ति बहुत कम है। यह मेरी राय नहीं है बल्कि यह प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य श्री बी.के. सिन्हा की राय है। उनके अपने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस छापें की निन्दा की है और कहा है कि सरकार द्वारा सर्वेक्षण तथा छापों मारने की प्रक्रिया नकारात्मक सिद्ध हुई है। इनसे कई व्यक्तियों का भविष्य बर्बाद हो गया है और कुछ मामलों में ईमानदार करदाताओं के जीवन से खिलवाड़ हुआ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे भी हमारे देश के ईमानदार नागरिक हैं।

श्री सिन्हा ने आयकर विभाग में भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया है। मेरा सुझाव है कि विभाग ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची तुरन्त बनाये और उनकी तथा उनके रिश्तेदारों की सम्पत्तियों की जांच करें।

मैं श्री सिन्हा की टिप्पणियों को बहुत महत्व देता हूँ क्योंकि यह टिप्पणियां सरकार के एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई है। क्या वित्त मंत्रालय इस आलोचना को महत्व देगा और कुछ

कार्यवाही करेगा। यह समाचार पत्र में भी छपा है और इस समाचार पत्र की प्रतियां बड़े घरानों में वितरित की गई हैं। हर व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि जो कुछ उन्होंने कहा वह ठीक है। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि बिना किन्हीं उचित कारणों से छापे मारे जाते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी को या दण्डित किया जाना चाहिए और उसे प्रतिष्ठा की हानि के लिए ईमानदार करदाता को मुआवजा देना चाहिए।

वेतनभोगी वर्ग को कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है। उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें बचत के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमारे एक साथी ने यह भी सुझाव दिया था।

बैंक जमाखातों और म्यूचल फण्डों के ब्याज की 10,000 रूपयों से अधिक की राशि पर कहीं पर कटौती का प्रस्ताव एक वर्ष का कार्य इसके बाद सभा लोग आप को 10,000 रूपये से कम रखने के लिए अपने जमाखातों को अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे। अत: पूरा प्रयास विफल होगा। अत: कर वसूली प्रशासनिक खर्च से कम रहेगी।

अब मैं, कृषि नीति के महत्वपूर्ण प्रश्न पर आता हूँ। ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि बनाने का प्रस्ताव कर हम भारत के आर्थिक विकास में प्रवेश कर गये हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कृषि की घटनाओं द्वारा ही भारत के आर्थिक विकास को निश्चित किया जायेगा। यहं पूर्ण समय कृषि नीति बनाने का उचित समय है जिसमें अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों नीतियां शामिल हो और जिनका उद्देश्य आधुनिकीकरण, अधिक उत्पादकता, रोजगार के अधिक अवसर तथा ग्रामीण सुरक्षा की जरूरतों के देखते हुए कृषि को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है।

महोदय मैंने नवम्बर 1994 के अन्तिम सप्ताह में अपने चुनाव क्षेत्र कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय में इण्डिन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इकानोमी में 54वें वार्षिक सम्मेलन में वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उद्घाटन भाषण को पढ़ा है। मेरे विचार में इस भाषण में कृषि नीति की मूल बातों की व्याख्या की गई है जिनकी हमें आवश्यकता है अर्थात उद्योग भी अत्यधिक सुरक्षा को हटाना जिससे कृषि पर श्रम का भारी दबाव पड़ता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश की स्वतंत्रता देना है। भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून को सावधानी पूर्वक, पुनरीक्षा, कृषि उत्पाद की उचित कटाई : कृषि में विशेषकर सिंचाई में अधिक पूंजी निवेश और बेहतर संगठित कृषि ऋण पद्धति। मैं महसूस करता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उसे सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने वाले मूल कृषि नीति संकल्प में शामिल किया जायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो महोदय जरूरतमंदों के विभिन्न वर्गों, वंचित और निर्भर लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के आपके प्रयास अधिक प्रभावी होंगे। क्योंकि कृषि के तीव्र विकास से सहायता चाहने वालों की संख्या में कमी होगी।

इन शब्दों के साथ में वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ तथा विधेयक कर समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आज अपने मुझे वित्त विधेयक के विरोध में अपनी बात कहने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वित्तीय प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जिससे विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिले। बेकारी और गरीबी के कलंक को दूर करने में राज्य के साधन बढ़ें। आर्थिक अपराध को रोकने में हम सक्षम हो सके। जो आर्थिक गैर-बराबरी है, उसको खत्म करने में आगे बढ़े और आर्थिक क्षेत्र में स्वाबलम्बन का भाव पैदा हो। आत्म निर्भरता बढ़े, देशी और विदेशी कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था पर जो तेजी से लद रहा है, उसमें कमी आये। यह कटौती होती है किसी भी आर्थिक प्रबन्ध को नापने की। जब हम इस कटौती पर डा. मनमोहन सिंह के आर्थिक तंत्र को नापने की कोशिश करते हैं तो हमें निराशा हाथ आती है। हमने बार-बार इसी बात को देखा है जब ये भारत के वित्त मंत्री हुए तो भारत के ऊपर विदेशी कर्ज था। 94 हजार करोड़ रूपये ओर आज वह बढ़कर 90. 4 विलियन अमरीकी डालर हो गया है। अर्थात भारतीय मुद्रा में 2 लाख 78 हजार करोड़ रूपये के आस-पास है। यह जो अंतिम वर्ष था 31 दिसम्बर, 1994 का, उसके आंकड़े हैं, पिछले चार-पाचं महीने में इस कर्ज में वृद्धि हुई होगी, ऐसा मैं यकीन करता हूँ। इसी तरह आंतरिक कर्ज भी हमारा तेजी से बढ़ रहा है। जो हमारी संसदीय समिति है, जो भारत के महालेखा प्रबंधक हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि नौ करोड़ रूपया प्रति घंटे के हिसाब से कर्ज लिया जा रहा है। देश की इससे खराब हालत और क्या हो सकती है।

1994-95 में चार लाख 90 हजार 701 करोड़ रूपया हमारे ऊपर आंतरिक कर्जा है जबकि 1992-93 में यह कर्ज 3 लाख 59 हजार 355 करोड़ रूपये और 1993-94 में 4 लाख 30 हजार 323 करोड़ रूपया था। इस प्रकार हमारे आन्तरिक कर्ज में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यह आन्तरिक कर्ज हमारे सकल घरेलू उत्पादन के आन्तरिक ऋण में इसकी देयता करीब 54 फीसदी हो गयी है। इसमें राजकोषी हुण्डियों और आर्थिक नीतियों के ऊपर जो देयता है, वह शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त है और उसकी अदायगी 56 हजार 7 सौ 78 करोड़ रूपये और अदा करने हैं। ऐसा हम को आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई पड़ता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश के सामने राजस्व व्यय है, उसका केवल 74 फीसदी हम राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त कर रहे है। और शेष 26 फीसदी खर्च को या तो आन्तरिक कर्ज से या बाहरी कर्ज से या दूसरे तरीकों से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिये इस 26 फीसदी राजस्व व्यय को या तो कम करना पड़ेगा नहीं तो कर्ज लगातार बढ़ता जायेगा। सन् 1990-91 से लगातार हमारे देश का यही हाल चल रहा है। 1993-94 में तो हालत और बिगड़ गयी है और 70 फीसदी राजस्व प्राप्तियां थी और शेष 30 फीसदी दूसरे संसाधनों से जुटानी पड़ी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वित्तीय प्रबंधन को ठीक करें और उसको ठीक करने का तरीका यह है कि सरकारी व्यय को एक सादगी के वातावरण में अदा किया जाये। भारत सरकार के वित्त मंत्री की इस बात से लगा कि वे चिन्ता प्रकट करते हैं। हमारे निजी क्षेत्रों में निरन्तर वेतन वृद्धि होती जा रही है जिसकी प्रतियोगिता हमको सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करके करना पड़ेगा। इस वृद्धि के कारण हमारे देश की आर्थिक हालत पर और बोझ बढ़ जायेगा। अभी समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला कि IAS अधिकारियों ने अपना वेतन 75 हजार से एक लाख के बीच में करने की मांग की है। यदि एक अधिकारी 75 हजार से एक लाख का वेतन पाने वाला हो जायेगा तो हमारे देश का व्यय इस तरह से आयोजनागत मदों के अतिरिक्त हमारा प्रशासकीय व्यय भी बढ़ेगा।

हमारे देश के राजनेताओं की सुरक्षा का खर्च निरंतर बढ़ता जा रहा है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और मजबूती में रक्षा के नाम पर 26-27 हजार करोड़ रूपया व्यय करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार के पास सिवाय इसके कि एक आन्तरिक सादगी का वातावरण तैयार करें और उस सिलसिले में तैयारी करें, और इस घाटे को कम करने के लिये और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस दिशा में हमारे वित्त मंत्री जी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी कई राज्यों में चुनाव सम्पन्न हुए। प्रधानमंत्री जी ने देखा कि जिन राज्यों में विरोधी दलों के उम्मीदवार जीते हैं, तथाकथित प्रचार किया गया और लुभावने नारे दिये गये कि चावल दो रूपये किलो देंगे और यह देश की आर्थिक स्थिति के लिये घातक है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री लुभावने नारे स्वयं देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी पंजाब में गये तो एक सभा में उन्होंने घोषणा की कि उग्रवाद पर काबू पाने के लिये राज्य सरकार ने जो खर्च किया है और केन्द्र का कर्ज है, वह केन्द्र अदा करेगा। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ यदि सरकार पंजाब के लिये इस तरह की छूट और सहूलियतें देती हैं लेकिन केवल पंजाब के लिये ही क्यों ? दूसरे राज्यों में पैरा मिलिट्री फौज भेजती है। उग्रवाल पैदा होता है तो वहां की राज्य सरकार अपने संसाधनों को, अपने विकास के कार्यों में अपने राज्य कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं होती हैं लेकिन उन राज्यों के साथ केन्द्र सरकार का क्या व्यवहार होता है ? इस संबंध में एक समन्वित नीति बनानी होगी और वित्त मंत्री को करना होगा। केवल यह नहीं कि जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां कोई दूसरा मापदंड हो और जहां पर इनकी पार्टी की सरकार बन गयी, वहां कुछ और मापदंड अपनाया जाये, यह अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह देश के संसाधनों और पूंजी के साथ खिलवाड़ है।

गैर योजना मदों में 1,23,651 करोड़ रूपए का घाटा हुआ। यह कमी हुई है। यह बजट जो हमें औद्योगिक विकास के लिए देना चाहिए, जो हमको कर-निर्धारण की आसान व्यवस्था करनी चाहिए, जो गरीबी उम्मूलन के नये कार्यक्रम हमें जारी करने चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए, जो गरीबी उन्मूलन के नये कार्यक्रम हमें जारी करने चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए, उस दिशा में इन्होंने कोई पहल नहीं की। जो आयात-निर्यात का सिलसिला है, वह भी हमारे देश में घातक स्थिति पैदा कर रहा है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश का निर्यात बढ़ रहा है और मार्च महीने में तीन बिलियन डोलर का निर्यात हो गया। केवल मार्च महीने में ऐसा हो गया। आयात-निर्यात में लगातार ओवर-इनवोइसिंग और अंडर इनवोइसिंग कर रहे हैं। आयातक केवल टैक्स बचाने के लिए और सीमा कर की चोरी करने के लिए अंडर-इनवोइसिंग का सिलसिला चल रहा है। हमारे देश के निर्यातक निर्यात में सुविधा लेने के लिए लगातार ओवर-इनवोइसिंग कर रहे हैं। आयातक केवल टैक्स बचाने के लिए सीमा-कर की चोरी करने के लिए अंडर इनवॉइसिंग कर रहे हैं। भारत सरकार ने बार-बार कहा कि हमारे देश में जो हवाला रेकेट हैं, उसको खत्म करने के लिए हम सीमा कर की दरों में कमी कर रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश में मार्च महीने में डोलर 39-40 रूपए के भाव बिका है। ऐसा क्यों हुआ, आपने. इसकी जांच करवायी ? एकाएक मार्च महीने में निर्यात क्यों बढ़ गया, इसके ऊपर आपने कोई विचार करने की कोशिश की ? यह निर्यात वास्तव में नहीं बढ़ा। इसकी चोरी के कई तरीके इस देश के निर्यातकों और आयातकों ने निकाले हैं। इसके ऊपर आपको गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है।

हमारे देश में व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। 1992-93 में 9,687 करोड़ रूपए का व्यापारिक घाटा यहां के निर्यात में हमारे देश को हुआ था। 1993-94 में 3,350 करोड़ रूपए और 1994-95 में यह बढ़कर 6,367 करोड़ रूपये हो गया। इस तरह लगातार हमारे देश का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। इससे हमारे देश के व्यापार संतुलन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। यह व्यापार संतुलन बिगड़ने वाला है। इस दृष्टि से आपको सोचने की जरूरत है। भारत के वित्त मंत्री जी अपनी पीठ यह कहकर ठोकते है। कि इनके जमाने में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का रिजर्व हो गया। क्या यह रिजर्व निर्यात बढ़ने से हुआ ? क्या यह रिजर्व इस देश में जो व्यापारिक गतिविधियां थी, उनकी तेजी से हुआ था। इसके दूसरे कारण है ? इसके तीन-चार कारण मैं बताना चाहता हूँ।

सबसे बड़ा कारण है 1991 में 24 जुलाई से 30 नवंबर तक के लिए भारत सरकार ने इसी लोक सभा में एक कानून पास किया और वह कानून 3 सितंबर को इस विधेयक की शक्ल में सदन में आया जिसमें हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो कोई भी इस देश का पूंजीपति, उद्योगपति या व्यापारी उपहार की शक्ल में कोई विदेशी मुद्रा लेकर हमारे देश मे आता है, तो उससे कोई भी कर वसूल करने की कोशिश हम नहीं करेंगें उससे कोई पूछताछ भी नहीं करेंगे कि यह उपहार उसको विदेश में रहने वाले किस व्यक्ति ने दिया, किन स्रोतों

से मिला, कि बैंक में लाकर उसने जमा किया और वह व्यापार के जरिये उसको लाया या उसको लाने के स्रोत क्या हैं। इस बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी और करोड़ों-करोड़ रूपया इस देश के व्यापारियों ने यहां से ले जाकर वहां जमा किया, बिना किसी व्यापारिक आदान-प्रदान के, बिना किसी वस्तु की आयात-निर्यात के उस पैसे को जमा किया। उस पैसे को डॉलर की शक्ल में तब्दील किया और उस डोलर को लाकर यहां जमा किया। एक वैधानिक तरीके से मुद्रा की तस्करी को प्रोत्साहित करने का काम कानूनी तौर पर भारत सरकार ने किया है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

आपके इस आश्वासन के बावजूद भी आज की तारीख में दिल्ली और बम्बई में ऐसे बहुत सारे व्यापारी मिल जायेंगे जिनको आपका इनफोर्समेंट डाइरेक्ट्रेट परेशान कर रहा है। वह पूछ रहा है कि यह करोड़ों रूपए की विदेशी मुद्रा आप क्यों लाए ? उनको घण्टों कार्यालय में बिठाया जाता है और यदि उनसे कुछ अंदरूनी लेन-देन हो जाता है तो उनकी उस कार्यालय से छुट्टी हो जाती है, उनको हटाने का काम किया जाता है। मैं आपका ध्यान इस विषय पर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

दूसरी बात, कस्टम और एक्साइज की लूट को रोकने के लिए अधिकारियों को इंसेंटिव देने का काम भारत सरकार की ओर से हुआ, उसकी घोषणा हुई थी। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि इसका दुरूपयोग हो रहा है और कुछ अधिकारी विशेष इसका लाभ उठाकर सारे पुरस्कार उन्होंने अपने हाथ में जमा कर लिए हैं। 10-10, 12-12 लाख और 50 लाख रूपए तक के उपहार और पुरस्कार कस्टम और एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने स्वयं ही ले लिए है। यह बहुत बड़ा रैकेट है, इसकी व्यापक पैमाने पर जांच होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस तरह के जो इंसेंटिव हैं उनको तत्काल खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इस तरह के जो इंसेंटिव हैं उनको तत्काल खत्म कर देना चाहिए कयोंकि इसका दुरूपयोग हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी विदेशी भारत में आता है या भारत का कोई व्यापारी भारत में आता है तो हवाई अड्डे पर 10 हजार डालर तक यदि वह लेकर आता है तो उससे किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करने का आदेश है, लेकिन उसका दुरूपयोग हो रहा है। इससे तस्करी हो रही है और यही के बहुत बड़ी संख्या में नौजवान दुबई जाते हैं; वहां से डालर खरीदते हैं और दूसरे दिन वापस भारत में आते हैं। 10 हजार डालर बिना किसी ट्रांजेक्शन के, बिना किसी व्यापार के, बिना किसी औद्योगिक आदान-प्रदान के इस तरह के विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि हमारे मौद्रिक प्रबंधन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसके ऊपर मंत्री जी को सोचना चाहिए।

तीसरा तस्करी का तरीका था सोना लाने का जरिया। आपने 5 किलो तक सोना भारत में लाने की छूट दी थी। उसमें एक समिति रूप से डालर के जरिये यदि टैक्स देता है तो वह सोना ला सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके जरिये भी एक प्रकार की तस्करी देश में हो रही है। एक क्विंटल तक की चांदी हम ला सकते हैं और इस तरह की बहुत सी बातें हमारे प्रकाश में आयी हैं कि चांदी के आवरण के बीच में सोना रखा हुआ है। सोने की तस्करी एक क्विंटल चांदी के सैफ में सोना रखकर की जा रही है। इस नीति पर भारत सरकार को नए सिरे से गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। इन थोड़े से सुझावों के साथ एक और सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी पार्टी की ओर से और हम सभी लोगों की ओर से आयकर में वृद्धि की मांग की थी। हम आयकर की सीमा को 50 हजार तक करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं सुझावों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ (चिकमंगलूर) : महोदय मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करती हूँ। 1995-96 के वर्ष महत्वपूर्ण रहे हैं और आजादी के बाद देश के आर्थिक इतिहास में यही वर्ष संकट के वर्ष हैं।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरसिंम्हाराव के नेतृत्व में जब यह सरकार बनी तो स्थिति अलग थी। भारत बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। देश में राजनैतिक अस्थिरता थी। प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट थी। इस खराब आर्थिक स्थिति को हमारे नेताओं ने गतिशील स्थिति में बदल दिया है।

आर्थिक स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हमारी सरकार का सबसे बड़ा कारनामा औद्योगिक विकास, विदेश मुद्रा, रिजर्व तथा विदेशी पूंजी निवेश को फिर से बहाल करना है। हमारी वास्तविक सफलता उन बाधाओं को तोड़ने में है जिन्होंने मानव उत्साह और भावना को बांध दिया था। इसकी सबसे बड़ी सफलता सरकार की शांति को सीमित करने तथा लोगों की शांति को बढ़ाने में हो। इसकी सफल सुधारों के पथ पर धीरे-धीरे परन्तु यकीनी तौर पर आगे बढ़ने का पता लगता है।

कल जो लोग आलोचना कर रहे थे आज वही लोग आर्थिक सुधारों की प्रशंसा कर रहे हैं। मुझे याद है कि किस प्रकार इस लोक सभा के शुरू के दिनों वित्त मंत्रियों को यह विश्वास दिलाने में कितना संघर्ष करना पड़ रहा है कि सुधारों का जो रास्ता हमने चुना है वही सही है। परन्तु आज सभी इस बात के सहमत हैं कि ठीक रास्ता है। यह तभी संभव हो सका है जबकि उनके द्वारा किये गये उपायों के अगले परिणाम आने शुरू हो गये हैं। मैं इस सफलता के लिए उन्हें बधाई देती हूँ।

महोदय, उदारीकरण की वास्तविक सफलता तब होगी जब लोगों

को. गरीबी और दायित्व से मुक्ति मिलेगी। ग्रामीण संख्या हमारी कुल संख्या का 75 प्रतिशत है। गांवों में रहने वाले हमारे किसान बहुत ही छोटे तथा सीमान्त किसान हैं। लगभग 74.6 मिलियन लोग कृषि मजदूर हैं। उनकी प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे कम है।

ग्रामीण लोगों के धन की कमी तथा सफाई, स्वच्छता, आवास, शिक्षा तथा चिकित्सा जैसे मूल जरूरतों का उनमें अभाव जो कि चिन्ता का विषय है। केवल सरकार इन समस्याओं को हल नही कर सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार कर ही इनको हल किया जा सकता है। हमें चाहिए कि लोगों को उनके पांव पर खड़ा करें। उन्हें सदा के लिए सरकार की दया पर निर्भर नहीं बनाना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करें।

सरकार ने रोजगार जनन योजना, स्वयं-नियोजन योजना जैसे ग्रामीण विकास में अनेक अच्छे कार्यक्रम बनाये हैं और सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास का कार्य भी शुरू किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए आबंटन में वृद्धि की है। परन्तु इनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। इस निधि का केवल 15 प्रतिशत भाग ही उन लोगों तक पहुंचता है जिनके लिये यह रखा गया है। दूसरा की ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्थायी हल नहीं है और ये समस्या का समाधान अस्थाई तौर पर ही होता है। कृषि, बागवानी तथा कृषि पर आधारित औद्योगिक क्षेत्र से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आयेगा। परन्तु सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक जो उपाय किये हैं वे अपर्याप्त हैं जो कि विद्यमान क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। उदाहरण के लिए बागवानी को ही लें। इसकी वाणिज्यिक क्षमता बहुत है परन्तु संपर्क बनाने हेतु मूल्यांकन में पूंजी निवेश का अभाव समय पर ऋण का अभाव, आधुनिक प्रोद्योगिक और परिवहन पद्धति के अभाव के कारण हम इस क्षमता का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधा है।

सरकार ने ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास शुरू कर सही दिशा में कार्य किया है। परन्तु इसकी असली सफलता इस पर निर्भर करती है कि इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा। यह अकेले पर्याप्त नहीं है। सरकार को कृषि क्षेत्र, बागवानी क्षेत्र और ऐसे क्षेत्रों, जो कि कृषि से संबंधित हैं, को नया रूप देना होगा ताकि इसे एक सक्षम वाणिज्यिक क्षेत्र बनाया जा सके। अब बागवानी, मुर्गीपालन और डेरी फार्म के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसे केवल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है न कि ऐसी कार्यक्रम के रूप में जिससे कि इसे वाणिज्यिक स्तर पर विकसित किया जा सके।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगी। 3.30 पर हमें गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेना है।

श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ : मैं केवल एक मिनट और लूंगी। मेरा अनुरोध है कि सरकार अपने रवैये में परिवर्तन को और इस कार्यक्रम को वाणिज्यिक आधार पर बनायें।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करती हूं कि अब तक जो आर्थिक सुधार लागू किये गये हैं वे औद्योगिक क्षेत्र तक की सीमित हैं। सरकार को कृषि क्षेत्र, बगान और रेशम उद्योग के क्षेत्र में भी सुधार लागू करने चाहिए और कृषि क्षेत्र के लिए अधिक आबंटन किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस दिशा में विफल रहे हैं। बेहतर समर्थन और बेहतर मूल्य हमारे ग्रामीण लोगों के निश्चित रूप से सहायक होंगे जिससे वे अपनी अर्थव्यवस्था का विकसित कर सकेंगें। उदारीकरण और सुधार अथवा जो भी हो, ये कार्यक्रम उस समय तक, सफल नही होंगे जब तक कि इनका लाभ ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंचता।

बजट में एक अन्य महत्वपूर्ण इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक नई स्कीम बनाई जायेगी जिसके अन्तर्गत बैंक खादी और ग्रामीण उद्योगों को 1000 करोड़ रूपये कान्सर्शियम बेसिस पर देंगे। यह एक अच्छा प्रस्ताव है। परन्तु खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड अपनी वर्तमान रूप में ग्रामीण उद्योगों में परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य नही कर सकता। इसके रूप को बदलना होगा जिससे कि इसके क्रियान्वित को प्रभावी बनाया जा सकें।

महोदय चिन्ता की अंतिम बात यह है कि भारत में विदेशी पूंजी निवेश भारी मात्रा में आ रहा है। हमें इसका स्वागत करना चाहिए तथा इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। परन्तु एक शंका है कि भारत में आने वाला निवेश वास्तविक निवेश नहीं है क्योंकि यह वह निवेश है जिसे अब तक भारतीय व्यापारियों ने विदेशों में चोरी छिपे छुपाकर रखा हुआ था और इसी पैसे को अब भारत लाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस शंका का निवरण करें।

3.32 म.प.

गैर सरकारी सदस्यो के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

श्री सन्तराम सिंगला (पटियाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पनों संबंधी समिति के 17 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 17 मई, 1995 को सभा में प्रस्तुत किएं गए इकतालीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को लेंगे। विधेयक पुरः स्थापित किये जायेंगे।

श्री वेंकटेश्वरा डी. राव अनुपस्थित

श्री के. राममूर्ति अनुपस्थित

श्री वेंकटेश्वरा डी. राव अनुपस्थित

श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति

3.33½ म.प.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*:

(धारा 3 क में संशोधन)

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति (विशाखापटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

3.34 म.प.

काजी (संशोधन) विधेयक*

(धारा 4 आदि में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) मैं प्रस्ताव करता हूँ कि काजी अधिनियम, 1880 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काजी अधिनियम, 1880 में और संशोधन करने वाले अधिनियम को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

3.34½ म.प.

भिक्षावृति उत्पादन विधेयक *

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापटनम : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भिक्षावृत्ति के उत्पादन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भिक्षावृत्ति के उत्पादन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी.एस. मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

3.35 म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक *

(अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन)

श्री एम.पी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापटनम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है;

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

श्री एम.पी.वी.एस. मूर्ति : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूँ।

3.35½ म.प.

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 354 में संशोधन जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10 को लेंगे। श्रीमती सरोज दूबे द्वारा प्रस्तुत प्रास्ताव पर आगे विचार किया जायेगा। इस मदके लिए 2 घण्टे का समय आबंटित किया गया है। हम पहले ही 1 घंटा और 22 मिनट खर्च कर चुके हैं। अब हमारे पास केवल 35 मिनट हैं। अब श्री बलराज पासी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती सरोज दूबे द्वारा जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। देश में पिछले काफी समय से महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उसे देखते हुए वर्तमान के कानून वास्तव में कमजोर पड़ रहे हैं। महिलाओं के पास सम्मान के अलावा और कुछ नहीं है और सबसे बड़ा सम्मान उसका शील है। यदि किसी महिला का शील भंग हो जाता है तो वह जीवनभर कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहती, उसका जीना दूभर हो जाता है। भारतीय समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उसके अपने परिवार के लोग भी उसे तिरस्कृत कर देते है। ऐसी अधिकांश महिलाएं आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाती हैं या जब समाज उनको स्वीकार करने से मना कर देता है तो वे ऐसे क्षेत्रों में जाकर बस जाती है जहां मजबूरी में उनको देह व्यापार में लिप्त होना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह समझ में आता है कि अपराधियों को सज़ा नहीं होती बल्कि उनको समाज में समर्थन मिलता है। यदि महिला को निः वस्त्र करके घुमाया जाता है और वह समाज की निगाह में आ जाता है तो देखा जाता है कि उसमें महिला को ही अपराधी मान लिया जाता है। पुरूष समाज उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है।

पिछले सालों में इस तरह के कई केस हुए और उनमें से केवल इक्का-दुक्का ही होंगे जिनको सज़ा हुई होगी। हजारों केस ऐसे हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते, थाने तक जाने की हिम्मत नहीं करते। यदि कोई वहशी व्यक्ति किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार करे तो समझ में

---

*दिनांक 19 मई 1995 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2 खण्ड में प्रकाशित।

आता है लेकिन यदि किसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति या संस्था ऐसे कार्य में शामिल हो जाए तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में कितने ही ऐसे केस हुए हैं जिनमें थाने में महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बलात्कार हुए। मैं ऐसे ही एक केस के बारे में बताना चाहता हूं जो पिछले दिनों हुआ। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण केस जो सारे देश की निगाह में आया, वह यह है कि मुजफ्फर नगर से महिलाएं दिल्ली के आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए आ रही थी। दिल्ली में कोई आन्दोलन होता है तो उसमें महिलाएं और पुरूष आते हैं। जब वे महिलाएं शाम को बसों से आ रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने न जाने किन कारणों से बसों को रामपुर चौराहे पर रोक लिया और उसके बाद महिलाओं को अलग करने की कोशिश की। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो पुलिस के लोगों ने लाठी चार्ज किया, गोलियां चलाई जिससे अनेक लोग मारे गए।

लेकिन सबसे शर्मनाक बात इस मुजफ्फरनगर काण्ड में यह हुई कि महिलाओं को गन्ने के खेतों में ले जाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उनको निर्वस्त्र करके वहां पर घुमाया गया।

[अनुवाद]

इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री (व्यवधान)* ...... (कार्यवाही - वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) का बयान है, यह सम्भवत: 31 अक्टूबर का है .....

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदन में उपस्थित नहीं है। उन व्यक्तियों के नाम मत लीजिए। यह रिकार्ड नहीं लिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उस बयान में उन्होंने कहा कि अगर मुजफ्फरनगर में महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, अगर महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है और महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है तो मैं पूरे देश से माफी मांगने के लिए तैयार हूं, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है। यह अक्टूबर की रात को घटना हुई और 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यह बतान देते हैं कि मैं पूरे देश से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, अगर ऐसा हुआ होगा। यानि उन्होंने पूरी तरह से ऐसा होने से मना कर दिया, जबकि पूरे देश के समाचार पत्रों ने लिखा कि मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ अनाचार हुआ, लेकिन इसको नकार दिया गया।

सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अलीगढ़ में नगला पासी गंज में इसी तरह की वारदात हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बिना जांच के तुरन्त निलम्बित कर दिया। उनके ऊपर केवल यह आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घटना के बारे में समाचार छपने के तुरन्त बाद उक्त गांव में नहीं गये, इस कारण पुलिस अधीक्षक को निलम्बित कर दिया। दूसरी तरफ यह समाचार पत्रों में बिल्कुल स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। इस काण्ड की सबसे शर्मनाक बात यह है कि वहां के जिलाधिकारी और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बराबर यह बयान देते रहे कि यहां पर महिलाओं पर किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं हुआ है, महिलाओं पर कोई बलात्कार नहीं हुआ है, जबकि उन्हीं के आदेशों के ऊपर यह काम हुआ। अब तो CBI की रिपोर्ट के बादयह साबित हो चुका है कि उन्हीं के आदेशों पर, वहां के डी.आई.जी. के आदेश पर उन लोगों को रोका गया और पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अब यह सी बी आई की रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो चुका है। इतना ही नहीं उस समय के जो जिलाधिकारी महोदय थे, जब पत्रकार उनसे यह पूछने गये कि यहां महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, इस विषय में आपको क्या कहना है, सारे देश के समाचार पत्रों में छप गया, उस समय महिला सांसदों के साथ और उस क्षेत्र के सांसद माननीय प्रधान मंत्री महोदय से भी मिलने के लिए गये थे और उस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी मिलने गये थे। उस समय जब हमने प्रधानमंत्री जी को भी यह बात बताई कि जिलाधिकारी ने यह बयान दिया कि अगर महिलाऐं गन्ने की खेत में चली जायेंगी तो उनके साथ बलात्कार नहीं होगा तो क्या होगा, एक जिलाधिकारी ऐसा बयान दे रहा है तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही आश्चर्य प्रकट किया था और उस समय उन्होंने बड़ा आक्रोश प्रकट किया था कि जिलाधिकारी ने इस तरह का बयान कैसे दिया। उस समय के अखबारों की कटिंग हमने प्रधान मंत्री महोदय को दिखाई थी कि देखिये मुजफ्फर नगर के जिलाधिकरी ने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है।

मैं बताना चाहता हूँ कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट के बाद वहां के जिलाधिकारी और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया, जबकि अलीगढ़ में केवल इस कारण से वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निलम्बित कर दिया जाता है कि वह अखबार में समाचार छपने के बाद वहां का दौरा करने नहीं गये। दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर काण्ड में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक क आदेश पर वहां के आन्दोलनकारियों को रोका जाता है और महिलाओं के साथ उनके पुलिस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बलात्कार किया जाता है और जिलाधिकारी का मात्र स्थानान्तरण कर दिया जाता है, वह भी कई महीने बाद, जब सी.बी.आई. की रिपोर्ट आती है। यह दोहरे मापदण्ड क्यों उत्तर प्रदेश में बरते जा रहे हैं ? यह बड़ी आश्चर्यजनक और शर्मनाक बात है। इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आ सका है वह पहलू यह है कि जहां के जिलाधिकारी ने यह कहा कि यह गोलियां तब चली, जब जिन आन्दोलनकारियों के साथ महिलाऐं आई हुई थीं,

हमारे उत्तरांचल की बहनें आई हुई थीं, उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलायी, उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, उससे कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गये और उन्हें छर्रे और गोलियां लगी, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। उस समय सरकार को यह रिपोर्ट दी गई और अखबारों में भी छपा कि पुलिस कर्मचारियों को छर्रे लगे। उनकी एक्सरे रिपोर्ट देख कर हमें आश्चर्य हुआ। मेरा कहना है कि आन्दोलनकारियों के पास हथियार नहीं थे।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सबसे ज्यादा शर्मनाक पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बलात्कार को छिपाने के लिए बहुत बड़ा षडयंत्र रचा। हम सी.बी.आई. के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसकी जांच के लिये वरिष्ठ डाक्टरों की एक टीम बनायी जिस में गुरू तेगबहादुर अस्पताल के डाक्टर, लेडी हार्डिंग अस्पताल के डाक्टर, सफ्दरजंग अस्पताल के सीनियर डाक्टर थे। सीनियर डाक्टरों की एक टीम यह जांच करने के लिये बनी कि पुलिस अधिकारी और डी.आई.जी ने जो आरोप लगाये हैं कि पुलिस कर्मियों को गोलियां लगी, क्या यह वास्तव में सत्य है ? जांच की रिपोर्ट पढ़ कर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि जिन पुलिस कर्मियों को गोली लगी, उनको 3 अक्टूबर को एक सर्जन के यहां ले जाया गया और आपरेशन करके छर्रे रख दिये गये। छर्रों में बड़ी समानता थी। जिन पुलिस कर्मियों को गोलियां लगने की बात कहीं गई थी उनके नाम थे - संजीव कुमार, खुशहाल सिंह और जुम्मन सिंह। इन्होंने डाक्टरों के सामने स्वीकार किया कि 2 अक्टूबर को गोलीकांड हुआ था और उसके बाद 3 अक्टूबर को हमारा आपरेशन करके वरिष्ठ अधिकारियों के कहने पर छर्रे रखे गये। ऐसा विभत्स और शर्मनाक कांड देख कर सब स्तब्ध रह गये। सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और महिलाओं को गन्ने के खेतों में ले जाकर नंगा घुमाया गया और उनके वस्त्र फाड़े गये। इसके बाद सीनियर डाक्टरों ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट क्लीनिक ले जाकर और आपरेशन करके छर्रे रखे गये।

दुबे जी ने इस बिल में संशोधन करके यह कहा कि सजा को दो वर्ष से बढ़ा कर 7 वर्ष कर दिया जाये। मैं इसमें और संशोधन करना चाहता हूँ। सामान्य नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो उसे सज़ा होती है लेकिन अगर पुलिस कर्मचारी या सुरक्षा बल का कोई कर्मचारी ऐसा कोई अपराध करता है तो उनके लिये अलग से कोई नियम या कानून होना चाहिये। अगर सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए चाहे वह वरिष्ठ अधिकारी ही क्यों न हो, ऐसे घृणित कार्य में लिप्त पाया जाये तो उसे कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिये। किसी भी महिला द्वारा थाने में ऐसी रिपोर्ट से अगर कोई पुलिस अधिकारी इन्कार करता है तो वह स्वयं अपने आप में अपराधी हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार मुज़फ्फर नगर कांड के अपराधियों को सज़ा देकर एक ऐसा उदाहरण पेश करेगी जिससे भविष्य में ऐसा कोई अपराध न हो सके। मुज़फ्फर नगर के ज़िलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जेल की सज़ा होनी ही चाहिये।

इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय मैं श्रीमती सरोज दुबे द्वारा प्रस्तुत भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूँ। विधेयक में धारा 354 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है और यह संशोधन किये गये अपराध के लिए दण्ड की अवधि बढ़ाने के लिये है। मैं इस विधेयक में किये गये प्रस्ताव का बारम्बार समर्थन करता हूँ क्योंकि यह दण्ड की अवधि बढ़ाने के लिए है।

हमारे देश में महिलाओं के शील भंग के मामलों में वृद्धि हो रही है। हमारी यह भावना रही है कि प्रत्येक महिला के साथ मां जैसा व्यवहार किया नाम और उसे वैसा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। यही भावना पूरे समाज में प्रचलित कराई जानी चाहिए। यदि यह भावना समाज में नहीं आती है तो हमारा समाज बर्बाद हो जायेगा। जैसा कि हमने देखा कि महाभारत में कौरवों ने द्रोपदी की शीलता हरने का प्रयास किया और वे बर्बाद हो गये कौरवों ने द्रोपदी की शीलता हरने का प्रयास किया, पाण्डवों की भावनाओं को चोट पहुंचाई और इसका परिणाम पाण्डवों और कौरवों के बीच भयानक युद्ध हुआ। न केवल महाभारत में द्रोपदी की शीलता भंग करने का प्रयास किया गया बल्कि रामायण में माता सीता की शीलता भी भंग करने का प्रयास किया और रावण बर्बाद हो गया। ये सभी पौराणिक कथा से है। महिला की शीलता भंग करने के महिलाओं के साथ किये जाने वाले अपराधों पर चर्चा करते समय मैं सुझाव दूंगा कि सरकार लोगों को समझाने के लिए अन्य तरीके भी अपनाये ताकि लोग समाज में महिलाओं का सम्मान करें। इससे मेरे राज्य के उस भाग में महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों में कमी आयेगी। अपराध इस हद तक बढ़ गये हैं कि युवाओं ने लड़कियों के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया है और फिर उन्हें नदी तालाब आदि में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता हैं। अत: यह अपराध दूसरी दिशा ले रहा है। अत: मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसे गंभीरता पूर्वक ले और विधेयक को प्रस्तावित रूप में संशोधित करें। यह विधेयक लाने के लिए मैं श्रीमती सरोज दुबे को धन्यवाद देता हूँ।।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादव पुर) : महोदय आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं श्रीमती सरोज दुबे द्वारा लाये गये गैर-सरकारी सदस्यों के इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करती हूँ। मेरे विचार में यह हमारे समाज में घट रही उन घटनाओं के विरूद्ध सांकेतिक विरोध स्वरूप है जो बिना दण्ड के ही निकल जाती है। मैं श्रीमती दुबे के साथ सहमत हूँ कि दण्ड संहिता में संशोधन की आवश्यकता है जैसा कि उन्होंने प्रस्ताव किया है परन्तु मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि हम सम्बन्धित अपराधों से निपटने वाली संहिता की कुछ धाराओं को भी देखें।

महोदय मैं सर्वप्रथम दण्ड संहिता की सम्बन्धित धारा 354 की और ध्यान दिलाऊंगी। वर्तमान धारा क्या कह रही है। और इसके वर्तमान रूप में इस अपराध विशेष की व्याख्या किस प्रकार की गई है :

जो कोई व्यक्ति किसी महिला पर प्रहार करता है अथवा अपराधिक शक्ति का प्रयोग करता है जिसका आशय उसका शील भंग करना अथवा ऐसा लगे कि उसमें उसका शील भंग हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को कारावास या दण्ड दिया जाना चाहिए, आदि।

इस धारा में प्रयोग किये गये वाक्य की ओर मैं आपका ध्यान दिलाती हूँ। यह वाक्य महिला का शील भंग करना भारतीय दण्ड संहिता में भली भांति जाना जाता है। यदि हम दण्ड संहिता के उन भागों को देखें जिनमें दण्ड संहिता के उपयोग के बारे में उदाहरण दिये गये हैं। उदाहरण यह है कि यह जानते हुए कि इससे महिला घायल हो सकती है, डर सकती है अथवा नाराज हो सकती है यदि कोई इरादतन उसके पर्दे को खींचे।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि उन दिनों महिलाएं पर्दे का इस्तेमाल करती थी परन्तु धीरे-धीरे पर्दे का प्रयोग कम हो गया है। अब हम देखते हैं कि अनेक महिलाएं पर्दे का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि वे कामकाजी महिला हैं। हम पाते हैं कि खेतों में काम करने वाली महिलाएं, कृषि मजदूर तथा किसान महिलाएं पर्दे का प्रयोग नहीं करती क्योंकि वे इसे सहन नहीं कर सकती।

4.00 म.प.

अब यह प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई महिला अपना चेहरा ढांपने के लिए पर्दा इस्तेमाल नहीं करती अथवा यदि कोई महिला घर के अन्दर नहीं रहती और यदि वह बाहर जाती है तो क्या उसकी कोई मार्यादा नहीं है। इस वाद-विवाद के दौरान कभी-कभी यह प्रश्न उठता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपने घर के बाहर जाती है, यदि वह पर्दे के बिना घूमती है तो उस पर इन तरीकों में प्रहार होना अनिवार्य है। इसी धारणा की आलोचना करना चाहती हूँ।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि मर्यादा पर्दे में नहीं बल्कि महिला के व्यवहार में है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मर्यादा एक सदाचार है जो कि केवल महिलाओं में बल्कि पुरूषों में भी है। मेरे विचार में जब किसी महिला पंर इस प्रकार आक्रमण किया जाता है, या उसे नंगा किया जाता, उसके कपड़े उससे ले लिये जाते है। इसको वर्तमान संदर्भ में एक अलग ढंग से मान लिया जाना चाहिए बजाय यह कहने के यह शील भंग का मामला है। क्योंकि अनेक मामलों में हम पाते हैं कि यह वास्तव में सभी धर्म के रूप में उसकी शीलता का प्रश्न नहीं है। बल्कि यह मानव की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का प्ररन है। मेरे विचार में महिला की मानव मर्यादा को यह चोट है जो उसके कपड़े छीनकर उसे नंगा करके होती है। इस दण्डिता अपराध की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए। अन्यथा, महिला के प्रति परम्परागत विचार कि महिला ऐसी हो जो अपने चेहरे को पर्दे से ढांक कर रखे, घर के बाहर न जाये, तो ऐसी महिलाओं के लिए कामकाजी महिलाओं से पृथक संहिता होनी चाहिए। मेरे विचार में इन सभी चीजों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

सर्वप्रथम में यह कहूंगी कि भाषा बदली जानी चाहिए। यह कहने के बजाये कि महिला का शील भंग किया जा रहा है हमें कहना चाहिए कि मानव मर्यादा को चोट पहुंचाई जा रही है। यदि ऐसा हो तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर महिला के मामले में विशेषकर हम भारी दण्ड की बात क्यों कर रहे हैं - चाहे पुरूष के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाये अथवा महिला के साथ, दोनों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है। तो फिर हम महिला के मामले में अधिक कठोर दण्ड की बात क्यों कर रहे हैं। प्रश्न यह उठता है। मेरा उत्तर यह है कि हमारे समाज में, जैसा कि आज स्थिति है, पुरूष की अपेक्षा महिला के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार की अधिक संभावना है। अत: ऐसे व्यक्ति जिसमें शिकार होने की अधिक संभावना है, की मानव प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा कर बच निकलना आसान हो, हम पाते हैं कि हमारे सामाज में चीजें बहुत असंतुलित हैं। सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेद-भाव किया जाता है। अत: महिला की मार्यादा को आघात पहुंचा कर बच निकलना आसान है। उसके शिकार होने की अधिक संभावना है, पुरूष की अपेक्षा उस पर आसानी से आकक्रमण हो रहा है। अत: यह कानून का कर्तव्य है कि वह हमारे लोगों को अधिक शिकार होने वाले इस वर्ग की सुरक्षा को। अत: मेरे विचार में यह बिल्कुल सही है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए विशेष रूप से कठोर कदम उठाये जायें।

महोदय, प्रस्तावित संशोधन लाने के लिए जो बातें बताई हैं जैसे कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को नंगा करना आदि। वे तो एक बड़ी चीज़ का मामूली सा भाग है। हमारे समाज में हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं और उसके साथ ही हम पाते हैं कि महिलाओं के विरूद्ध भी हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। उदाहरण के तौर पर अभी पिछले दिन राज्य सभा में बताया गया कि 1993 में बलात्कार के 11,242 मामले हुए और दहेज के कारण हत्याओं के 5,817 मामले हुए।

1994 बलात्कार के 10,226 मामले और दहेज के कारण हत्या के 4,227 मामले हुए।

एक तो दूसरे वर्ष में मामलों में मामूली कमी दिखाई देती है परन्तु यदि दशाब्दी के वर्षों के इकट्ठा लिया जायें तो हम पायेंगे कि हिंसा की घटनाओं में औसतन वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि पहले भी गरीबों, समाज के गरीब वर्गों, किसानों, कृषि मजदूरों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के विरूद्ध अपराध होते रहे हैं।

गरीब लोगों, गरीब वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों की महिलाओं के विरूद्ध ऐसे हमले होते रहे हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराधों की एक श्रृंखला है। हमने अभी पिछले दिन ही राजस्थान में प्रकाश कौर का मामला सुना है जिसको बालों से पकड़ घसीट कर बाजार में लाया गया, मारा गया तथा जब तक वह मर नहीं गई उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा क्योंकि वह अनुसूचित की थी और उसके पुत्र ने छोटी सी चोरी की थी, यह यातना देने का ही रूप है जो अनेक वर्षों से हमारे समाज में चला आ रहा है, परन्तु आज हम पाते हैं कि इसके अलावा समाज के अन्य वर्ग भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं वर्षों से साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है। 80 के दशक में साम्प्रदायिक दंगों में तेजी से वृद्धि हुई और इन दंगों में विभिन्न साम्प्रदायों की महिलाएं भी निशाना बनती हैं।

घरेलू हिंसा के मामले में भी यही बात लागू होती है। महिला चाहे गरीब हो अथवा मध्य वर्ग की अथवा समाज के अमीर वर्ग से आई हो, कोई भी विभिन्न प्रकार की व्यापक घरेलू हिंसा से बची नहीं है।

... हिंसा के मामले भी बढ़ रहे हैं।

मेरे विचार में घटनाओं के पीछे जो कारण है यदि उनका विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि हमारे विद्यमान सामाजिक आर्थिक ढांचे का तेजी से विघटन हो रहा है अर्थात हमारे मूल्यों की परम्परागत पंक्ति दूर हो रही है और मूल्यों की इस परम्परागत पंक्ति में जो सुरक्षा थी वह अब उपलब्ध नहीं है और तेजी से बढ़ रहे इस काल में हिंसा बढ़ रही है।

वे आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं जब महिलाएं इस प्रकार के अपराध का शिकार होती हैं। कभी-कभी तो दो समुदायों के अथवा लोगों के दो ग्रुपों में घृणा होती है तो एक समुदाय बदला लेने के लिए दूसरे समुदाय की औरतों पर अत्याचार करता है। अत: बदला इसका एक कारण हुआ एक और बहुत ही चिन्ताजनक बात है कि लोग न्याय को अपने हाथों में लेने लगे हैं। यह बहुत ही गंभीर बात है। ऐसा तभी होता है जब लोग प्रशासन में, पुलिस में, राज्य की शक्ति में अपना विश्वास खो बैठते हैं। ये घटनाएं तभी होती है जब लोग हिंसक हो जाते हैं, किसी पर चोर होने अथवा अपहरणकर्ता का सन्देह करते हैं। एक बूढ़ी औरत, एक भिखारी महिला पर अपहरणकर्ता होने का सन्देह किया जाता है। उसके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है परन्तु केवल सन्देह के कारण ही उसको मारा जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। लोगों द्वारा इस प्रकार कानून का अपने हाथों में लेने की घटनाएं बहुत चिन्ताजनक हैं। इस सभा में देश के राजनैतिक नेता हैं मैं उन सभी राजनैतिक नेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे इसे एक चेतावनी समझें कि जब तक सरकारी प्रशासन उचित ढंग से कार्य नहीं करेगा तब तक ऐसी घटनाओं में वृद्धि होती रहेगी।

(व्यवधान)

महिलाओं पर अत्याचार के अन्य मामले भी हैं जोकि उनको छूटने के कारण हैं। अब आप घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहूंगी। यह बहुत खेद जनक बात है कि जबकि ऐसी घटना होती है तो राजनैतिक एक दूसरे का पक्ष ले लेते हैं। ऐसे अपराधों को राजनैतिक रूप दे दिया जाता है। मेरे एक मित्र उत्तराखण्ड घटना की बात कर रहे थे। मुजफ्फर नगर में जो घटना हुई वह बहुत ही खेद जनक है, बहुत ही निन्दनीय है। घटना के तुरन्द बाद जो संसद सदस्य वहां गये थे मैं भी उनमें थी। जब हम वहां गये तो हमने तुरन्त देख लिया था कि कुछ गंभीर घटना घटी है और कि पुलिस और प्रशासन उचित भूमिका नहीं निभा रहे हैं और वे कुछ छिपा रहे हैं अर्थात उस घटना को जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं अन्तर्ग्रस्त थी। वहां अफवाहें फैल रही थीं। विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा परस्पर सन्देह बढ़ता जा रहा था। मैं यह कहना चाहँगी कि जाति के आधार पर तनाव उत्पन्न किया जा रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मद के लिए दस घंटे का समय आबंटित किया गया था जो 4.13 पर समाप्त हो जायेगा। क्या सभा समय को एक और घंटे के लिए बढ़ाना चाहती है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : कृपया आधे घंटे के लिए और समय बढ़ा दीजिए। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : बात यह है कि हमारे पास कई विषय है। यदि समय बढ़ाया जाता है तो अन्य विषयों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। यदि सदस्य पांच अथवा छ: मिनट बोले तो कुछ और सदस्य इस चर्चा में भाग ले सकेंगे और विषय के साथ न्याय किया जा सकेगा।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : जैसा मैंने पहले कहा है कृपा कर आधे घंटे के लिए समय बढ़ा दीजिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। हम आधे घंटे के लिए समय बढ़ा देते है। दो बातें है आप को समझना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : आधा घंटा समय और बढ़ा दें।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : आधा घंटा से क्या होगा, एक घंटा कर दें काफी महत्वपूर्ण सवाल है।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, महिलाओं से संबंधित है, इस पर समय की कंजूसी न करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है। इस विषय पर विस्तृत रुप में तथा गहराई से चर्चा हो चुकी है। अनेक मूल्यवान सुझाव भी दिये गये है। मंत्री महोदय भी यहां पर है। उन्होंने बात को अच्छी तरह समझ लिया है। मेरे विचार में आधे घंटे का समय काफी है ताकि हम अन्य विषय भी ले सके। सभा ने दो घंटे का समय अलाट किया था। हम इसे आधा घंटा और बढ़ा रहे हैं क्योंकि कई विषयों पर चर्चा की जानी है। क्या सभा इस कार्य हेतु आधे घंटे का समय और बढ़ाने के लिए सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मालिनी जी, आप अपना भाषण जारी रख सकती हैं। आप अंतिम बात कह रही थी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं कह रही थी कि जब हम देखते है। कि राजनैतिक दल ऐसी घटनाओं से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो यह एक बड़े खेद की बात है। किसी भी हालत में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हमें सच्चाई जाननी चाहिए। सच्चाई छुपाई नहीं जानी चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही कुछ राजनैतिक लाभ हेतु इन घटनाओं का अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।

अब मैं अपनी अन्तिम बात पर आती हूं। कानून आवश्यक है परन्तु कानून पर्याप्त नहीं है। न्याय का पहिया धीरे-धीरे घूमता है। कभी कभी दोषी मामूली सज़ा के साथ ही छूट जाते हैं। यदि आप ऐसे मामलों

को देखें जिन्हें बंद कर दिया गया है और ऐसे मामलों को देखें जिनमें दोषियों को सज़ा दी गई है तो हम देखेंगे कि दोनों सूचियों में बहुत विषमता है। न्याय में विलम्ब से शिकार महिला का दुख बढ़ जाता है और वह और अधिक असुरक्षित हो जाती है। अतः कानून का होना ही काफी नहीं है बल्कि इसकी क्रियान्वत्ति अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक राज्य प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं करता और न्याय को सुनिश्चित तथा तेजी से नहीं दिलाता तब तक मेरे विचार में और अधिक कानून बनाना काफी नहीं है। ऐसे मामलों में जनता का ओर से दबाव बढ़ना चाहिए और लोगों में इस संबंध में जो धारणायें हैं उनमें भी परिवर्तन होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जनता प्रशासन पर दबाव डाल सके तो यह बहुत सहायक होगा।

मैं श्रीमती सरोज के विधेयक से सहमत हूं परन्तु मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। मैं कुछ अन्य अपराधों की ओर देख रही थी जो कि बलात्कार के जैसे ही हैं जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 और 376 के अन्तर्गत आते हैं। सामान्य बलात्कार के मामले में इनमें सात वर्ष से कम की सज़ा नहीं है और हिरामत में बलात्कार के लिए दस वर्ष से कम की सज़ा नहीं है। तथापि यह कहा जाता है कि निर्णय में बताये गये पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए बलात्कार के साधारण मामले तथा हिरासत में बलात्कार के मामले में कम सज़ा दी जा रही है। श्रीमती सरोज इस पर विचार करें कि यदि महिला को नंगा करने की सज़ा भी बढ़ाकर सात वर्ष के कठोर कारावास कर दी जाती है और बलात्कार के लिये भी यही है तो दोनों अपराधों में कोई तुलना नहीं है। बलात्कार पहले वाले से अधिक जघन्य अपराध है और हिरासत में बलात्कार और भी जघन्य अपराध है। अतः जब हम अपराध के लिए सज़ा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अर्थात शील भंग करने पर, तो उसी समय हमें दूसरे कानूनों को भी देखना चाहिए। जहां न्यूनतम दण्ड को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराध करने वाले लोगों पर दबाव डाला जा सके, साथ ही ऐसे कानूनों में जो कमियां हैं उन्हें भी दूर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में जब तक इस तथा अन्य सम्बन्धित कानूनों पर निगाह नहीं डालते यह संशोधन पूरा नहीं होगा। इस संशोधन को स्वीकार करते हुए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह इस पर समग्ररूप से विचार करें तथा अन्य कानूनों में भी संशोधन करने पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब बोलने वाले सदस्यों के पास समय बहुत कम होगा। डा. गंगवार आप सम्बन्धित मुद्दों पर बोले और अपने सुझाव दें। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रत्येक सदस्य इसे समझ चुका है।

[हिन्दी]

डा. परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय. आखिर में बोलने वालों को तो वैसे भी समय नहीं मिलता। एकाध मिनट तो मिल ही जायेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा. गंगवार आप अनेक वर्षों से सभा में हैं। आप सभा के नियमों से अवगत हैं। सभा को इस प्रकार नहीं लिया जाना चाहिए।

डा. परशुराम गंगवार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमती सरोज दुबे जी ने जो धारा 354 में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

मैं कही हुई बातों पर न कहकर कुछ और बातें कहना चाहता हूं। हमारे कुछ भाइयों ने मनु और पाण्डवों की बात कही। उस समय नारी को मां, बहिन और बेटी कहा जाता था, पर आज की राजनीति ने उसको घृणित कर दिया है। जब हम पढ़ते थे तो विद्यालयों में लिखा जाता था कि :

[अनुवाद]

यदि धन जाता है तो कुछ भी नहीं जाता : यदि स्वास्थ्य जाता है तो कुछ जाता है और यदि चरित्र जाता है तो सब कुछ चला जाता है।

लेकिन आज ठीक उसका उलटा हो रहा है।

यदि चरित्र जाता है तो कुछ नहीं जाता। यदि स्वास्थ्य जाता है तो कुछ जाता है और यदि धन जाता है तो सब कुछ जाता है।

इसी का दुष्परिणाम है और इसी का कारण है कि आज माताओं, बहिनों पर अत्याचार, दुराचार और पापाचार बढ़ रहे हैं। बखेड़ा कटा जो मेरे क्षेत्र में आता है, वहां हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बांदा में एक भाई के सामने उसकी युवती बहिन को निर्वस्त्र कर उसके साथ बलात्कार किया गया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हैं। अलीगढ़ और मुजफ्फर नगर की घटना के बारे में भी हमारे भाईयों ने बताया। इस संबंध में जो दोषी हैं वह इस समय की सरकार और राजनीति हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे नेता लोग कहते तो हैं कि राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाए। राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाएगा तो कभी भी महिलाओं की इज्जत बचने वाली नहीं है। धर्म को राजनीति से जोड़ना पड़ेगा। धर्म का मतलब यह नहीं होता है कि कोई हिन्दू-मुसलमान है या सिख ईसाई है। धर्म का मतलब है सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, साहस, इंद्रिय-निग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह, क्षमा संतोष, धैर्य, विवेक।

धर्म के ये गुण हैं और उनके आधार पर हमने धर्म को रखा और धर्म का राजनीति में समावेश किया। इससे हमें मालूम होता है कि यह नारी हमारी माता है, बहिन हैं, हमारी बेटी हैं। लेकिन आज हम उसको भूल गए हैं। भारत मे इस समय 47 मिनट में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। 44 मिनट में किसी महिला का अपहरण किया जाता है और उत्तर प्रदेश में आप देखें कि इस समय 14,048 मामले इस संबंध में दर्ज किये गए हैं लेकिन उनको देखने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में धार जिले में बेगारी गांव में एक

युवा विधवा को पीट-पीट कर उसे नग्न करके उसका बलात्कार किया गया। इस प्रकार की एक घटना नहीं अनेक घटनाएं हैं। इस समय आप देखें कि एक एक मिनट में देश के कोने कोने में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं।

लेकिन अगर सरकार के पास आते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे क्षेत्र का मामला है। करीब 7-8 महीने पहले एक महिला के साथ एक डॉक्टर ने बलात्कार किया। उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। जब मैंने कहा तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आखिर हमें थाने का घेराव करना पड़ा। जब रिपोर्ट लिखी गयी तो हम 46 लोग मुल्जिम बनाए गए। अगर इस प्रकार से सरकार, कानून और प्रशासन का सहारा मिलेगा तो माता-बहनों के साथ अत्याचार बढ़ जाएंगे।

मैं कहना चाहूंगा कि हमें कानून के साथ-साथ शिक्षा का भी प्रचार-प्रसार करना चाहिए। अगर शिक्षा का प्रसार होगा तो हमारी माता-बहनें अपने अधिकार को जानेंगी। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि गांवों के अंदर गरीब महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं। मैं यह भी मानने को तैयार हूं कि रईस महिलाओं के साथ बलात्कार, अनाचार व पापाचार होते हैं उनमें वे महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए उन घटनाओं को छुपाकर बैठ जाती हैं। लेकिन गांव की एक छोटी सी घटना बड़ा रूप ले लेती हैं और इसीलिए महसूस होता है कि गांवों में अत्याचार और पापाचार हो रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ-साथ धर्म का प्रचार-प्रसार करना होगा। तभी नारी पर अत्याचार समाप्त हो सकते हैं वरना हम माता -बहनों के साथ होने वाले अत्याचारों को दूर नहीं कर सकते।

सरोज दुबे जी जो बिल लाई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि दो साल की बजाय 7 साल की सज़ा दी जाए। मेरा इसमें एक संशोधन है कि महिलाओं के साथ जो इस तरह के अत्याचार होते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है उनमें अत्याचारियों को चौराहे पर पेड़ से बांधकर उनके हाथ-पांवों में कीलें ठोक दी जाएं। इससे समाज भयावह होगा, समाज को शिक्षा मिलेगी कि वास्तव में गलत काम करने वालों के लिए हिन्दुस्तान में सज़ा दी जाती है। इससे और लोग गलत काम करने से हिचकेंगे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरोज दुबे जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सामाजिक अपराध के खिलाफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने प्रतीक रूप में एक विधेयक प्रस्तुत किया। महिलाओं को अपमानित करने पर भारतीय दण्ड संहिता में पहले से ही एक प्रावधान विद्यमान है, उस प्रावधान को और कड़ा बनाने का माननीय सरोज दुबे जी का सुझाव है। यह सुझाव स्वागत योग्य है, क्योंकि समाज में सरकार किसी की भी हो, हमारा जो पुरूष प्रधान समाज है इसमें महिलाओं के प्रति नृशंसता बढ़ रही है। भारतीय पुरूष का मन, मस्तिष्क और स्वभाव मूलतः महिला विरोधी है, ऐसी मेरी मान्यता है। इतने दिन सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसका कोई कोई रिश्ता सरकारों से नहीं है। वहां आज मुलायम सिंह जी की सरकार है इसलिए यहां मुजफ्फर नगर काण्ड की चर्चा की जाती हे। जब इनकी सरकार थी तो पथरदेवा काण्ड हुआ था। जब मैं उत्तर प्रदेश असैम्बली में मेम्बर था तो माया त्यागी कांड हुआ था और उस समय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। इसलिए सरकार किसी की भी हो, हमारे देश का जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, हमारे देश को जो सामजिक ढांचा है उसकी बनावट, परम्परा व धारा मूलतः स्त्री विरोधी है। इसलिए एक तरफ तो हमें सामाजिक वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिससे महिला का सम्मान बढे वही दूसरी तरफ जैसा हमारे मित्र ने कहा कि शिक्षा के प्रचार-प्रसार के जरिये स्त्री के सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

उसी के साथ जो हमारा आर्थिक ढांचा है, वंश परम्परा के हिसाब से हमारे देश में जो उत्तराधिकार का कानून है, खास तौर से यहां एक तरह का कानून सभी धर्मों और जातियों के लिए बनाने की बात की जाती है, हिन्दुओं का जो उत्तराधिकार का कानून है, जो लोग सिंगल सिविल कोड की बात करते हैं वकालत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि उनमें नैतिक साहस हो, नैतिकता हो तो उन्हें हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन और परिवर्तन करने की मांग व्यापाक पैमाने पर उठनी चाहिये जिससे पुत्र के साथ-साथ कन्या या पुत्री को भी पिता की जायजाद में समान अधिकार प्राप्त हो जिससे कि एक सामाजिक समानता का दरवाजा खुल सके। ऐसी मांग इस सदन के जरिये समाज में जानी चाहिये, ऐसा मैं आग्रह करना चाहता हूं। ऐसा केवल प्रशासकीय व्यवस्था दुरूस्त करने से नही होगा। प्रशासन में दण्ड की व्यवस्था होना चाहिये, भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के अपमान के लिए जितने कड़े से कड़े कानून बनाये जाने सम्भव हैं, उतने बनाये जाने चाहिये लेकिन केवल ऐसा कानून बना देने से ही महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होगी, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसके लिए एक समन्वित प्रयास होना चाहिये। उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए सरोज जी ने यह विधेयक सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और यह मांग करता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं वे समाज में इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं सदन में प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. प्रधानी (भवरंगपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय दण्ड संहिता की धारा में संशोधन करने के बारे में श्रीमती सरोज दुबे द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं तीन बातों से उनका समर्थन करता हूँ। आमतौर पर शील भंग के मामले बहुत ही कम संख्या में थानों में आते हैं। ऐसा इसलिये है कि हमारी औरतों को अपनी प्रतिष्ठा के खो बैठने का भय रहता है। वे महसूस करती हैं कि एक बार यदि वे मान लेती हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है अर्थात किसी ने उनके साथ कोई अपराध किया है तो वे अपना सम्मान खो देंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। यह उनका दोष नहीं है। रामायण से हमें यह शिक्षा मिली है, जब रावण सीता को उठाकर लंका ले गया था और अनेक वर्षों तक उसे जंगलों में रखा था, तो उन्हें दोषी नही पाया गया था। जब उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो वह दोषी नहीं पायी गई क्योंकि उन्हें उनकी इच्छा के बिना रावण द्वारा लंका ले जाया गया था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का बलात्कार करता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह महिला दोषी है बल्कि अपराध करने वाला वह व्यक्ति दोषी है। इसी कारण महिलाओं को पर्याप्त रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए कि उन्हें डरना नहीं चाहिए और थाने में रिपोर्ट करते समय ऐसे मामलों को दबाना नहीं चाहिए। जब कभी वे पुलिस के समक्ष जाती है और चाहे उनका बलात्कार ही क्यों न किया गया हो, वे यही लिखाती है कि उसने कपड़े छीने अथवा उसने मेरे हाथ खींचे। यह धारा 354 के अन्तर्गत महिला के शील भंग के समान ही है। परन्तु बलात्कार दो प्रकार के हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के वास्तविक अर्थों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बुरे इरादे से महिला की साड़ी खींचता है तो वह भी शील भंग के समान ही है। माननीय सदस्य ने कहा है कि पुलिस वालों तथा कुछ अन्य लोगों ने महिलाओं को पूरी तरह नंगा कर दिया और गलियों में उनको घुमाया। यह मामला गंभीर अपराध के वर्ग में आता है। इसको अत्याचार माना जा सकता है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अनुसार वे सभी अपराध, जिनके लिए भारतीय दण्ड संहिता दस वर्ष अथवा उसमें अधिक वर्ष का कारावास दिया जा सकता है, अत्याचार वाले अपराध माने जाने चाहिए।

जहां इरादा बुरा हो और जहां महिला की प्रतिष्ठा और सम्मान को पूरी तरह नष्ट कर दिया हो जो मामलों को गम्भीर अपराध माना जाना चाहिए और बहुत कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि इस धारा में दो भाग देने चाहिए। केवल मात्र कपड़े छूनें अथवा ऐसे ही अन्य कार्य को जोकि धारा 35 के अंतर्गत आते हैं, को पहला मामला मानकर न्यूनतम दो वर्ष का दण्ड दिया जाना चाहिए। अन्य मामले में दण्ड को दो वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष अथवा 7 वर्ष किया जाना चाहिए। जैसाकि श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने बताया बलात्कार और शीलभंग को समान रूप नहीं दिया जाना चाहिए। और इनमें अंतर किया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 का दूसरा भाग भी होना चाहिए और नंगा करने तथा बाजारों में घुमाने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। शीलभंग और बलात्कार के मामले रोजाना अखबारों में छप रहे हैं। मेरा प्रस्ताव है कि पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में एक पृथक धारा रखी जाये यदि हम देखें कि पुलिस वाले संरक्षण देने हेतु अथवा शिकार महिला के हितों की रक्षा के लिए दोषी व्यक्तियों को छिपाते है। थाने के समक्ष वास्तविक तस्वीर आनी चाहिए और उसकी पूरी तरह से उचित जांच होने चाहिए और दोषी को दण्ड दिया जाना चाहिए। ऐसे अत्याचारों की शिकार महिलाओं का पुनर्वास किया जाना चाहिए। लोक कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए।

महिला के शील भंग की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि "असाल्ट" का अर्थ है केवल "मारना"। परन्तु यहां किसी को पीटने की आवश्यकता नहीं है और यदि कोई किसी को छूता भी है अथवा अपमान के इरादे से कोई कार्यवाही करता है तो यह भी 'असाल्ट' के समान है इसका उचित रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। और परिभाषा में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में यथासंभव हद तक कमी लाये।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन अथवा चार सदस्य बोलने वाले है। यदि प्रत्येक सदस्य दो मिनट का समय ले तो मुझे घण्टी बजाने की जरूरत नहीं है।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : महोदय मैं श्रीमती सरोज दुबे द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं रामायण तथा महाभारत से उदाहरण नहीं देना चाहता। परन्तु आज भी ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं।

महोदय, आदमी में जो विवेक शक्ति है वह उसे जानवर से अलग करती है अत: ऐसे व्यक्ति महिला को नंगा करने उसके साथ बलात्कार करने उस पर अत्याचार की बात सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों में ऐसी न्यायिक बुद्धि नहीं है वे ही ऐसी बाते करते है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि जब तुम गुस्से में हो तो स्वयं को शीशे में देखो; तुम अपने आपको जानवर पाओगे, आदमी नहीं। अत: ऐसी बाते वही करते है जो जानवर हैं। महोदय समाज के उच्च वर्ग की महिलाओं पर अत्याचार नहीं किए जाने और न ही उन्हें नंगा किया जाता है ऐसा केवल निम्न मध्य वर्ग और दलित महिलाओं के साथ ही किया जाता है। परन्तु ऐसा क्यों है। ऐसा केवल उनकी गरीबी के कारण है। उन्हें रोजगार के लिए अपने घरों से बाहर आना पड़ता है और ऐसा करते समय वे गलत लोगों के सामने आ जाती हैं।

महोदय जिस महिला को नंगा कर दिया जाता है अथवा जिसे अपमान सहना पड़ता है उसे गंभीर मानसिक पीड़ा भी सहन करनी पड़ती है और कभी कभी समाज द्वारा उसका बहिष्कार भी कर दिया जाता है। इतना ही नहीं उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी गिरी नजर से देखा जाता है और वे समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत नहीं कर पाते।

मैं श्रीमती दुबे से इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि भारतीय समाज पर आज भी पुरूषों का दबदबा है। अब हमारा समाज बदल रहा है और इस बदल रही अवधि में महिलाएं जीवन में अनेक जिम्मेदारियां निभाने के लिए धीरे-धीरे आगे आ रही हैं और मैं आशा करता हूं कि कुछ ही दशकों में वे जीवन के हर पहलू में पुरूषों के समान होंगी।

मैं कहना चाहता हूं कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए महिला आयोग होने चाहिये और साथ ही साथ दलितों तथा मध्य वर्ग में शिक्षा का प्रसार भी होना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु जो विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं उनको चाहिए कि ऐसे मामलों को तुरन्त निपटायों इस संदर्भ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 में उपर्युक्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि ऐसे अपराधों के वास्ते कड़ी सज़ा दी जा सके।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी श्रीमती सरोज दूबे ने जो संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूं कि उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्रीमती दुबे बधाई की पात्र हैं क्योंकि उन्होंने उस समय देश और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है जब देश और समाज में महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उनका अपमान, उनका शील हरण या उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अच्छा होता यदि इस समय गृह मंत्री और समाज कल्याण मंत्री के अलावा विधि मंत्री भी यहां होते क्योंकि यह कानून में संशोधन से संबंध रखता है। यह संशोधन महिलाओं की सामान्य स्थिति, उनकी समस्या पर चर्चा नहीं कर रहा है बल्कि यह निश्चित रूप से आई.पी.सी. में संशोधन है कि सज़ा का प्रावधान बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। यह बात सही है कि इस बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए, समाज में एक आन्दोलन होना चाहिए, एक चेतना होनी चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद दुनिया का हर सभ्य देश कानून की व्यवस्था करता है क्योंकि कानून का अपना प्रभाव होता है और कानून से मनुष्य डरता भी है। हर व्यक्ति में वहचेतना नहीं होती लेकिन गलत काम करने हवाले के मन में भय रहना चाहिए।

और अगर एक आदमी को सज़ा होती है तो दूसरे भी उससे डरते हैं। मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन ससात साल बढ़ाकर करने का है, इसको सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

यह केवल मनुष्य की व्यक्तिगत आपराधिक प्रवृति का द्योतक नहीं होता कि वह किसी महिला का अपमान करे, उसको नंगा करे, समाज में उम पर कुदृष्टि डालकर उसका शीलहरण करने की कोशिश करें, बल्कि ऐसी घटनाओं से समाज भी कलंकित होता है, देश भी कलंकित होता है। अगर हमारे देश में ऐसी घटनाऐं घटती हैं तो लोग कहते हैं कि हम क्या हैं। हम इतने पिछड़े हुए देश हैं, हम इतने पिछड़े हुए समाज हैं, जहां आज महिलाओं के साथ इस प्रकार का अनाचार, इस प्रकार का व्यवहार होता है और हम सब उसको बर्दाश्त करते हैं। एक तरफ तो हम अपनी प्रगति के लिए सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार का सामाजिक और राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी में आने वाला काम हमारे यहां होता है। सच पूछिये तो यह साधारण अपराध की श्रेणी में नहीं आता है और आज हमारे देश की तमाम महिलाए, पूरा महिला समाज इससे आन्दोलित है और उतने ही आन्दोलित हम भी हैं, हमारे मन को भी उतनी ही चोट लगती है। जंगलीपन जिसको हम करते हैं, कहीं हम जंगली समाज में तो नही रह रहे हैं, हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा इतिहास हजारों वर्ष पुराना इतिहास है लेकिन क्या हम इस दृष्टि से पीछे जा रहे हैं ?

यह ऐसी बात नहीं है, जिस पर कोई लम्बा भाषण देने की आवश्यकता है। आज जो सच्चाई है, जो तथ्य है, इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिये मेरा यह भी सुझाव होगा कि आप विचार करिये, अगर आपको सात साल की बात अभी स्वीकार नहीं है, आप इसमें किसी और तरह का संशोधन करना चाहते हैं। श्रीमती सरोज दूबे ने तो महज सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा है कि हमारा कानून पर्याप्त नहीं है, पूरा सख्त नहीं है। यह इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए त्रुटिपूर्ण है, इसको और ज्यादा स्पष्ट, और ज्यादा समक्ष, और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो आप मेहरबानी करके सब लोगों की एक बैठक बुला लीजिए, क्योंकि सबको चिन्ता है।

4.47 म.प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

वास्तविक जीवन में नहीं, बल्कि TV पर जब वीभत्स प्रदर्शन होता है, अंग प्रदर्शन होता है, ऐसे गाने आते हैं, जिनसे लोगों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जब चित्र देखकर इतना एजीटेशन इस सदन में हुआ तो सूचना मंत्री जी ने उसके लिए बैठक बुलाई और उस पर विचार हुआ। यह तो उससे ज्यादा गंभीर चीज है न ? यह खाली चित्र देखने की बात नहीं है, इसमें केवल गन्दे गाने ही नहीं सुनने हैं, बल्कि वास्तविक जीवन में लड़की के साथ, महिला के साथ, गरीब महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो यह ज्यादा गंभीर मामला है। इसलिए इस पर आप बैठक बुलाइये और इस पर लोगों के विचार सुन लीजिए।

एक बात और मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। दो तरह के अपराध हमारे सामने आते हैं। एक अपराध सामान्य नागरिक करता है और दूसरे ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने आते हैं, जिससे पुलिस के लोग दोषी पाये जाते हैं, ऐसे कितने ही केस हुए हैं, जिनमें पुलिस ने परिवार के सामने महिला को नंगा किया, वस्त्रहीन किया, इतना ही नहीं, उससे और आगे जाकर उसका शीलहरण करके परिवार के सामने

कहा कि जाओ, हमने यह किया है, तुम इससे सबक लो। ऐसे भी केसेज दो साल पहले सरकार के सामने आये हैं, मैं आपको भेज दूंगा। दो साल पहले इस तरह का केस या तो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कहीं हुआ और यह बातें तो आपके सामने आई होंगी। कई बार ऐसी महिलाऐं जो पुलिस हिरासत में रही है, उनका भी शीलहरण हुआ है। इसलिए एक व्यवस्था तो ऐसी भी होनी चाहिए कि साधारण नागरिक के अलावा यदि कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी, जो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेवार है, जब वह इस प्रकार की बात करें तो उसका अपराध ज्यादा गंभीर हो जाता है, इसलिए उसकी सज़ा और अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वह ज्यादा बड़ा अपराध है। जिसको इस काम को करने की जिम्मेदारी दी गई है, जब वही अपराध करता है तो इस बात पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि दोनों विभाग के हमारे मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वह इस पर गौर करेंगे और एक बैठक बुलाकर इसके ऊपर विचार करेंगे।

इसके लिये कोई प्रभावी कठोर कदम उठाये जा सकते हैं। कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में चेतना फैलाने के क्षेत्र में कदम उठा कर और प्रचार के माध्यम से इन अपराधों पर काबू पाया जा सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री रामेश्वर पाटीदार बोलेंगे। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि आबंटित समय समाप्त हो गया है। क्या हम समय आधा घंटा और बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, आप समय को आधा घंटा के लिए और बढ़ा दें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : सभापति महोदय, सरोज दुबे जी ने जो अत्यन्त महत्वपूर्ण बिल पेश किया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आज के समय में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनी और महिलायें इन सारे अपराधों का शिकार क्यों होने लगी, हर कोई इससे परिचित हैं। भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और परम्पराओं की तरफ नजर दौड़ायें तो ऐसा घिनौना कृत्य हमें कहीं नजर नहीं आता है।

जैसे-जैसे देश आजाद हुआ, भौतिकवादी प्रवृत्तियां बढ़ने लगी और देश में धनवानों की संख्या बढ़ने लगी। हमारी शिक्षा पद्धति के असर के कारण जैसे-जैसे भौतिकता बढ़ी, महिलाओं के साथ लज्जा भंग करने की और शील भंग करने की प्रवृत्तिया बढ़ती चली गईं। इसलिये ऐमनेस्टी इंटरनैशनल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह पूरा दशक महिलाओं के खिलाफ आतंकवाद से ग्रसित रहा। आंकड़ों में जाने की जरूरत नही है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

मध्य प्रदेश में पिछले दिनों छुआअरा कांड हुआ। मुख्यमंत्री के अपने जिले में पति के सामने पत्नी का बलात्कार करने की कोशिश की गई। जब पति ने इसका विरोध किया तो पति की हत्या कर दी और पुलिस वहां खड़ी तमाशा देखती रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर दूर जम्बू शहर है। वहां दिन के उजाले में महिला के साथ कुकर्म होता रहा और पुलिस वहां खड़े होकर तमाशा देखती रहीं ऐसी दिन प्रति दिन घटनायें घटती जा रही हैं। इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा अच्छे चरित्र को बढ़ावा देने वाली नहीं है। मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि हमने चरित्र पर जोर देना बंद कर दिया है। इसी कारण ये सारी कुरीतियां, कुकर्म और बुरी मनोवृत्ति समाज में फैलती जा रही हैं।

सरोज दुबे जी ने धारा 354 में लज्जा भंग करने पर 7 साल की सज़ा बढ़ाने की और सिम्पल इम्प्रिजनमेंट नहीं रिगरस इम्प्रिजनमेंट देने की बात कही है। हमारी आई.पी.सी. की जितनी धारायें हैं, उनमें फाइन के आगे राशि का उल्लेख नहीं किया जाता है। इसे जज के डिसक्रिशन पर छोड़ दिया है। जहां-जहां भी महिलाओं के अपराध के सिलसिले में फाइन शब्द आये वहां राशि का भी उल्लेख होना चाहिये।

मालिनी जी ने कहा कि धारा 375, 376 में अपराध की जितनी धारायें हैं, उनको बंद करना पड़ेगा। केवल एक धारा पर सज़ा बढ़ा कर हम सारे अपराधों पर काबू पा सकते हैं। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उनकी एक धारा में अपराध की सज़ा बढ़ा कर इस पर काबू नहीं पा सकते हैं। जितनी भी धारायें हैं, सब में इसी प्रयोजन में सज़ायें बढ़ानी पड़ेगी और रिगरस इम्प्रिजनमेंट करना पड़ेगा। धारा 375 और 376 में सज़ा बढ़ानी पड़ेगी। धारा 509, 304 और 306 में जिस तरह होता है, उसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा। अपराधियों और उनके सहयोगियो को कठोर दंड देना चाहिये तभी न्याय कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ एंटी डाउरी ऐक्ट की तरफ भी ध्यान दें। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे है और समाज में जो मनोवृति बढ़ती जा रही है, इसका कारण यह है कि फिल्मों का असर सारे समाज पर पड़ रहा है। इसका चन्द्रजीत यादव जी ने भी उल्लेख किया। जैसी फिल्में आ रही है और टी.वी. पर जैसे सीरियल दिखाये जा रहे है, वे मानव की मनोवृति को उत्तेजित करने वाले हैं।

मानव मनोवृति को उत्तेजित करने वाले जब सीन उनके सामने आयेंगे, तो उनकी मनोवृति तो बिगड़ेगी ही और इसके लिए सारी बातों को ठीक करना होगा। समाज को हमें सुधारना है, तो केवल कानून बनाकर अपराध सुधारने या अपराध खत्म करने की बात करना संभव नही है। इसलिए इस मनोवृति को कैसे ठीक किया जाए, इस दृष्टि से इन सारे लूपहोल्स को भी ठीक करना होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि फिल्मे भी गन्दी बन रही है। फिल्मों में जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कर दिखाए जा रहे हैं और उन बलात्कारों को देखने के बाद कई बार ऐसे केसेज आए

हैं, अपराध हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि फिल्मो में यह सीन देखा और देखने के बाद यह काम कर डाला। जब यह हो रहा है तो हम फिल्मो को क्यों नही बंद कर सकते हैं। समाज में धरातल पर आकर कानून को ठीक करके लोगों को ठीक करने की बात कहते है, लेकिन फिल्मों में हो रहें इस नाटक को बन्द नही कर सकते हैं। इसीलिए जहां तक मैं समझता हूँ, फिल्मों में इस तरह के जितने रेप केसेज हैं और दूसरे सीन बताए जाते हैं, उन सब को बन्द करना चाहिए। इसके लिए सिनेमैटोग्राफी एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए। इसके लिए डायरैक्टर, प्रोड्युसर, एक्टर, एक्ट्रैस, सबको एक साथ सज़ा दी जानी चाहिए। यदि ऐसा होगा, तो मामला ठीक हो सकता हैं। अन्यथा, केवल संशोधन करने मात्र से पूरा समाज ठीक नही कर सकते हैं और न देश को ही सही दिशा दे सकते हैं।

एन्टी-डाउरी-एक्ट में भी केवल थोड़े से धन के लालच में बुरी तरह से बहू को जला दिया जाता हैं। मैं देखता हूँ कि स्टोव केवल बहू पर ही फटता है, कभी सास पर क्यों नही फटता है। इसलिए समाज में जो यह मनोवृति बढ़ रही है, इस मनोवृति को सुधारने की दृष्टि से चाहे फिल्मो के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो या पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से हो, इस सारे वातावरण को ठीक करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, समाज में बहुत सी पत्र-पत्रिकायें निकलती हैं, जैसे डैबोनेयर और फैनटैसी, ये केवल नारी के देह का ही व्यापार करती है। इस तरह से समाज में कुत्सित मनोवृति को फैलाने का धीमा जहर फैलाया जा रहा है। इसलिए इन पत्र-पत्रिकाओं को सबसे पहले बन्द होना चाहिए और इसके लिए सज़ा का भी प्रावधान करना चाहिए। जब यह प्रावधान होगा, तब कुछ मामला ठीक हो सकता है। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ, 'एशियन-वेब्ज' नाम से एक पत्रिका लंदन से निकलती है और इसके पत्रकार देश भर में घूम रहे हैं। ये ऐसे नारी देह की तालाश में रहते है, जिनके नग्न फोटो खींच कर प्रकाशित कर सकें। अगर हम समाज में इन लोगों को खुली छूट देते चले जायेंगे, तो यह मनोवृति समाप्त नही हो सकती है। इसलिए इस मनोवृति को समाप्त करने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा।

मैं आपको एक मेघालय का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेघालय मे मातृ सत्ता प्रणाली है। वहां पर जमीन, जायदाद और सम्पत्ति महिलाओं के नाम पर होती हैं, लड़कियों के नाम पर होती है। इसलिए वहां पर अपराध नही होते हैं और इस लिए भी नही होते हैं, क्योंकि महिलाओं के पास अपनी एक शक्ति होती हैं। जब तक महिलाओं को यह अधिकार नही मिलेगा, तब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। महिलायें विशेष पदों पर हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, MPS और MLA होती हैं, तो उनके साथ ये घटनायें नही होती हैं। जब तक समाज में यह अधिकार नही मिलेगा, तब तक महिलाओ पर ये अत्याचार बन्द नही होंगे। इसलिए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त हों।

हमारे पूर्व वक्ता कह रह थे कि हिन्दु उत्तराधिकार कानून में संशोधन की जरूरत है और जब हम कॉमन सिविल कोड की बात कहते हैं, तो कहा जाता है कि उत्तराधिकार कानून में सबसे पहले महिलाओं को पूरा अधिकार देने की हम वकालत करें। हम लोग तो रात दिन इस बात का प्रयास करते हैं और हमारी पार्टी भी इस बात के लिए प्रयास करती रहती हैं कि महिलाओं को सम्पत्ति में पूरा अधिकार दिया जाए। भाई और बहन को पूरा-पूरा अधिकार दिया जाए। कुछ राज्यों ने तो हिन्दु सक्सैशन एक्ट में संशोधन करके यह अधिकार दे भी दिया है। महिलाओं में तो मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं। इन महिलाओं के साथ बायगैमी होती रहेगी, यह सब कुछ होता रहेगा और हम उनके साथ न्याय भी नही कर सकते हैं। हम उनके प्रति क्यो नही बोलना चाहते है, उनके अधिकारो की बात क्यों नही करना चाहते हैं। इसलिए उनके साथ तलाक जब खुले आम होगा और तलाक, तलाक, तलाक, होने के बाद उनकी जो संताने होंगी, वे ऐसी स्थिति में बुरे ही रास्ते पर जायेंगी और उनके बच्चे पढ़ाई भी कर सकेंगे तथा एक सभ्य नागरिक नही बन पायेंगे। इसलिए इस बायगैमी में भी सज़ा होनी चाहिए। इसके साथ-साथ अभी दस मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है, उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। देश के बुद्विजीवियो को और देश की संसद को भी देश में एक वातावरण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कॉमन सिविल कोड बनाकर और उनको अधिकार देकर इस सारे मामले को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम ठीक कर सकते हैं तथा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को हम रोक सकते हैं।

महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या, श्रीमती सरोज दुबे, को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होने भारतीय दंड संहिता का धारा 354 में संशोधन करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

5.00 म.प.

इनका केवल इतना ही कहना है कि इसमें जो पनीशमेंट की 2 वर्ष की अवधि और फाइनल है उसे बढ़ा कर 7 वर्ष करना चाहिए। हालांकि 7 वर्ष करना या 10 वर्ष करना बहुत बड़ी चीज नही है, यह होनी चाहिए, इसमें किसी को एतराज नही है और मुझे भी नही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि धारा 354 ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड में रहने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं क्यो होती है समाज में औरतों का महत्व अधिक रहना चाहिए, वह कम क्यों है?

वह कानून के मुताबिक कम नही है लेकिन धर्म के मुताबिक अगर किसी के घर में लड़का होता है तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, रूपए-पैसे भी दान किए जाते है। उसका जन्म दिन मनाया जाता है लेकिन अगर किसी के घर में लड़की हो जाती है तो वे कहते है कि

उनके ऊपर वज्र गिर पड़ा है, वे बोझ से लद गये हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी के घर में बेटा या बेटी हो तो मरने के बाद बेटे को भी वही अधिकार होता है जो लड़की का होता है। लेकिन जब आदमी मरता है तो हिन्दु धर्म के मुताबिक लोगों का कहना है कि बेटे, तेरे द्वारा मुंह में आग देने से ही उसका स्वर्गवास होगा, वह वैतरणी पार करेगा, बेटी आग नही दे सकती। यहां धर्म लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर धर्म के मुताबिक दोनों की बराबरी हो जाए, हमारे दिमाग से अगर यह भावना समाप्त हो जाए तो मैं समझता हूँ कि देश में लड़कियों के प्रति जो निरादर की भावना है वह नहीं होगी।

यह बात सही है कि हमारे समाज में दबे-कुचले लोग हैं, हमारे यहां की पुलिस बिना एविडेंस के इनको जेल भेज देती है, चाहे 395 का मुकदमा हो, 302 का हो या चोरी का मुकदमा हो। उसी से अगर कोई औरत भिक्षा मांगने का काम करती है या मजदूरी का काम करती है तो उस पर कोई न कोई गलत आरोप लगा करके उसको पुलिस जेल भेज देती है उसके लिए एविडेंस की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों को इन सब चीजों पर गौर करना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। हम लोगों को एक चीज और देखने को मिलती है। कि दहेज की परम्परा लड़कियों को और तबाह करती है। अखबारों में रोज देखने को मिलता है। बहुत सी लड़कियां फांसी लगा कर मर जाती है। कई बार अखबारों में आता है वह लिख कर मरती है कि हमारे पिता जी दहेज के लिए परेशान हैं, वह दहेज नहीं दे सकते इसलिए मैं फासी लगा रही हूँ। अपने पिता का बोझ हल्का करने के लिए वह फांसी लगा लेती है। हमारे यहां डावरी एक्ट बना हुआ है लेकिन उसका ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? 1 लाख या 4 लाख कहिए। चाहे अनपढ़ों के लिए कहिए या पढ़े-लिखों के लिए कहिए, कोई भी बिना तिलक लिए अपने बेटे की शादी नहीं करता है। हम नेता लोग भी जब मंज पर भाषण करते हैं तो कहते है कि तिलक लेना अपराध है लेकिन मंच पर तिलक लेना अपराध है, कमरे में तिलक लेना अपराध नहीं है कानून के मुताबिक सही है। इसलिए कानून में संशोधन करने के अलावा कानून को सख्ती से लागू करने की भी जरूरत है, जिससे जो हमारे देश में कानून बना है उससे औरतों की रक्षा हो सके। जितना कानून बना है अगर यहां धर्म लड़की को अपमानित करता है और यही कारण है कि समाज में लड़कियों का महत्व कम है उसको ठीक से लागू कर दिया जाये तो मैं समझता हूँ कि 50 प्रतिशत औरतों का भला हो जाएगा। समाज में औरतों का सम्मान बढ़ जाएगा। सरोज दुबे जी ने कई बातों का जिक्र किया है। कई राज्यों में साधारण कामों के लिए ओरतों को नंगा घुमाया गया, कई तरह से अपमानित किया गया। यह बात सही है कि जिस औरत को नंगे घुमाया जाता है उसकी समाज में प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। जिस एरिये में घुमाया जाता है वहां उसका रहना मुश्किल हो जाता है। वह जिस घर में जन्म लेती है वहां उसको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि कानून में जितना भी संशोधन करना हो, कर लीजिए। जितना सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, उतनी सख्ती से उस कानून को लागू करने की भी आवश्यकता है, यही मेरी सरकार से मांग है।

इन शब्दों के साथ ही विधेयक का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, इस विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और श्रीमती सरोज दुबे, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय, यह बहुत दुःख और विडम्बना की बात है कि आज हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचारों की बाढ़ आ रही है। कानून अपनी जगह पर हैं, कानून बनने चाहिए, लेकिन इस वक्त समूचे देश मे और खासकर उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है। यह किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, अलीगढ़ में और बदायूं में क्या हुआं मुझको वहां जाने का मौका मिला था। अलीगढ़ में अनुसूचित जाति की 17 भट्टा मजदूरी करने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और मैंने वहां पर देखा कि 16-17 साल की कन्याओं को उनके पिता और भाई के सामने इनवेस्टीगेशन अधिकारी के समक्ष उन बातों को बताना पड़ रहा है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक नेता तथा इनवेस्टीगेशन अधिकारी जाते हैं और बार-बार उन महिलाओं से उस घटना के बारे में पूछा जाता है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जिन बातों को बताने में महिलाएं लज्जा महसूस करती हैं। गृह राज्य मंत्री राजेश पायलटं जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश सरकार का इन घटनाओं के प्रति क्या रवैया है। जब तक सरकार और राजनीतिक इस संबंध में काला चश्मा अपने चेहरे से नहीं उतारेंगे और समाज में एक जागरूकता पैदा नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रूकेंगी। उत्तर प्रदेश में मुझे पता है कि कई बार तो ऐसी घटानाओं की पुलिस प्रशासन द्वारा एफआईआर तक दर्ज नहीं गई। मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के दो मंत्री आगरा और लखनऊ गए थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उनका जवाब था कि सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाएगा। मैं सदन में उन मंत्रियों का नाम नहीं लेना चाहता। धिक्कार है मंत्रियों को। यदि चीरहरण के समय भगवान कृष्ण भी यही कह देते कि सही समय पर सही निर्णय ले लिया जाएगा, तो क्या द्रौपदी की लाज बच जाती है? आज लोगों में जमीर नहीं रहा है, जब जमीर होता है तो व्यक्ति इस तरह की बात सुन कर ललकार कर खड़ा हो जाता है, आदमी ललकार कर मैदान में आ जाता है, परंतु आज हम देखते हैं कि लोगों का जमीर मर चुका है।

सभापति महोदय, सारे विश्व में भारत की नारी का एक अलग स्थान है। अन्य देशों की तथा भारत की नारी में जमीन-आसमान का

अंतर है। भारत की नारी की एक अलग पहचान रही है। जब भी देश पर आक्रमण हुआ या कोई भी संकट आया, ऐसे समय में यहां की महिलाओं ने बहुत योगान दिया है। चाहे सीता हो, द्रोपदी, मैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने समय में अपराधियों को ठिकाने लगा दिया था। जब भी भारत की नारी का अपमान हुआ है, तब-तब देश के अन्दर एक क्रांति आई है।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन एक और भी है। देखते हैं कि पश्चिमी देशों से आने वाले लोगों की वेशभूषा का हमारे समाज पर काफी खराब असर पड़ रहा है। भारत की एक अलग संस्कृति है, पहचान है, सभ्यता है। पश्चिमी देशों के लोगों की प्रवृत्ति नंगे बदन आने की है जिसका गलत असर भारत की सभ्यता पर पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सात साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो हमारे में और पशु में क्या अंतर रह जाता है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि खान-पान का हमारे ऊपर काफी असर पड़ता है। आज नॉन-वैजिटेबल का रिवाज बढ़ रहा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन कुछ हद तक इसका प्रभाव लोगों की प्रवृत्ति पर पड़ता है। अशिक्षा भी एक कारण है इसलिए मैं मांग करता हूं कि शिक्षा का अधिकार सब नागरिकों को होना चाहिए जो कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी नहीं हुआ है। आज हम क्या देखते हैं कि गांव में जहां अधिकांशतः गरीब लोग रहते हैं उनके लिए स्कूल नहीं हैं, स्कूल है तो मास्टर नहीं हैं, मास्टर हैं पढ़ाने का सामान नहीं है। शिक्षा की ऐसी दुर्दशा आज गांव में हो रही है। यही कारण है कि आज भी आई.ए.एस. और आई.पी.एस. के बच्चे ही कम्पीटिशन में बैठते हैं और वहीं आई.ए.एस. और आई.पी.एस. भी बनते हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि असली आजादी तभी होगी जब दबे-कुचले लोग जागरूक और कुशल होंगे। अगर वे कुशल होंगे तो देश भी कुशल होगा। इसलिए शिक्षा का प्रचारभी दबे-कुचले लोगों में होना चाहिए। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक यह सब होता रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आदमी का जमीर मर जाता है तो वह सब कुछ सहन कर लेता है लेकिन भारत सरकार में हमारे राजेश पायलट तुरंत घटना पर जाते हैं।।

इटावा में धनुका जाति की एक लड़की के साथ बाप के सामने बलात्कार किया गया। आप उसके बाप से पूछिये कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। बेटी किसी की भी हो सकती है, नारी तो नारी है चाहे अनुसूचित जाति की हो या किसी और जाति की हो। जिस परिवार में नारी का सम्मान नहीं होता है वह परिवार नर्क हो जाता है। आज नारी समाज के ऊपर अत्याचारों और बलात्कार की घटनाओं की एक बाढ़ सी आ गयी है। श्रीमती दूबे जो बिल लाई हैं मैं उसका समर्थन करते हुए यह मांग करता हूं। वह भी कम बैठेगी। गृह मंत्रीजी आपने देखा होगा कि एक समाचार छपा कि बाप ने अपनी बेटी से बलात्कार किया। हिन्दुस्तान के सारे समाचार पत्रों में यह छपा। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इतना हो कहकर मैं श्रीमती सरोज दुबे को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल को यहां रखा और इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. टी. वान्डायार (थंजावुर) : सभापति महोदय, मैं श्रीमती दुबे द्वारा विधेयक का समर्थन करता हूं। महिलाओं के छेडखानी तथा दुर्व्यवहार को केवल कानून द्वारा नहीं रोका जा सकता। टेलीविजन और सिनेमा में अश्लील दृश्य दिखाई जाते है और बेकार युवा उनको देखकर वैसे ही जघन्य अपराध करते हैं। इस पाप के प्रति आदमी की कमजोरी को केवल कानून द्वारा कम अथवा खत्म नहीं किया जा सकता अतः मैं अनुरोध करूगां कि गांव तथा कस्बों के लोगों को नैतिक शिक्षा तथा आत्म-अनुशासन द्वारा महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए। यदि पुलिस वाले तथा कानून के रखवाले ऐसे अपराध वाले है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जिस संयंत्र में महिलाओं की रक्षा तथा समस्या होते है वहां शान्ति बनी रहती है। मै श्री राजेश पायलट को सुझाव दूगां कि जब ऐसे अपराध हो तो दोषी को कड़ी सज़ा दी जाये ताकि कोई व्यक्ति ऐसे अपराध न करें।

सभापति महोदय : हम समय को आधे घण्टे के लिए बढ़ा देते है।

[हिन्दी]

'गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सभापति जी, हमारी बहन सरोज जी ने जो बिल यहां रखा है, मैने उस पर माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं। यह सी बात है जो उन्होंने यहां पर कही है, लेकिन सरकार भी पहले से इस पर चिंतित है। मैं आंकडे देकर कम्पीट नहीं करना चाहता और न ही इसको हल्का बनाना चाहता हूं। ये घटनायें समाज पर धब्बा हैं। सरकार की भी कमजोरी है कि वह इसको रोक नही पाती है। यह भी ठीक है कि सामाजिक बुराइयां भी हमारे जीवन में बढ़ी हैं और ऐसी घटनाओं का कारण रहती हैं यह भी ठीक है कि कानून द्वारा भी कारगर तरीके से इस पर काबू नही पया जा सका। इसका कोई भी कारण हो सकता है कि कानून में कहीं खामी रही हो या कही पर उसके इम्प्लीमेंटशन में कमी रही हो। यह भी हो सकता है इसके चलते उसका दुरुपयोग किया गया हो। इसलिए माननीय सदस्या को ऐसा बिल लाना पड़ा।

अभी हमारे पूर्व साथी बोल रहे थे। उन्होंने आगरा के समीप किसी घटना का जिक्र किया कि बाप के सामने उसकी बेटी से बलात्कार किया गया। इस वक्त वे यहां नहीं हैं, उनसे पूछूंगां और कहूंगा कि वे मुझे लिखकर दें कि किस जिले में और किस स्थान पर यह घटना हुई है, मैं इसको व्यक्तिगत रुप से देखूंगा। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि यह राज्य का विषय है। लेकिन मैं उनसे पूरी जानकारी लूंगा ताकि ऐसे केसेज को हाईलाइट किया जाये, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। हमने कोशिश की है कि हमारी पुलिस का

कल्चर बदले। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बूटा सिंह जी के समय में जो कल्चर था, वह बदले, बल्कि उसमें और सुधार हो। हमने कोशिश कि है कि हर पुलिस स्टेशन के साथ समाज में रहने वाले भाई-बहनों की कमेटी बनाकर मुख्य मंत्रियों को चिट्ठी लिखी जिससे सामाजिक अन्याय न हो और सामाजिक अच्छाई एक प्रथा बन जाये। नागरिक भी देख सकें कि जो पुलिस की प्रशासनिक सेवायें हैं, वे ठीक चल रही है या नही। मैं गांव का एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

आज से 25 साल पहले गांव में जब पढ़ा करते थे तो देखते थे कि यदि पुलिस किसी के घर पहुच जाती थी लोग उसे बुराई से देखते थे किन्तु यदि आज किसी के घर पुलिस आ जाये तो उसकी इज्जत होने लगती है और सारा काम उसके यू होने लगता है। इस कल्चर को बदलना चाहते हैं और हमने इसमें बहुत से कदम उठाए है। कहीं कहीं सफलता मिली है और कहीं नही मिली है लेकिन यह लगातार प्रयास चलता रहेगा जब तक हम समाज से इस बुराई को खत्म नहीं कर देगे।

सभापति महोदय, आज मुजफ्फरनगर कांड का जिक्र किया गया। मैं पहले ही इस हाऊस में बता चुका हूँ कि सीबीआई ने जिन जिन केसों में लोगों को दोषी पाया है, उनके खिलाफ केस फाईल कर दिये गये हैं। कुछ हो गये है और कुछ चालू हैं। जब हिल्ली ऐरियाज, गढ़वाल, कुमाऊँ इलाकों के कुछ भाई हमसे मिले थे तो हमने कहा था कि एक महीने के अंदर सारे केस फाईल करवा देंगे और इस पर कार्यवाही चालू रखेंगे और उसी स्पीड से सीबीआई काम करे तो मै स्वयं इसको मानिटर कर रहा हूँ कि दिया हुआ वायदा फेल न हो जाये। और सब कार्यवाही एक महीने में हो जाये। सीबीआई ने भी जिन जिन आदमियों को दोषी पाया, उनके खिलाफ रिपोर्ट सरकार को दे दी है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को इत्तला कर दी है और ज्यूडिशियरी में प्राथमिकीयां पर कार्यवाही चालू है मैंने इस सदन में कहा था कि यह हमारे समाज और देश पर एक धब्बा है। यह बात सही है कि हम साईंस और टैक्नालाजी, मशीन में दुनिया की नकल कर सकते है लेकिन अपनी संस्कृति में किसी की नकल नही कर सकते है क्योंकि हमारी संस्कृति में इतनी बातें भरी हुई है कि दुनिया ने इसकी नकल की है। धीरे-धीरे मिडिया में इससे खराबी पहुंचती है, मैं इस बात को मानता हूँ और हर जिम्मेदार नागरिक आज महसूस करता है कि इस मीडिया की पब्लिसिटी से हमारी संस्कृति को थोड़ा धक्का पहुंच रहा है। हम सरकार की तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हे कि हमारी संस्कृति की साख वैसी जमी रहे। यह सही है कि आज इंटरनेशनल मीडिया में पुलिस को थोड़ी छूट मिली है लेकिन हमारी संस्कृति हमारे देश की धरोहर है, इसे कोई कमजोर न कर सके क्योंकि जिस दिन यह कमजोर हो जायेगी, उस दिन यह देश कमजोर हो जायेगा। हम दुनिया में देखते हैं कि हमारी संस्कृति पुरानी होते हुये भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हम नार्थ ईस्ट में चले जायें तो दूसरी कल्चर मिलेगी हमारे रावत जी बैठे हुये है। राजस्थान के किसी जिले में साफे का रंग देखकर हम बता देते हैं कि यह किस जिले का या समाज का है ? तो हमारी भिन्न भिन्न संस्कृति होते हुये भी एक है और यह हमारी संस्कृति की देन है। हम इसे मजबूत रखकर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो प्रयत्न होंगे, इसमें बराबर चलते रहेंगे। इसलिये मै सब भाईयों से कहना चाहूंगा कि वे इस बात की चिन्ता न करें कि हमारी संस्कृति कमजोर हो जायेगी लेकिन इसमें जो कमियां आयी हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे है।

सभापति महोदय, पुलिस की ट्रेनिंग के बदलाव के बारे में कार्यवाही की गयी है और हम समझते हैं कि पुलिस रोल में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा हैं पहले डंडा रोल था लेकिन आज पुलिस कल्चर में किस तरह से बात की जाये, किस तरह से पूछताछ करनी है समय के अनुसार उसमें बदलाव आ रहा है। पुलिस कल्चर बदली है। पुलिस के बारे में कई शिकायतों का जिक्र किया है। इसमें यदि सैंट्रल गवर्नमेंट की पैरा मिलिट्री फोर्सज की शिकायतें हो तो उसके लिये हमने सख्त कदम उठाये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कहा है, जहां जहां जहां ऐसी बाते श्री कठेरिया जी ने बतायी हैं, वे लिखकर दें, यदि नहीं लिखकर देंगे तो अपनी ड्यूटी में फेल होंगे। मैं वायदा करता हूँ कि जब तक चीफ मिनिस्टर से करवा नहीं लेंगे जब तक उनको कड़ी सज़ा नहीं दिलवा देंगे। हम करवाते रहेंगे। तभी उनकों पता चलेगा कि देश में एकाउंटेब्लिटी क्या हैं? हमारा फैडरल सिस्टम है, इसमें देरी हो जाती है, इप्लीमेंटेशन में देरी हो जाती है। मैं सदन में वायदा करता हूँ कि जहां बाप-बेटी का ऐसा इंसिडेंट हो जाये तो उसको कड़ी सज़ा दिलायी जाये ताकि एक उदाहरण बन सके।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : जहां तक सीबीआई को मामला देने की बात है लेकिन किसी महिला को सदस्या नहीं बनाया गया है क्योंकि इस बात के लिए एक महिला से खुलकर बात की जा सकती है कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सीबीआई में एक महिला अधिकारी हो जो लड़की की इस शर्मनांक घटना का ब्यौरा जान सके क्योंकि लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त होती है।

श्री राजेश पायलट : जिस दिन मुझे इस बात का पता चला तो बहुत सख्त सज़ा दी थी लेकिन आपका कानून ऐसा है कि उनमें हम लोग भी जकड़ जाते हैं और कही कहीं दिल में आगे और कार्यवाही करने का करता है लेकिन आगे कानून दिखाये जाते हैं कि हमें इसका यह प्रोसीजर करना पड़ेगा।

इसमें कुछ बाधाएं हैं। लेकिन हमारी नीयत है कि ऐसी चीजों पर सख्त से सख्त कदम उठाएं। उस वक्त गृह मंत्री जी और हम दोनों थे और हम बहुत सख्त सज़ा सुना रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें वक्त लग सकता है जब तक सारे फैक्टस सामने न आ जाए। जहां तक महिलाओं को सीबीआई में रखने की बात है, ऐसे केसेज में महिलाओं को डेपुटेशन पर बुलाया जाता है। मैं सीबीआई के मंत्री से भी बात करके इसको और सुधारने के बारे में बात करूंगा। जो सोशल ऑडिट की कल्चर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि साल दो साल में सारे

सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी और इसकी विकृतियां बाहर आ जाएंगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक पुलिस फोर्स में ट्रांसपेरेन्सी नहीं बढ़ेगी, तब तक सुधार नहीं होगा। क्योंकि जब पुलिस किसी को पकड़ती है और उसे नहीं बताएंगे कि किस कुसूर में उसे पकड़ा है, खास तौर से महिलाओं के लिए, तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। महिलाओं के लिए तो हमने आदेश भी दिये हैं कि सूर्यास्त के बाद उनको गिरफ्तार कर थाने नहीं ले जाया जाएगा। अगर गिरफ्तार करना है तो अगली सुबह गिरफ्तार करें। ये सुधार धीरे-धीरे हुए हैं।

कानून में जो बदलाव की बात आपने की है, मैं समझता हूं कि कानून में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी बहिन की तरफ बुरी नजर न डाले। इस बारे में आपका सुझाव बहुत वाजिब है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम इससे भी ज्यादा सख्त कानून ला रहे हैं। एक मंत्रियों का दल इस पर विचार कर रहा है जिसमें लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी भी हैं। आपके सुझाव हम वहां भी जोड़ने वाले हैं। इसको लीगली देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसा सख्त कानून बन जाए कि कोई ऐसी बुरी नीयत से काम करने की कोशिश न करे। मैं आपका अहसान मानता हूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान खींचा। वैसे सरकार इस बारे में पहले से ही चिंतित है। माननीय सदस्यों ने इस पर अपने जज्बात बताकर और अपने सुझाव देकर हमारी मदद की है। मैं सरोज जी से बात कर रहा था कि मैं इस बारे में बिल लेकर आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि तारीख बताइए कि कब लाएंगे क्योंकि आपकी सरकार पता नहीं कब चली जाएगी। मानसून सत्र तो बहुत जल्दी है, लेकिन शीतकालीन सत्र तक हम इस कानून को बनवा लेंगे और पास करवाएंगे। इससे सरोज जी की बात भी रह जाएगी और इन्होंने सही कहा है कि देश को इसकी बहुत जरूरत है, वह भी पूरी हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जज्बात हमारे सदस्यों ने ज़ाहिर किये है सरकार उनको इसमें शामिल करके इससे बेहतर रूप से एक कानून लाएगी जिससे आने वाले दिनों में ऐसे कुकृत्य इस देश में न हो सकें।

इन लफ्जों के साथ मैं सरोज जी से आग्रह करता हूं कि इस बिल को वापस ले लें ऐसा नहीं है कि सरकार प्राइवेट मेम्बर्स बिल को स्वीकार नहीं कर सकती सकती है।

इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर इससे जो नया कानून बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं वह रुक जाएगा। मैं बिल लाने से पहले आपसे डिसकस भी कर लूंगा कि यह बिल हम इस प्रकार ला रहे हैं। आज आप इस बिल को वापस ले लें जिससे सरकार एक समूचा और संपूर्ण बिल इस बारे में ला सके।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, इसमें एक पहलू और जुड़ा हुआ है। जातीय संगठनों के नाम पर कुछ गांवो में कभी कभी जातीय पंचायतों के नाम पर महिलाओं पर कुछ दोषारोपण कर उनको बेइज्जत किया जाता है और निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है। इस बारे में सरकार ध्यान रखे तो उचित होगा।

श्री राजेश पायलट : इस बिल की भावना यह थी कि हमारी बहिनों के साथ दुर्व्यवहार रुके चाहे वह किसी भी रूप में हो। चाहे वह जाति-बिरादरी के संघर्ष में हो तो या किसी भी रूप में हमारी बहिनों पर अत्याचार न हो। यही नीयत सरोज जी की भी थी। राजस्थान में एक दो जगह ऐसा हुआ है जहां ऐसी गलत बातें हुई है। इंडियन पैनल कोड में बहुत कुछ ऐवलिबल है।

यह जो भावना आपने जाहिर की है, इस भावना को जोड़कर एक अच्छा बिल लाएंगे जिससे आगे प्रभावी रूप से ये बुराइयां रुक सके और इसमें अच्छी तरह से कदम उठाये जा सकें। मैं सरोज जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल को वापस लें और सरकार को मौका दे कि इससे अच्छा बिल लाये ताकि भारतीय समाज की सेवा कर सके।

श्रीमती सरोज दुबे : माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि इन्होंने इण्यिन पिनल कोड के सैक्शन 354 के संशोधन का पुरजोर शब्दों में समर्थन किया और सरकार से इस तरह के अपराधों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। माननीय मंत्रीजी ने भी अभी बहुत ही सुन्दर लब्जों में एक भविष्य की योजना बतायी है। मैं जानती हूं कि राजेश पायलट जी बहुत सक्रिय है और हमेशा इस तरह के मामलों में अगवाई करते हैं। लेकिन मैं इसलिए पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रही हूं कि आजादी को 47 सालों से ज्यादा गुजर चुके है और अभी तक कोई कानून का इस तरह का शिकंजा नहीं बन पाया जो इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ कर कड़ी कार्यवाही कर सके ताकि भविष्य में कोई दूसरा आदमी इस तरह की हरकत न कर सके। आप पूरा इतिहास उठाकर देख ले कि यदि कहीं किसी के पक्ष में कोई महिला संगठन आगे आ गया या कोई मामला जोर पकड़ गया, जैसा हमारे यहां दोनों कांड जोर पकड़ गया था, तब तो सज़ा मिल गयी, वरना कहीं भी इस प्रकार के मामले में सज़ा नहीं मिली। घंटे-दो घंटे के लिए वह हवालात में गया और वापस आ गया। 47 साल के बाद भी अभी तक कोई कानून नहीं बना। इसलिए मुझे सरकारी पक्ष की तरफ भरोसा नहीं होता। आज यहां पर विधि मंत्रीजी को होना चाहिए था, उस दिन भी नही थे। और आज भी नहीं हैं, लेकिन अब यह सरकार की मर्जी है कि उसने राजेश पायलट जी पर भरोसा कर लिया कि वे अच्छी तरह से वकालत कर सकेंगे। हमने शोर भी नहीं मचाया क्योंकि ये काफी देर से प्वांइट नोट कर रहे थे।

अभी जो कानून है यह भारतीय महिलाओं को सुरक्षा कम देता है और आतंकित, भयभीत व पीड़ित करता है। स्वंत्रता के बाद बहुत से कानून सत्ताधारी पक्ष ने सामाजिक, राजनैतिक व अन्य सभी के लिए बनाए लेकिन नारी के लिए, बालको के लिए व किसानों के लिए बहुत कम कानून बनाए और जो भी कानून बनाए वे इतने कमजोर और अधूरे बनाए गए कि जिनसे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए समाज के कुछ लोगों ने ऐसा दावा कर दिया कि महिलाओं को इस

तरह से आतंकित करके रखो ताकि वे भयभीत रहे और उनकी मुट्ठी में रहे। बलात्कार और निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला तो अत्यधिक गंभीर है। क्योंकि इससे गहन भावनात्मक दंश होता है, अपार मानसिक वेदना होती है, जीवन भर असुरक्षा और अविश्वास उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जिसके साथ इस तरह की घटना होती है वह देश भर समाज में इस अपराध के लिए, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं था सिर झुकाकर रखती है अपने परिवार और समाज की नजरों से गिर जाती है और जिधर जाती है उधर ही बदनामी उसके साथ-साथ जाती है तथा वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। इस प्रकार के अपराधों के लिए, जिन्हें बीभत्स, बर्बर या और कोई जो भी संज्ञा दी जाय उसके बारे में आपने 47 सालों तक कुछ नहीं सोचा। इण्डियन पिनल कोड में आपने दो साल की सज़ा तजबीज की है। ज्यादातर यह होता है कि प्रभावशाली लोग इस प्रकार के काम करते हैं और वे नारी जाति को जीवन भर अपमानित करने के लिए, मानसिक पीड़ा और सामाजिक व आर्थिक पीड़ा में धकेल जाते हैं और दो दिन बाद वे बाहर चले आते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के अपराध हो रहे है। इसमें मीडिया का कितना हाथ है, सामाजिक व्यवस्था का कितना हाथ है, हमारे नैतिक मूल्यों के पतन का कितना हाथ है यह दूसरी बात है। लेकिन कानून की भी अपराध को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब कानून सख्त होता है तो अपराध करने वाला एक बार सोचने को मजबूर हो जाता है कि हम इस अपराध को करेंगे तो हमको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी।

इसलिए छोटे-मोटे, लज्जा भंग करने वाले, किसी महिला के साथ छेड़खानी करने वाले या किसी महिला को कुछ बोले देने वाले मामलों में तो दो साल की सज़ा ठीक हैं परन्तु शर्म, हया और लज्जा चूंकि भारतीय महिला का आभूषण हैं, जिसके सिर से आंचल कभी नहीं उतरता, जो हमेशा अपने शरीर को ढक कर रखती है, ऐसी महिला को यदि निर्वस्त्र करके बन्दूक की नोक पर कुछ मजबूत लोग पूरे समाज के सामने घुमाये, जीवन-पर्यन्त मानसिक वेदना सहन करने के लिए उसे मजबूर कर दें जिससे वह पागल हो जाये, ऐसे अपराध के लिये कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिये, यही अपने विधेयक में मैंने तजवीज की है और उसी पर मैंने जोर दिया है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 377 में बलात्कार की सज़ा का प्रावधान है। बलात्कार बहुत जघन्य अपराध है और बलात्कार जब भी होता है, अकेले में होता है जिससे महिला को बड़ी मानसिक पीड़ा होती है, शारीरिक पीड़ा होती है, लेकिन मैं यहां उस विषय में जाना नहीं चाहती क्योंकि इस समय मेरा उद्देश्य महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने से है। महिला को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में, पूरे बाजार में घुमाने की अनेक घटनाएं इन दिनों सामने आयी हैं। यदि किसी महिला को दबाना हो तो उसे निर्वस्त्र करके घुमा दीजिये, इससे महिला सार्वजनिक रूप से अपमानित होती है, चाहे माया त्यागी का केस हो, चाहे शिवपति का केस हो, या उत्तराखंड आंदोलन में भाग लेने गयी महिलाओं को निर्वस्त्र करके खेतो में दोड़ाने वाला केस हो। हमारे यहां इलाहाबाद के दौना नामक स्थान पर भी ऐसा ही मामला सामने आया है। अलीगढ़ में भी कुछ भट्टा मजदूर महिलाओं के अपमान का मामला सामने आया है। ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से होती हैं। जब सार्वजनिक रूप से कोई अपराध करता है तो जिस महिला पर अपराध होता है, उसकी सज़ा वह अपने घर की किसी काली कोठरी में बैठकर भुगतती है, परिवार के लोग उसकी भर्त्सना करते रहते हैं कि यह कहां से आ गयी, परिवार के नाम पर कलंक हैं, दूसरी तरफ जो उस अपराध को करता हैं, वह थाने में पैसा देकर या दो दिन जेल में सज़ा काटकर, फिर से बाहर आ जाता है और मुंह में पान, गले में सोने की जंजीर डालकर, फूलों की माला डालकर फिर से बाजार में घूमने लगता है, यह कैसा न्याय है क्या भारतीय नारी को कभी किसी अदालत से न्याय मिलेगा या वह इसी प्रकार रोती रहेगी। आजादी के 47 साल बाद तक भी इस बारे में कभी नही सोचा गया।

इसलिए मेरा कहना है कि मंत्री जी अपनी बात पर नहीं टिकेंगे, ऐसा कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी मैं उनसे बार-बार कहना चाहूँगी कि जब आपने कहा है कि विंटर सैशन में आप ऐसा बिल लायेंगे, हो सकता है विंटर सैशन के अंत में लाये और हमें पता चले कि उस पर डिस्कशन नवम्बर में जाकर संभव है, लेकिन उस समय तक न जाने कितनी महिलाओ को निर्वस्त्र करके घुमा दिया जायेगा। आपको तो एक-एक पल भारी होना चाहिये। आपको सोचना चाहिये कि हर पल यहां महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है इसलिये आपको जो भी संशोधन लाना है, उसे आप जल्दी लायें।......(**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट : मैंने कहा कि कोशिश मानसून सैशन में करूंगा लेकिन विन्टर सैशन में पक्का समझिये।

श्रीमती सरोज दुबे : मानसून सैशन में जब आप लायेंगे तभी आप विंटर सैशन तक उसे संपूर्ण रूप दे पायेंगे, इसलिये मेरा आपसे बार-बार अनुरोध है कि आप अपने वायदे पर अटल रहिये क्योंकि पूरे देश की महिलाओं की निगाह आज आप के ऊपर लगी है, चाहे कोई महिला सम्भ्रात घराने की हो, स्कूल में पढ़ने वाली महिला हो या खेतिहर मजदूर महिला हो और खेतिहर मजदूर महिलाओं का तो कुछ कहना ही नहीं, उन्हें तो कोई भी खींच कर ले जाता है और वे पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी नहीं कर सकती क्यों कि अगर पुलिस में वे रिपोर्ट करने जायेंगी तो पुलिस वाले ही उन्हें खुद खींचकर ले जाते हैं। इसलिए वे कहां जायें...(**व्यवधान**) गांव में नहीं, यहां प्रावधान की बात हो रही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप दिये गये आश्वासन से संतुष्ट हैं?

श्रीमती सरोज दुबे : मैं अभी खत्म कर रही हूँ। अभी एक सात साल की आदिवासी बच्ची के साथ 20 साल के लड़के ने बलात्कार किया परन्तु पुलिस ने पहले तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी, जब ऊपर

से दबाव पड़ा तो लड़के को थाने में बंद कर दिया गया और कुछ घंटों के लिये हवालात में रखा। वह लड़का हाई स्कूल में दो बार फेल हो चुका है लेकिन उसकी उम्र 13 साल लिखी गयी।

सभापति महोदय, पुलिस ने भी उसको 13 साल ही लिख दिया और नाबालिग लिख कर छोड़ दिया। वह सात साल की छोटी सी लड़की जिसके गांव में बिजली नहीं, खाने को नहीं, उस लड़की को मीलों पैदल चलाकर, 20 किलोमीटर दूर लाया गया, तो उस लड़की मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है हम समय को और बढ़ाना नहीं चाहते

श्रीमती सरोज दुबे : सभापति महोदय, उस लड़की के साथ क्या घटना हुई है, वह घटना हम राजेश पायलट जी को बता रहे हैं। यह इलाहाबाद के एक क्षेत्र का मामला है। उस लड़की को इतना धमकाया गया कि जब वह लड़की मजिस्ट्रेट के सामने आई, तो कोई बयान देने लायक ही नहीं रही। मजिस्ट्रेट ने यह कह कर छोड़ दिया कि वह कोई बयान ही नहीं दे रही है। वह सात साल की लड़की है। बताईए वह क्या बताएगी। वह यह तो बता रही है कि उसे पटक दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए। पुलिस हमेशा अपराधी का ही साथ देती है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इस प्रकार की घटना हो जाती है और पुलिस हमेशा अपराधी का साथ देती है।

सभापति महोदय, चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर अपील करती हूँ कि मंत्री जी एक बार सदन में खड़े होकर स्पष्ट शब्दों में यह कहें कि वे इस संबंध में एक विस्तृत बिल मानसून सत्र में ले आएंगे और इस बिल को लाने से पहले वे एक मीटिंग बुलाएंगे ताकि हर पहलू पर विचार किया जा सके। क्योंकि केवल कानून ही इसका मुख्य पहलू नहीं है इससे बलात्कार भी जुड़ा हुआ है उत्पीड़न भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद आप एक ऐसा संशोधन लाएं ताकि आने वाले दिनों में कम से कम किसी महिला को निर्वस्त्र होकर न घुमाया जा सके और उसे लज्जित न होना पड़े और जीवनपर्यन्त उसे अपमान न सहना पड़े। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना है कि आप एक समय ऐसा लाएं जिसमें सारा समाज एक स्वर से कहने लगे कि—

"मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधनी नारी को
युग-युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को"

तभी यह समाज आगे बढ़ पाएगा। जिस समाज की आधी आबादी महिलाओं की है वह सम्मान से आगे बढ़ेगा। वह आपके विकास में, आपकी लड़ाई में, देश की रक्षा में, सरकार का कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगी और इस देश को एक नयी दिशा देगी। जैसा इतिहास में होता रहा है। अकेले श्रीमती इंदिरा गांधी ने करोड़ों पुरुषों पर राज्य किया और यह दिखा दिया कि मैं एक शक्तिशाली महिला हूँ। मैं अबला नहीं हूँ। अबला को सबला का मुकुट पहनाइए। अबला को मजबूत बनाइए। साहित्यवादी नारी का दर्पण बनाइए। उस साहित्यरूपी दर्पण में दम्भ, आत्मविश्वास और स्वाबलंबन से भरी नारी है। जब वह पीड़ित हो, तो दर्पण में झांक कर देख सके कि अरे हमारा तो यह रूप है, हमें तो यह बनना है। तो वह झांसी की रानी बनेगी। इंदिरा गांधी बनेगी। स्वावलंबी बनेगी। स्वाभिमानी बनेगी और अपने ऊपर अत्याचार करने वाले पुरुषों को मुंहतोड़ जवाब देगी और खुद की रक्षा करने में सक्षम होगी। उनको जूडो-कराटे की शिक्षा दीजिए। उनको हर तरह से सशक्त बनाएं तब वह मुंहतोड़ जवाब देगी, और तभी नारी सम्मान के साथ रह सकेगी। इसलिए आप आज यहां पर साफ शब्दों में एश्योरेंस दे दें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं यहां महा-आमरण अनसन करने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद चाहे आप हाउस बन्द कर दें। मुझे ताले में बंद कर दें। मैं यहीं बैठी रहूंगी। यह आपकी जिम्मेदारी है। एक उत्पीड़न और सही। धन्यवाद।

श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद) : सभापति जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुला कर इस पर एक अलग से मीटिंग की जाए और तब इसे लाया जाए। बस मैं यही मांग करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह एक सुझाव है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा यह बहुत बढ़िया बिल है। इसके पीछे जो भावना है, वह एक ही भावना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार की कोई उससे अलग भावना है। सरकार भी यही सोचती है कि इस सामाजिक बुराई को कैसे दूर किया जाए और बहिन सरोज ने बहुत भावुक होकर, बहुत सख्त लफ्जो में बात कही है।

मैं सरकार की तरफ से वायदा करता हूँ कि कोशिश मानसून सैशन में में की जाएगी, लेकिन अगर नहीं बिल आ सका, तो विंटर सैशन में तो अवश्य ले आऊंगा।

जहां तक सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर बात करने का आग्रह यहां पर किया गया है, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि सरोज दुबे जी को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जरूर बुलाकर, बातचीत करके बिल दिखाकर, यहा पर बिल लाऊंगा।

सभापति महोदय, एक बात श्रीमती सरोज दुबे ने यहां पर अपने भाषण में कही है, जो शायद वे जल्दबाजी में कह गयी हैं कि सारे देश की महिलाओं की नजर राजेश पायलट पर है। यहां पर मेरा अनुरोध करना यह है कि मुझे भी अपने घर जाना है। इसलिए वे कृपया अपने भाषण में इतना संशोधन अवश्य करें कि सारे देश की महिलाओं की नजर सरकार पर टिकी है।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि सारे देश की महिलाएं आपको कृष्ण के रूप में देख रही है। आप उनकी रक्षा कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या विधेयक को वापस लें रही है अथवा नहीं?

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : सभापति महोदय, सदन में दिए गए आश्वासन के आधार पर मैं अपने बिल को वापस लेती हूँ, लेकिन मंत्री जी याद रखें कि अभी बाजी हमारे ही हाथ में है।

सभापति महोदय, मैं सदन से अपने विधेयक को वापस लेने की अनुमति चाहती हूँ।

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जायें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्रीमती सरोज दुबे : मैं विधेयक को वापस लेती हूँ।

5.45 म.प.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 330 और 330 ख, आदि का अतः स्थापन आदि)

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेड्डया यादव (मछलीपटनम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक को प्रस्तुत करने का आरोप यह है कि कुछ वर्गों को स्थानीय निकायों, विधान सभाओं तथा संसद में आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधित्व मिला सके। ऐसा इस लिए है क्योंकि देश की 80 से 85 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की है। उच्च जाति के केवल 15 प्रतिशत लोग ही है। कृषि उत्पादन, उद्योग तथा सभी क्षेत्रों में उत्पादन का मुख्य साधन पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोग है परन्तु भारतीय प्रशासन में उनका भाग शून्य के समान है। अनुसूचित जाति के लोगों को विधान सभाओं, संसद, स्थानीय निकायों और भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा आदि में आरक्षण दिया जाता है। परन्तु पिछड़े वर्गों के 52 प्रतिशत दुर्भाग्यपूर्ण लोगो को, जो कि इस देश की खुशहाली के मुख्य अंशदाता है, प्रशासन, शिक्षा, आर्थिक भागीदारी तथा राजनैतिक भागीदारी में भी उपेक्षा की गई है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए मैं इस सभा द्वारा पारित किये जाने के लिए यह विधेयक लाया हूँ ताकि जनसंख्या के इन वर्गों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिला सके।

स्वतंत्रता के पश्चात प्रशासन ऊंची जाति के लोगों के हाथ दिया गया और वे इस देश के संरक्षक बना दिये गये। 1960 तक पिछड़ी जातियों ने किसी चीज की मांग नहीं की। जब उन्हें पता चला कि संविधान एक ओर झुका हुआ है और ठीक प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है और पिछड़ी जातियों के लाखों लोगों तथा मुसलमानों द्वारा समीक्षा लाने वाला देश के धन कुछ लोगों द्वारा अपने हाथों में एकत्रित किया जा रहा है। तो उन्होंने आंदोलन किया जब तक देश के कानून संविधान का एक आदमी दूसरे आदमी एक वर्ग से दूसरे वर्ग तथा एक धर्म से दूसरे धर्म के लिए उल्ल[illegible]हीं किया जाता तब तक कुछ हाथों में समूची दौलत का एकत्रित होना संभव नहीं है। यही कारण है कि भारत का ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो गया है। वहां पर पेय जल नहीं है। सड़क यातायात नहीं है, अस्पताल सुविधाएं नहीं है और न हीं वहां शिक्षा संस्थान हैं। क्यों? यह इस लिये हैं क्योंकि भारत को संसद तथा कानून बनाने वाले अन्य निकायों में ग्रामीण भारत का कोई प्रतिनिधि नहीं है। पिछड़ी जातियों तथा मुसलमानों का यहां उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। सभी दलों की यही स्थिति है चाहे वह कांग्रेस हो, अथवा भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी अथवा जनता दल।

मैं पूरी गम्भीरता से यह कहना चाहता हूँ कि यह सभा ग्रामीण भारत की कठिनाईयों तथा समस्याओं को नहीं सुन रही है क्योंकि जो लोग आगे के बैंचो पर बैठे है और विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते है वे एक वर्ग विशेष के प्रतिनिधि है हालांकि वे किसी निहित हित के प्रतिनिधि नहीं है। परन्तु ग्रामीण भारत में आने वाले वर्ग को यहाँ पर उचित रूप से नहीं सुना जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ दूसरा कोई बी.जे.पी. सी.पी.आई. अथवा सी.पी.आई. (एम) का सदस्य हो सकता है। परन्तु इन सभी पर आगे के बैंचों पर बैठने वालों का नियंत्रण है। मुझे अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों की पेय जल तथा अन्य मूल आवश्यकता संबंधी समस्याओं को यहां उठाने नहीं दिया जाता। इस देश के निहित हितों द्वारा ग्रामीण भारत का पूरी तरह शोषण किया जा रहा है। यही कारण है कि हम संसद में, इस सभा में तथा विधान सभाओं तथा स्थानीय निकायों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व चाहते हैं।

एक आदमी से दूसरे आदमी तथा एक धर्म से दूसरे धर्म के लिए इस संविधान का किस प्रकार उल्लंघन किया जा रहा है। यदि आप किसी थाने में जायें तो आप देखेंगे कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि कोई मजदूर अथवा पिछड़े वर्ग अथवा आदिवासी थाने में जाता है तो उसको घसीटा जाता है, उसके साथ दुर्व्यहार किया जाता है तथा उसे मारापीटा जाता है। परन्तु यदि उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति 100 व्यक्तियों की हत्या करता है। अथवा किसी मंत्री की हत्या करता है तो यहाँ उसके साथ वी.आई.पी. जैसा व्यवहार किया जाता है। सभी स्थानों पर इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है।

यदि पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति किसी छोटे कस्बे में दो कमरों का मकान बना लेता है तो आपका अधिकारी उससे सभी लेखे मांगेगे

और यहां तक कि सीमेंट की दस बोरियों का वोचर भी उससे पूछेंगे। परन्तु यदि आप बम्बई में जाकर देखें प्रतिदिन करोड़ों रुपये बाटें में जा रहे है। यह धन पहले जीनेवा जाता है फिर चोरी छिपे वापस भारत आता है। इन लोगों को पकड़ने के वास्ते कोई नियम अथवा कानून नहीं है। हर स्थान पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है यहां देश के 10 प्रतिशत निहित हित के लोगों द्वारा शेष 90 प्रतिशत लोगों का शोषण किया जा रहा है तथा उन्हें लूटा जा रहा है।

हम इस सभा के 545 संसद सदस्य लाखों लोगो द्वारा चुन कर यहां आते है। परन्तु हम केवल एक प्रतिशत नौकशाहों तथा कर्मचारियों, दो से तीन प्रतिशत उद्योगपतियों तथा लगभग तीन प्रतिशत व्यापारियों की ही सेवा करते है। हमारी संसद केवल इन्हीं लोंगो की सेवा कर रही है। इस देश के शत प्रतिशत लोगों से यह प्राप्त करते है परन्तु सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल नौकरशाहो, कर्मचारियों तथा व्यापारियों के हितों को देखते है।

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, हम इस बात का खण्डन करते है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत में हम विश्वास करते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेड्डयया यादव : मैं बात रहा हूँ। यदि कोई सदस्य कुछ कहना चाहता है तो वह बाद में बोल सकता है। पिछड़े वर्गों की आवाज को न तो संसद में और नही विधान ससभाओं में सुना जा रहा है। आज क्या हो रहा है? यदि पिछड़े वर्ग अथवा किसी मुसलमान को मंत्री बना दिया जाता है तो उसकी बात का कोई महत्व होता है। लोगों को गलत धारणा है कि यदि उन्हें मंत्री बना दिया जाता है तो उनके पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ न्याय मिलेगा। नहीं। ये ऊंची जाति के कुछ लोग भी है—चाहे बी.जे.पी. सत्ता में आये अथवा साम्यवादी अथवा कांग्रेस सत्ता में आये-जो 85 से 90 प्रतिशत लोगों पर नियंत्रण रखते हैं। हमारे देश में यही कुछ हो रहा है। परन्तु मैं प्रधान मंत्री श्री पी. वी. नरसिम्हा राव को नगर पालिका विधेयक तथा पंचायती राज विधेयक लाने के लिए धन्यवाद करता हूँ जिनमें पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और ग्रामीण विकास हेतु बजट में जो भी प्रावधान किया गया है वह सीधे पंचायत के प्रधान अथवा नगर पालिका के सभापति को जाता है।

पिछड़े वर्गों के लिए आन्दोलन के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा एक अन्य स्वतंत्रता आंदोलन चलाना होगा। कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। देश में यह सभी बाते इतनी आसान नहीं है। समूचा देश अंगारो पर है चाहे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देश की समूचा दौलत को कुछ निहित हितों द्वारा अपने हाथों में एकत्रित किया जा रहा है। इसको कोई नहीं रोक रहा है। ऊंची जातियों द्वारा कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता रहा है। जो लोग इस देश के लिए धन पैदा करने के लिए अपना खून पसीना बहा रहे हैं उनकी उपेक्षा की जा रही है।

सभापति महोदय, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हमारे 1,20,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में से 90,000 करोड़ रुपये सभी मदों पर अर्थात कपड़ा, खाने की वस्तुए, सिग्रेट बीड़ी आदि पर उत्पाद शुल्क के रूप में साधारण व्यक्ति से प्राप्त होते है। प्रत्येक राज्य सरकार बिक्री कर से तीन से चार हजार करोड़ वसूल कर रही है। यह कर देने वाले कौन लोग है? यह साधारण आदमी तथा गरीब आदमी है जो कपड़ो, चाय, चीनी आदि खरीद कर यह कर देता है। यदि कोई एक किलो चीनी खरीदता है तो 6 रुपये, उत्पादन लागत में जाते है, 3 रुपये केन्द्रीय सरकार को जाते हैं और एक रुपया पचास पैसे बिक्री कर के रूप में राज्य सरकार को जाते हैं। हम यह सोच रहे है कि इस के बड़े-बड़े करोड़पति इस देश के बजट में तथा सरकारों के बजट में अंशदान दे रहे हैं। यह गलत है। निहित हित वाले लोग आयकर के रूप में केवल 20,000 करोड़ रुपये ही दे रहे हैं। अन्य सभी कर इस देश के लोगों द्वारा समान रूप से दिये जाते है।हमें यह नहीं भूलना चाहिए। जब कभी भी शहरी लोगों को कोई छोटी सी कठिनाई होती है तो समूची सभा खड़ी होकर कहने लगती है कि ए.सी. नहीं चल रहा है, बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। कर्मचारियों को दूध नहीं मिल रहा है तथा ऐसी ही अन्य बाते। इस सभा में हमने ये सभी बाते की है।

उड़ीसा और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों जहां अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोग रहते है। वहां जीवाणुओं वाला पानी मिलता है। जिसे वहां के लोग पीतें हैं। यह हालत है। राज्य सरकार के कुछ जिला मुख्यालयों में फिनाइल तक उपलब्ध नहीं है। हम पांच तारा होटलों में जाते है और वहां ग्रार्माण क्षेत्रों के अस्पतालों में आम आदमी के लिए डाइजीन की गोली भी उपलब्ध नहीं है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों का यह भाग्य है जो मेहनत करके जीने वाला है, वही बैकवर्ड क्लास है। यही वह वर्ग है जो देश की एकता और अखण्डता को बनाये रख सकता है।

शुरू से ही ये कौमें बहुत मेहनती हैं। वे कारीगर का काम करके जीते हैं। मेहनत करके जीने वाला है। यह बैकवर्ड क्लास हिन्दुस्तान में लूटने वाला नहीं हैं;

सभापति महोदय : 6 बज गये है। आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते है। यह सभा सोमवार 22 मई 1992 के 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा सोमवार 22 मई 1995/1 ज्येष्ठ 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।